खण्ड-372, अंक-7
बुधवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1907
(21 अगस्त, 1985 ई0)

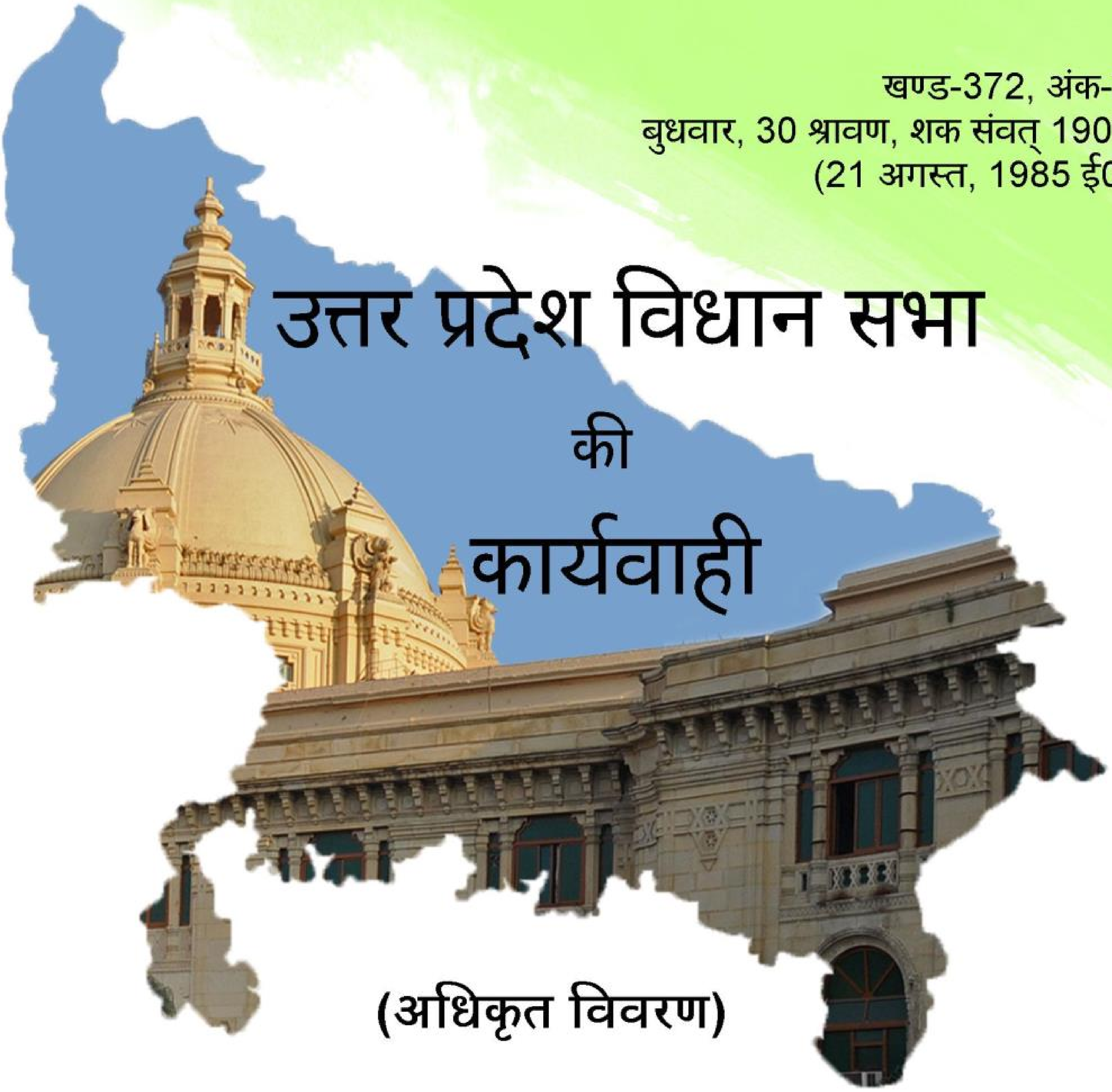

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 372 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
प्रश्नोत्तर ..	3–41
अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के निधन पर शोकोद्गार ..	42–50
प्रश्नों के सही उत्तर न दिये जाने तथा समयाभाव के कारण सभी प्रश्नों के उत्तर सदन में न आ पाने के सम्बन्ध में व्यवस्था तथा औचित्य के प्रश्न ..	50–56
इलाहाबाद के मलतपुर में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दुकानों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	57
चयनपुर गुलौरा पम्प नहर क्षेत्र सोपर, बलिया से ट्रान्सफार्मर हटाये जाने से किसानों में क्षोभ व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	57
डुमरियागंज, बस्ती में अधिवक्ता संघ द्वारा किये गये हड़ताल एवं धरना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	58
ग्राम लखनऊ तहसील करहल, मैनपुरी के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के कृषकों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	58
सरधना खादी केन्द्र, मेरठ, में हथकरघा एवं पावरलूम के संचालन हेतु नियमित रूप से विद्युत् आपूर्ति की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	59
लखनऊ–कानपुर मार्ग पर चलने वाली बसों को उन्नाव के मध्य से गुजरने के आदेश का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	59
खतौली, मुजफ्फरनगर के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	60
कस्बा सुबेहा, बाराबंकी व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में हैजे के भयंकर प्रकोप से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	60
प्रश्नों के सही उत्तर न दिये जाने तथा समयाभाव के कारण सभी प्रश्नों के उत्तर सदन में न आ पाने के सम्बन्ध में व्यवस्था तथा औचित्य के प्रश्न ..	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
दारुलशफा डिस्पेंसरी में अव्यवस्था होने से सम्बन्धित विषय पर श्री अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुयी वार्ता की जानकारी सदन को दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	62–64
जनपद बस्ती में डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत विभिन्न नदियों पर सेतु निर्माण, तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत स्थापित किये जाने तथा राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गयी) ..	65
बरेली में लोक सेवा आयोग एवं सिविल सेवा की परीक्षा हेतु केन्द्र खोले जाने, बरेली–बदायूं राज मार्ग चौपला पर ओवर ब्रिज के निर्माण तथा बरेली महानगर के पुराना शहर क्षेत्र में स्थित बालजत्ती प्राइमरी पाठशाला को उच्चीकृत करके इन्टर कालेज बनाने के सम्बन्ध में याचिका—(प्रस्तुत की गयी) ..	65
बलिया के ब्लाक चिलकहर के ग्राम औंदी में टौंस नदी पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका—(प्रस्तुत की गयी) ..	66
उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 (पुरःस्थापित किया गया) ..	66
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	66
1985–86 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 12—गन्ना विकास विभाग तथा अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)—(स्वीकृत) ..	83–128
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	128
गंगा नदी के कटाव से बलिया जनपद के कई गांवों को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	128–130
कानपुर केमिकल्स, कानपुर में गैस रिसाव से लाखों लोगों का जीवन संकट में होने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	130–132
नस्थियां ..	133–151

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 21 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अरुण प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
एहतिशाम वली खां, श्री (बहराइच)
औसान सिंह, श्री (इटावा)
कमाल अहमद रिजवी, श्री (खीरी)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कोकब हमीद, श्री (मेरठ)
गंगा स्वरूप भटनागर (सीतापुर)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जय नारायण शर्मा, श्री (मेरठ)
जयराम वर्मा, श्री (फैजाबाद)
डूंगर सिंह, श्री (हमीरपुर)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (इलाहाबाद)
पुष्कर सिंह, श्री (गढ़वाल)
फरीद महफूज किदवई, श्री (बाराबंकी)
बुधपाल 'खुर्जावाले' श्री (बुलन्दशहर)
भगवती प्रसाद, चौधरी (मिर्जापुर)
मंगल देव, श्री (गोंडा)
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री (एटा)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
योगेन्द्र कुमार, श्री (बदायूं)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रजनीकान्त, श्री (वाराणसी)
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री (बुलन्दशहर)
राजनरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कल्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शिवबालक पासी, श्री (रायबरेली)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखपाल पाण्डे, श्री (बस्ती)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हरशरन सिंह, श्री (मेरठ)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

नोट—श्री सिब्ते रजी—शिक्षा मन्त्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 21 अगस्त, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना काश्तकारों का बकाया मूल्य

**1—श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री राम नरेश तथा श्री शारदा प्रताप)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेराई सत्र 1984-85 का प्रदेश के गन्ना काश्तकारों का कितना गन्ना मूल्य अभी तक प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों पर बकाया है और उसके भुगतान हेतु शासन की ओर से क्या-क्या कार्यवाहियां की गई ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

पेराई सत्र 1984-85 में गन्ना काश्तकारों का प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक 15-7-85 तक की स्थिति के अनुसार गन्ना मूल्य का 18·83 करोड़ रु0 बकाया है।

अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए लेवी चीनी के बढ़े हुये मूल्य से प्राप्त धनराशि तथा मुक्त चीनी के विक्रय पर प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त टैगिंग करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय गन्ना विकास मंत्री ने बताया कि गन्ना किसानों का 18·83 करोड़ रुपया बकाया है। तो माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि चूंकि बैंकों से प्राप्त ऋणों पर जो किसानों को ब्याज देना पड़ता है और किसान जो गन्ना उत्पादन के लिए ऋण लेता है, तो उसे ब्याज देना पड़ता है, तो जो उसका बकाया है 18·83 करोड़ रुपया, जो इनके पास धरोहर के रूप में है, क्या उस पर ब्याज दिलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, जो किसान हैं, वह बैंक से ऋण लेकर अपना गन्ना उत्पादन करते हैं और वह अपना गन्ना मिल मालिकों को बेचते हैं, तो इस प्रकार से जो उनका पैसा ब्लाक है, ब्लाक है गन्ना मिलों पर, उस पर माननीय मंत्री जी ब्याज दिलायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन् इस सम्बन्ध में विचार किया गया था। इसमें दो तरह के मूल्य हैं, एक तो केन्द्रीय सरकार प्रस्तावित करती है और दूसरा जो उत्तर प्रदेश सरकार इक्स्ट्रा मूल्य देती है। इसमें विधिक जांच करवाई जा रही है, प्रोसेस में है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

किन-किन चीनी मिलों पर कितना-कितना पैसा बकाया है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

इसके बारे में यह लिस्ट इतनी ज्यादा है, कहें तो सुना दूं।

श्री कौशिक रमाशंकर—

इस प्रश्न को थोड़ा सरल करा दीजिए। कोआपरेटिव की जो फैक्टरीज हैं, उनमें कितना बकाया है और जो प्राइवेट सेक्टर में फैक्टरीज चल रही हैं, उन पर कितना बकाया है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जिसके बारे में मान्यवर, आप कहें बता दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप दोनों सवालों को मिला कर जवाब दे दीजि।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, पश्चिमी क्षेत्र में देय 7893·35 था जिसमें से 7631·86 भुगतान कर

दिया है और 261·49 अवशेष है। मध्य क्षेत्र में 7462·20 देय था, इसमें से 7307·05 का भुगतान कर दिया गया है और 155·15 शेष है। पूर्वी क्षेत्र में 2896·65 देय था, इसमें से 2612·04 का भुगतान कर दिया गया है और 284·61 शेष है राज्य चीनी निगम इकाइयां—इनका जो टोटल देय था वह 6690·43 था, इसमें से 6065·40 का भुगतान कर दिया गया है और 625·03 शेष है। सहकारी चीनी मिलें जो हैं उनका देय योग है 7041·82 भुगतान हो चुका है 6583·33 रु0 का और कुल देय जो रह गया है वह है 458·491। कस्टोडियन की जो स्थिति है, इसका कुल योग है 32920·88, इसमें भुगतान हो चुका है 31038·39, जो शेष रह गया है वह है 1882·49।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, किसानों के गन्ने का भुगतान न होने की समस्या हर वर्ष की है और इस पर इस सदन में चर्चा भी होती है। किसानों के बकाए का एक-एक साल भुगतान नहीं होता है, तो क्या शासन कोई ऐसी नीति बनाने पर विचार कर रहा है कि गन्ना, किसान जब डालता है, तो 30 दिन के अन्दर उसका भुगतान सुनिश्चित हो जाय। यदि 30 दिन के बाद उसका भुगतान होता है तो उसको उसका ब्याज दिया जाए।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

यह निश्चित रूप से गम्भीर बात है कि देय मूल्यों का बकाया रह जाता है, लेकिन इसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यवस्था की गयी है। लेवी के जो मूल्य बढ़े हैं, उनके टेंगिग के आर्डर कर दिए गए हैं। प्रत्येक चीनी मिल में बकाया का भुगतान करने के लिए अलग से खाता खोला जाएगा।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, जो भुगतान की नीति है, उससे किसान हतोत्साहित हुआ है और पिछले साल में गन्ने के प्रोडक्शन का भारी असर पड़ा है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि गन्ने का भुगतान ठीक ढंग से नहीं होता है, जो प्राइवेट मिलें हैं, उनको अधिग्रहण कराने की कृपा करेंगे? तथा सरकारी मिलें जो हैं, वहां सरकारी अधिकारियों को आदेश करेंगे कि सही तिथि पर भुगतान हो जाए?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि 71 करोड़ 45 लाख रुपया अवशेष रह गया है, तो सारी प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाया गया है। इससे जो स्थिति पिछले साल थी, उससे अब काफी सुधार हुआ है। इसको सही ढंग से देखा जा रहा है। सन् 1971 से 1984 तक 24 मिलों का अधिग्रहण किया गया है।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि लेवी के हिसाब से, सरकारी खाते के हिसाब से, गन्ने का पेमेन्ट होता है। मैं समझता हूं कि आपकी जो पालिसी है उसका गन्ने के भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ता है। उससे गन्ने भुगतान पर असर नहीं पड़ा है। चीनी फैक्ट्री से उठती है और फैक्ट्री में पैसा आता है। किसानों को रुपया न मिलने का क्या कारण है मैं समझता हूं जो जनरल मैनेजर है···

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल करें।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

79-80 का बकाया पड़ा है। अगर यह पालिसी के मातहत होता तो उनका पैसा मिल जाता। आपके प्रशासन की खराबी के कारण किसानों के रुपये का भुगतान नहीं हो रहा है। उसमें सुधार करके रुपया दिलवायेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

सारी डिटेल दे दूं। 1980-81 में बकाया 15 लाख था, 81-82 में 99 लाख था।

श्री मैनेजर सिंह--

एक पैसा बाकी है तो क्यों बाकी है ? उस पर सूद क्यों नहीं दिलवाते हैं ? सवाल का सही उत्तर नहीं आता है सही उत्तर दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष--

आप आ जाइये इस स्थान पर ।

श्री मैनेजर सिंह--

हमको बुला लें तो मैं अच्छा चलाऊंगा ।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

हमारे बुजुर्ग सदस्य ने नौजवानों जैसी बात कही है । जो बड़ा बिजनेस होगा, उसमें क्रेडिट रहेगा, बैंक का ऋण रहेगा, बकाया रहेगा । देखना यह होता है कि प्रोसेस ठीक चल रहा है या नहीं । मान्यवर, 75 करोड़ का बकाया था जिसमें से काफी भुगतान किया जा चुका है । त्रिलोक चन्द्र जी ने पूछा जो लेवी बढ़ी उससे कैसे भुगतान करेंगे । लेवी से औसतन पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में 92 रुपये का फर्क रहा है । कुछ सरकार से ऋण मिलेगा इस तरह से मूल्य चुकता किया जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, गन्ना मूल्य के खाते से सम्बन्धित जो रुपया है, वह किसानों को भुगतान पर खर्च होना चाहिये । इस सम्बन्ध में आम शिकायत रही है कि गन्ना खाते के मूल्य से फैक्ट्री के कर्मचारियों तथा अन्य मदों का भुगतान किया गया और गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया । मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी इसे अधिकारियों को दण्डित करेंगे ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

माननीय सदस्य स्पेसिफिक शिकायत लिखकर दे दें जांच करा लूंगा । मैंने प्रारम्भ में ही जवाब दिया है कि भुगतान की व्यवस्था की जा रही है और पूर्ण होने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सभी मिलों का भुगतान कर दिया गया है ? केन्द्र सरकार का जो मूल्य है क्या उतने रुपये का आप ब्याज दिलायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

पूर्व में जिन मिलों का बकाया था मैंने सारी डिटेल लिस्ट सुनाई । ब्याज के सम्बन्ध में मामला ला डिपार्टमेंट में प्रोसेस में यह मामला है, जैसा वहां से डिसाइड हो जायेगा, इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, टैगिंग की जो व्यवस्था है उसमें यह है कि जिलाधिकारी करेगा और 80 प्रतिशत तक मिलेगा लेकिन मिल वाले पूरा रुपया लेकर अपनी मशीनरी आदि ठीक करवा लेते हैं और गन्ने का भुगतान नहीं करते तो उस टैगिंग के अनुसार किन-किन मिलों का आपने गन्ने का भुगतान किया है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

यह 99 मिलें हैं । उसकी सारी लिस्ट मैं पहले सुनाने वाला था । आप आज्ञा करें तो मैं पूरा बता दूं ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जैसा कि श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कहा कि जनता शासन काल के दौरान में यह कम था तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनता शासन काल के दौरान में गन्ने की खरीद का मूल्य क्या था और अब क्या है ? क्या जो बकाया है वह मूल्य वृद्धि के कारण ही बकाया है ?

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

माननीय मंत्री जी से पहले ही सवाल के उत्तर में कहा कि किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में ब्याज सहित देने के सम्बन्ध में कानूनी राय ली जा

रही है। मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिसके ऊपर कानूनी राय ब्याज के ऊपर ली जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

दो प्राइज मूल्य होते हैं। एक भारत सरकार देती है और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार जो एक्स्ट्रा मूल्य देती है उस पर जो ब्याज है उसकी विधिक जांच करवाई जा रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

एक छोटा सा सवाल माननीय माता प्रसाद जी ने पूछा है कि टैगिंग के अनुसार अब तक किन-किन मिलों ने किसानों को भुगतान नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल आया था तो क्या ऐसे किसानों को जिनको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, पूरी फेहरिस्त सुनवाई जाये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

नहीं मान्यवर, किसानों की फेहरिस्त नहीं चाहिये केवल यह बता दिया जाये कि टैगिंग के अनुसार अब तक किन-किन मिलों ने किसानों का भुगतान नहीं किया है। मान्यवर, इसमें होता यह है कि सीजन शुरू होने से पहले सम्बन्धित जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मिल मालिक और केन आफिसर मिल-कर यह तय करते हैं कि किसानों को कितना पैसा दिया जायेगा। कोई 60 प्रतिशत देता है, तो कोई 70 फीसदी और कोई 80 फीसदी तक देता है। इसलिये मान्यवर, हम लोग यह जानना चाहते हैं कि इस टैगिंग के अनुसार किन-किन मिलों ने भुगतान अब तक नहीं किया है ? (एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने और बोलने पर)।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल आप अलग से कोई सवाल कर लीजिये, जवाब दे दिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं अन्य माननीय सदस्यों के बारे में तो कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि वर्ष 1984-85 में टैगिंग के अनुसार किन-किन मिलों ने किसानों का भुगतान नहीं किया है ?

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, भुगतान के बारे में जो बात कही जा रही है, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में 99 मिलें हैं और सब का कुछ न कुछ बाकी है।

(शोर)

एक सदस्य—

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर आया। हम बकाया नहीं पूछ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

25 मिनट से अधिक हो गये हैं, इस प्रश्न के। आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि आप हम लोगों को सुरक्षा दें। अगर 25 मिनट इस प्रश्न पर हो गये हैं और कोई हल नहीं निकल पा रहा रहा है तो सिर्फ इसकी जिम्मेवारी उस पक्ष की है, सवाल छोटा सा है कि टैगिंग के अनुसार वर्ष 1984-85 में किन-किन मिलों ने किसानों का भुगतान नहीं किया है ? मान्यवर, इसका स्पष्ट उत्तर आप माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिए।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि पूरे प्रदेश में 99 मिलें हैं और इनमें से हरेक पर थोड़ा-बहुत बकाया है। दूसरे श्रीमन्, यदि आप संरक्षण दें तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर इतनी डिटेल में बात हुयी है और लगभग हर चीज का जवाब भी दिया जा चुका है फिर भी यदि मा0 सदस्यगण संतुष्ट नहीं हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मेरे चेम्बर म आयें, और जो मुझे जानकारी होगी, वह मैं उन्हें दूंगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

टैंगिग में मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही होती है। उनसे इन्होंने चुनाव में पैसा लिया है, इसलिये यह जवाब नहीं दे रहे हैं। ये गन्ना किसानों की जान लेना चाहते हैं। आप इनसे जवाब दिलाइये कि टैंगिग में कितना बकाया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय नेता, विरोधी दल और अन्य नेतागण ने कुछ जानकारी चाही। इसके बारे में यदि फाइल में है तो इसे अभी मंत्री जी बता देंगे, नहीं तो बाद में सूचना दे देंगे।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, फाइल में है, लेकिन किसी को सुनने की ही फुरसत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी यदि आपके पास टैंगिम के बकाये की सूचना हो तो दे दीजिये, नहीं तो कह दीजिये की सूचना की आवश्यकता है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास इस समय तथ्य नहीं हैं। इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, पहले मिलों के नाम बता रहा हूं। इकबालपुर, देववन्द, सामली, मोदीनगर....

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी के पास सूचना नहीं है, इसलिये आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। माननीय सदन की भावनाओं को देखते हुये यह उचित होगा कि इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

लखनऊ स्थित राजभवन में राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फटा हुआ लहराया जाना

**2—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 22 अप्रैल, से 28 अप्रैल, 85 तक लगातार लखनऊ स्थित राजभवन में राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फटा हुआ लहराया गया ? इस लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

दिनांक 24 अप्रैल, 1985 को मुख्य राजभवन के ऊपर फहराया हुआ राष्ट्रीय ध्वज उसी के पास स्थित लाइटिंगिग कन्डक्टर के साथ हवा के तेज बहाव के कारण टकराने से फट गया था।

उक्त घटना श्री राज्यपाल के परिसहायक (पुलिस) की उदासीनता के कारण घटित हुई। सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को मौखिक चेतावनी देकर उनके पैतृक विभाग को प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, एक तो सरकार ने मेरे प्रश्न का सीधा जवाब नहीं दिया है। मैंने प्रश्न किया था कि सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 22 अप्रैल से 28 अप्रैल, 1985 तक लगातार लखनऊ स्थित राज भवन में राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फटा हुआ लहराया गया? तो मान्यवर, इसका जवाब दिया गया कि दिनांक 24 अप्रैल, 1985 को मुख्य राज भवन के ऊपर फहराया हुआ राष्ट्रीय ध्वज उसी के पास स्थित लाइटनिंग कन्डक्टर के साथ हवा के तेज बहाव के कारण टकराने से फट गया था, तो यह नहीं बताया गया कि जैसा कि मैंने पूछा था कि 22 अप्रैल, से 28 अप्रैल तक लगातार फटा हुआ झंडा फहराया गया, इसका जवाब नहीं दिया गया। दूसरे मान्यवर, इतनी बड़ी घटना है कि इतने दिन तक राजभवन पर फटा हुआ तिरंगा झंडा फहराता रहा और उसके लिये जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को केवल मौखिक चेतावनी देकर प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

मान्यवर, राष्ट्रीय ध्वज का यह अपमान है। सरकार इसको इतने हल्के स्तर पर ले रही है। केवल एक व्यक्ति को मौखिक चेतावनी देकर सरकार ने अपने कार्य की इतिश्री समझ ली इसका क्या औचित्य है?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य का मूल प्रश्न है, उत्तर में सारी बातें निहित हैं। मान्यवर, 24 तारीख को ऐसा हुआ। इसका कारण भी दिया हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ? मान्यवर, राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रश्न है, माननीय सदस्य की जो भावना है, सभी की भावना उससे जुड़ी हुई है। लेकिन, कभी-कभी अपरिहार्य स्थिति में कभी एक्सीडेंटली कोई बात हो जाती है। मान्यवर, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की भी एक प्रक्रिया होती है। राजभवन में सूर्योदय के समय झंडा फहराया जाता है, गार्ड कमांडर वहां खड़े होते हैं, गार्ड कमांडर प्रतिदिन फहरा देता है, शाम को उतार देता है। यह जैसे ही जानकारी हुई कि झंडा फट गया है, तुरन्त ही झंडे को बदल दिया गया। झंडा बदलने की कार्यवाही भी 24 तारीख को हो गयी। मान्यवर, उसके बाद की तिथियों का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं फटा हुआ झंडा लहराने की सूचना कब मिली और किस व्यक्ति के द्वारा यह सूचना मिली, जिसके बाद झंडा बदला गया?

श्री हुकुम सिंह--

सुबह झंडा फहरा दिया गया था। पौने चार बजे देखा गया, झंडा फटा हुआ है, तुरन्त बाद झंडा बदल दिया गया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, राजभवन पर फटा हुआ झंडा लहराता रहे, इससे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और क्या हो सकता है। एक व्यक्ति को दोषी ठहराकर ही बात समाप्त समझ ली गयी।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को गलत सूचना मिली है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मसला है। मान्यवर, राज्यपाल जब यहां रहते हैं, तो वह सिलसिला नहीं होता।

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 22 तारीख को ही झंडा फटने की सूचना उनको मिल गई थी ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, 22 तारीख को झंडा फटा ही नहीं था तो सूचना मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, इसी विधान सभा मण्डप के भीतर और आपके ठीक ऊपर जहां गांधी जी की फोटो लगा रखी है, उसके बायीं तरफ का झंडा फटा हुआ है । जब झंडा विधान सभा के अन्दर फटा हुआ लटकाया गया है तो राजभवन की बात छोड़िये ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने देख लिया है और आपकी बात को सुन लिया है ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है वह गलत है । 2-3 दिन पहले से यह झंडा फटा हुआ वहां पर लहराया गया । जब यह बात प्रेस में आ गई तो तब सरकार के संज्ञान में यह बात आई । क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने दिन पहले से यह फटा हुआ झंडा लहराया जा रहा था ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, झंडा ही नहीं फटा था तो फटे हुए झंडे को लहराने का प्रश्न ही नहीं उठता है । जिस दिन झंडा फटा है वह लगभग पौने चार बजे, पास में लगे कन्डक्टर पर उलझ जाने के कारण फट गया । उसे तुरन्त बाद झंडा बदल दिया गया और वहां से वह कन्डक्टर भी हटा दिया गया है । इस बात का खेद तो हमको भी है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री राम अदालत वर्मा, नेता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फैजाबाद द्वारा की गई भूख-हड़ताल तथा मांगें

*1--श्री राज किशोर सिंह, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री मित्रसेन तथा श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम अदालत वर्मा, नेता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्षेत्र कचेहरी, फैजाबाद दिनांक 10-7-85 से जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के समक्ष दरबन झील की नहरी समस्या को लेकर अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री भोला शंकर मौर्य)--

जी हां ।

श्री वर्मा 10-7-85 को भूख-हड़ताल पर बैठे तथा 18-7-85 को उन्होंने जिलाधिकारी से प्राप्त तथ्यों की जानकारी से संतुष्ट होने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी ।

जिलाधिकारी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दरबन झील में नहरों की टेल के पानी गिरने के कारण फसलों के नष्ट होने का मुआवजा उसमें मांगा गया था ।

उनको अवगत कराया कि जल प्लावन की स्थिति बरसाती पानी से उत्पन्न होती है । जल निकासी के सम्बन्ध में इस झील से नाले निकाले गये हैं । इससे संतुष्ट होकर उन्होंने 18-7-85 को अपनी भूख-हड़ताल समाप्त कर दी थी ।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह अपूर्ण है। मान्यवर, श्री राम अदालत वर्मा जिस मकसद के लिए भूख-हड़ताल पर था। उसकी उनकी मुख्य मांग थी कि दरबन झील और उसकी नहरों से जो किसानों को क्षति हुई 1982-83-84 में उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। बड़ी बारीकी के साथ मन्त्री जी उस सवाल को छोड़ गये। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि 1982-83 और 1983-84 की जो क्षतिपूर्ति हुई थी उसके लिए क्या किया और 1984-85 में जो क्षति हुई है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मन्त्री जी ने क्या किया ?

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

नहरों के टेल से, माइनर के टेल से दरबन झील में पानी नहीं गया बल्कि वह नेचुरल झील है, वहां बराबर पानी रहता है और वर्षा में पानी ज्यादा भर जाता है। किसी जगह वर्षा का पानी भर जाय, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति का प्राविधान नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि दरबन झील में कितनी नहरों के टेल से पानी गिरता है और 1982-83 में नहर के टेलों से पानी गिराये जाने की वजह से, क्या यह सच है कि नहर विभाग और रेवेन्यू विभाग ने ज्वाइंटली सर्वे किया था और कम्पेन्सेशन डिटरमिन्ड किया था और वह बांटा गया था। इसी तरह से 1983-84 में भी सर्वे हुआ, कम्पेन्सेशन डिटरमिन हुआ, लेकिन इस को बांट नहीं रहे हैं इसी के लिए भूख-हड़ताल पर बैठे थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें चार नहरों का, खाजां होता है और जो कहा गया है इसमें माइनर में जितना पानी जाना चाहिए, यह टेल पर पड़ता है, उसमें पूरा पानी पहुंच भी नहीं पाता है। तो अगर पानी नहीं पहुंच सकता तो यह कह देना कि ज्यादा पानी पहुंच कर भर जाता है, तो ऐसी बात नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

कम्पेन्सेशन हुआ था, रेवेन्यू और नहर विभाग का ज्वाइंटली सर्वे हुआ था, डिटरमिन किया था और बांटा 1982-83 में और इसी तरह से 1983-84 में संयुक्त हस्ताक्षर से डिटरमिन हुआ लेकिन वह बांटा नहीं जा रहा है। क्या यह बात सही है, इसका जवाब तो मन्त्री जी दे ही नहीं रहे हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैं इसकी जानकारी करा लूंगा, लेकिन जो सूचना दी गई है, तो अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है।

श्री मित्रसेन--

बहुत साफ सवाल रवीन्द्र नाथ तिवारी ने पूछा था, उनके जिले का मामला है, उनको जानकारी भी है कि 1982-83 और 1983-84 में टेलों के पानी के गिरने से जो प्रभावित किसान थे उनको क्षतिपूर्ति की गई और इसी तरह से 1984-85 में जो नुकसानी हुई उसके लिए मांग की थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो जिलाधिकारी के यहां धरना दिया था उसमें कौन सी मांग थी ? जिलाधिकारी ने धरने को समाप्त कराया तो क्षतिपूर्ति का मसला उसमें था या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

तिवारी जी ने 301 में भी इस सम्बन्ध में सूचना दी थी और जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने लिखा है और बात भी हुई है, जो लोग अनशन पर बैठे थे उनसे बात की और विभाग के लोगों ने बताया कि इस तरह से

क्षति नहीं हुई है कि माइनर से पानी पहुंच कर के पानी भर गया हो और उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। दूसरी बात जहां तक है तो उसकी मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

10-7-85 से 18-7-85 तक अनशन किया था, 1982-83 का बांटा और 1983-84 का मुआवजा जो है वह न बांटा जाये।

माननीय मन्त्री जी को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था तब हड़ताल टूटी थी। 82-83 में जब दिया गया था, 83-84 में न दिये जाने का क्या कारण है? एक निवेदन है कि अगर पूरी जानकारी न हो तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

क्षतिपूर्ति तब होती है जब नहर टूट गयी या कोई और बात हो गयी, तो विभाग क्षतिपूर्ति देता है, यदि विभाग की लापरवाही से हो जाता है। जो कहा गया है इस वर्ष में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जो आप लोग कह रहे हैं कि लगातार होता रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मन्त्री जी ने स्वतः कहा कि नियम 301 में मैंने उठाया था। जो सूचना आयी जो जवाब आया मैंने उसके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज की नोटिस दी थी। ज्वाइंट सर्वे के द्वारा 82-83 में रेवेन्यू विभाग और इर्रीगेशन विभाग के लोगों ने क्षतिपूर्ति डिटरमाइन की थी। 83-84 में भी ज्वाइंटली क्षतिपूर्ति डिटरमाइन किया था। मैंने उसकी फोटोस्टेट कापी लगा दी थी। आज माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं जानकारी नहीं है। शासन जानबूझ कर किसानों के हितों की उपेक्षा कर रहा है। मेरे सवाल का मजाक हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि न्याय हित में इसको स्थगित कर दें या तो जवाब दिला दें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो आपने सवाल किया है, उसका उत्तर दिया गया है, 82-83, 83-84 का तो आपने पूछा नहीं है। आपने पूछा है कि जो अनशन किये थे, उसके बारे में आपने पूछा है। अनशन जो किया गया था 84-85 में उसका जवाब दे दिया गया। मैंने यह भी कहा कि अगर आप बतायेंगे तो उसकी जानकारी कराकर जो भी सही सुविधा मिलनी चाहिये उसे देने में किसी प्रकार की हिचक नहीं की जायगी।

श्री अकबर हुसैन बाबर—

मैं जानना चाहता हूं कि श्री राम अदालत वर्मा पहले गिरफ्तार होकर जेल में चले गये थे, तो क्या अधिकारी जेल में गये थे और जेल में कोई आश्वासन दिया गया था?

श्री अध्यक्ष—

इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

भूख हड़ताल किसी मुद्दे पर की गयी थी, मैं जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन देकर भूख हड़ताल तुड़वायी थी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उन्होंने अनशन तोड़ा, जिलाधिकारी ने बात की थी। बात करने के बाद उन्होंने बताया कि दरबन झील में टेल से पानी गिर जाने से काफी एरिया डूब गया, जिसकी क्षतिपूर्ति दिये जाने की मांग की गयी है। जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग के लोगों ने मौके पर देखा और पाया कि ऐसा नहीं हुआ है, पानी ज्यादा नहीं पहुंचा क्योंकि सिंचाई भी पूरी तरह नहीं हो पायी थी, उन्होंने

पाया कि ज्यादा वर्षा होने के कारण ऐसा हुआ है, इस पर उन्होंने अनशन तोड़ दिया ।

(तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने पर ।)

श्री अकबर हुसैन बाबर--

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ।

(कई सदस्यों के खड़े होने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं ।

गोवर्धन ड्रेन की क्षमता के पुनर्स्थापन हेतु आवंटित धनराशि

श्री कुशलपाल सिंह--

*2--क्या सिंचाई मन्त्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में गोवर्धन ड्रेन की सफाई और गहराई करने के लिए सैंतीस लाख रुपया भेजा गया था? यदि हां तो पिछले महीने जून में हुई 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में जिसमें माननीय रघुवीर सिंह यादव, मन्त्री जी भी उपस्थित थे, बड़ा घपला प्रकाश में आया था और उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गयी थी, स्वयं माननीय मन्त्री जी ने निरीक्षण किया था ? क्या यह सही है कि उक्त रकम में से केवल 5 लाख का कार्य हुआ था ? यदि हां तो बाकी धनराशि के सम्बन्ध में जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

गोवर्धन ड्रेन की क्षमता के पुनर्स्थापन हेतु जुलाई, 1985 तक 27.60 लाख रु0 आबंटित हुए जिसके विरुद्ध जुलाई 1985 तक 16.29 लाख रु0 व्यय हुए हैं ।

दिनांक 24 मई, 1985 को माननीय कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री की अध्यक्षता में मथुरा जनपद की 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जिला स्तरीय बैठक में गोवर्धन ड्रेन पर कराये गये कार्यों में कथित अनियमितता की शिकायत की गई थी जिसकी जांच जिला स्तर पर गठित एक समिति कर रही है । कारागार एवं राजनैतिक राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 21-6-85 को गोवर्धन नाले का निरीक्षण किया गया था ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचारोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

श्री कुशलपाल सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि 24 मई, 1985 को जब कारागार एवं राजनीतिक पेंशन मंत्री, श्री रघुवीर सिंह यादव जी ने वहां निरीक्षण किया तो क्या उन्होंने अपने निरीक्षण की कोई रिपोर्ट आपको भेजी ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है ।

श्री सरदार सिंह--

मंत्री जी ने जैसा कि अपने उत्तर में कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचारोपरान्त कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा, तो क्या आपको पता है कि इसी के कारण वहां के सहायक अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया है और अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण कर दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अभी मैंने आगरा में मण्डलीय मीटिंग की थी उसमें जनप्रतिनिधियों ने और ए0 डी0 एम0 के पास शिकायतें आयी थीं उसी को देखते हुए मैंने वहां चीफ इंजीनियर को जांच के लिये भेजा और मैंने एस0 ई0 एन0 का ट्रान्सफर कर दिया और 4 एस0 सी0 एन0 को निलम्बित कर दिया और भी आगे कार्यवाही करेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट की बात है वह अभी तक नहीं आयी है ।

श्री कुशल पाल सिंह--

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनप्रतिनिधियों की कमेटी में ए0 डी0 एम0 भी थे, तो उनकी कोई रिपोर्ट आयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अभी रिपोर्ट नहीं आयी है ।

कालाढुंगी व रामनगर क्षेत्र, जनपद नैनीताल में नालों से भूमि के कटाव की रोकथाम हेतु योजना

श्री किशन सिंह तड़ागी--

*3--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कालाढुंगी व राम नगर क्षेत्र, जनपद नैनीताल में 50 छोटे-बड़े नाले बरसात में पहाड़ों का कटान करते हुए भावरा क्षेत्र के काश्तकारों की भूमि को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं ? यदि हां, तो इन नालों से भूमि कटाव की रोकथाम के लिए शासन की क्या योजना है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जी हां । इन नालों की संख्या 27 है ।

इन नालों से भूमि कटाव के रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार समय-समय पर सिंचाई विभाग द्वारा निम्न बाढ़ योजनाओं का निर्माण कराया गया है । जिसकी सूचना निम्नवत् है :--

वर्ष	बाढ़ योजनाओं की संख्या	लाभान्वित क्षेत्र	योजनाओं की लागत
1	2	3	4
1972-73	3	40	3.87
1973-74	1	15	2.84
1974-75	1	10	0.67
1975-76	3	124	3.29
1977-78	5	99	9.80
1980-81	1	10	1.42
1981-82	4	55	5.04
1982-83	2	55	11.60
1984-85	5	53	15.30
1985-86	1	14	9.47
प्रस्तावित योजनायें (1985-86)	4		1.95

श्री किशन सिंह तड़ागी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है कि यह बाढ़ से कटान हुआ है और जमीन को नुकसान पहुंचा है, थोड़ा बहुत कार्य भी वहां पर हुआ । 1972-73 से 1984-85 तक काश्तकारों की कितनी जमीन नष्ट हुयी है बाढ़ के कारण से ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि पहाड़ों से नाले आते हैं । इतना पानी आता है साथ में मलवा, पत्थर, मिट्टी भी अपने साथ-साथ लाता है और यह पानी बहुत तेजी के साथ चलता है । जो भी जमीन या जो भी चीज उसके सामने आती है, कट जाती है । यह आय दिन होता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नालों को कैसे रोकें, इन नालों को रोकना कोई आसान नहीं है । हमने वहां पर काम भी किया है और कोशिश भी कर रहे हैं कि जो एरिया कट जाता है उसे बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं । लेकिन यह बहुत कठिन काम है, इसमें हम कितना सफल हो पायेंगे कुछ कह पाना कठिन है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

जैसा कि मन्त्री जी नें अभी उत्तर दिया उससे स्पष्ट है कि आप कटान को रोक नहीं पा रहे हैं, आप यह भी स्वीकार करते हैं कि यह बहुत कठिन काम है। तो स्पष्ट है कि इसके रोकथाम के लिये आपने कार्यक्रम बनाया होगा। तो क्या आपने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया है जो कि नालों के पानी को रोक कर किसानों की जो जमीन कटान से नष्ट हो रही हैं जिसमें कि पानी जा रहा है, उसे रोकने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसको रोका नहीं जा सकता है। यह सीधे पहाड़ों से नीचे आता है। पहाड़ों से जब पानी आयेगा तो नीचे जायेगा ही। इसको रोकना सम्भव नहीं है, न वहां कोई जगह है कि रिजरवायर बनाकर रोका जा सके। अभी हम 15.3 लाख रुपये खर्च करके 53 हेक्टेयर भूमि बचा पाये हैं। जितना हमारे पास धन उपलब्ध है और जितना सम्भव हो सकता है, करने की कोशिश करते हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नीतिगत मामला पूंछना चाहता हूं जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है, और यह बात सही भी है कि पहाड़ों में तमाम, असंख्य नाले हैं। उनमें से जितना मलवा आता है, पानी आता है, वह नदियां इस मैदानी क्षेत्र में बाढ़ लाती हैं। इसका नतीजा यह है कि पिछले लगभग 2 दशकों में मैदानी क्षेत्र की नदियों की जो सिल्टिंग है।

(व्यवधान)

वह बढ़ गयी है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन असंख्य नालों को रोकने के लिये, और इन पर जो मलवा आता है वह किन कारणों से आता है, जंगलों की कटान से आता है, पेड़ों की लापिंग अनापसनाप करने से आता है। इस सम्बन्ध में कोई नीति निरधरित करेंगे कि इस जलागम स्थानों को मलवा आने से रोका जा सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, आप जानते हैं कि कितना वृहत् सवाल है। प्रकृति को हम नहीं बदल सकते हैं प्रकृति का जो स्वभाव है उसको बदलना आसान नहीं है। जो कच्चे पहाड़ हैं, सारा मलवा वहां से बहकर आता है। माननीय सदस्य की चिन्ता सही है। प्लांटशन हो कटान कम हो, इसके लिये सरकार प्रयास कर रही है।

(प्रश्न 1, नत्थी (घ) पुकारे जाने पर)

श्री किशन सिंह तड़ागी--

मान्यवर, मैं एक सवाल पूंछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय तड़ागी जी, वह बता दिया गया जहां से पानी आता है।

श्री किसन सिंह तड़ागी--

मान्यवर, क्षेत्रफल जानना चाहता हूं, कितने काश्तकारों की जमीन को नुकसान हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न दुहरा दीजिये।

श्री किशन सिंह तड़ागी--

मान्यवर, वहां पर जमीन कटती ही जा रही है और हजारों काश्तकार वहां पर रहते हैं और उपजाऊ जमीन है तो करीब

कितनी जमीन ऐसी 10 सालों के अन्दर कटान हो चुकी है, उसका मैं क्षेत्रफल जानना चाहता हूं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री किशन सिंह तड़ागी—

मान्यवर, एक आखिरी सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हो चुका, सूचना की आवश्यकता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1985 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[दिनांक 20 अगस्त, 1985 को ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

[बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 1985 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की मांग

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार युवा वर्ष को ध्यान में रखते हुये प्रदेश के बेरोजगार युवकों को बेरोजगार भत्ता देने की घोषणा करने जा रही है ? यदि हां, तो यह घोषणा कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी)—

जी नहीं ।

सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है और अब भी है । प्रदेश में कार्यरत सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगारों को पंजीकृत करा कर उन्हें रोजगार दिलाने की कार्यवाही की जा रही है तथा श्रम विभाग (प्रशिक्षण प्रखण्ड) के अधीन कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाकर अभ्यर्थियों की सेवायोजकता बढ़ाई जा रही है और स्वतः रोजगार योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जा रही है ।

बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुये बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की नई योजना चलाना शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये सम्भव नहीं है ।

श्री सरदार सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बंगाल सरकार, केरल सरकार और अन्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं, क्या हमारी सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है कि अन्य प्रदेशों की तरह बेरोजगार लोगों को भत्ता दिया जाये ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी—

मान्यवर, मैंने उत्तर के अन्तिम पैरा में स्पष्ट कर दिया गया है कि इसको किया जाना सम्भव नहीं है । हमारे पास साधन नहीं हैं, तो इस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, उसको तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन क्या भविष्य में जब साधन होंगे तो देंगे, मन्त्री जी क्या इसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी—

सरकार सिद्धान्त रूप में यह मानती है कि बेरोजगारों को काम दिया जाय

और उनके लिये कई योजनायें चल रही हैं, जिससे बेरोजगार लाभान्वित हो सकेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय कितने शिक्षित बेरोजगार और कितने गैर शिक्षित बेरोजगार हैं और सरकार इन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये कौन-कौन सी योजनायें चला रही हैं ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1984 तक 18,77,041 बेरोजगार अभ्यर्थियों का वैतनिक सेवाओं हेतु पंजीयन किया गया जिसमें से 7,04,697 अप्रशिक्षित /अशिक्षित बरोजगार शामिल हैं ।

माननीय सदस्य ने पूंछा कि कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं ? तो मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, ट्रायसेम योजना, स्वतः रोजगार योजना, शहरी दुर्बल वर्ग के सहायतार्थ योजना, हरिजन कल्याण विभाग द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान आदि योजनायें चल रही हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

सदन में शांति रहेगी, तभी प्रश्नोत्तर हो सकता है । जो माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वह लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत रहें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 60 वर्ष की अवस्था पूरी करने वालों को वृद्धावस्था पेंशन और असहाय लोगों को भी पेंशन देते हैं, तो क्या उसी प्रकार से जवान जो असहाय हो गए हैं उन्हें सरकार इस युवा वर्ष में रोजी अथवा पेंशन देने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

हमारा जो हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग जो है, वह असहायों की सहायता देता है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

शुक्रिया, आपकी निगाह इधर भी पड़ गयी । मान्यवर, यह पूरी टुकड़ी ऐसी है जो शेड्यूल कास्ट की है, हम पिछड़ी जाति के लोगों का भी ध्यान रखा करें ।

श्री अध्यक्ष--

इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि आप दिल के करीब हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जिस्मों की कुर्बतू कोई कुर्बतू नहीं होती बात तो जब है दिल करीब हो ।

मान्यवर, मैं सवाल कर रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है "जी नहीं" । मान्यवर, आप युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं जो कि इन्टरनेशनल लेबुल पर मनाया जायेगा । इसके लिए इन्डेक्स कानपुर से आया था । इसलिए पहला सवाल मेरा यह है कि कौन सी आर्गनाइजेशन से यह इन्टरनेशनल युवा वर्ष आप मना रहे हैं । दूसरा प्रश्न यह है कि जो आपने जवाब दिया है, मैं जनना चाहता हूं कि कितने ऐसे बेरोजगार थे जिन्होंने पिछले दिनों जो आपने योजना चलाई थी उसके तहत अप्लाई किया था और उनमें से कितनों को यह लोन मिल पाया ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, प्रश्न फिर से करा दें ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं पांचवीं बार सवाल कर रहा हूं। पहले सवाल के हिस्से का इन्होंने जवाब दिया है 'जी नहीं'। क्योंकि यह इन्टरनेशनल युवा वर्ष है मैं जानना चाहता हूं कि यह इंटरनेशनल युवा वर्ष कौन आर्गनाइज कर रहा है क्योंकि इंडेक्स कानपुर से ही आया था। दूसरा सवाल मेरा यह है कि कितने बेरोजगार ऐसे थे जिन्होंने रोजगार के लिए कर्ज मांगा था और कितनों को आपने दिया?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, जहां तक युवा वर्ष मनाने का प्रश्न है सर्वदलीय आधार पर यह बात तय हुई है। दूसरी बात आपने यह फरमाया कि कितनों की दरख्वास्तें आईं और पंजीकृत हुई और कितनों को लोन दिया गया या लाभान्वित किये गये। मान्यवर, जहां तक स्वतः रोजगार का प्रश्न है इसमें 77,790 अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया और उसके विपरीत हमने दिसम्बर, 1984 तक 21,616 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य--

अभी इसमें सवाल पूछना है।

श्री अध्यक्ष--

12 बजकर 3 मिनट हो गया है और प्रश्न नम्बर 2 पर है।

जनपद बरेली में ग्राम सभाओं द्वारा विभाग की तकनीकी देखरेख में नहरों और नालों की खुदाई का कार्य

*2--श्री जयदीप सिंह बरार--

(अनुपस्थित)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्न-कर्त्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत व्यवस्था को कम से कम छोटी माइनर तथा छोटे नालों में परीक्षण हेतु जनपद बरेली में लागू किया जायगा, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे कार्य सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा विभाग की तकनीकी देखरेख में किए जायेंगे, यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही इस प्रकार की प्रणाली उपयुक्त होगी। किन्तु यदि ग्राम सभायें विभागीय ठेकेदारी प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करें तो बरेली जनपद में छोटी माइनरों तथा नालों में, परीक्षण हेतु, उनसे कार्य कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

*3--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[10वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 5 के अन्तर्गत स्थानांतरित।]

प्रदेश के वनस्पति तेल उद्योग की श्रम समस्याओं पर विचार हेतु त्रिदलीय सम्मेलन

* 4--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वनस्पति तेल उद्योग में कार्यरत कर्मचारों, सरकार तथा मालिकों के त्रिदलीय सम्मेलन दिनांक 24 जनवरी 1985 में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय के सन्दर्भ में शासनादेश द्वारा प्रतिमास जो अतिरिक्त अन्तरिम तदर्थ मजदूरी वृद्धि की घोषणा की गई थी वह अब तक किस-किस मिल में लागू हो गयी है अर्थात् तदर्थ वृद्धि 80 रुपया प्रतिमाह मजदूर को मिलने लगी है? जहां नहीं लागू है, वहां लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है एवं उन मिलों के नाम क्या हैं?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

प्रदेश के वनस्पति तेल उद्योग की श्रम समस्याओं पर विचार हेतु दिनांक 24 जनवरी, 1985 को आहूत त्रिदलीय सम्मेलन में 1-1-1985 से 80 रु0 प्रतिमाह दिए जाने वाली अतिरिक्त अन्तरिम तदर्थ मजदूरी वृद्धि के सम्बन्ध म लिए गए सर्वसम्मत निर्णय को शासकीय अधिसूचना संख्या 1999, दिनांक 4-4-1985 द्वारा लागू किया गया जिसका अनुपालन प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की सभी वनस्पति इकाइयों द्वारा किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस संदर्भित निर्णय के सम्बन्ध में मैंने जानकारी चाही है वह किस तारीख से लागू होनी चाहिए थी और विभिन्न मिलों में और खास तौर से सीतापुर की सुहागिन फैक्टरी के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि इसमें आपका निर्णय किस तिथि से लागू हुआ ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यह अधिसूचना 4-4-1985 को प्रकाशित की गई और 1 जनवरी से यह लागू की गई थी । जहां तक सीतापुर की बाला जी प्रोडक्ट्स के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि मई के महीने से जो अंतरिम तदर्थ मजदूरी मिलती थी उसको देना शुरू कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

जिस बात को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है और उन्होंने स्वीकार किया है, जिस मिल का उन्होंने नाम लिया है उसे 5 महीने के बाद देना शुरू किया है । पूरे प्रदेश में जितनी ऐसी फैक्टरीज हैं जहां अभी देना स्वीकार नहीं किया है, क्या आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिससे जिन-जिन मिलों पर यह निर्णय लागू होना है या देर से देना है तो क्या आप एरियर बनाकर उनसे वसूल करेंगे ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है कुल 10 वनस्पति मिलें हैं जिनमें से एक जैन शुद्ध वनस्पति जो अर्से से बन्द पड़ी हुई है । जहां तक प्रश्न माननीय सदस्य का बालाजी प्रोडक्ट्स का है मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सक्षम अधिकारी के समक्ष वरकर्स और मालिकों के बीच एक सहमति हुई थी उस सहमति के अनुसार उन्होंने 80 रु0 की अंतरिम सहायता देनी थी जो अदा करनी शुरू कर दी है । लेकिन मई से पहले यानी चार महीने पहले के जनवरी से अप्रैल तक के एरियर के बारे में तय हुआ था कि दीपावली तक भुगतान कर देंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं वहां खुद कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूं मेरी जानकारी में है कि मामला उच्च न्यायालय में चला गया ऐसा अक्सर हुआ है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो समझौता वार्ता के बाद तय हुआ एरियर दिलाया जायेगा तो उसके लिए सरकार कौन सा प्रयास कर रही है कि वह तत्काल दिलाया जाय । यह सभी फैक्ट्रीज के सम्बन्ध में हैं जितनी तेल मिलें हैं उनके एरियर दिलाने के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

जहां तक मेरी निश्चित जानकारी है वह यही है कि सभी मिलें सिवाय एक को छोड़ कर पेमेन्ट कर रही हैं । अब दूसरा सवाल बकाये का है उसमें सीतापुर फैक्ट्री के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि जो अधिसूचना जारी की गयी थी अक्तूबर, 1983 को उसके

खिलाफ वह उच्च न्यायालय में चले गये । उसमें यह आदेश हुआ था कि तीन किस्तों में बकाये का भुगतान किया जाय और पहली किस्त का भुगतान 31 दिसम्बर, 1983 तक कर दिया जाय जो हो गया है । बाकी मामला उच्च न्यायालय में विचारधीन है इसलिए हमारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है मैंने लेबर बजट के अवसर पर भी जानना चाहा था कि इस तरह से जो न्यूनतम वेजेज का झगड़ा होता है इसमें क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसमें जो न्यूनतम वेजेज अधिनियम लागू करने के लिए जो पंच फैसला हो जाय उसको मिल वाले लागू करें और मामला उच्च न्यायालय में न जा सके ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

जो जी० ओ० हुआ था उसी समय एक समिति बना दी गयी थी जिसमें 5 मेम्बर कामगरों के होंगे, 5 सेवायोजकों के होंगे और जिसकी अध्यक्षता हमारे लेबर कमिश्नर करेंगे । उस कमेटी का समय 30-4-85 तक का था लेकिन उसे अब 30-10-85 तक के लिए बढ़ा दिया गया है जो इन मामलों पर विचार करेगी ।

राज्य खनिज विकास निगम में लीगल एडवाइजर के पद का सृजन एवं नियुक्ति

*5--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम में लीगल एडवाइजर के पद का सृजन एवं उसकी नियुक्ति वर्ष 1984 में की गयी ? यदि हां, तो अब तक निगम की कितनी धनराशि लीगल एडवाइजर के मद में खर्च की गयी तथा लीगल एडवाइजर द्वारा सम्पादित कार्यों का विवरण क्या रहा ? क्या मंत्री जी इसे समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रमान अन्सारी--

लीगल एडवाइजर का कोई पद सृजित नहीं किया गया था लेकिन निगम द्वारा ठेके के आधार पर एक लीगल एडवाइजर को दिनांक 20 फरवरी, 1984 से नियुक्त किया गया था ।

दिनांक 20 फरवरी, 1984 से 29 मई, 1985 तक लीगल एडवाइजर के मद में कुल रु० 76,873.40 पैसे का व्यय किया गया ।

लीगल एडवाइजर द्वारा सम्पादित कार्यों में विधिक परामर्श देना, न्यायिक मामलों का अनुसरण करना तथा निगम की ओर से न्यायालयों में पैरवी करना था ।

लीगल एडवाइजर की रिटेनरशिप दिनांक 29 मई, 1985 से समाप्त कर दी गई है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लीगल एडवाइजर ने अभी तक कितने विभागीय मामलों में परामर्श दिया और कितने मुकदमों की पैरवी न्यायालय में की है ?

उद्योग मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)--

मान्यवर, 17 मुकदमों में पैरवी की गयी है और जिसमें से 4 मुकदमें कामयाब हुये हैं ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब लीगल एडवाइजर की आवश्यकता नहीं है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

लीगल एडवाइजर जैसे पहले काम ठेके पर हो रहा था, मुस्तकिल रख लिये गये थे किन्तु अब आवश्यकता नहीं

हैं क्योंकि केस टू केस मुकदमें दे दिये जायेंगे ।

जनपद बाराबंकी में फीडर नहर से तथा दरियाबाद ब्रांच से सीपेज से प्रभावित भूमि

*6—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक फीडर चैनल (इन्दिरा कैनाल) तथा दरियाबाद ब्रांच से उत्पन्न सीपेज से जनपद के कितने गांव, कितने एकड़ भूमि प्रभावित हैं ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसका कोई सर्वेक्षण किसी स्तर पर कराया गया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या पाया गया ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इस मामले के सर्वेक्षण के लिए अधिकारियों एवं विधान सभा सदस्यों की एक कमेटी बनाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोलाशंकर मौर्य—

जनपद बाराबंकी में फीडर नहर से 14 ग्रामों की 210 हेक्टेयर भूमि और दरियाबाद ब्रांच के 26 ग्रामों की 105 हेक्टेयर भूमि सीपेज से प्रभावित है ।

जी हां ।

इसका सर्वेक्षण सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया है । सर्वेक्षण के उपरान्त सीपेज से प्रभावित क्षेत्र उपरोक्तानुसार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय "टास्क फोर्स" का गठन पूर्व में ही किया जा चुका है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न सदन में कई बार आ चुका है कि फीडर नहर से सीपेज की समस्या बाराबंकी, सीतापुर रायबरेली, सुल्तानपुर आदि कई जिलों में है, आज मन्त्री जी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय "टास्क फोर्स" का गठन किया गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि टास्क फोर्स का रूप क्या है, कार्य करना शुरू कर दिया है कि नहीं, यदि शुरू कर दिया तो वह क्या है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो चिन्ता माननीय सदस्य को है वही सरकार को चिन्ता है कि जो शारदा सहायक के किनारे गांव जैसे सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर आदि यह सीपेज से प्रभावित रहते हैं । इस लिये भारत सरकार से टास्क फोर्स बनाया गया था और उसमें प्रदेश और देश के बड़े बड़े विशेषज्ञों को रखा गया और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दिया है, जिसमें मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस वर्ष से काम करने जा रहे हैं । इसमें लाइनिंग करना पड़ेगा, नलकूप लगाये जायेंगे, जो ड्रेनें हैं उनका रिमाडलिंग किया जायेगा जिसके लिये समय चाहिए और नहरें चलती रहती है, बन्द करना संभव नहीं है, केवल अप्रैल, मई में बंद कर सकते हैं, इस लिए उस समय जो संभव होगा वह करेंगे ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा मन्त्री जी ने कहा, वह इस वर्ष से काम करना चाहते हैं, माननीय सदस्यों को चिन्ता है, केन्द्र सरकार को चिन्ता है लेकिन प्रदेश सरकार को चिन्ता नहीं है । जो काम शुरू करने जा रहे हैं उसमें जो सुझाव आये हैं कमेटी के उसमें क्या काम शुरू करने जा रहे हैं और उसकी वित्तीय व्यवस्था क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, रिपोर्ट में कहा गया है कि नहर की लाईनिंग की जाय तो, लाइनिंग करने जा रहे हैं । दूसरे कहा कि नलकूप

लगायें जायं जहां आवश्यकता हो, तो यह किया जायेगा, ड्रेन निकलती हैं उनका रिमाडलिंग किया जाय तो वह भी कर रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1985-66 में बाराबंकी में कितने किलो मीटर लाईनिंग करने का प्रस्ताव है और कब कराया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस साल योजना बना रहे हैं, मई में काम करेंगे और यह नहीं कह सकते कि कितना एरिया होगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त। (व्यवधान) अब निधन का प्रस्ताव आ रहा है ।

फर्रुखाबाद में आलू पर आधारित उद्योग स्थापित किये जाने का कथित प्रस्ताव

*7—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद में आलू की पैदावार को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में किसानों की क्षति रोकने के लिए आलू पर आधारित कोई उद्योग लगाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

उद्योग विभाग में फर्रुखाबाद में आलू पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । सर्वश्री स्टार शीतगृह एवं फूड प्रोडक्ट्स (प्रा0) लि0, छिबरामऊ, फर्रुखाबाद को भारत सरकार के तकनीकी विकास निदेशालय (डी0 जी0 टी0 डी0) ने नवम्बर 1984 में आलू चिप्स एवं फ्रेंच फ्राइस के उत्पादन हेतु 2,400 मी0 टन उत्पादन क्षमता का लाइसेन्स प्रदान किया है । उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आलू पर आधारित उद्योग लगाने हेतु आवेदन पत्रों का गुण व गुण के आधार पर निष्पादन किया जाता है ।

जनपद मुजफ्फरनगर में गंगा नहर व यमुना नहर से निकले रजबहों से सिंचाई तथा सिंचाई कर

*8—श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री कनक सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में गंगा नहर यमुना नहर से निकले रजबहों से सिंचाई की जाती है और दोनों का सिंचाई कर समान है जबकि यमुना नहर से निकले रजवहे बहुत कम दिन चलते हैं ? यदि हां, तो समान सिंचाई कर रखने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

पूर्वी यमुना नहर से निकले राजबहे गंगा नहर से निकले राजबहों की तुलना में कम चलते हैं ।

नहरों का शीर्ष पर स्राव उनके कृषि योग्य क्षेत्र व चलने की अवधि पर निर्धारित होता है अर्थात् समान कृषि योग्य क्षेत्र की सींच हेतु कम दिन चलने वाली नहर का स्राव, अधिक दिन चलने वाली नहर के स्राव से, अधिक होगा ।

चूंकि सींच कर बोई गई जिन्स व वास्तविक सिंचित क्षेत्र पर ही लगाया जाता है, न कि नहर चलने की अवधि पर, अतः किसी नहर की चलने की अवधि को आधार मानकर सींच कर में घटा बढ़ी करने का कोई औचित्य नहीं है ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*9--श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

[दिनांक 7-8-85 को ता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित।]

*10--श्री मित्र सेन--

[25वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आरक्षित कोटे के अन्तर्गत आबकारी अधीक्षकों के पदों पर निरीक्षकों की कथित प्रोन्नति

*11--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे, कि आरक्षित कोटे के अन्तर्गत आबकारी अधीक्षकों के पदों पर निरीक्षकों को स्थायी कर प्रोन्नत करने के सम्बन्ध में माह जुलाई, 84 को विधायक सर्वश्री राम लाल, मुईद अहमद तथा रामसेवक के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन उन्हें दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स मोदी जीराक्स लि0 रामपुर में स्थानीय व्यक्तियों को न रखे जाने के कथित आदेश

*12--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या उद्योग मन्त्री कृपा बतायेंगे कि रामपुर जनपद में लग रहे मोदी जीराक्स कारखाने में रामपुर के लोगों को काम न दिए जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश उनके द्वारा दिया गया है ? यदि नहीं, तो लाइसेन्स की शर्तों के विरुद्ध कि स्थानीय लोगों को वरीयता दी जायेगी, का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा उनके विरुद्ध दिए गए लाइसेन्सों को रद्द करने की कोई कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिए गए हैं कि मैसर्स मोदी जीराक्स लि0 रामपुर में स्थानीय व्यक्तियों को न रखा जाए।

लाइसेन्स में स्थानीय लोगों को वरीयता देने के लिए कोई शर्त नहीं होती है। वैसे इकाई में 45 स्थानीय व्यक्ति कार्य पर रहे हैं। इकाई के लाइसेन्स रद्द करने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मध्य गंगा परियोजना हेतु अधिग्रहीत की गयी कथित भूमि

*13--श्री किरन पाल सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा परियोजना का लखावटी ब्रांच के हेड से लखावटी तक की लम्बाई, अधिग्रहीत की गयी भूमि से अधिक है जिसके कारण किसानों को कई लाख रुपए की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के रूप में न मिलने से नुकसान उठाना पड़ा है ? यदि हां, तो किसानों को अधिग्रहीत की गयी अधिक भूमि का मुआवजा दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल में शराब बन्दी कानून को समान रूप से लागू करने पर विचार

*14--श्री पूरन सिंह माहरा--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा में शराब बन्दी लागू

है जब कि उससे लगे हुए जनपद नैनीताल में शराब बन्दी लागू नहीं है ? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र में शराब बन्दी कानून को समान रूप से लागू करने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ? क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि जब तक सभी पर्वतीय जनपदों में शराब बन्दी लागू नहीं होती है तब तक अल्मोड़ा जनपद को भी जनपद नैनीताल की तरह इस कानून से मुक्त रखा जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जनपद नैनीताल में नगरपालिका नैनीताल तथा नगरीय क्षेत्र हल्द्वानी, काठगोदाम, काशीपुर, रुद्रपुर, रामनगर, टनकपुर और भोवाली को छोड़कर शेष भाग में दिनांक 1 अप्रैल, 1985 से नशाबन्दी लागू कर दिया गया है ।

प्रदेश के अन्दर शून्य उद्योग जिला घोषित किए जाने का आधार तथा नियम

*15--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर शून्य उद्योग जिला घोषित किए जाने का आधार तथा नियम क्या है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कुल कितने रुपए के उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर तथा जनपद बस्ती में लगाए गये हैं अथवा स्वीकृत हुए हैं और इसके पहले कुल कितने रुपये के उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में उपरोक्त दोनों जनपदों में लगे थे अथवा स्वीकृत थे ? इनमें से कौन सा जनपद शून्य उद्योग की सूची में है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन को समाप्त करने की दृष्टि से शून्य उद्योग जिला भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत घोषित किया जाता है । ऐसे उद्योगों के विवरण संलग्न तालिका में दिये गये हैं ।

वर्ष 1980 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी मध्य/वृहद् उद्योग दोनों जनपदों में कार्यरूप में नहीं थे ।

सुल्तानपुर जनपद शून्य उद्योग जिला श्रेणी-ए में है तथा बस्ती बैकवर्ड जिला श्रेणी-बी के अन्तर्गत आता है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 133 पर)

चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उपाय

*16--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि कजरहट चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री, मिर्जापुर का सीमेन्ट डस्ट प्रदूषण से बाकियाबाद, जमुहार-पिरल्लीपुर दुमदुमा, सोनउर, नुआब, छिलैया गांव का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है ? यदि हां, तो जनजीवन के सुरक्षा के लिए अभी तक क्या-क्या उपाय किए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री एक आधुनिक कारखाना है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में निकले धूल एवं प्रदूषण को रोकने हेतु मेकेनिकल डस्ट कलेक्टर एवं इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसीपिटेटर संयंत्र लगे हैं जिनसे सामान्यतया जनजीवन को प्रभावित करने वाला प्रदूषण नहीं होता है, फिर भी इन संयंत्रों के स्थिरीकरण की प्रक्रिया में प्रारम्भिक तकनीकी अवरोधों के कारण कभी-कभी कुछ स्थानों पर प्रदूषण की सम्भावना हो सकती है । प्रदूषण को रोके रखने हेतु संयंत्रों के परीक्षण एवं सघन वृक्षारोपण की योजना क्रियान्वयन में है ।

जनपद हरदोई के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु योजना

*17--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या उद्योग मन्त्री बताने कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और सरकार उसे कब तक क्रियान्वित करने जा रही है ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जनपद हरदोई के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जनपद का औद्योगिक सर्वेक्षण कराकर पंचवर्षीय ऐक्शन प्लान तैयार करा लिया गया है और तदनुसार औद्योगिक विकास की कार्यवाही त्वरित गति से प्रारम्भ कराई गई है । इसके अतिरिक्त जनपद में उद्योगों के स्थापनार्थ अनेक सुविधायें यथा सस्ते ब्याज दर पर ऋण, भूमि एवं भवन की व्यवस्था, पूंजी उत्पादन, बिक्रीकर में छूट एवं निर्यात प्रोत्साहन आदि प्रदान की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के गोर्रा नदी के करही घाट के पास मौजा चकदहा व ककुराई मुन्डेरा में जल निकासी की व्यवस्था

*18--श्रीमती शारदा देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के गोर्रा नदी के करही घाट के पास मौजा चकदहा व ककुराई मुन्डेरा के जल निकासी की व्यवस्था हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 1-3-85 से कितने प्रार्थना पत्र दिए गये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्ता विधायक का दिनांक 1-3-85 से प्रार्थना पत्र दिनांक 18-4-85 को प्राप्त हुआ है ।

पत्र में उल्लिखित जल निकासी हेतु प्रस्तावित बरहीपाथ बांध के सुदृढ़ीकरण के परियोजना में एक रेगुलेटर बनाने का प्राविधान रखा गया है तथा परियोजना तकनीकी जांच के उपरांत तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है ।

टिहरी बांध परियोजना के विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही

*19--श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना के कारण विस्थापित ग्रामवासियों को भानियावाल, राय वाला, पथरी आदि स्थलों पर भूमि आवंटित की गयी है ? क्या उस भूमि पर ग्राम वासियों को शासन द्वारा कास्तकारी अधिकार दिये गये हैं ? यदि नहीं दिये गये, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

टिहरी बांध के विस्थापितों को पुनर्वासित किये जाने हेतु भानियावाला, रायवाला, जोहरा ब्लाक जिला देहरादून में वन विभाग से भूमि सिंचाई विभाग के नाम हस्तान्तरित हो चुकी है तथा इन क्षेत्रों के राजस्व ग्रामों के गठन व भूमिधरी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही चल रही है । जनपद सहारनपुर के पत्थरी ब्लाक की वन भूमि का डिनोटिफिकेशन नहीं हुआ है । डिनोटिफिकेशन के पश्चात् विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जौनपुर के औद्योगिक विकास हेतु योजनायें

*20—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो औद्योगिक विकास हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

इसके पिछड़ेपन को दूर करने की दृष्टि से शासन द्वारा इस जनपद को "उद्योग शून्य जनपद" घोषित किया गया है । ऐसे जनपदों के लिये अन्य जनपदों की अपेक्षा विशेष सुविधायें सुलभ कराई जाती हैं ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा कताई मिल का प्रारम्भ तथा लाभ की स्थिति

1—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अमरोहा सहकारी कताई मिल पूरी क्षमता के साथ कब से प्रारम्भ होगी तथा इस समय कितनी मशीनें उत्पादन कर रही हैं और अब तक की हुई हानि व लाभ की स्थिति क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा कताई मिल पूरी क्षमता के साथ सितम्बर, 1985 में चालू हो जाने की सम्भावना है तथा इस समय 44 मशीनें (रिंग फ्रेम) उत्पादन कर रही हैं । मिल में उत्पादन की तिथि से अब तक लाभ की स्थिति रही है ।

अमरोहा कताई मिल, मुरादाबाद में कृषकों की अधिग्रहीत की गई भूमि तथा इनके आश्रितों को दी गई नौकरियों को

2—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में अमरोहा सहकारी कताई मिल में शासन द्वारा ऐसे आदेश दिए गए थे कि जिन लोगों की भूमि मिल के लिए अधिग्रहीत की गई है, उन कृषकों के परिवार के सदस्यों को कताई मिल में सर्विस दी जायेगी ? यदि हां, तो किन-किन कृषकों की भूमि आवंटित की गई तथा उन कृषकों के परिवारों के किन-किन सदस्यों को मिल में नौकरी दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी नहीं । जिन कृषकों की भूमि मिल के लिए अधिग्रहीत की गई है तथा जिन कृषक परिवारों के सदस्यों को मिल में नौकरी दी गई है, उनका विवरण सलग्न सूची में दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 134 पर ।)

ग्राम बैसापुर, जिला सीतापुर में राजकीय नलकूप बनाने काश्तकारों की ली गयी भूमि तथा मुआवजा

3—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बैसापुर मिश्रिख जिला सीतापुर में जो राजकीय नलकूप बना है, उसके पम्प हाउस तथा नालियां बनाने के लिए जिन-जिन काश्तकारों से जमीन ली गई है, उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला ?

मिला है ? यदि हां, तो काश्तकारों को मुआवजा कब तक मिल जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम बैसापुर, तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर में कोई भी राजकीय नलकूप स्थित नहीं है वरन् ग्राम बिरसापुर, तहसील मिश्रिख में राजकीय नलकूप संख्या 186 मिश्रिख ग्रूप बना है। इस नलकूप के पम्प हाउस हेतु भूअर्जन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खंड, सीतापुर द्वारा दिनांक 31-3-1983 को एवं नालियों हेतु भूअर्जन प्रस्ताव उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 12-8-1985 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी को भेजा गया है।

पम्प हाउस हेतु ली गई भूमि के मुआवजा की धनराशि का भुगतान उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी को दिनांक 29-3-1985 को उपलब्ध कराया जा चुका है।

नालियों हेतु ली गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान भू-अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा पूर्ण किए जाने के पश्चात् ही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

4--श्री राम गोविन्द चौधरी--

[8वें बुधवार के लिये स्थगित।]

5--श्री विष्णु देव--

[8वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

6--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[दिनांक 24-7-85 को अता0 प्र0 सं0 51 द्वारा उत्तरित।]

श्री देवनाथ सिंह, ठेकेदार ग्राम कोठवल कलां द्वारा भुगतान कराने के विषयक दिया गया प्रार्थना-पत्र

7--श्री मयंकर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवनाथ सिंह, ठेकेदार, ग्राम कोठवल कलां के अनुबन्ध सं0 1-81-82 ई0 द्वारा अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खंड चतुर्थ, नवम् मंडल सिंचाई कार्य, बहराइच को दिनांक 5-11-84 को दिये गये प्रार्थना-पत्र में पैमाइश कराके भुगतान कराने की बात कही गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त भुगतान दूसरे ठेकेदार को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार देवनाथ सिंह को भुगतान कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

जी नहीं।

बीजक के अनुसार भुगतान ऋणात्मक है, अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

8--श्री जयदीप सिंह बरार--

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

फर्रुखाबाद में टंककों के चयन हेतु समिति का गठन

9--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या श्रम एवं सेवायोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में वित्तीय वर्ष 1984-85 एवं जून, 1985 तक के लिए टंककों के चयन हेतु चयन समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त चयन समिति में कौन-कौन सदस्य हैं ? क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि जनवरी, 1984 से जून, 1985 के बीच

कोई टंकक परीक्षा सम्पन्न हुई तथा उक्त चयन समिति द्वारा जनवरी, 1984 से जून, 1985 के बीच हुई परीक्षा में किन-किन अभ्यर्थियों का चयन किया गया ?

श्रम मन्त्री सैयद शहीदुल हसन--

जी हां ।

उक्त चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं--

1--श्री रामराज सिंह, अपर जिला अधिकारी (परि0), जिलाधिकारी द्वारा नामित अध्यक्ष ।

2--श्री मुरारी लाल, अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) सदस्य ।

3--जिला सेवायोजन अधिकारी, सदस्य-सचिव ।

4--अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, फर्रुखाबाद-सदस्य ।

5--मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद सदस्य ।

6--जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद सदस्य ।

जनवरी, 1984 से जून, 1985 के बीच हर माह टंककों की परीक्षायें होती रही हैं । नव गठित चयन समिति द्वारा केवल 44 अभ्यर्थियों का टंकक पद हेतु चयन किया गया है जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 136 पर ।

गोरखपुर मण्डल में बाढ़ एवं ड्रेनेज से संबंधित डिवीजन, कार्यरत अभियन्ता एवं आवंटित धनराशियां

10--श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में बाढ़ एवं ड्रेनेज के कुल कितने डिवीजन एवं सब-डिवीजन हैं ? कितने अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? वर्ष 1983-84, 1984-85 में किस-किस डिवीजन में कितना-कितना धन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोरखपुर मण्डल के गोरखपुर, बस्ती एवं देवरिया जनपदों में सिंचाई विभाग के बाढ़ एवं ड्रेनेज के नाम से कुल 5 डिवीजन एवं 18 सब-डिवीजन हैं, जिनमें, में, 5 अधिशासी अभियन्ता, 18 सहायक अभियन्ता तथा 77 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं । वर्ष 1983-84, 1984-85 में जो धनराशि आवंटित की गई है उसका विवरण निम्नांकित है--

(लाख रु0 में)

खण्ड का नाम	आवंटन	
	वर्ष 1983-84	1984-85
533--बांधों का निर्माण व कटाव निरोधक तथा जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण		
बाढ़ खण्ड, गोरखपुर	117.82	89.50
बाढ़ खण्ड, देवरिया	46.01	65.45
ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर	90.02	156.95
ड्रेनेज खण्ड, बस्ती	56.22	176.00
ड्रेनेज खण्ड-2, बस्ती	2.01	44.70
योग ..	312.08	532.60

533--सिंचाई कार्य--

खण्ड का नाम	आवंटन	
	1983-84	1984-85
बाढ़ खण्ड, गोरखपुर	..	..
बाढ़ खण्ड, देवरिया	..	..
ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर	..	..
ड्रेनेज खण्ड, बस्ती	..	..
ड्रेनेज खण्ड-2, बस्ती	43.50	20.00
योग ..	43.50	20.00

333--बाढ़ नियंत्रण कार्यों का अनुरक्षण एवं मरम्मत--

खण्ड का नाम	आवंटन	
	1983-84	1984-85
बाढ़ खण्ड, गोरखपुर	7.61	8.91
बाढ़ खण्ड, देवरिया	4.00	3.00
ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर	3.75	6.35
ड्रेनेज खण्ड, बस्ती	7.46	6.50
ड्रेनेज खण्ड, बस्ती-2	0.14	0.20
योग ..	22.96	24.96

333--सिंचाई कार्यों का अनुरक्षण एवं मरम्मत--

खण्ड का नाम	आवंटन	
	वर्ष 1983-84	1984-86
बाढ़ खण्ड, गोरखपुर	..	..
बाढ़ खण्ड, देवरिया	..	..
ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर	2.72	4.00
ड्रेनेज खण्ड, बस्ती	9.00	10.00
ड्रेनेज खण्ड-2, बस्ती	8.28	6.00
योग ..	20.00	20.00

280--बाढ़ नियंत्रण कार्यों का विशेष मरम्मत

खण्ड का नाम	आवंटन	
1	2	
	वर्ष 1983-84	1984-85
ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर बाढ़ खण्ड, गोरखपुर ड्रेनेज खण्ड, बस्ती-2 बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया	48.50	110.50

1		2	
ड्रेनेज खण्ड, बस्ती ड्रेनेज खण्ड–2, बस्ती बाढ़ खण्ड, गोरखपुर	}	52.50	90.00
बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया		10.00	27.00
	योग ..	111.00	227.50

289––विशेष मरम्मत सिंचाई कार्य

खण्ड का नाम		आवंटन	
		वर्ष 1983–84	1984–85
ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर ड्रेनेज खण्ड, बस्ती	}	1.50	5.50
ड्रेनेज खण्ड–2, बस्ती		2.50	4.00
	योग ..	4.00	9.50

राम की पैड़ी, आयोध्या, जिला फैजाबाद के निर्माण हेतु स्वीकृत योजना तथा मदवार आवंटित धनराशि

11––श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राम की पैड़ी, आयोध्या, जिला फैजाबाद के निर्माण की कितने रुपये की योजना स्वीकृत की गई है और 30 जून, 1985 तक कितना रुपया किन-किन मदों में अब तक ठेकेदारों को भुगतान किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

आयोध्या पम्प कैनाल (द्वितीय) के अन्तर्गत "राम की पैड़ी" के लिए 134.00 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ठेकेदारों को 30 जून, 1985 तक भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्न है––

	रु0
मिट्टी के कार्यों पर	6.00 लाख
निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु	5.65 लाख
स्टोर के निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु	1.96 लाख

अधिशासी अभियन्ता, गंडक नहर निर्माण खंड दशम, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

12––श्रीमती शारदा देवी––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2–5–85 को प्रश्नकर्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, गंडक नहर निर्माण खंड, दशम, गोरखपुर के विरुद्ध कोई शिकायती–पत्र शासन को मिला था ? यदि हां, तो

उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायतें सही नहीं पाई गई । अतः किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

13--श्री सुखपाल पान्डेय--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

उत्तर प्रदेश राज्य नलकूप निगम, लखनऊ को उन्नाव जनपद में नलकूप स्थापित किये जाने हेतु आवंटित धनराशि

14--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्राम विकास प्राधिकरण, उन्नाव द्वारा वर्ष 78-79 में 12 लख रु0 तथा वर्ष 79-80 में 11-10 लाख रुपया उत्तर प्रदेश राज्य नलकूप निगम, लखनऊ को उन्नाव जनपद में नलकूप स्थापित करने हेतु प्रदान किये गए थे ? यदि हां, तो नलकूप किस-किस वर्ष में और कहां-कहां स्थापित किये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लघु कृषक विकास अभिकरण उन्नाव द्वारा सामूहिक नलकूपों के निर्माण हेतु वर्ष 1978-79 में 12.00 लाख रु0 तथा वर्ष 1979-80 में रु0 11.10 की धनराशि अनुदान के रूप में उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड को उपलब्ध करायी गयी थी ।

निर्मित नलकूपों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 138 पर)

यू0 पी0 एस0 एम0 डी0 सी0 द्वारा देहरादून में तैयार किये गये रोपवे के खंभों गिरने से सरकारी धन का अपव्यय एवं अनियमितताये

15--श्री हीरा सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून में यू0 पी0 एस0 एम0 डी0 सी0 द्वारा तैयार किए जा रहे रोपवे के खम्भे कई बार हवा में गिर चुके हैं तथा इसी प्रकार वहां भारी अनियमिततायें तथा सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर कोई जांच अथवा कार्यवाही वहां के अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोवीनाथ दीक्षित--

यू0 पी0 एस0 एम0 डी0 सी0 द्वारा जिला देहरादून में निर्माण कराये जा रहे रोपवे का एक खम्भा नं0 10 निर्माणाधीन अवस्था में था जिसे सहारे के लिये स्टील रोप्स से आस-पास के वृक्षों के तनों में बांध कर रखा गया था । दिनांक 1 अप्रैल, 1984 को तेज आंधी तथा बवन्डर के कारण उनमें से दो वृक्षों के जड़ से उखड़ जाने के कारण हुये असंतुलन की वजह से उक्त खम्भा गिर गया था । रोपवे का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है । अतः उक्त खम्भा ठेकेदार द्वारा अपने ही व्यय पर पुनः खड़ा किया गया और उसे स्टील रोप्स द्वारा स्थायी सहारों (गाई रोप्स) से बांध दिया गया है । अब वह पूर्णरूप से स्थिर एवं सुरक्षित है । इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता तथा सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देहरादून में कैल्शियम कारबाईड एवं यू0 पी0 एस0 एम0 डी0 सी0 में अभ्यर्थियों का चयन

16--श्री हीरा सिंह बिष्ट--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून में बन रहे यू0 पी0 कैल्शियम कारबाईड तथा यू0 पी0 एस0 एम0 डी0 सी0 में स्थानीय बेरोजगारों की तुलना में दूसरे जिलों व प्रदेशों के लोगों को लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं ।

देहरादून जिले के उक्त संस्थाओं में उपलब्ध पदों में से जिन पर सुयोग्य स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध हुये, उनकी नियुक्ति की गयी है । शेष पदों को अन्य जिलों एवं प्रदेशों के सुयोग्य अभ्यार्थियों से भरा गया है ।

जनपद कानपुर रजबाहे एवं माइनरों के टेलों द्वारा भूमि की सिंचाई

17--श्री राधेश्याम--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि कानपुर जनपद में किसी भी राजबाहे और माइनरों में टेल से आठ, दस किलोमीटर पहले से पानी नहीं आ पाता है जिससे हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जाती है और जिसके कारण काश्तकारों की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्या शासन ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । कानपुर जनपद में राजबाहों एवं माइनरों के टेलों पर पानी पहुंचता है परन्तु इन राजबाहों एवं माइनरों के ऊपरी भाग में अवैधानिक रूप से खांदियां, बन्धे इत्यादि लगाकर कृषकगण अधिक पानी का प्रयोग करते हैं जिसके कारण पानी बरबाद होता है एवं इसके फलस्वरूप किन्हीं-किन्हीं राजबाहों एवं माइनरों के टेल में कभी-कभी पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है । प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर देहात के ग्राम तहरापुर में सिंचाई सुविधा हेतु यमुना नदी से लिफ्ट योजना लगाये जाने की मांग

18--श्री राधे श्याम--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र अप्रैल, 85 में कानपुर देहात के ग्राम तहरापुर में सिंचाई सुविधा हेतु यमुना नदी से लिफ्ट योजना लगाये जाने हेतु मांग की गई है ? यदि हां, तो इस योजना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, पत्र माह अप्रैल, 85 का नहीं वरन् 27-3-85 का है ।

इस योजना के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने के आदेश दे दिए गए हैं ।

श्रम हितकारी केन्द्र, सीतापुर को चिकित्सा एवं औषधि हेतु आवंटित धनराशि

19--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रम हितकारी केन्द्र, सीतापुर को औषधि एवं चिकित्सा सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84 तथा 84-85 में कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र, सीतापुर को औषधि एवं चिकित्सा सुविधा हेतु

धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि औषधि एंव चिकित्सा सुविधा हेतु, दवायें क्रय करके दी जाती हैं जिनका विवरण निम्न है--

वित्तीय वर्ष	जिस धनराशि की दवाइयां उपलब्ध कराई गई
	रू0
1981-82	2,520.00
1982-83	2,455.00
1983-84	2,660.00
1984-85	2,025.00
योग ..	9,660.00

दुकान कर्मचारी सभा, वाराणसी नामक यूनियन का पंजीकरण के सम्बन्ध में पत्र

20--राज किशोर सिंह--

क्या माननीय श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुकान कर्मचारी सभा, वाराणसी नामक यूनियन द्वारा क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, वाराणसी के कार्यालय में यूनियन के पंजीयन से सम्बन्धित प्रस्तुत पत्रांक दिनांक 26-2-80 को प्रादेशिक संराधन अधिकारी, वाराणसी द्वारा अपने अ0 प0 सं0 4784 दिनांक 19-6-81 द्वारा रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन से उ0 प्र0 कानपुर को उक्त यूनियन को पंजीकृत करने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक पंजीकृत न करने के क्या कारण हैं ।

श्री सैयद सईदुल हसन--

प्रश्नगत यूनियन का दिनांक 14-8-85 को ट्रेड यूनियन ऐक्ट 1926 के अन्तर्गत पंजीकरण किया जा चुका है । प्रादेशिक संराधन अधिकारी, वाराणसी को पत्र सं0 4784, दिनांक 19-6-81 जिसमें उन्होंने प्रश्नगत 'यूनियन के पंजीकरण के सम्बन्ध में पत्रजात रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उ0 प्र0 को भेजे थे जो 'मिसप्लेस' हो गये थे जिसके कारण पंजीकरण में विलम्ब हुआ ।

बलरामपुर, गोण्डा में राप्ती नदी के किनारे बसे ग्रामों की सुरक्षा हेतु बांध बनवाने पर विचार

21--श्री अरुण प्रताप सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खंड गैसड़ी, बलरामपुर पचपेड़वा में राप्ती नदी से तथा बूढ़ी राप्ती से एवं बगहा नाले से कौन-कौन ग्राम बाढ़ से प्रभावित होते हैं ? क्या सरकार बाढ़ग्रस्त ग्रामों की सुरक्षा के लिए बांध बनवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

राप्ती व बूढ़ी राप्ती के बीच के लगभग सभी ग्राम राप्ती नदी के दायें किनारे पर व बूढ़ी राप्ती के बायें किनारे पर 3 से 6 किलोमीटर तक के ग्राम तथा मगहा नाले एवं बूढ़ी राप्ती के संगम के समीप के क्षेत्र के ग्राम बाढ़ ग्रस्त होते हैं ।

तकनीकि दृष्टि से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा बांध बनाना उपयुक्त न होने के कारण विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मेसर्स क्वालिटी टयूब फैक्ट्री फतेहपुर में कच्चे माल का आवंटन

22--श्री अचल सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में बिन्दकी रोड स्थित क्वालिटी स्टील टयूब फैक्ट्री

प्रा0 लि0 को वर्ष 1984 व 1985 में कितना कच्चा माल आवंटित किया गया है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मेसर्स क्वालिटी ट्यूब फैक्ट्री प्रा0 लि0 बिन्दकी रोड, फतेहपुर एक वृहत औद्योगिक इकाई है जो डी0 जी0 टी0 डी0, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत है तथा उनके कार्यक्षेत्र में आती है, अतः इसे वर्ष 1984 तथा 1985 में राज्य सरकार द्वारा कोई कच्चा माल आवंटित नहीं किया गया है ।

अकबरपुर कताई मिल, फैजाबाद में श्रमिकों की पदोन्नति एवं नियुक्ति

23--श्री सुखपाल पान्डे, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा श्री नत्थू लाल विकल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के गजट दिन शनिवार, 26 जून, 1982 में प्रकाशित पंच-निर्णय संख्या 5, 1981 के बाद बिन्दु संख्या 11 में पंच निर्णायक ने यह निर्णय दिया था कि यदि प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक किसी उच्च पद के लिए अन्य प्रकार से पात्र एवं उपयुक्त है, तो उन्हें नियुक्ति में वरीयता देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अतएव भविष्य में की जानी वाली नियुक्तियों में तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए ? यदि हां, तो क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस प्रकार कितने श्रमिकों को उक्त प्रतिष्ठान में किस पद पर उनकी योग्यतानुसार पदोन्नति की गयी और अब तक लिपिक कैजुअल तथा अन्य पदों पर कितनी भर्तियां सीधी की गयी हैं और क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित पंच निर्णय के पश्चात 297 श्रमिकों की सम्बन्धित प्रतिष्ठान (अकबरपुर कताई मिल, फैजाबाद) में पदोन्नति की गयी जिसका विवरण संलग्नक सूची में दिया गया है । मिल में विस्तारीकरण योजना के फलस्वरूप श्रमिकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता के कारण निम्नलिखित भर्तियां की गई :

1--ट्रेनीज	565
2--कुशल श्रमिक	830
3--लिपिक कैजुअल	4
योग ..	1399

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 141 पर ।)

ग्राम तिल्हापुर, इलाहाबाद में यमुना नदी लिफ्ट योजना का सर्वे

24--श्री शैलेन्द्र कुमार--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की चायल तहसील तिल्हापुर गांव में यमुना नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना का सर्वे हुआ है ? यदि नहीं हुआ, तो कब तक कार्य शुरू किये जायेंगे और कब तक पूरा होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है ।

ब्लाक मूरतगंज, नेवादा, इलाहाबाद में विश्व बैंक नलकूप योजना के अन्तर्गत लगाये गये नलकूप

25--श्री शैलेन्द्र कुमार--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की चायल तहसील में ब्लाक मूरतगंज, नेवादा के अन्तर्गत इस वर्ष विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप लगाये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद इलाहाबाद के चायल तहसील में ब्लाक मूरतगंज नेवादा के अन्तर्गत विश्व बैंक नलकूप परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष अभी कोई नलकूप लगाये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में खोजलाशय परियोजना में हो रहे कार्य

26--श्री महमूदुल हसन अन्सारी तथा श्रीमती ओमवती--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में खोजलाशय परियोजना पर कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब क्या कारण है एवं विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है तथा उक्त योजना पर कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में खोपार क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु जलाशय परियोजना के अतिरिक्त कोई अन्य परियोजना भी स्वीकार की गयी है? यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

खोजलाशय परियोजना की साध्यता रिपोर्ट प्रारम्भिक सर्वेक्षण के उपरान्त वर्ष 1980 में तैयार की गयी थी, परन्तु बांध की नींव और जलाशय क्षेत्र में छाजन युक्त पदार्थ पाये जाने के फलस्वरूप पानी के रिसाव की पूरी संभावना को देखते हुये योजना अभी तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पायी गयी। अतः विलम्ब के लिए किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

खो नदी के बायें किनारे के क्षेत्र के लिए कोई अन्य योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

शारदा सहायक खंड 30 इलाहाबाद के बारी रजबहा पर कराये गये कार्य की जांच

27--श्री राकेशधर त्रिपाठी--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि शारदा सहायक खंड 30 इलाहाबाद के बारी रजबहा पर 10 कि0 मी0 तक एन0 आर0 ई0 पी0 से मिट्टी का कार्य फर्जी तरह से हुआ जिसमें 5 लाख रुपये का भुगतान हुआ है जबकि वास्तव में यह कार्य केवल एक लाख रुपये का ही है ? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी कार्य का पूरा विवरण सहित मजदूरों के नाम मय पता सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शारदा सहायक खंड-30 के बारी राजबहा पर बैंक्स के सुदृढ़ीकरण का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में कराया गया। इस कार्य की जांच परियोजना निदेशक, इलाहाबाद द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। कार्य की स्थिति तथा मजदूरों के विवरण आदि जांचोपरान्त स्पष्ट होंगे।

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता नवाबगंज, बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं जांच

28--श्री राम सागर--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता नवाबगंज, रजबहा बाराबंकी के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र मन्त्री जी को प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 6 मई, 1985 को भेजा था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में अवर अभियन्ता के विरुद्ध कौन-कौन शिकायतें थी ? और इन शिकायतों

के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

शिकायती पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। शिकायतों की जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 139 पर)

जनपद शाहजहांपुर में निगोही आबकारी ठेके पर बकाया धनराशि

29—श्री विनोद कुमार—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में निगोही आबकारी ठेका वर्ष 1977-78 अथवा उसके आस-पास के वर्षों की बकाया लगभग 56,000 रु0 श्री आनन्द कुमार गुप्त व अन्य दो चौकीदारों के नाम चली आ रही है ? यदि हां, तो इसमें दोषी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जनपद शाहजहांपुर में निगोही आबकारी ठेका का वर्ष 1978-79 का 45,768 रुपया श्री आनन्द कुमार गुप्त व अन्य तीन बाकीदारों के नाम बकाया चला आ रहा है ।

इस बकाये की वसूली न्यायालय द्वारा स्थगित है, अतः किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा नहर बाराबंकी के सहायक अभियन्ता पर चल रहे मुकदमों का निर्माण

30—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे का जनपद बाराबंकी के शारदा नहर खण्ड के एक सहायक अभियन्ता पर चल रहे मुकदमें (रामकली बनाम कृष्ण चन्द्र धारा 125 जा0 फौ0) में दिनांक 12 दिसम्बर, 1984 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बाराबंकी द्वारा निर्णय में यह टिप्पणी की गयी है कि उक्त मुकदमा विभाग के ही एक अन्य सहायक अभियन्ता के सहयोग से चलवाया गया था तथा उसमें पुलिस द्वारा पूरे मामला की जांच करने की बात भी कही गयी है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय में न्यायालय की इस सम्बन्ध में टिप्पणी का पूर्ण विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चूंकि यह मुकदमा श्री कृष्ण चन्द्र, सहायक अभियन्ता, शारदा नहर खण्ड, बाराबंकी का व्यक्तिगत मामला है, अतः इस मुकदमें में न्यायालय द्वारा की गयी टिप्पणी की जानकारी विभाग को नहीं है ।

उक्त मुकदमें में शासन को प्रतिवादी नहीं बनाया गया था, अतएव शासन द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा नहर खण्ड में शीशम के पेड़ों की नीलामी तथा आय

31—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में शारदा नहर खण्ड में आने वाली कितनी शीशमें 31 मार्च 1985 के पूर्व पांच वर्षों में कटाई गयीं ? इन शीशमों को कटाने का प्रयोजन क्या था तथा इससे विभाग को कितनी आय हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विगत 5 वर्षों में 7 शीशम के पेड़ों को नीलामी के बाद कटने की अनुमति दी गई ।

प्रश्नगत पेड़ दिनांक 19 सितम्बर, 1983 को आंधी एवं वर्षा के कारण गिर गये थे ।

उक्त 7 पेड़ों की नीलामी से विभाग को 7644 की आय हुई ।

गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत नाबालिग श्रमिक

32—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत 15 जुलाई, 1982 को लोनी औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों में कितने नाबालिग श्रमिक कार्य कर रहे हैं ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

इस औद्योगिक क्षेत्र के किसी भी प्रतिष्ठान में किसी नाबालिग श्रमिक के कार्य करने की पुष्टि नहीं हुई है ।

मेरठ व गाजियाबाद में बसी नाले का निर्माण कार्य

33—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बसी नाला, जो जनपद मेरठ व गाजियाबाद के अन्तर्गत आता है, उसकी खुदाई की स्वीकृति सरकार ने दी है ? यदि हां, तो यह नाला कब तक खोदा जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बसी नाला के निर्माण हेतु एक परियोजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ।

नाले का निर्माण धन उपलब्ध होने पर सम्भव हो सकेगा ।

जनपद मेरठ के खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र में राजकीय नलकूपों की मरम्मत

34—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र में 15-7-85 को कितने राजकीय नलकूप बेकार हालत में पड़े हुए हैं और उन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

35—श्री विष्णु देव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जनपद फैजाबाद के कटेहरी तथा भीटी ब्लाकों में प्रस्तावित नलकूप

36—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी तथा भीटी ब्लाकों में नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण कराने के लिए श्री राम निवास जी, कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता, पब्लिक नलकूप खण्ड, फैजाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 23-4-85 का पत्र शासन को मिला है ? क्या यह सही है कि इसी सम्बन्ध में क्षेत्र समिति कटेहरी द्वारा अपनी बैठक दिनांक 20-5-85 में तथा क्षेत्र समिति भीटी द्वारा अप्रैल, 1985 की बैठक में पारित किए गये प्रस्ताव भी शासन को मिल गए हैं ? यदि हां, तो उक्त दोनों क्षेत्र समितियों के सर्वसम्मत प्रस्तावों तथा प्रश्नकर्ता के पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

भीटी क्षेत्र में नलकूप प्रस्तावित किये जा रहे हैं। कटहरी एवं भीटी क्षेत्र में विश्वबैंक योजना प्रथम के अन्तर्गत भी क्रमशः 21 एवं 22 राजकीय नलकूप लगाये जा चुके हैं।

जनपद जौनपुर में सोनारी लिफ्ट कैनाल हेतु पानी की व्यवस्था

37--श्री जंग बहादुर--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर में सोनारी लिफ्ट कैनाल 2 लेचुका, देवरिया, भगतपुर वीरभानपुर बदलापुर खुर्द में 5 किलोमीटर 20 वर्ष पूर्व निर्मित कराई गयी थीं, जिसमें कभी भी पानी नहीं दिया गया और उसकी सफाई प्रति वर्ष दिखाकर पैसा लिया जाता है? क्या सरकार इस नहर में पानी की व्यवस्था शीघ्र करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, कैशियर शारदा कैनाल, हरदोई के आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध दर्ज मुकदमा, पत्नी के नाम से क्रय की गयी भूमि के मुकदमे का निर्णय, जांच रिपोर्ट तथा स्थानान्तरण किये जाने की मांग

38--श्री शारदा प्रताप--

उ0 प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दिनांक 17-7-85 के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 एवं तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्नों के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मिश्र के विरुद्ध स्थानीय पुलिस, थाना कोतवाली हरदोई ने अपराध संख्या 356, दिनांक 12-8-84 तथा अपराध संख्या 511, दिनांक 7-11-84 को डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर मु0 अ0 सं0 32, धारा 325, 323/504 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत परिवर्तित करके श्री मिश्र व अन्य 3 अभियुक्तों का आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा गया, जिसकी सूचना पुलिस द्वारा इनके विभाग में दी गयी है? यदि हां, तो उन्हें सर्किल के बाहर स्थानान्तरित करने अथवा निलम्बित करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

अदालत के निर्णय के अनुसार ही श्री मिश्र के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

39--श्री शारदा प्रताप--

उ0 प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दिनांक 17-7-85 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नगत श्री मिश्र ने अपनी पत्नी के नाम से सोलह हजार रुपये की जो जमीन खरीदी है उसके मुकदमें का निर्णय जून 85 में ही हो चुका है और अब जमीन सम्बन्धी कोई मामला न्यायालय में नहीं चल रहा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

40--श्री शारदा प्रताप--

उ0 प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दिनांक 17-7-85 को सदन में उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि

प्रश्नगत श्री मिश्र के विरुद्ध जो जांच दुबारा कराई जा रही है, वह किस अधिकारी से कराई जा रही है तथा जांच शीघ्र पूर्ण करा कर जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विधान सभा के वर्तमान सत्र 1985 के दिनांक 17-7-85 को सदन में उत्तरित तारांकित प्रश्न सं0-3 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सन्दर्भ में श्री विशेश्वर दयाल मिश्र के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की दुबारा जांच कराये जाने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। श्री मिश्र के विरुद्ध केवल एक शिकायत सही पाई गई थी, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी के नाम 16 हजार रु0 का एक भूखंड खरीदा था जिसकी सूचना उन्होंने विभाग को नहीं दी। इस आरोप के सम्बन्ध में सदन को बताया गया था कि इसकी जांच कराई जायेगी, स्वीकृत नहीं लिया है तो देखा जाय कि सही पोजीशन क्या है। इसी क्रम में यह भी अवगत कराया गया था कि इस पर न्यायालय में केस चल रहा है और जैसा न्यायालय में फैसला होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित लिपिक से भूखंड हेतु धन की उपलब्धता की जानकारी की गई थी जो उन्होंने विभाग को दे दी है। श्री मिश्र ने भूमि क्रय करने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली थी और न ही क्रय करने के उपरान्त सूचना किसी अधिकारी को दी थी, इस अनियमितता के लिए श्री मिश्र को चेतावनी दे दी गई है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

41--श्री शारदा प्रताप--

उ0 प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के दिनांक 17-7-85 को सदन में उत्तरित आ0 प्र0 सं0 7 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत श्री मिश्र द्वारा उन्नाव खंड उन्नाव में कार्यभार ग्रहण न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, वरिष्ठ लिपिक को हरदोई खंड शारदा नहर, हरदोई से दिनांक 16-7-85 को कार्यमुक्त कर दिया गया है। तदुपरान्त श्री मिश्रा ने अपनी घरेलू परिस्थितियोंवश स्थानान्तरण रोके जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तथा श्री मिश्र को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे तुरन्त उन्नाव खंड, शारदा नहर, उन्नाव में कार्यभार ग्रहण कर लें।

श्री जयपाल सिंह कश्यप, एम0 पी0 का आबकारी के सम्बन्ध में कथित पत्र

42--श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जयपाल सिंह कश्यप, एम0 पी0 का दिनांक 24 जुलाई, 84 के पत्र संख्या 1446 रा0 लो0 मो0/84, जोकि आबकारी के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उद्योग शून्य जनपदों की सूची

43--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से जनपद

शून्य उद्योग की सूची में है तथा कौन-कौन जनपद उद्योग के आधार पर पिछड़े हुए जनपद घोषित किये गये हैं ? क्या माननीय मंत्री जी सम्पूर्ण सूची मय इन जिलों में दी जा रही सुविधाओं को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्रदेश में शून्य उद्योग जनपदों की सूची परिशिष्ट "क" में तथा प्रदेश में उद्योग के आधार पर घोषित पिछड़े जनपदों की सूची परिशिष्ट "ख" में है। परिशिष्ट "क" तथा "ख" में उल्लिखित जनपदों में अनुमन्य सुविधाओं की सूची परिशिष्ट "ग" में है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 142 पर।)

अपर आगरा कैनाल मथुरा के रजबाहा बुखरारी शेरगढ़, सहार की सिल्ट सफाई में अनियमिततायें बरतने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

44--श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कुशल पाल सिंह तथा श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने माह जून, 85 के तीसरे सप्ताह में अपर आगरा कैनाल मथुरा के रजबहा, बुखरारी शेरगढ़, सहार की सिल्ट सफाई में अनियमिततायें बरतने के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा किस अधिकारी ने उनकी जांच की तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण एवं माननीय श्री कुशलपाल सिंह के पत्र प्राप्त हुये हैं जिसमें श्री धीरेन्द्र सिंह यादव, सहायक अभियन्ता, द्वितीय अपर खण्ड, आगरा नहर, मथुरा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी है। श्री कुशलपाल सिंह ने अपने पत्र में बुखरारी रजवाहा पर कार्य न कराकर फर्जी भुगतान करके भ्रष्टाचार फैलाने की शिकायत की है। श्री यादव, सहायक अभियन्ता को स्थानान्तरित कर जांच कराने की मांग की गयी है।

मुख्य अभियन्ता को जांच करने के आदेश जारी किये गये हैं।

स्वदेशी काटन मिल मऊनाथ भंजन आजमगढ़ में पड़ी डकैती

45--श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि स्वदेशी काटन मिल, लिमिटेड मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में कार्यरत मजदूर ग्राम कुमारपुर (मऊनाथ भंजन) में 31 मार्च एवं 1 अप्रैल, 1985 की रात पड़ी डकैती में कोई मजदूर मारा गया और क्या उक्त डकैती में महाप्रबंधक एवं उनके सहयोगी श्री औधू तिवारी उप श्रमाधिकारी का हाथ होने की शिकायत हुई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्रश्नगत डकैती में स्वदेशी काटन मिल लिमिटेड मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में कार्यरत कोई भी मजदूर नहीं मारा गया और न ही उक्त डकैती में मिल के महाप्रबन्धक एवं श्री औधू तिवारी उप श्रमाधिकारी का हाथ होने की शिकायत प्राप्त हुई है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड में नलकूपों की स्थिति

46--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में छठवीं पंचवर्षीय

के दौरान नलकूप लगाने में क्या प्रगति हुई ? बुन्देलखण्ड में सिंचाई के साधनों की कमी को देखते हुये इस दिशा में शासन द्वारा कौन से कदम उठाये जाने की योजना है ? बुन्देलखण्ड में उक्त अवधि में ब्लाक वार कितने नलकूप लगे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बुन्देलखण्ड में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 10,000 नलकूप योजना के अन्तर्गत 485 एवं विश्व बैंक से पोषित पब्लिक नलकूप परियोजना फेज-2 के अन्तर्गत 64 नलकूप अर्थात् कुल 549 नलकूप लगाये गये हैं। बुन्देलखण्ड में सिंचाई के साधनों की कमी को देखते हुये जिला प्लान वर्ष 1985-86 में 10,000 नलकूप योजना के अन्तर्गत 19 राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है तथा विश्व बैंक से पोषित पब्लिक नलकूप परियोजना फेज-2 के अन्तर्गत 150 पब्लिक नलकूपों के निर्माण का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड में संलग्न तालिका-1 के अनुसार 19 वृहत्त, मध्यम सिंचाई तथा लघु लिफ्ट नहरें निर्माणाधीन हैं जिनसे 2,33,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी। बुन्देलखण्ड में सर्वेक्षित तथा स्वीकृत हो जाने पर भविष्य में, 17 योजनायें प्रस्तावित हैं जिसका विवरण संलग्न तालिका-2 में दर्शाया गया है।

ब्लाकवार नलकूपों की सूची संलग्न तालिका-3 में दर्शायी गई है।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सि0 वि0 के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को आवंटित आवासों को रिक्त करवाने की मांग

47--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सि0 वि0 में वर्तमान समय में तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने सरकार से हाउस बिल्डिंग एडवान्स प्राप्त करके लखनऊ में निजी आवास निर्मित करा लिये हैं एवं निजी अवासों को किराये पर उठाकर राजकीय आवास में रह रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों से राजकीय आवास रिक्त करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा के अधीनस्थ खन्डों द्वारा निर्माण कार्य हेतु ली गई भूमि

48--राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण मण्डल अल्मोड़ा के अधीनस्थ खन्डों द्वारा 28-6-85 तक विधिवत रूप से बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए कृषकों की कितनी भूमि निर्माण कार्य हेतु अवैध रूप से ली जा चुकी है ? क्या सरकार इसकी जांच भूमि अध्यप्ति निदेशालय सि0 वि0 के अधिकारियों को उक्त जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में भिजवा कर करवाने की कृपा करेंगी तथा इस अवैधानिक कार्य के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध "एबटमेन्ट आफ क्राइम" का चार्ज लगाते हुए कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा के अधिनस्थ पांच खन्डों द्वारा मण्डल के सृजन की तिथि से 28-6-85 तक कृषकों की 41.357 हेक्टेयर भूमि पर छोटी-छोटी नहरों का निर्माण भू-स्वामियों की सहमति से जनहित में किया गया है।

निर्माण कार्य हेतु ली गयी भूमि अवैध रूप से न लेकर पूर्णतया भूस्वामियों

छापी नहीं गयी।

की सहमति से ही जनहित में ली गई है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठती ।

मिर्जापुर कनहर सिंचाई योजना के चालकों का स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पत्र

49—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कनहर सिंचाई परियोजना के चालकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-7-83 का श्री नरेश चन्द्र जैन, मुख्य अभियन्ता/स० एवं सा० प्र०/लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला उद्योग अधिकारी, फैजाबाद को दिया गया स्वतः रोजगार योजना से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

50—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 1985 को जिला उद्योग अधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ, जिसमें स्वतः रोजगार योजना से सम्बन्धित शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो अब तक उस पर कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

उक्त पत्र में माननीय विधायक द्वारा जो सूचना चाही गयी थी, उन्हें उपलब्ध करा दी गयी है ।

सिंचाई विभाग के समयबद्ध वेतनमान वाले अवर अभियन्ताओं का विवरण

51—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं को समयबद्ध (टाइम स्केल) वेतनमान देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने अवर अभियन्ताओं को समयबद्ध वेतनमान दिया गया तथा 1 मई, 1985 को कुल कितने लोगों को देना शेष है ? क्या यह सही है कि अवर अभियन्ताओं के समयबद्ध वेतन को फिक्स करने में तीन-तीन वर्षों का समय लग जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

अब तक कुल 3,610 अवर अभियन्ताओं को समयबद्ध वेतनमान दिया गया है तथा 1 मई, 1985 को 1,343 अवर अभियन्ताओं को देना शेष है ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी न किया जाना

52—श्री मित्रसेन—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के लेबर सप्लाई और दैनिक वेतन पर कितने मजदूर 240 दिन से अधिक दिनों से थर्मल पावर टाण्डा ओबरा, अनपरा हरदुआगंज आदि प्रतिष्ठानों पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें स्थायी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लांगोवाल के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बलिवेदी पर कल एक और महाबलिदान हो गया, यह हमारा दुर्भाग्य है। मुझे बहुत ही शोक और दुख के साथ सम्मानित सदस्यों को औपचारिक रूप से, क्योंकि सभी सदस्यों को उसकी सूचना है, सूचित करना पड़ रहा है कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल का एक धार्मिक सभा को सम्बोधित करते हुए, शेरपुर, जिला संगरूर के गुरुद्वारे में एक गोलीकाण्ड के कारण उनका निधन कल रात्रि 9 बजकर 40 मिनट पर हो गया। सन्त लोंगोवाल देश के इतिहास में उन महान् व्यक्तियों में माने जायेंगे, जिन्होंने धार्मिक एकता के लिए, देश की सामाजिक एकता के लिए बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया और ऐसी चेष्टा की जिससे भारतीय समाज में एकरूप होने की भावना सुदृढ़ हो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाचक्र के कारण एक सामाजिक खाई सी प्रतीत होती थी, उसको उन्होंने पाटने का बराबर प्रयास किया।

वह एक अत्यन्त ही गम्भीर व्यक्ति थे और धार्मिक मनोवृत्ति उनके व्यक्तित्व में सही रूप में पूर्ण रूप से विराजमान थी, दैदीप्यमान थी और उन्होंने राष्ट्र और धर्म का एक ऐसा सम्मिश्रण तैयार करने का प्रयास किया, जहां धार्मिकता, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रहे, वहीं धार्मिकता सन्तुलित रहे और साथ ही देश की अखंडता अक्षुण्य रहे। इसीलिए पिछले महीने 24 जुलाई को जो समझौता प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के साथ उनका हुआ, वह उसी भावना से ओतप्रोत था, राष्ट्र हित में जिससे सामाजिक और धार्मिक एकता बनी रहे उन्होंने यह ऐसा साहसिक कार्य किया और एक ऐसा नेतृत्व दिया न केवल सिख समुदाय को, बल्कि सारे भारतीय जनमानस को और जो भारत के बाहर भारतीय हैं उनको भी, जिससे उनकी सर्वत्र प्रशंसा हुई, उनकी दृढ़ता और साहसिकता की प्रशंसा हुई। कदाचित् इसीलिए वह कठिनाई और दुःख का दिन देश को देखना पड़ा है। उन्होंने यह महान शहादत का रास्ता अपनाया था अपनी दृढ़ता के कारण और शायद वह स्वयं जानते थे कि उनको कभी अपनी इस साहसिकता के कारण जोखिम उठानी पड़ेगी। जिस प्रकार उन्होंने पंजाब की समस्या का निदान करने के लिए और एकता लाने के लिए प्रयास किया वह इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। वह एक गांव के कार्यकर्ता के रूप में उभरे, और जिस प्रकार एक बड़े गुरुद्वारे में ग्रन्थी से लेकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और बाद में राजनीति में रहते हुए भी सत्ता से अलग रह कर भी राजनीति को एक नया मोड़ दिया, यह महत्व की बात सदैव याद रखी जायगी जिस प्रकार उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया पंजाब की जनता को और अकाली दल को यह इतिहास के नाजुक क्षणों में सदैव याद रखा जायेगा।

आज हमें उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही प्रार्थना करनी है कि वह हमें इतनी शक्ति और बुद्धि दे कि पंजाब के शान्तिपूर्ण वातावरण के लिए, सौहार्द के लिए, सामाजिक और धार्मिक एकता के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से सन्त लोंगोवाल कुर्बान हो गये, वह भावना हमें सब में सदैव बनी रहे और आतंकवाद संकीर्णता और साम्प्रदायिकता का वितन्डा-वाद हमारे राष्ट्र के शरीर को कभी नुकसान न पहुंचाने पाये। श्रीमती इन्दिरा गांधी की शहादत के बाद, सन्त लोंगोवाल की शहादत जो हुई है वह हमें राष्ट्रीय एकता में एक होने की प्रेरणा देगी। सामाजिक एकता के लिए साम्प्रदायिक भावना से ऊपर रह कर एक भारतीयता के लिए, सर्वधर्मभाव से इंसानियत के लिए हम एक रहें, यह हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, आपसे यह आग्रह करूंगा कि इस सदन की ओर से, हमारे दल की ओर से और इस सदन के प्रत्येक सम्मानित सदस्य की ओर से आप हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि सन्त लोंगोवाल जी के शोक संतप्त परिवार तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, अकाली दल के नेता सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल के निधन से सारा देश स्तब्ध और शोकाकुल है। सन्त लोंगोवाल एक धर्म निरपेक्षीय और राष्ट्रीय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष किया। मान्यवर, अभी-अभी लगभग 10 महीने तो वह सरकार से लड़ते रहे और जेल में रहे और जेल से निकलते ही उनको उग्रवादियों से संघर्ष करना पड़ा। ऐसे महान नेता के निधन से सबको दुख है। लेकिन एक अफसोस की बात है कि इस निधन की जितनी निन्दा, जितनी भर्त्सना की जाय वह कम है, प्रजातन्त्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब यह मालूम था कि सन्त लोंगोवाल के जीवन को खतरा है, उनको पत्र और धमकियां भी मिल चुकी थी और पूरे देश में इस बात की आशंका थी, संदेह था कि सन्त लोंगोवाल की हत्या हो सकती है, क्योंकि ललित माकन की जो हत्या हुई उस हत्या का शोक भी अभी नहीं भुला पाये थे कि इनकी हत्या हो गयी, तो इसमें साफ है कि उनकी जान बचाने में सरकार असफल रही, इस बात का हम लोगों को बहुत अफसोस है।

मान्यवर, इसी तरह से मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में हम सबको, सरकार को एक दृढ़ता से आगे आना चाहिए इस बात के लिए कि आज धीरे-धीरे आतंकवादियों हिंसावादियों की जीत हो रही है। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। मान्यवर, सन्त लोंगोवाल के निधन से केवल पंजाब का ही नुकसान नहीं हुआ है बल्कि सारे देश का नुकसान हुआ है। सारे देश में जो सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, धार्मिक विचारों को फैलाने वाले लोग हैं, उन बड़े-बड़े लोगों के जीवन को जब खतरा हो जायगा तो हम सबको काम करना मुश्किल हो जायगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि, मेरी राय है कि चुनाव में भी जल्दबाजी की गयी। यदि सोच समझ कर काम किया जाता तो इस तरह की घटना नहीं हो सकती थी। इसलिए आज हम सब उनके निधन से दुखी हैं। मैं अपने दल की तरफ से और उधर बैठे हुये साथियों की तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि उनके परिवार तक, उनके दल के जो नेता, साथी जिंदा हैं, मित्र हैं, सम्बन्धी हैं उन्हें भेजने की कृपा करें।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं अपनी भावनाओं को माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार सदन में व्यक्त किए, उससे सम्बद्ध करता हूं। आज देश ने एक महान नेता खो दिया है। सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल की शहादत आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उनका जीवन संघर्षमय जीवन रहा है। उन्होंने जो समझौता 24 जुलाई को किया था, उन्होंने कठिन परिस्थित में ऐसे दुरूह कार्य को करके अदम्य साहस का परिचय दिया था, जो अन्य व्यक्ति के लिए मुश्किल काम था। आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जो उन्होंने काम किया है वह हमेशा यह देश याद रखेगा। मान्यवर, आज आतंकवाद की वजह से पूरे प्रदेश में देश में, ऐसी बात उठ गई है, जिससे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोगों को ऐसा खतरा हो गया है, जो संभवतः पहले कभी नहीं था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सच तो यह है कि लोंगोवाल जी ने 24 जुलाई, को जब यह समझौता किया था तभी यह निश्चय हो गया था कि उग्रवादी लोग उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और कभी भी खतरा हो सकता है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य नेता प्रकाश सिंह बादल आदि जो हैं, के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह करें कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए और ऐसी व्यवस्था की जाय कि नेताओं के ऊपर कोई खतरा न आए। मैं चाहूंगा कि सदन की भावनाओं को देखते हुए और पंजाब की स्थिति भी सामान्य नहीं है, वहां हमारे दल की तरफ से और जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि माननीय प्रधान मन्त्री जी को यह भी बताया जाय कि पंजाब में अभी चुनाव न कराये जायें, तो बेहतर है, क्योंकि जब तक यह चीज सामान्य नहीं हो जाती है तब तक इस घटना की पुनर वृत्ति भी हो सकती है। हम सब बहुत दुखी हैं और ऐसे महान नेता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल की निर्मम हत्या के प्रति संवेदना संदेश में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय नेता जनता पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल जी की हत्या से पूरे प्रदेश को गहरा धक्का लगना स्वभाविक है। मान्यवर, पिछले महीने की 24 तारीख को पंजाब की समस्या के समाधान के लिए हुये समझौते में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। लोकतन्त्र हमारे देश में है। मान्यवर, कोई सम्पूर्ण समझौते से असहमत हो सकता है तो कोई कुछ अंश से असहमत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उसका निर्णय बुलेट से किया जाय। सन्त हर चन्द सिंह लोंगोवाल की हत्या ने राष्ट्र की एकता सार्वभौम सत्ता और सामाजिक समरसता को गहरा धक्का पहुंचाया है।

मान्यवर, बड़े गहन चिन्तन का विषय आज देश के सामने यह उपस्थित हो गया है कि चन्द मुट्ठी भर आतंकवादी लोग, उग्रवादी लोग हिंसा और आतंक का सहारा लेकर देश को दूसरी दिशा में ढकेल देना चाहती है और हिंसा की ओर ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। आज राष्ट्रवादी शक्तियों के लिये यह चुनौती का युग सामने आ गया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिये देश की एकता की रक्षा के लिये दलगत राजनीति के धरातल से ऊपर उठकर विचार करना है कि इसका किस प्रकार से मुकाबला किया जाय। एक बात मैं और आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा, मान्यवर, यह बहुत गहन चिन्तन का विषय है, इस घटना ने मनमानस को झकझोर दिया है। आज किस प्रकार से लोग हत्या के शिकार होते जा रहे हैं। आज देश में जो बुलेट का सहारा ले रहे हैं, उनकी तूती बोल रही है और जो सही बात कहने वाले हैं, उनकी जान के लाले पड़ रहे हैं। सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल की हत्या आइसोलेशन में विचार करने का विषय नहीं है। मान्यवर, यह बड़ी श्रृंखला की एक कड़ी है। अपने देश में आदरणीया प्रधान मन्त्री की हत्या हुई, विदेश में नहीं देश में हुई। पंजाब के आतंक भरे वायु मंडल में नहीं दिल्ली में हुई, दफ्तर में नहीं घर में हुई। सरकारी खजाने से सरकारी पैसे से खरीदी गई सरकारी गोली से सरकारी सन्तरी द्वारा देश की प्रधान मन्त्री की जान ले ली जाय, ऐसी व्यवस्था को मैं क्या कहूं, ऐसे सिस्टम को मैं क्या कहूं। वह किसी दल की प्रधान मन्त्री नहीं देश की प्रधान मन्त्री थी, उनकी निर्मम हत्या से सब का सिर शर्म से झुक जाता है।

उसके पश्चात् श्री ललित माकन की हत्या हुई, उसी लम्बी श्रृंखला में सन्त

हरचन्द सिंह लोंगोवाल की हत्या हुई। कौन जानता है आतंकवादियों की सूची में, उनकी हिट लिस्ट में कौन-कौन लोग शेष हैं जो गोली के शिकार बनाये जायेंगे ? इस बार फिर से गहन चिन्तन इस पर होना चाहिये कि क्या हमें अपने सिस्टम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ? क्या एक जुट होकर हिंसावाद और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये फिर से सब लोगों को मिलकर कुछ मुद्दों पर आम सहमति के प्रश्न पर विचार हो। सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल की हत्या अचानक नहीं हुई। हम सब लोगों को बहुत दुख है, एक समझौता 24 तारीख को हुआ था। उससे पंजाब और देश के अन्दर एक आशा बंधी थी कि देश के अन्दर शान्ति की स्थापना होगी, पंजाब में शान्ति स्थापित होगी, राहत की सांस लोगों ने लिया। लेकिन वायुमंडल में एक और धमाका हो गया। उनको धमकी दी गई थी, पत्र आ रहे थे, यह अचानक नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा, बड़े दुख के साथ, भारी मन के साथ एक बार फिर से सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल की हत्या ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था और हमारी गुप्तचर संस्था की अक्षमता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मैं कहना चाहता हूं, इसे हम राजनीतिक कारण से कुछ कह रहे हैं, ऐसा अर्थ न लें।

हम जानते हैं कि हम शोक प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, हम सबका मन भारी है। मान्यवर, आज के समाचार-पत्र में केन्द्रीय सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि देश की गुप्तचर एजेन्सी में ऐसे लोग घुस आये हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिये घातक हो सकते हैं। वह हमारी सूचना दूसरी जगह भेज रहे हैं। यह गहरे चिन्तन का विषय है। आज सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल चले गये, इतिहास में उनको याद किया जायेगा, उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिये सामाजिक समरसता के लिये अपने को होम कर दिया। उनकी स्मृतियां युगोंयुगों तक जीवित रहेंगी। इस सूचना को पाकर हम लोग बहुत दुखी हैं और मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की ओर से शासन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी प्रकार का किसी के भी द्वारा अगर कोई आतंकवादी या हिंसावादी गतिविधि उठती है और शासन उसे कुचलने के लिए जो भी सख्त से सख्त कदम उठायेगा तो हम भी सरकार के साथ होंगे। देश सर्वोपरि है, देश अगर बना रहेगा तो उसमें आदमियों का, पार्टियों का मूल्य है, महत्व है, अन्यथा आदमी और पार्टी आदि का कोई मूल्य और महत्व नहीं है। अन्त में मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि हम लोगों की संवेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, अभी 24 जुलाई को पंजाब समझौता हुआ उससे हम लोग बड़े प्रसन्न थे। इस समझौते में सन्त लोंगोवाल का ही बहुत बड़ा योगदान था। मान्यवर, जब एक दम से उनकी हत्या का समाचार मिला तो हम लोगों को बहुत दुख हुआ। जिन लोगों ने भी इनकी हत्या की है, मान्यवर, मैं समझता हूं कि उन लोगों को न तो कोई देश से लगाव है और न ही राष्ट्रीय एकता से। बल्कि हम तो यह कहेंगे कि वह राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। मान्यवर, इस प्रकार से जहां भी आतंकवाद या गतिविधि उठती है, सरकार को चाहिए कि उस पर कठोरता से कदम उठाए और जैसा कि माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा, मैं भी उसी बात को दोहराता हूं कि विपक्ष इस सम्बन्ध में आपके साथ है। मान्यवर, इस घटना पर हम लोग बहुत दुखी हैं। इस सम्बन्ध में जो उद्गार/भाव मा0 मुख्य मन्त्री, नेताविरोधी दल व अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं और मेरा दल भी उनसे

सम्बद्ध है। अतः आपसे अनुरोध है कि शोक-संतप्त परिवार तक मेरा संवेदना संदेश भी पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, इस निधन संदेश से हम सभी लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश बहुत दुखी है। मान्यवर, जब सन्त लोंगोवाल जो आतंकवाद पृथकतावाद तथा धार्मान्धता के खिलाफ लड़ाई में बड़े साहस के साथ लड़ रहे थे, उसी समय उनकी हत्या हो गयी और वे शहीद हो गये। मैं यह मानता हूं कि उनकी यह शहादत बेकार नहीं जायेगी। हिन्दुस्तान के प्रत्येक हिस्से में जहां-जहां लोग जनतंत्र के हिमायती हैं, राष्ट्रीय एकता के हिमायती हैं और जो धार्मिक सौहार्द्र के हिमायती हैं, उनको यह शहादत शक्ति और प्रेरणा देगी। लेकिन इतना जरूर है, हम सभी लोगों की बात है, इसमें केवल सरकार की ही बात नहीं सामाजिक चिन्तन के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों को इस बात पर अवश्य ही गौर करना चाहिए कि हमारी जो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं और जिन व्यवस्थाओं पर शासन को चलने के लिए बल मिलता है जिनसे ऐसी गुप्त योजनाओं का पता चलता है उन पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि वह सुदृढ़ हो सकें और इस ढंग की घटनायें न हो पायें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से सन्त लोंगोवाल के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी संवेदनाएं उनके परिवार तक तथा उनके लाखों-लाख अनुयायियों को जो आज दुखी हैं, हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल के ऊपर कातिलाना हमले की खबर कल मुझे दिल्ली में मिली जब मैं वहां पर एक मीटिंग के सिलसिले में अपने नेताओं के साथ था। वहीं पर नेता श्री हरकिशन सिंह सुरजीत भी थे जिन्होंने पंजाब की समस्याओं को सुलझाने में अथक प्रयास किया था और उन्होंने उग्रवादियों के खिलाफ बहुत सारे लेख लिखे हैं। हम लोग इस दुखद खबर को सुनकर स्तब्ध रह गये और यही उम्मीद लगाई गई थी कि वे बच जायेंगे लेकिन बड़े दुख की बात है कि वे बचाये नहीं जा सके। इस दुखद घटना से सारा देश स्तब्ध है। सन्त लोंगोवाल सन्त प्रवृत्ति के थे और उन्होंने अपना सारा जीवन सिख धर्म के बारे में गहन चिन्तन में व्यतीत किया। वह बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। उनका पूरा जीवन राजनीति में ही व्यतीत हुआ। दिनांक 24 जुलाई, 1985 का जो ऐतिहासिक समझौता हुआ उससे यह आशा बंधी कि अब पंजाब में स्थिति सामान्य हो जायेगी और उग्रवादी गतिविधियां समाप्त हो जायेंगी।

मान्यवर, यह जो समझ हम लोगों की थी, उसके विपरीत इस घटना ने हमारी समझ को साबित कर दिया। हम लोगों ने समझने में भूल की और शायद यही चूक केन्द्र सरकार से भी हुई। जब ब्लू स्टार आपरेशन हुआ तो यह भावना बनी कि पंजाब समस्या का समाधान हो जायेगा, पंजाब में हिंसा का वातावरण समाप्त हो जायेगा, सामान्य स्थिति वापस आ जायेगी लेकिन हम लोगों ने देखा कि हमने अपनी प्रधान मन्त्री को खो दिया। हम यह जरूर कहते हैं कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया लेकिन उनकी बहुत जरूरत थी देश को। यह हमारे खुफिया विभाग और हमारे उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों की अकर्मण्यता और लापरवाही का परिणाम था कि हमने प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को खो दिया और आज फिर समझौते के बाद संत लोंगोवाल को खो दिया। मान्यवर, यह हमारी बड़ी भूल थी और यह आत्मतुष्टि की स्थिति हमारे नेताओं के अन्दर, हमारी सरकार के अन्दर, हमारे खुफिया विभाग के अन्दर थी, इसको

दु स्त करने की आवश्यकता है और यह कमी हमारी सरकार की रही है कि हमारे देश में जो उग्रवादी आन्दोलन हो रहा है, इसके पीछे खतरनाक साम्राज्यवादी शक्तियां काम कर रही हैं। अमेरिकी साम्राज्यवादी की बात पर हमें यकीन नहीं करना चाहिये। आज भी वह हमारे देश में झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। हमारी सरकार को चाहिए कि वह जागरूक हो और इन गतिविधियों के खिलाफ संघर्ष करे। हमारे विरोधी दल के नेताओं ने और नेता सदन ने जो अपनी समझदारी, अपने विचार संत लोंगोवाल के प्रति प्रकट किए हैं। मैं उनके उन विचारों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। आज हमारे देश के सामने बहुत बड़ा खतरा है और जैसा माननीय नेता विरोधी ने कहा, स्थिति अभी भी बहुत भयावह है और जो यह घटना हुई है, संत की मौत के बाद यह हमारे लिए खतरे की घंटी है। हमें नए सिरे से उस स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और उसके बाद अपने देश व पंजाब की स्थिति के बारे में समझदारी का रास्ता अपनाना चाहिए, ताकि वहां की स्थिति सामान्य बन जाय और हिंसा का वातावरण समाप्त हो। आज यह कहना मुश्किल है कि कितने लोग उग्रवादियों की हिट लिस्ट में हैं, इसलिए जरूरी है कि समय रहते इस समस्या को हल किया जाना चाहिए। मैं अपनी शोक श्रद्धांजलि अपनी ओर से और अपने दल की ओर से अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि अकाली दल और संत के परिवार को हमारी ये सम्वेदनाएं भेजने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, संत लोंगोवाल की जघन्य हत्या के सिलसिले में जो उद्गार नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को एवं अपने निर्दलीय समुदाय को सम्बद्ध करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी ओर से श्रद्धा के पुष्प उनके परिवार एवं शुभचिंतकों तक पहुंचाने का कष्ट करें। मान्यवर, यह कहा जाता है कि खून टपकता है तो जम जाता है। जिस राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए उनका खून टपका है, इससे हमारी राष्ट्रीय एकता और बलवती होगी। इसलिए हमारा विश्वास है कि जिन क्रूर हाथों ने उनकी हत्या की है, वह अपनी साजिश में कारगर नहीं होंगे।

* श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, संत लोंगोवाल की हत्या के समाचार से सारा राष्ट्र क्षुब्ध है। चौबीस जुलाई के समझौते के बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि देश की एकता का जहाज फिर से किनारे लग गया है। लेकिन मान्यवर, बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि वह चिराग जो हमको अंधेरे में रोशनी देते हैं, जब बुझ जाते हैं तो हम फिर से पश्चाताप करते हैं, रूदन करते हैं और शोक प्रस्ताव के जरिये दुख का इजहार करते हैं। मान्यवर, श्रीमती गांधी की हत्या के बाद इस निर्मम हत्या से देश की एकता को चोट पहुंचाने वाली शक्तियों का पर्दाफाश हुआ है। मान्यवर, हम जिस उदारता का परिचय देते हैं, जिस उदारता से दूसरे के समक्ष अपने आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं आदर्शों की और लोगों से उम्मीद भी करते हैं। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि साम्राज्यवादी शक्तियां जो हमारे महत्वपूर्ण देश के लोकतन्त्र को नष्ट करने पर उतारू हैं, वह हमारे इन इरादों को कुचलने और तबाह करने में विश्वास करती हैं। जो लोग हमारे देश की एकता को और प्रगति को न देखकर हमको नष्ट करने में अपनी उपलब्धि समझती हैं, उनसे किसी प्रकार की उदारता की उम्मीद करना मान्यवर, बिलकुल गलत विश्वास है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल की हत्या देश की जनतन्त्र और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एकता की रक्षा के लिए हुई है। न केवल सारा सदन, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र को एक संकल्प लेना चाहिये कि जिन उपलब्धियों की रक्षा के लिए उनका बेशकीमती खून बहा है उनकी रक्षा के लिए हम हर कुछ करने को तैयार रहेंगे और हम अपने सारे मतभेदों को मिटाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। उनके लिए यही अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है। मान्यवर, जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो अजीब सी आशंकाएं उभरती हैं कि पता नहीं यह दुर्भाग्य अब किसके ऊपर आने वाला है। अभी कुछ सुरक्षा व्यवस्था की बात कही गयी, हमारी सूचना एजेन्सियों की बात कही गयी। मान्यवर, यह बहुत चिन्तनीय स्थिति है। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद भी हम कोई सबक नहीं सीख रहे हैं। संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल की हत्या फिर एक बहुत बड़ी चिंतनीय घटना है। अभी जो भी आशा के प्रतीक हमारे बीच मौजूद हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए।

मैं सम्पूर्ण सदन की भावना से अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि उनके दल तक हमारे दल की संवेदनाएं भेजने की कृपा करें। साथ ही साथ मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वे इस सदन की भावनाओं को केन्द्रीय शासन तक भेजें ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की पूरी-पूरी कोशिश की जाय। जैसा कि माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा पूरा देश उनके साथ है। देश की अखंडता की रक्षा करने के लिए हर कोई हर कुर्बानी करने के लिए तैयार है।

* श्री अजीत सिंह सेठी--

माननीय अध्यक्ष जी, संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल जी शरीर के रूप में आज हमारे साथ नहीं रहे। मान्यवर, उनके न रहने से हम लोगों के मन में जो दुख उपजा है, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति उद्देश्यों और भलाइयों को लेकर जीवन व्यतीत करते हैं, इतिहास उनको हमेशा याद करता है। संत लोंगोवाल जी ने देश की अखंडता, इस देश के संविधान की पवित्रता--इन उद्देश्यों को लेकर जो जेहाद उन्होंने शुरू किया था, उस जेहाद पर प्रहार हुआ। प्रहार करने वाले ने प्रहार एक व्यक्ति पर नहीं किया, इस देश की आत्मा पर किया। गुरु के दरबार में उनको मार गिराया। यह घनघोर अपराध है। गुरु ग्रंथ साहब के सामने उनकी हत्या हो गई, यह शहादत बड़ी ऊंची शहादत है। गुरु के आत्म समक्ष होकर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। जिस उद्देश्य को लेकर वे आगे आए, उन्होंने इस महान भारत के लिए अपने को त्याग दिया। ऐसी महान आत्मा के बिछड़ जाने से, वे हम पर कुछ जिम्मेदारियां, कुछ दायित्व छोड़ गए हैं। जिस मिशन को दिल्ली से लेकर वे पंजाब में घुसे, पंजाब में घूमे, वह मिशन बहुत प्यारा मिशन है। हम यह यकीन समझते हैं कि सिख समुदाय एक शहादतत के बाद दूसरी शहादत स्वयं देता है। वह उस बन्दूक की गोली को खत्म करेगा जो भारतवर्ष की छाती पर लगती है। गांधी ने शहादत ली थी और हमारे गुरु अर्जुन देव ने शहादत ली थी, उसी प्रकार आज सन्त लोंगोवाल ने भी यह शहादत लेकर सिख समुदाय की तारीफ को और इतिहास को एक बार फिर से उजागर किया है। जीवन नाशवान है। जीवन का उद्देश्य देश प्यार के लिये है, इंसानों के लिये है और सम्पूर्ण मानव जाति के लिए है। जिस नक्शे कदम पर चलते हुए संत लोंगोवाल शहीद हुए, वह केवल शिरोमणि अकाली दल, पंजाब को ही प्यारे नहीं थे, हमें भी उससे ज्यादा प्यारे हैं। इस प्रकार का अपराध करने वाले व्यक्तियों ने, जिन्होंने आतंकवादी और उग्रवाद का मिशन बना रखा है, जिसमें अनेकों व्यक्ति आतंकवाद के मुंह में चले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये हैं, बहुत बड़े दुख की बात है। संत लोंगोवाल जिस मिशन को लेकर खड़े हुए थे, यदि इस पर कोई प्रहार होता है तो फिर हमें करो या मरो की थ्योरी अपनानी पड़ेगी, जिसे एक बार महात्मा गांधी जी ने भी दिया था। संत लोंगोवाल जी ने एक बार एक स्थान पर कहा था कि जो पंजाबी के समुदाय के समझ में भी आ गई थी कि हमें आतंकवाद और उग्रवाद का नाश करना है।

मान्यवर, इस बिछड़ी हुई आत्मा के लिए, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जीवन रूप में अनेक काम करते हुए मनुष्य जिज्ञासु हो जाता है और गलती कर बैठता है, उन सबकी तरफ ध्यान न देते हुए, इस देशवासियों के दिल के अन्दर जो भावना है, उसी के आधार पर वह तेरे चरणों में निवास करे। उनका न कोई परिवार है और न कोई घर, उनका तो सारा पंजाब और सारा देश परिवार था और घर था। उनकी एक ही आवाज थी आगे बढ़ो और आगे निकलो। आज एक संत लोंगोवाल को खत्म करना चाहते हैं, कल देश की तरक्की के लिए कई संत लोंगोवाल अपनी छाती खोलकर खड़े हो जायेंगे और कहेंगे कि आओ और हमारी छाती पर गोली मारो।

इसलिए मान्यवर, आप के द्वारा जो समवेदना के भाव प्रकट किये गये हैं, उन्हें आप पंजाब वासियों और शिरोमणि अकाली दल को चलाने वाले इस समय व्यक्ति हैं, उन तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो समझौता उन्होंने किया था, उसे लोगों ने सर्वप्रिय माना था। अगर इस समझौते के कारण उनके ऊपर प्रहार हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं, पंजाब के लोग ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देशवासियों को दुख है। हम लड़ना चाहते हैं एक चीज के साथ उसके रूप कई बदलने पड़ेंगे। जहां तक हुकमत से, सरकार से चाहते हैं, वह कड़ाई से उनका सामना करेगी और कार्य, आलूदा, जहर डाला गया है, उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। जो संत लोंगोवाल जी ने मिशन छोड़ दिया है उसका पूरा करेंगे। कौमी एकता, देश की अखंडता, देश का प्यार, पंजाब की हर जमीन पर और देश में भी लड़ेंगे। इन शब्दों के साथ में आभारी हूं कि आपने मुझे जो समय दिया है।

श्री अध्यक्ष--

संत लोंगोवाल जी की हत्या किस वक्त हुई जब वह ग्रन्थ साहब के सामने सिर झुकाये हुए थे। यह कौन मजहब सिखाता है ऐसी सूरत में, ऐसे वक्त काम तमाम हुआ। एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसमें 3 हस्तियां थीं माननीय प्रधान मन्त्री जी, माननीय लोंगोवाल जी, माननीय अर्जुन सिंह जी, पंजाब के राज्यपाल। जिस दिन से यह समझौता हुआ था, उग्रवादियों की नजर में ये तीनों हस्तियां खटक रही थीं। क्या कसूर था बाज वक्त सोचना पड़ता है, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, जान से सस्ती कोई चीज नहीं है। जहां भी आप देखें, लोग गोली के शिकार बनाये जाते हैं। क्या कसूर था उनका उन्होंने झंडा बुलन्द किया था, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और शान्ति का। पंजाब में, जिसमें आग लगी हुई थी, उसके खिलाफ उन्होंने झंडा उठाया था और आज उनके उठ जाने से एक गम्भीर सवाल हो गया है कि आज पंजाब फिर उसी रास्ते पर जायगा या शान्ति और विकास के रास्ते पर जायगा। जो बलिदान उन्होंने दिया है, अकेले उन्होंने हिम्मत से समझौते पर दस्तखत किये हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कुछ साथी उनके झिझक भी गये थे। लेकिन उन्होंने पंजाब और देश को बचाने की खातिर अपना बलिदान दे दिया।

आपने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपकी संवेदनायें उनके परिवार तक

पहुंचायी जायेंगी। आइये, हम सब दो मिनट का प्रतीक मौन रखें। खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिय अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए।)

प्रश्नों के सही उत्तर न दिये जाने तथा समयाभाव के कारण सभी प्रश्नों के उत्तर सदन में न आपाने के सम्बन्ध में व्यवस्था तथा औचित्य के प्रश्न

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कभी भी 8-10 से ज्यादा तारांकित प्रश्न लगते नहीं हैं। तारांकित प्रश्न इसलिये लगते हैं कि उनका उत्तर मिल सके। आज 6 ही आये हैं। तो आप जो रोज 20-20 की श्रेणी बना कर रखें और उत्तर न आवे तो इसकी व्यवस्था करें। इतने समय में 10 प्रश्न भी पूरे नहीं होते हैं, क्या होगा? यह पूरे प्रदेश के भविष्य के सम्बन्ध में प्रश्न था, आठ नम्बर पर है, यह आज आया नहीं। नियम 49 में यदि चर्चा मांगे तो 24 तारीख के बाद होगी।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इसी को बल देना चाह रहा हूं। जो प्रश्न तारांकित में आ जाते हैं, उनके अलावा जो अतारांकित होते हैं उनमें भी हम यही उम्मीद करते हैं कि सही उत्तर आयेंगे। लेकिन होता क्या है? अल्पसूचित तारांकित के भी सही जवाब नहीं आते हैं, 35 मिनट तक प्रश्न डिस्कस हो रहा है। एक सवाल के बारे में आप मुतमइन हो गये कि कैंसिल होना चाहिये तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा सवाल जो 35 मिनट तक बहस में रहे, वह 5 मिनट में ही स्थगित कर दिया जाये? मेरा 12 वां सवाल था, मैं समझता हूं कि मेरे जनपद के लिये उसका डिस्कशन जरूरी था, लेकिन मैं प्यासा रह गया, मेरा जनपद प्यासा रह गया। ऐसे सवाल जो तारांकित हैं, उनका निश्चित नम्बर तय हो जाना चाहिये चाहे 12.20 हो जाय या 2.20 हो जाय, यह तय हो जाना चाहिये कि अमुक नम्बर तक के सवाल डिस्कस किये जायेंगे, जो न आ पायें उनको या तो नियम 49 में ले लें या कोई और व्यवस्था करें जिससे हमारा जो सवाल पूछने का अधिकार है, लोगों को न्याय दिलाने का अधिकार है, उस पर अंकुश न लगने पाये। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सरकार पर अंकुश लगा पायें? सरकार की नीयत साफ नहीं है कि प्रश्नों के जवाब दिये जायें, वे चाहते हैं कि फिजूल जवाब देकर वक्त खत्म कर दिया जाया करे। यह एक अहम सवाल है, मुस्तकिल इस सत्र में यह साजिश की जा रही है कि बहस लम्बी चले और ज्यादा सवाल सदन में न आने पायें ताकि सरकार की पकड़ न हो सके। मेरी मांग है कि या तो प्रश्नों का समय ही समाप्त कर दें या प्रश्नों के सही जवाब दिलायें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है प्रश्नों के सम्बन्ध में। चीनी उद्योग के सम्बन्ध में प्रश्न था, माननीय मन्त्री जी जवाब दे रहे थे। जवाब कैसे दे रहे थे, उसका अहसास आपने किया हमने भी किया। माननीय सिंचाई मन्त्री हस्तक्षेप करने के लिये खड़े हो गये, उन्होंने कहा कि चूंकि यह तथ्य फाइल में नहीं है, इसलिये बताना मुश्किल है। हम चाहे जो भी प्रश्न पूछते हैं सम्बोधन करते हैं कि क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे..या क्या सरकार बतायेगी..," फाइल में क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है। माननीय मन्त्री जी के सामान्य ज्ञान, कुशलता और विद्वता का इससे परिचय मिलता है। इस प्रकार से टालना कि फाइल में नहीं है इसलिये जवाब नहीं दे सकते, कहां तक उचित और जनतांत्रिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है ? इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री लक्ष्मी नारायण--

मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या 44 है। यह एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है । ये मेरे पास आये और इन्होंने कहा कि शिकायती-पत्र खो गया है, मैंने फोटोस्टेट कापी दे दी । फिर वे इसी इतवार को पहुंचे और कहा कि वह भी खो गयी है । आज जो उत्तर दिया गया है उसमें मेरे प्रश्न का पूरे का पूरा उत्तर बना दिया गया है और नीचे लिख दिया है कि मुख्य अभियन्ता को जांच करने के आदेश कर दिये हैं । मान्यवर, मैंने उन्हें इतवार को कापी नहीं दी क्योंकि मैं मथुरा में था और कापी लखनऊ में रखी थी। मान्यवर, आप कम से कम ऐसी व्यवस्था तो दें कि जो सरासर उत्तर गलत आ रहे हैं, जब उनके पास मेटीरियल ही नहीं था तो फिर उत्तर कहां से आ गया, काहे कि वे जांच कर रहे हैं ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसकी नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा करा दें ।

श्री मैनेजर सिंह--

अध्यक्ष जी, मैं भी आपका ध्यान प्रश्नों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । आपकी चिन्ता प्रश्नों के संबंध में स्वाभाविक है जो प्रश्न सीधे किये जाते हैं उनके उत्तर सरकार की तरफ से सीधे नहीं मिलते हैं और न इस सम्बन्ध में आपका ही संरक्षण प्राप्त होता है । आप भी मंत्री लोगों को नहीं पकड़ते हैं । इसीलिये इसमें समय बहुत लगता है । मैं दो-तीन उदाहरण इस संबंध में आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं । आज ही जब सिंचाई मंत्री जी उत्तर दे रहे थे माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा पूछे जाने पर 1982-83 में जलप्लावन फैजाबाद में छूट दी गयी थी ? यदि दी गयी थी तो क्या उसी तरह से 1984-85 में होने वाले जलप्लावन पर भी क्यों नहीं दी गयी ? सिंचाई मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि उसको नहीं देने का क्या कारण है । मान्यवर, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं आया मंत्री जी बराबर उत्तर को टाल रहे हैं । ऐसे ही सुब्रमणियम धान घोटाला कान्ड के सम्बन्ध में मुझे अभी तक सही उत्तर नहीं मिल पाया । मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था जिस दिन आपने निर्णय दिया उस दिन दुर्भाग्य से मैं सदन में उपस्थित नहीं था । मैंने उसे अल्पसूचित रूप में दिया, आपने कृपा करके उसे स्वीकार भी कर लिया लेकिन सरकार ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया कि चावल की रिकवरी कम की गयी । इसमें 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ रिकवरी की यह कमी का निर्णय स्वयं सुब्रमणियम ने लिया न मंत्री जी की स्वीकृति प्राप्ति की और न वित्त विभाग की सहमति ली गई और मंत्री जी कहते हैं कि शासन ने इस पर निर्णय ले लिया क्या यह प्रदेश शासन की जागीर है कि जो चाहे शासन निर्णय कर दे ? शासन को भी निर्णय लेने के कुछ नियम हैं । कुछ प्रक्रियायें हैं जिनके अनुरूप ही वह निर्णय ले सकता है, उसके विपरीत शासन को आचरण करने का कोई अधिकार नहीं है ।

यदि आप स्पष्ट उत्तर नहीं दिलवायेंगे तो ये प्रश्न बार-बार आते रहेंगे किसी न किसी नियम के अन्तर्गत, चाहे नियम 301 में चाहे नियम 49 में, चाहे नियम 56 में यह बराबर आते रहेंगे और इस तरह से सदन का समय जाया होता रहेगा । और समय का दुरुपयोग होता रहेगा । क्या आप इस पर व्यवस्था देंगे कि माननीय मंत्री शासन की ओर से सीधे उत्तर दिया करें । जहां तक राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का आज ही सवाल था कि वह फटा हुआ फहराता रहा राज भवन में मंत्री जी ने उत्तर दिया ऐसे साधारण ढंग से कोई साधारण घटना हो । उनकी साईकिल का झण्डा फट गया हो ऐसे हल्के ढंग से उत्तर दिया गया। जब सही उत्तर नहीं आते हैं तो बार-बार आपके आसन की ओर ध्यान जाता है और कहना पड़ता है ।

जब हम लोग इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं तब आप गुस्से में कहते है कि आप बैठ जाइये यह बात नहीं है, आपको उचित व्यवस्था देनी ही चाहिये ।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आज मेरा प्रश्न तारांकित संख्या 8 में था। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें किसानों के लिये नीति का मामला है। किसानों को चाहे एक पानी मिला या दो पानी मिले, लेकिन उन्हें पूरी फसल की सिंचाई का कर देना पड़ता है। क्या यह न्यायोचित है ? नहीं मान्यवर, समय समाप्त हो गया। मेरा अनुरोध आप से है कि आप नियम 49 के तहत चर्चा शीघ्र करा लें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जिन माननीय विधायकों के सवालात आते हैं, उनका सही जबाब नहीं दिया जाता है और लापरवाही की जाती है। मैं यह शिकायत कर रहा हूं कि मैंने जितने सवालात दिये हैं उनके जवबात नहीं आ रहे हैं। मैं आज प्रश्न कक्ष में गया और मैंने मालूम किया कि हमारे सवालात का जबाब क्यों नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि हम क्या करें सरकार उन का जबाब देने से कासिर है। जब सरकार हमारे सवालात का जबाब नहीं दे सकती है तो जो हकूक हमारे हैं इन सवालात के सिलसिले में हमारे हकूक की हिफाजत करें और सरकार से हमारे सवालों के जबाबात दिलवावें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालात जो कि हमारे जिले के सम्बन्ध में हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में हैं, उनका आज तक जबाब नहीं आ रहा है। प्रश्न किये गये हैं और जबाबात नहीं मिल रहे हैं तो यह सरकार की कितनी लापरवाही है। हमारे सवालात का जबाब न देना इस बात की निशानदेही करता है कि सरकार हमारे सरकार सवालात का जबाब देने से कासिर है और दूर भाग रही है। अगर ऐसे हालात हैं और सरकार काम नहीं चला सकती है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जो सवालात हम लोगों ने किये हैं या जो सवालात यहां आते हैं उनका जबाब ठीक नहीं आता है, उनके मुकम्मिल जबाबात दिये जांय। ऐसा न करने से सदन का समय खराब होता है और आधा-आधा घन्टा तक लग जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चहता हूं और इस बात की इल्तजा करता हूं कि सरकार को आप इस किस्म की हिदायत करें कि हम लोगों के सवालात जो कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए हैं और सरकार उनका जबाब नहीं दे पा रही है। टाइम भी कम रह गया है 24 तक आप हाउस चला रहे हैं। और मैंने इतना महत्वपूर्ण सवाल किया है जो उत्तर प्रदेश की पोल खोल देगा। आप हमारे हकूक की हिफाजत करें और इस बात का यकीन करायें और मुख्य मंत्री जी से कहें कि वह अपनी नीति व पालिसी को बदले जो हम लोगों के साथ लापरवाही की जा रही है और सरकार जबाबात नहीं दे पा रही है इसके लिये आप आदेश दें।

*श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, तारांकित प्रश्न 16 का एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, वीर बहादुर सिंह जी उद्योग मंत्री रहे हैं चुनार सीमेन्ट उद्योग है, यह एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है। उससे सीमेन्ट डस्ट निकलती है। यह उत्तर जो आया है, पूरा का पूरा गलत आया है इसमें न किसी तरीके से मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर लगाया गया है न इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर संयंत्र लगाया गया है। कहते हैं कि वृक्षारोपण करेंगे जबकि वहां के हार्टीकल्चर इन्सपेक्टर को हटा दिया गया है। वहां के लोग प्रदूषण से ग्रस्त है। यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है सीमेन्ट का कारखाना चुनार का। इसमें नियम 49 में चर्चा चाहता हूं, लिखकर भी दे दूंगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत सूचना जो थी उसमें तीन श्री विक्रमादित्य पाण्डेय श्री सत्यपाल सिंह श्री शारदा प्रताप की इसी विषय पर सूचना है तो मैं उनको भी सुनना चाहता हूं ताकि वे साफ-साफ उत्तर दे सकें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय सदस्यों का जो संवैधानिक अधिकार है, उसका अपहरण हो रहा है ।

....श्रीमन्, आप नियमावली के पृष्ठ 16 को देखें,

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 301 के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, क्या नियम 301 बाद में लिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

इससे सम्बन्धित था इसलिये ले लिया, फिर 30 ले लूंगा ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, नियम 26, 27, 28 का अवलोकन करें । उनमें बतलाया गया है कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्यओं को अल्प सूचित तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने रखेंगे । श्रीमन्, कृपया नियमावली के पृष्ठ 18, 19 के नियम 29 एवं 30 का अवलोकन करें जिसमें आपने व्यवस्था की है कि एक दिन में कितने अल्प सूचित, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । अभी माननीय सदस्य ने इसी सम्बन्ध में कहा है कि 12 जुलाई से सदन चल रहा है और किसी दिन जो आपका मानक है उसके अनुसार प्रश्न नहीं लिये गये और उनका उत्तर नहीं दिया गया । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्नों के समान हैं, दोनों में किसी तरह का भेद नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिसमें तारांकित प्रश्न पर हम पूरक प्रश्न कर सकें । आप ऐसी व्यवस्था करें कि हमारा यह अधिकार कि नित्य 20 तारांकित प्रश्न का पूरक प्रश्न करके उत्तर से संस्तुष्ट हो सके, बना रह सके ।

मान्यवर, यह बजट सत्र चल रहा है । जो कार्यसूची है वह हमारे सामने है । आपने लिखा है कि 11 बजे से प्रारम्भ होगा और कहीं पर यह नहीं लिखा है कि इसका अंत कब होगा । मेरी दृष्टि से इस तरह की व्यवस्था इसलिये की गयी है कि 11 बजे से प्रारम्भ होगा और जबतक कार्य सूची चलती रहेगी, तब तक यह सदन चलता रहेगा । बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर साल में एक बार बोलने का अवसर मिलता है, चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हो । अब बजट पर चर्चा होती है तो तमाम सदस्य दोनों पक्ष के खड़े हो जाते हैं । हमने क्या दोष कर दिया है कि खड़े होकर भी अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहते हैं, लेकिन आप इंगित कर देते हैं कि बैठ जायं आप ही बतावें यदि हम अपनी एवं क्षेत्र की बात सदन में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे ? हममें क्या दोष है कि आप हमें सदन में बोलने नहीं दे रहे हैं ? कृपया ऐसा न करें, मैं अपनी आप-बीती बात बता रहा हूं । कल नगर विकास का बजट था । मैं बलिया विधान सभा क्षेत्र से चुन कर आया हूं । जहां एकमात्र बलिया नगर पालिका है, मैं कई बार निवेदन किया कि दो मिनट बोलने का मौका दे । सारा प्रयास किया परन्तु अधिष्ठाता महोदय ने कहा कि नहीं मिलेगा । मान्यवर, एक ही तरीका था कि मैं इसका विरोध करते हुये बाहर चला जाऊं । जब आपने कहा है कि सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और जब तक कार्य समाप्त

न हो जाये, तब तक सदन चलता रहेगा, तो कोई कारण नहीं है कि सत्तापक्ष के निर्देश पर कि समय बहुत हो रहा है, क्या 10 बजे रात्रि तक चलायेंगे, और सदन बन्द हो जाये, यह ठीक नहीं है। श्रीमन्, रात भर चलाने की व्यवस्था है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन को वर्ष में 90 दिन तक चलने की व्यवस्था है, मैंने जानकारी की है कि वर्ष 1982 में 50 दिन, 1983 में 48 दिन और 1984 में 45 दिन सदन चला है। श्रीमन्, एक ओर समय के अभाव में माननीय सदस्य अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और दूसरी ओर यह सदन पूरे वर्ष निश्चित समय तक नहीं चलता, सदन 'हां' और 'नहीं' आज तक नहीं है, कि आप दिन भर बैठाये और सायंकाल कह दे कि 'हां' का बहुमत है और 'ना' का अल्पमत है। अतः बजट पास किया जाता है। श्रीमन्, इस तरह की बात होती रहेगी तो एक दिन ऐसा न आ जाये कि 'न' अल्पमत में है, परन्तु बात हमारी होगी 'हां' की बात नहीं मानी जायेगी, श्रीमन्, ऐसी परिस्थिति न आवे इसे आप बचावे। जो सदस्य का अधिकार है कि अपने क्षेत्र की बात आपके सामने रखे और आप उसे सुनने का अवसर दें। और आप ऐसी व्यवस्था करें कि वर्ष में जो 90 दिन सदन चलने की बात है वह कम से कम 90 दिन अवश्य चले।

(समय 1 बज कर 30 मिनट)

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी कोई प्रोबलम आती है तो हम यह कहते हैं कि हमारी प्रदेश इंग्लैंड से भी बड़ा है, आबादी आस्ट्रेलिया से भी अधिक है। यह अच्छी बात है। इंग्लैंड डेमोक्रसी की मदर कंट्री है—मातृभूमि कही जाती है। मान्यवर, उसके इतिहास को देखें कि वहां पर हाउस आफ कामन्स लगातार चलता है। केवल होलीडेज में ही बन्द रहता है और वर्ष भर चलता है। हम जिस कांस्टीट्यूशन को इंग्लैंड से लेते हैं उसकी अधिकांश बातों को हम जहां से लेते हैं। अतः उसकी अच्छाइयों को भी ले, उनकी समस्यायें उतनी नहीं हैं, जितनी हमारी हैं बल्कि उनसे ज्यादा हमारी प्रोब्लेम हैं। यह 12 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। अतः समस्यायें सुनने के लिये इस सदन को भी अधिक दिन चलना चाहिये। मान्यवर, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उसके अधिकार विशाल हैं। जो बात आप कहते हैं उसे 12 करोड़ जनता शांति से सुनती है लेकिन आपने मुझे कल खड़ा होने का मौका नहीं दिया और आपने इस प्रदेश को हां और ना के नाटक में रखा और बहुमत से आपने बजट पास करा लिया। इसलिये मैं समझता हूं कि जो हमारे जनतांत्रिक अधिकार हैं उनका आज अपहरण हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं तीन चीजों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि आप तारांकित और अतारांकित प्रश्नों में जो विभेद है, उसको बनाये रखें। दूसरी बात यह है कि यह सदन 11 बजे से प्रारम्भ होता है लेकिन उसका अन्त तब तक न किया जाय जब तक कि उसका उस दिन का सारा कार्य समाप्त न हो जाय। यह कार्य-सूची पर निर्भर करता है। उसकी व्यवस्था रखी जाय। तीसरी बात यह कि नियम के मुताबिक यह सदन वर्ष में कम से कम 90 दिन अवश्य चले।

मान्यवर, एक बात छूट गई। बहुत से तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में यह लिख कर आता है कि वह 13वें मंगलवार को सुना जायेगा। मैं जानता हूं कि आज के तीन दिन के बाद यह असेम्बली बन्द होने वाली है। यह क्या नाटक हो रहा है? मेरे प्रश्न का उत्तर 13वें मंगलवार को आयेगा जब यह सदन नहीं चलेगा। यदि ऐसी बात है तो आप अपने कार्यालय को निर्देशित कर दें कि जितने दिन तक सदन चलने

वाला हो और जितने प्रश्न उसके अन्दर आते हैं। उनको ही रखा जाय। 14वें, 15वें और 16वें मंगलवार की बात न की जाय। इस तरह की बात करके आप हमारे अधिकारों का अपहरण कर रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं। इसलिये मैंने यह औचित्य का प्रश्न दिया है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे अधिकारों की रक्षा हो सकें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों ने जो प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं। प्रश्नों के उत्तरों की बहुत विस्तृत प्रक्रिया है नियमों के अन्दर....

(व्यवधान)

....(श्री शारदा प्रताप के खड़े होने पर)।

आप भी कुछ कहना-चाहते हैं।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, अगर आपके द्वारा हम लोगों को संरक्षण नहीं मिलेगा तो मान्यवर, सरकार में बैठे हुये लोग हम लोगों के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर नहीं देंगे और जो हमारे क्षेत्र की समस्यायें हैं उनको हम सदन के सामने रख नहीं पायेंगे। मान्यवर, दूसरे बुधवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 21 जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अधूरा दिया। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में लिफ्ट परियोजना चल रही है जिसमें 3 पंप नहरें हैं। मैंने प्रश्न किया था इनके बारे में। लेकिन मंत्री जी ने केवल 2 का ही हवाला दिया। जो तीसरी बरवलिया पंप नहर है जिसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी को 10 मई को पत्र भी लिखा था, उस पंप नहर के सम्बन्ध में बहुत भ्रष्टाचार किया गया है। मान्यवर बरवलिया पंप नहर जहां पर बनी हुई है वह बरवलिया गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर बनी है। वहां पर मोनापुर गांव है जो उसके पास ही है। इसलिये उसका नाम बदलना चाहिये। इस लिफ्ट पंप के जो अधिकारी हैं वह उसे अपनी भैंस के रूप में मानते हैं और कहते हैं कि यह तो हमारी भैंस है। मान्यवर, जो न ब्याती है और न गाभिन होती है और उनको दूध देती है। इस पंप नहर में इतना भ्रष्टाचार है इसी लिए उसका उत्तर नहीं आया और उसका माननीय मंत्री जी ने नाम नहीं दिया इसमें मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाय।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैंने भी प्रश्नों के सम्बन्ध में दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

शांत रहें।

*श्री सत्यपाल सिंह--

नियमावली के नियम 45 और 46 का उल्लेख करते हुए मैंने लिख कर दिया है। यह सत्र 12 जुलाई से हुआ मैंने इसमें करीब-करीब 73 प्रश्न दिये उसमें अधिकांश प्रश्न तारांकित थे और 10 प्रश्न अल्पसूचित दिये थे। नियम 45 में आपको अधिकार है कि किसी भी प्रश्न का वर्ग बदल सकते हैं। नियम 45 में वह दिया है कि अगर प्रश्न स्वीकार होने के काबिल नहीं है तो हमें सूचना दी जायेगी। अभी तक जितने प्रश्न अस्वीकार हुए हैं उसमें केवल 6 के विषय में आपकी तरफ से लिख कर मिला है कि अमुक कारण से स्वीकार नहीं हो सके। खासकर जो हमारे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न थे वे एक भी स्वीकार नहीं हुए और जो तारांकित प्रश्न थे वे अतारांकित कर दिये गये। मैं नियम 46 पढ़ रहा हूं उसमें लिखा है अध्यक्ष किसी अल्पसूचित प्रश्न को तारांकित या अतारांकित प्रश्न में तथा किसी तारांकित प्रश्न को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतारांकित प्रश्न में परिवर्तित कर सकेंगे ।

परन्तु अध्यक्ष यदि उचित समझे तो तारांकित प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से अपने प्रश्न को इस वर्ग में रखने का कारण संक्षिप्त रूप से बताने के लिये कह सकेंगे और उस पर विचार करने के उपरांत अध्यक्ष निदेश दे सकेंगे कि प्रश्न को उस वर्ग में रखा जाय ।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे जो प्रश्नों के वर्ग में परिवर्तन किया गया है और जो भी आपके कार्यालय से प्रश्न के विषय में परिवर्तन किया गया है उसमें हमसे नहीं पूछा गया कि कारण बताये कि यह प्रश्न अल्पसूचित में क्यों रखा जाय अथवा तारांकित में क्यों रखा जाय ? बगैर कारण बताये ही, बगैर हमारी जानकारी के हमारे सारे प्रश्न अतारांकित कर दिये गये । इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है इसलिए आपका संरक्षण चाहिये क्योंकि हम किसी भी प्रश्न में अनुपूरक नहीं कर सकेंगे और सरकार ने जैसा चाहा सही या गलत जवाब दे दिया । अब हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि जो अतारांकित रूप में हमें प्रश्नों का जवाब मिला है उनसे हम यदि संतुष्ट नहीं हैं तो फिर से प्रश्न करें यानी जब आगे सत्र होगा तब मौका मिलेगा । मैं समझता हूं कि उसका कारण यह है कि आप स्वयं सब प्रश्नों को नहीं देख पाते हैं इसलिए अपने आफिस को यह निर्दिष्ट करने की कृपा करें कि जो प्रश्न जिस शृंखला में आते हैं उनको उसी में स्वीकार होना चाहिये। हमें अफसोस है कि एक भी अल्पसूचित स्वीकार नहीं हुआ और जो 35 तारांकित दिये थे उनमें सिर्फ 4 तारांकित स्वीकार हुए बाकी अतारांकित हैं जिनका सरकार से उल्टा सीधा जवाब दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

जो विषय माननीय सदस्यों ने उठाया है उसमें जो हमारे कार्यालय के सम्बन्ध में है वह आप सदन में न उठायें ।

(श्री जगदीश नरायन के खड़े होने पर) क्या आपका भी कोई प्रश्नों के सम्बन्ध में है ।

श्री जगदीश नरायन--

प्रश्नों के सम्बन्ध में मान्यवर, उधर से भी और इधर से भी शिकायत है । मान्यवर, पिछली सातवीं विधान सभा में भी मैं जब सदस्य था तो 5-6 बार प्रश्न दिये लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया और इस बार भी 3-4 प्रश्न दिये लेकिन उनकी न तो अस्वीकृति होने की सूचना मिलती है और न सदन में प्रश्न आते हैं । इसलिये निवेदन है कि इसको आप दिखवा लें ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, 31 जुलाई, 1985 को मेरा प्रश्न अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आया, लेकिन मुझे 30 जुलाई की रात तक पता नहीं चला कि कल मेरा प्रश्न है । सुबह 31 को मैं यूनिवर्सिटी चली गयी क्यों कि कुछ काम था उस समय सुबह आठ बजे एजेण्डे के साथ प्रश्न भी मिला और 11 बजे यहां नहीं पहुंच पायी । तो हमको कहना है कि यदि हमारा प्रश्न है तो वह पहले मालूम होना चाहिए, इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है ।

इलाहाबाद के मंझनपुर में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दुकानों के निर्माण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत आज 33 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिसमें 8 को स्वीकार किया है। श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी 2—श्री शारदा नन्द अंचल, 3—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, 4—श्री बाबू राम यादव, 5—श्री अब्दुल वहीद कुरेशी, 6—श्री हृदय नारायण दीक्षित 7—श्री हरेन्द्र सिंह और 8—श्री राम सागर।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर में स्पेशल कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत विगत वर्ष एवं इस समय भी जो दुकानें निर्माण की जा चुकी हैं और इस समय भी करायी जा रही हैं वे सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा मनमाने ढंग से बनवायी गयी हैं जिसमें अनेकों अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। दुकानें निर्जन स्थल में बनायी गयी हैं। रद्दी सामानों का उपयोग किया गया है। मेरे विरोध करने पर भी यह कार्य किया गया, विधायकों के प्रभाव को ताक पर रख कर एक एक स्थानों पर 20–25 की संख्या में दुकानों का निर्माण कराया गया है। जहां तक एक आदमी को भी दुकान चलाना मुश्किल है।

अतः मैं आपसे मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में निर्मित पूर्व एवं वर्तमान दुकानों का उच्चस्तरीय जांच करायी जाय जिससे लाखों रुपया का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष—

यदि सभी माननीय सदस्य सहमत हों तो शेष सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

श्री राम आसरे वर्मा—

जितनी सूचनाएं आयी हैं, जिनको पढ़ना है उनको पढ़ा हुआ मान कर कार्यवाही के लिये भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो कार्यवाही के लिये अवश्य जायेगी।

चयनपुर गुलौरा पम्प नहर क्षेत्र सीयर, बलिया से ट्रांसफार्मर हटाये जाने से किसानों में क्षोभ व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा नन्द अंचल—

[मान्यवर, नलकूप विभाग द्वारा संचालित चयनपुर गुलौरा पम्प नहर क्षेत्र सीयर, जिला बलिया के विगत मार्च से बन्द होने के कारण पानी न मिल पाने की स्थिति से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। तथा रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। ऐसे लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में आपके माध्यम से लाकर उक्त आसन्न तनाव पूर्ण समस्या का तुरन्त कार्यवाही द्वारा समाधान चाहते हुए बिजली विभाग, नलकूप विभाग तथा किसानों के बीच पैदा हुए तनाव को समाप्त कराना चाहता हूं।

मान्यवर, नहर से बिजली विभाग के इंजीनियरों ने एक सेठ की लालच की साजिश में आकर मार्च 85 में

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1,000 के0 वी0 का ट्रान्सफारमर सेठ कोल्ड स्टोरेज बलिया में उठवाकर लगवा दिया चूंकि नहर आम किसानों के हित में है और कोल्ड स्टोरेज सेठ का है। इसलिये इंजीनियर को भारी रकम सेठ ने दिया।]

मान्यवर, इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन में आपके माध्यम से प्रस्तुत कर अविलम्ब चर्चा एवं तुरन्त शासन द्वारा लोक हित में कार्यवाही की मांग करता हूं।]

डुमरियागंज, बस्ती में अधिवक्ता संघ द्वारा किये गये हड़ताल एवं धरना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[मान्यवर, अधिवक्ता संघ डुमरियागंज, जनपद बस्ती में दिनांक 16-8-85 से डुमरियागंज में मय मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत की स्थापना किये जाने की मांग को लेकर हड़ताल और धरना दे रहा है और उनका यह प्रस्ताव है कि 23-8-85 के बाद जनतांत्रिक ढंग पर जनता के सहयोग से सड़क पर प्रदर्शन करने व सड़क जाम करने की कार्यवाही करना। इससे हजारों मुकदमा लड़ने वाले गांव के गरीब लोग चकबन्दी दफ्तर और तहसील का चक्कर काट रहे हैं और इससे लोगों में परेशानी उत्पन्न हो गयी है। जब डुमरियागंज में शासन ने तय कर लिया था कि मुंसिफ अदालत खोल दी जायेगी तो फिर मकान कार्यालय का बहाना बनाकर अदालत का खोलना डुमरियागंज की जनता के साथ धोखा व विश्वासघात है। और मैं बराबर इसकी मांग करता चला आ रहा हूं। मैं माननीय सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि डुमरियागंज के अधिवक्ता संघ की मांग जो जायज व जनहित में है मानकर अपने इस वसूल का सबूत दे कि न्याय निर्धन के घर पहुंच सकता है। यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया और प्रदर्शन धरना व घिराव से यदि कोई अप्रिय घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।]

नोट—[ ] वह अंश पढ़ा हुआ माना गया,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम तखरऊ, तहसील करहल, मैनपुरी के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के कृषकों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू राम यादव—

[मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ग्राम तखरऊ, तहसील करहल, जनपद मैनपुरी की 1500 बीघा भूमि हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की थी जिसे एक संगठित धोखाधड़ी वाले गिरोह ने हड़प लिया है। इस भूमि को न तो ग्राम समाज द्वारा पट्टे दिये गये और न किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की गयी लेकिन खतौनी में कुछ लोगों के नाम 1500 बीघा भूमि फर्जी तौर पर दर्ज कर दी गयी जिस पर न दर्ज करने का आदेश है और दर्ज करने वाले के न कहीं हस्ताक्षर हैं। इस पर जांच कराई गई और सम्पूर्ण प्रविष्टियां अनियमित पायी गयीं। कुछ समय के लिए यह सम्पूर्ण प्रकरण चुपचाप दबा दिया गया है और अब पुनः चकबन्दी में उस जमीन को चुपचाप लिया जा रहा है जिससे इस ग्राम के हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग प्रभावित होंगे। इस जमीन को हड़पने के लिए अधिकारियों को डेढ़ लाख रुपया दिया जा चुका है। यदि अतिशीघ्र इस सम्पूर्ण

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक न लगाई गयी तो निश्चय ही इस जमीन पर उक्त लोगों के चक बना दिये जायें और वहां के गरीब हरिजन लोग भूखों मरने को मजबूर होंगे ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि शीघ्र ही इस भूमि को हड़पने की प्रक्रिया को रोका जाय और इस कार्य में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के साथ कठोर कार्यवाही करने की कृपा की जाय ।]

सरधना खादी सेन्टर, मेरठ में हथकरघा एवं पावरलूम के संचालन हेतु नियमित रूप से विद्युत् आपूर्ति की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी—

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

सरधना खादी का प्रदेश का एक बहुत बड़ा केन्द्र है वहां हथकरघा तथा पावरलूम की (असंख्य) इकाइयां दिन रात कार्य करके प्रदेश की औद्योगिक उन्नति तथा कपड़े में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का अथक प्रयास कर रही हैं । जिससे बुनकर तथा पिछड़े वर्ग तथा हरिजन के मजदूर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं किन्तु शासन के ऊर्जा विभाग की उदासीनता के कारण, ऊर्जा विभाग के शासनादेश के अनुसार अभी तक बिजली न देकर कुछ ही समय के लिए उन्हें बिजली दी जाती है, जिससे बुनकर बेकार हो जाते हैं तथा बिजली न आने से इनका असर गरीब मजदूरों पर पड़ता है ।

मैं, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि शासन को निर्देश दिया जाय कि पावरलूमों को नियमित रूप से पूरे समय बिजली दी जाय ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखनऊ—कानपुर मार्ग पर चलने वाली बसों को उन्नाव के मध्य से गुजरने के आदेश का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नारायण दीक्षित—

[अध्यक्ष महोदय, राजधानी लखनऊ व प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर के मध्य बस उन्नाव जिला व जिला केन्द्र परिवहन व्यवस्था के मामले में हमेशा अनाथ रहा है, क्योंकि लखनऊ से कानपुर के मध्य आने जाने वाली बसें उन्नाव के भीतर से कभी नहीं जाती । इस सम्बन्ध में जारी उच्च अधिकारियों के आदेश का क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ ।

जनपद के सबसे बड़ी तहसील पुरवा जहां पर माननीय मुंसिफ की अदालत भी है, के लिए गत माह तक लचर बस सेवा के बावजूद प्रातः 6 बजे से लेकर रात 8-40 बजे तक दोनों ओर से आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी । मगर अब इस रूट की सारी बसें कहीं अन्यत्र लगा दी गयी हैं । शहीद राव राम बख्श सिंह के पुण्य स्थल बासर के लिए भी बसों का प्रबन्ध नहीं है ।

जनता में व्याप्त वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश की जानकारी देते हुए आदरणीय सदन के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खतौली, मुजफ्फरनगर के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य सेवाओं की अत्यन्त कमी है। ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जच्चा-बच्चा केन्द्र नहीं है जब कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 42 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए सुलभ करेगा। जब आज की स्थिति यह है कि ग्रामीण अंचलों में कुछ महिलाएं प्रति वर्ष केवल इसलिए मृत्यु को प्राप्त होती हैं कि उन्हें समय पर यह सुविधायें नहीं मिल पाती हैं।

मान्यवर, भारत के संविधान के 47 अनुच्छेद, जो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोगों के स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य के सम्बन्ध में का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जो सेवायें उपलब्ध, है वह पूर्णतः अपर्याप्त हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शाहपुर व खतौली के अस्पतालों का विस्तार किया जाय तथा ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कस्बा सुबेहा, बाराबंकी व इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में हैजे के भयंकर प्रकोप से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*राम सागर--

[अध्यक्ष महोदय, जनपद बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ के कस्बा सुबेहा व उसके पास के गांव में पिछले एक हफ्ते से एक दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु कालरा (हैजा) के प्रकोप के कारण हुई है। तमाम लोग सुबेहा व हैदरगढ़ में प्राइवेट डाक्टरों का इलाज करा रहे हैं। मरने वालों में अधिकांश संख्या छोटे बच्चों की है। लोगों के अनुसार इस प्रकोप में पहले पेट में दर्द पैदा होता है और उसके बाद दस्त आने लगते हैं, जिसके इलाज के लिए सुबेहा व हैदरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं के उपलब्ध न होने के कारण लोगों को जाने गवाना पड़ रहा है। इसी इलाके के सुलेमानपुर गढ़ी मिठहरी के छोटकऊ नामक व्यक्ति के एक ही परिवार के उनके बहिन का सात वर्षीय पुत्र नकछेद उसकी नातिन रामेश्वरी, 5 वर्षीय पुत्र व एक अन्य लड़के की मृत्यु इसी बीमारी के कारन हो गयी। पूरे क्षेत्र में कालरा के प्रकोप और उसमें शासन के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई दवा चिकित्सा उपचार के अभाव में कालरा जैसी भयंकर बीमारियों के फैलने और उसे हो रही तमाम लोगों की मौतों के कारण क्षेत्र की आम जनता में शासन के प्रति क्षोभ निराशा की भावना व्याप्त हो गयी है।

अतः मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन के स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाते हुये बाराबंकी के सुबेहा व उसके पास-पड़ोस

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के क्षेत्र में फैल रहे हैजा के प्रकोप की रोकथाम के लिये तत्काल आवश्यक दवायें उपचार उपलब्ध कराये जाने तथा प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

प्रश्नों के सही उत्तर न दिये जाने तथा समयाभाव के कारण सभी प्रश्नों के उत्तर सदन में न आ पाने के सम्बन्ध में व्यवस्था तथा औचित्य के प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आप देखें मेरा प्रश्न आज तारांकित प्रश्न संख्या 12 है, रामपुर में नई फैक्ट्री मोदी जीराक्स लग रही है, लेकिन उसमें वहां के लोग नहीं लिये जा रहे हैं, चूंकि मुख्य मन्त्री जी के आदेश हैं कि वहां के लोग न रखे जायं । इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदन की यह इच्छा हुई कि कार्यवाही आगे की की जाये, तो सदन तो ऊपर है ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

यह हमारी बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था का सवाल है । 1 घंटा 20 मिनट सवालों के लिए होता है और आज 6 नम्बर तक ही आप पहुंचे हैं...

(व्यवधान)

हम ऐसी आपसे व्यवस्था चाहते हैं, जिसमें हमारी सन्तुष्टि हो जाय और हमारे सवालों का जवाब मिले । यह सवाल इसलिए नहीं किए जाते हैं कि जाबते की कार्यवाही होगी या हम उनके पैम्फलेट छपवाकर अपने क्षेत्र में जनता को बांट दें, बल्कि इसलिए होते हैं कि हम उन्हें इंसाफ दिला सकें । जिसमें इंसाफ नहीं हुआ है, नाइंसाफी हुई है, उसको उठाना और उसका जवाब पाना हमारा अधिकार है । हमारे पास पक्की सूचना है जीराक्स फैक्ट्री को मुख्य मन्त्री जी ने पत्र लिखा है कि इसमें रामपुर के लोगों को नौकरी न दी जाए, नैनीताल के लोगों को दी जाए । यह किया गया है कि नैनीताल के लोगों को ही सारी नौकरियां दी जाएं और वहां के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं । मैंने तो इस बात पर यहां तक कहा था कि आप रामपुर को नैनीताल की एक तहसील बना दीजिए । हमारा सवाल नहीं आ पाया है, केवल 6-6 सवाल हो रहे हैं, हम इससे मुतमईन नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जब सदन की अनुज्ञा हुई कि कार्यवाही आगे बढ़े तो सदन के आगे तो कोई नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

नहीं मान्यवर, यह गलत है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उसका जवाब मिलना चाहिए आपकी ओर से, यह मेरा अधिकार है, मैं कार्यवाही नहीं चलने दूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

आपने इतने माननीय सदस्यों को सुना और इनको हम लोगों को समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप उस पर व्यवस्था देकर सदस्यों के आक्रोश को ठंडा करने का कष्ट करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मोहम्मद आजम खां जिस बारे में कह रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है पिछले सत्र में जब आखिरी उपवेशन था तो जितनी

नियम 301 की सूचनायें आई थीं, आपने उनको पढ़ा हुआ मान लिया था ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

हमारा यह प्रश्न नहीं है भाई । यही नहीं पूरे दिन की कार्यवाही पढ़ी हुई मान ली जाय तो हमें कोई अब्जेक्शन नहीं है किन्तु हमारे सवालों का जवाब पढ़ा हुआ मान लिया जाय, यह नहीं हो सकता है ।

(व्यवधान)

श्री दीप चन्द्र--

25 जुलाई को हमारा प्रश्न 301 में आया था, जिसका अध्यक्ष पीठ से स्वीकार किया गया था, लेकिन अभी तक उसका उत्तर नहीं आया है । 10 जून से श्रमिक क्रमिक अनशन पर बैठे हैं रत्ना शुगर मिल, शाहगंज में और आज 21 अगस्त हो गया है, परन्तु आज तक शासन ने उधर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है । उस मिल पर 46 लाख रुपया गन्ना कृषकों का बकाया है और 56 लाख रुपया श्रमिकों का बकाया है । मेरा आग्रह है श्रीमन्, आपकी पीठ से उनके लिए तत्काल कोई व्यवस्था की जाय । ताकि भुगतान जल्द से जल्द हो सके ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह बताइए आपका हो गया हो तो मैं व्यवस्था दूं । (शान्ति होने पर) प्रश्नों के उत्तर देने के सम्बन्ध में जो नियम हैं, वह काफी विस्तार में हैं । कोई माननीय सदस्य अगर जवाब में सन्तुष्ट नहीं है तो उसके सामने दो ही विकल्प हैं--एक नियम 49 में चर्चा की मांग और दूसरे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया जाए । इसके अलावा यदि आप कुछ चाहते हैं तो आप नियमावली में तब्दीली का नोटिस दे दीजिए । मैं उसे नियम समिति के सामने रख दूंगा । जैसा उसका निर्णय होगा, हो जाएगा ।

दारुलशफा डिस्पेन्सरी में अव्यवस्था होने से सम्बन्धित विषय पर श्री अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मन्त्री के के साथ हुयी वार्ता की जानकारी सदन को दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई थी जिनमें से 3 के बारे में मैंने फैसला दे दिया है । माननीय राजेन्द्र गुप्त जी आपकी डाक्टरों की हड़ताल के बारे में है, आप संक्षेप में अपनी बात कहें ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में आप स्वयं पहल करते हैं या आप निर्देश देते हैं, उन पर भी शासन ध्यान नहीं देता । माननीय फजलुल बारी और माननीय डा० कौशल ने एक महत्वपूर्ण मामला उठाया था विधायक निवास की डिस्पेन्सरी में डाक्टरों की हड़ताल के सम्बन्ध में । माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की थी । उस पर आपने व्यवस्था दी कि आप नेताओं की बैठक बुलायेंगे । बीच में यह जिज्ञासा प्रकट की गयी थी कि नेताओं की बैठक में स्थायी हल नहीं निकल पायेगा, यह तात्कालिक मामला हो गया है तो आपने व्यवस्था दी थी कि चिकित्सा मन्त्री को बुलायेंगे और बात करेंगे । तो चिकित्सा मन्त्री जी से आपकी क्या बातचीत हुई, यह मेरी जानकारी में नहीं है । कक्ष में जो आपकी बात होती है, उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, परि-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नाम यह है कि आज भी विधायक आवास की डिस्पेन्सरी में उसी तरह से हड़ताल है। अब मान्यवर, मेरे मन में शंका पैदा होती है कि कहीं इस मामले में भी, इधर के और उधर के बैठने वालों का भेद तो नहीं किया जा रहा है। विधायकों को चिकित्सा सुविधा जहां मिलती है, उसमें भी सरकार कहीं दलीय स्वार्थ की बात तो नहीं सोच रही है, क्योंकि दुर्व्यवहार करने वाले, नाम मैं नहीं लेना चाहता, वह माननीय सदस्य सत्तारूढ़ दल के हैं और इसलिए शासन कठोरता के साथ इस मामले में विचार करने के लिए तैयार नहीं है। कारण जो भी हों, मेरे मन में शंका पैदा हो रही है। आज भी विधायक निवास की डिस्पेन्सरी में हड़ताल है। डाक्टर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि जब तक उनके ऊपर किए गए .....

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, अभी जो एक बात कही गयी अगर उसके बारे में इसी वक्त नहीं कहा जायगा तो इसका गलत निर्णय हो जायगा। माननीय गुप्त जी ने एक अहम बात कही। आपने कहा कि न इधर का मामला है और न उधर का मामला है, आपने मुकम्मल सत्तापक्ष को कह दिया, आप माननीय सदस्य का नाम लें और वह स्पष्टीकरण करें। पूरे सत्ता पक्ष को कह देना ठीक नहीं मालूम होता। इसलिए मैं कहूंगा कि वह माननीय सदस्य का नाम लें।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

जाहिदी जी ने मेरा मार्गदर्शन किया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं अपनी बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानता हूं और मेरी मान्यता है कि हम विधायकगण जो हैं उनको भी अपनी सीमा के भीतर रहना चाहिये। उनका दायित्व है कि अगर किसी कर्मचारी द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है जो नियमों के प्रतिकूल है तो उसको शिक्षा देने का एक नियम है। लेकिन अपने हाथ में कानून लेकर शिक्षा दें तो इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के हों। यह सत्तारूढ़ दल के एक विधायक का मामला है और सरकार ने इसके महत्व को नहीं लिया यह आरोप मैंने लगाया था। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो चिकित्सा मंत्री जी से आपकी बातचीत हुई है और इसके निस्तारण की जो व्यवस्था हुई है उसकी जानकारी हम चाहते हैं। क्योंकि राजाज्ञा भी निर्गत हो गई है जिसका जिक्र डा० कौशल ने किया था। 4 हजार रुपये की दवाई लेने एक विधायक पहुंच गये। राजाज्ञा में कहा गया है कि अगर कोई डाक्टर इस तरह से दवा देगा तो उसकी तन्ख्वाह से वसूल कर लिया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

तो मान्यवर जो यह अहम मुद्दा दुर्व्यवहार का पैदा हो गया है उस सम्बन्ध में जो व्यवस्था की है उसकी जानकारी करा दें। हम चाहते हैं कि कम से कम दारुलशफा की डिस्पेंसरी चालू हो जाय और डाक्टर पूर्व की तरह हमारी सेवा करते रहें। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, डाक्टर कौशल जी भी कल सत्य से परे बोले और आज राजेन्द्र गुप्त जी भी सत्य से परे बोले। यहां पर श्याम सूरी जो स्वास्थ्य सचिव हैं, वह एम०एल०ए० को चोर बनाये हुए हैं और कहता है कि विधायक जो हैं वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

4-4 हजार रु0 की दवा लेते हैं। किसी ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। सभी डाक्टर मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा कि इस श्याम सूरी के जी0ओ0 के कारण मेरे अपने वेतन से कटौती हो जायगी, इसलिए मैं इस तरीके से कैसे दवा दूंगा, क्योंकि मैं ही चिकित्सक हूं और मेरे ही द्वारा दवा की पर्ची दी जाय, ऐसा नहीं है कि पर्ची भेज कर आप दवा ले लें। अब दारुलशफा का चिकित्सक जो दवा लिखेगा, वह दवा मिलेगी, नहीं तो बलरामपुर या लोहिया अस्पताल रिफर करेगा। [× × ×] यह बात लोकपति जी जैसे स्वास्थ्य मंत्री की नालेज में नहीं है। श्याम सूरी ने एम0 एल0 ए0 की अवमानना जी0 ओ0 निकाल कर किया है। कोई एम0एल0ए0 ने दुर्व्यवहार नहीं किया है। यदि राजेन्द्र गुप्त जी को नालेज में कोई बात हो, तो वह बतावें, कौन एम0 एल0 ए0 ने दुर्व्यवहार किया है ?

श्री राजेन्द्र गुप्त—

नाम तो हमारे पास है, लेकिन देना नहीं चाहता।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, श्री राजेन्द्र गुप्त ने जो प्रश्न उठाया है, वह महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका यह कहना कि चूंकि यह मामला सत्ता पक्ष के विधायक से सम्बन्धित है, इसलिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है, यह निराधार और गलत है। कल सम्बन्धित डाक्टर ने मुझसे मुलाकात किया, उन्होंने कहा दो विधायक एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष का व्यवहार हम लोगों के प्रति ठीक नहीं है, जिसके कारण हम लोग मजबूर होकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। माननीय गुप्त जी ने दलगत बात करके इस महत्वपूर्ण विषय में हल्कापन लाने का प्रयास किया है। मान्यवर, जो सत्ता पक्ष के विधायक की ही बात कही, उसे या तो कार्यवाही से निकाल दिया जाय या सम्बन्धित डाक्टर से इस बात की जानकारी कर लें कि सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा उनके प्रति दुर्व्यवहार हुआ है या विपक्ष के विधायक द्वारा।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में यहां चर्चा न करावें। आप जो हैं, अपने कक्ष में बुला कर बात करके इस पर अपना निर्णय दे दें और व्यवस्था दे दें। इस परक्यों चर्चा करवा रहे हैं, मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय कमाल साहब, मैं आपकी राय से बिलकुल सहमत हूं, जरा पूछिये अपने साथियों से और उधर के भी माननीय सदस्यों से पूछिये।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, निराधार और असत्य बात कहना माननीय गुप्ता जी जैसे सम्मानित विधायक के लिए शोभा नहीं देता। कृपया मात्र सत्ता पक्ष के प्रति जो लांछन लाया गया है, उसको कार्यवाही से निकालने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये।

माननीय राजेन्द्र गुप्त ने जो विषय उठाया है, मैंने कल ही स्वास्थ्य मंत्री जी से कहा है, आज या कल के लिए मैंने उनसे कहा है कि मेरे कक्ष में आ जायें और मैं माननीय राजेन्द्र गुप्त से भी अनुरोध करूंगा कि उस वक्त वह मौजूद रहें, ताकि उस मामले को हल कर दिया जाये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जब आप बुलायेंगे, तो अवश्य ही हम लोग आयेंगे।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष ने आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

बाकी सूचनायें जो नियम 300 के अन्तर्गत हैं, वह मैंने अस्वीकार की हैं ।

जनपद बस्ती में डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत विभिन्न नदियों पर सेतु निर्माण, तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत स्थापित किये जाने तथा राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बस्ती की डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत विभिन्न नदियों पर सेतु निर्माण विषयक श्री राम सुन्दर वर्मा आदि, निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बस्ती की डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत स्थापित किये जाने विषयक श्री महानारायन लाल आदि, निवासीगण डुमरियागंज, जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बस्ती की डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर एक राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री शकील अहमद सिद्दीकी आदि, निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

†छापी नहीं गई ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बरेली में लोक सेवा आयोग एवं सिविल सेवा की परीक्षा हेतु केन्द्र खोले जाने, बरेली-बदायूं राजमार्ग चौपला पर ओवर ब्रिज के निर्माण तथा बरेली महानगर के पुराना शहर क्षेत्र में स्थित बालजन्ती प्राइमरी पाठशाला को उच्चीकृत करके इण्टर कालेज बनाने के सम्बन्ध में याचिका†

*डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बरेली में लोक सेवा आयोग एवं सिविल सेवा की परीक्षा हेतु केन्द्र खोले जाने विषयक श्री राजीव कुमार सक्सेना आदि, निवासीगण बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बरेली-बदायूं राजमार्ग चौपला पर ओवर ब्रिज के निर्माण विषयक श्रीमती प्रभा जौहरी आदि, निवासीगण बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बरेली महानगर के पुराना शहर क्षेत्र में स्थित बालजन्ती प्राइमरी पाठशाला को उच्चीकृत करके इन्टर कालेज बनाने विषयक श्री जगदीश चन्द्र सक्सेना एवम् अन्य, निवासीगण बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

†छापी नहीं गई ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बलिया के ब्लाक चिलकहर के ग्राम औंदी में टोंस नदी पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका†

श्री राम गोबिन्द चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बलिया में ब्लाक चिलकहर के ग्राम औंदी में टोंस नदी पर पक्के पुल के निर्माण विषयक श्री देवेन्द्र नाथ पांडेय, निवासी जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985††

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुर : स्थापित करता हूं ।

---

†छपी नहीं गई ।

††दिनांक 26 अगस्त 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(समय-2 बज कर 3 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

नियम-56 के अन्तर्गत मुझे 25 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । माननीय सरदार सिंह, माननीय शतरूद्र प्रकाश तथा चार अन्य माननीय सदस्य । इनकी सूचना श्री लटूरी सिंह पर हमले के संबंध में है । दूसरी सूचना माननीय गौरी शंकर भइया की है इन्होंने ओबरा में तेल के बजाय पानी की आपूर्ति के संबंध में अपनी सूचना दी है तीसरी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की है । इन्होंने पराग दूध में मक्खी, के संबंध में सूचना दी है । चौथी सूचना श्री मुहम्मद आजम खां की है, इन्होंने रामपुर में हैजे का प्रकोप से संबंधित सूचना दी है । पांचवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह की है, इन्होंने रायबरेली में हरिजनों की हत्या के संबंध में अपनी सूचना दी है । छठी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा आठ अन्य सदस्यों ने दी है, इन्होंने कैंपर रोड स्थित पी० सी० एफ० भवन को गिराने के संबंध में सूचना दी है । सातवीं सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री रघुवर दयाल वर्मा की कताई मिलों में घोटाला । आठवीं श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री महराज सिंह यादव, श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री बाबूराम यादव की इटावा में हरिजनों पर अत्याचार, नवीं श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री जवाहर सिंह, श्री भोपाल सिंह की बिजली में फर्जी बिलों के बारे में, दसवीं श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की प्रदेश में युवतियों की बिक्री, ग्यारहवीं श्री हृदय नारायण दीक्षित की उन्नाव में रोडवेज की बसों में अघोषित किराया वृद्धि, बारहवीं कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की कोच रेलवे लाइन का मामला, तेरहवीं डा० दिनेश जौहरी की मलली में पुलिस द्वारा लोगों की पिटाई, चौदहवीं

श्री मोहम्मन मसूद खां, श्री बलराम यादव तथा अन्य की आजमगढ़ में सूखा, पन्द्रहवीं श्री हर्षवर्धन, श्री विष्णु देव, कुंवर रेवती रमण सिंह वगैरह की उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा, सोलहवीं श्री सूर्य प्रताप शाही वगैरह की इसी सिलसिले में, सत्तरहवीं श्री राम सजीवन की हरिजन विभाग में अनियमित नियुक्तियां, अठारहवीं श्री हरेन्द्र सिंह, श्री भोपाल सिंह वगैरह की मेरठ में पशुओं में महामारी, उन्नीसवीं श्री यदुनाथ सिंह की चुनार तहसील को जनपद बनाया जायं, बीसवीं श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की आई0 टी0 आई0 में प्रवेश की समस्या, इक्कीसवीं श्री राज किशोर सिंह की मथुरा कालेज के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी बाईसवीं श्री बालेश्वर की सब्जी मण्डी के विक्रेता की पिटाई, तेईसवीं श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन ट्रेन में डकैती, चौबीसवीं श्री राजेन्द्र गुप्त की शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार, पच्चीसवीं श्री कौशिक रमाशंकर की लेब टेकनीशियन की हड़ताल ।

जहां तक सूखा का सम्बन्ध है, उसके लिये मैंने दो घंटे की चर्चा निर्धारित कर दिया है । जिस दिन यह चर्चा होगी, जितनी सूचनाएं इस सिलसिले में आयी हैं, वह कृपा कर उस दिन बोल लें । पहली सूचना श्री सरदार सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा 4 अन्य सदस्य की है । मैं अनुरोध करूंगा कि एक व्यक्ति बोल लें तो अच्छा हो ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, एक मिनट में कह दूं । लटूरी सिंह इस सम्मानित विधान सभा के सदस्य रहे हैं, इस समय वह विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य हैं । वह जनपद एटा से चुनकर आते थे । इस समय उनकी जान को खतरा हो गया है और 1985 के चुनाव में हारने के बाद जान को ज्यादा खतरा हो गया है । उनको जो अंगरक्षक उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से दिया गया था उसे वापस ले लिया गया है । इस सम्बन्ध में उन्होंने शासन को, गृह सचिव को और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अवगत कराया है । जनपद एटा के सांसद मोहम्मद महफूज अली खान ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है । चौधरी चरण सिंह ने जो देश के प्रधान मंत्री रह चुके हैं 15 अगस्त, 1985 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर यह कहा कि इस समय लटूरी सिंह की जान को खतरा हो गया है । इस सम्बन्ध में नेता विरोधी दल ने भी अगस्त के प्रथम सप्ताह में एक पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा है । इस समय जो जानकारी मिली है पिछले 10-15 रोज के अन्दर जनपद एटा में उन पर हमले करने के कई प्रयास किये गये और इसी प्रकार की अन्य साजिशें की जा रही हैं । उनके दो साथियों के घरों पर भी डकैती डालकर लूट लिया गया । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह घटना बहुत ही गम्भीर है और इस मामले को लेकर पूरे जनपद एटा में लोगों में असंतोष व्याप्त है और किसी भी समय कोई स्थिति वहां उत्पन्न हो सकती है और उनकी जान जाने का खतरा हर समय बना हुआ है, इसलिए मामले की ग्राह्यता को देखते हुए नियम 56 के अन्तर्गत इसे स्वीकार किया जाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, जैसा कि अभी मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने भूतपूर्व सदस्य, श्री लटूरी सिंह के विषय में बताया कि उनकी हत्या की साजिश बराबर चल रही है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, श्री लटूरी सिंह मान्यवर, इस आदरणीय सदन के तीन बार सदस्य रह चुके हैं, कई बार ब्लाक प्रमुख व प्रधान आदि पदों पर रह चुके हैं और ग्राम पंचायत आदि के सरपंच भी रह चुके हैं । इनका राजनीतिक जीवन

बहुत पुराना है। मान्यवर, कई बार इनकी हत्या के षड़यन्त्र किये जा चुके हैं। इनको चुनाव पेटीशन भी उच्च न्यायालय में चल रहे हैं। मान्यवर, पिछले कई दिनों से विशेषकर लोकदल के साथियों के घरों पर एटा जिले में डकैतियां डलवाई जा रही हैं और उन पर प्राम घातक हमले हो रहे हैं। मान्यवर, ग्राम [illegible]यल थाना पटियाली के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर पर हमला हुआ और उस घर के तीन पढ़े-लिखे लोगों को जान से मार दिया और लूटा भी गया।

मान्यवर, इसी प्रकार से श्री लटूरी सिंह जी पर भी अभी कुछ दिन पूर्व हमला हुआ इन हमलो को देखते हुए सरकार को चाहिए था कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाती लेकिन मान्यवर, उनके घर पर जो सुरक्षा गार्द थी, उसको भी हटवा दिया गया और उन्हें जो अंग रक्षक मिला था, वह भी हटा दिया गया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि श्री लटूरी सिंह को अंग रक्षक दिलवाइये और उनके घर पर गार्द का भी प्रबन्ध किया जाए ताकि उन्हें पूर्ण सुरक्षा मिल सके। मान्यवर, यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का है इसलिए सदन की कार्यवाहीं रोककर इस पर चर्चा कराई जाए और उनके जान माल की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मामले की गम्भीरता को तो मा0 सदस्य सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश और मा0 सरदार सिंह जी ने बता दिया और सभी मा0 सदस्यों को मालूम है कि श्री लटूरी सिंह पर दो बार हमले हुए पहली बार हमला अलीगंज में हुआ, गोली लगी, लेकिन इलाज हुआ किसी तरह से बच गये। यह आपको भी मालूम है। दूसरा हमला मान्यवर, इलाहाबाद, हाईकोर्ट में हुआ और हमला करने वाला पुलिस का एक सिपाही था। इसमें भी वह किसी तरह से बच गये। उसके बाद भी उनकी जान का खतरा आज भी बना हुआ है, जान का खतरा अभी हटा नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास से अंग रक्षक का हटाया जाना और घर की गारद का हटाया जाना कुछ समझ में नहीं आता है। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा भी गया और 17 जुलाई को मैं उनसे स्वंय मिला भी और असामाजिक लोगों को अंगरक्षक दिया गया है। इनकी जान की रक्षा करना सरकार का फर्ज है।

राजनीतिक मतभेद तो बने रहते हैं। लेकिन जान की सुरक्षा का प्रबन्ध करना सरकार का पूरा कर्तव्य है, चाहे इधर के हों या उधर के। मेरे बार-बार कहने पर भी अंगरक्षक नहीं दिया। मुझे अफसोस है कि आपसे कहने के बाद माननीय लटूरी सिंह जी और मैं स्वयं महानिदेशक चतुर्वेदी से मिले। जो लटूरी सिंह जी के चार्ज हैं, वे प्रमाणित हैं। उनके नाम बताये हैं जो हत्या करने वाले लोग हैं, इन्हें बचाया जा रहा है और निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। वहां के लोकदल में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसके घर पर पुलिस ने छापा न डाला हो और जिसे गाली न दी हो, या रेड न करी हो। उनको आतंकित किया जाता है। मेरी डी0 वाई0 एस0 पी0, अलीगंज और इन्सपेक्टर से बात हुई थी। उनसे बात करने के बाद निश्चित रूप से लगा कि ये श्री लटूरी सिंह की हत्या करवा देंगे। मैं यह बात सदन को बता रहा हूं और आपकी भी जानकारी में लाना चाहता हूं। यह बहुत गम्भीर मामला है। एक मामूली सी बात थी कि जो भी आरोप थे और शिकायतें थीं, लटूरी सिंह जी की, शिकायतों पर सी0 आई0 डी0 की जांच करानी चाहिए थी।

दूसरी मांग यह थी कि पुलिस की साजिश से हमला हुआ है तो वहां के डी0 वाई0 एस0 पी0 और इन्सपेक्टर को हटाकर जांच करानी चाहिए थी। फिर तीसरी बात यह है कि इस प्रदेश में न जाने कितने व्यक्तियों को आपने अंगरक्षक दे रखा है जिनके ऊपर अनेक केस चल रहे हैं। श्री लटूरी सिंह जी कई बार इस सदन के सदस्य रहे हैं और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनको भी सरकार एक अंगरक्षक न दे सकी। अभी सरदार सिंह जी ने बताया कि ऐसे-ऐसे लोगों को अंगरक्षक दिये गए हैं जिनसे समाज में खतरा है। लेकिन लटूरी सिंह जी को अंगरक्षक देने में फाइल इधर उधर की जा रही है। इससे क्या फायदा? मेरे जैसे मुलायम सिंह की हैसियत भले ही कुछ भी न हो, लेकिन नेता विरोधी दल की चिट्ठी दो तीन बार जाती है। पुलिस महानिदेशक से मिलते हैं और उसके बाद भी मेरे कहने से लटूरी सिंह को एक अंगरक्षक नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आज यह स्थिति है कि हम लोगों को और इधर के लोगों को नेता विरोधी दल की दृष्टि से नहीं देखा जाता, शत्रु के रूप में देखा जाता है, दुश्मन के रूप में देखा जाता है। आप एक मामूली सी बात पर ध्यान नहीं दे सकते। संसदीय कार्य मन्त्री जी जानते हैं, उन्होंने पिछले सदन में उनकी जान की रक्षा के लिए कहा होगा। मैं कुल तीन बातें कहना चाहता हूं कि जितने आरोप हैं उनकी सी0 आई0 डी0 जांच कराई जाय, जांच कराने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात यह कि उनकी रक्षा के लिये एक अंगरक्षक दिया जाय और तीसरी बात जो उनकी डी0 वाई0 एस0 पी0 और इन्सपेक्टर अलीगंज से खतरा है, उनका ट्रान्सफर करके जांच कराई जाय।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, सम्मानित नेता विरोधी दल का हम सम्मान करते हैं। श्री शतरुद्र प्रकाश जी और माननीय सरदार सिंह जी ने लटूरी सिंह जी के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, मुझे मान्यवर, यह सुनकर तकलीफ हुई है कि माननीय नेता विरोधी दल को हमारे आचरण से आभास हुआ कि जो इनको अपनी पोजीशन के अनुरूप मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, जहां तक हमें माननीय नेता सदन की भावनाओं की जानकारी है या अपने और मंत्रिमण्डल के सभी साथियों की भावनाओं की जानकारी है, हमने सदैव उस पद की गरिमा के अनुरूप अपने व्यवहार को ढाला है और हम माननीय नेता विरोधी दल का पूरा सम्मान करते हैं। जो बात वह कहते हैं, या आगे कहेंगे भी उस पर पूरी तवज्जो और पूरा ध्यान इस बात का रखा जायेगा। लटूरी सिंह के बारे में यह बात सही है कि पहले भी उनके ऊपर हमला हाईकोर्ट में हुआ और कभी न कभी हमला होता रहा। ऐसा कुछ प्रकरण दुर्भाग्य से यह बनता रहा। अभी 3 हत्याओं के मामले खुद लटूरी सिंह के ऊपर चल रहे हैं। जहां ऐसा प्रकरण आ जाता है, चाहे सम्मानित सदस्य नेता भी रहे हों लेकिन किन्ही-किन्हीं मामलों में कभी यह घटनायें ऐसी घटित हो जाती हैं जिनसे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद भी 3 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं इसके बावजूद भी अंगरक्षक अभी तक उनके पास था। आज से 15-20 दिन के अन्दर कोई घटना लटूरी सिंह के संबंध में एटा में हुई है उसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करा लेंगे और इस बात की भी जांच करेंगे कि स्थानीय प्रशासन ने इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी और इसकी वजह से जो अधिकारी दोषी होंगे उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो उत्तरदायित्व सुरक्षा देने का है उसको पूर्णतः निभायेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जो डिप्टी एस0 पी0 हैं, इन्सपेक्टर हैं, उनसे उन्हें खतरा है, उसका कारण शत्रुता है। अब ऐसे में जब पुलिस उनके खिलाफ है तो असामाजिक तत्व भी उनके पीछे हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैंने सारी बातें तो रखी थीं उसमें यह बात भी शामिल थी और जो कहा गया कि 15-20 दिन के अन्दर 3 हमले हुए उसकी भी जांच करवा लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

15-20 दिन के अन्दर 3 हमले नहीं हुए बल्कि 15-20 दिन के अन्दर एटा में गम्भीर घटनायें हो गई हैं, उनके ऊपर साजिश की जा रही है। यह नहीं कहा कि हमले हुए बल्कि प्रयास किया गया।

श्री हुकुम सिंह--

इन सारी बातों की हम छानबीन कर लें और जांच करने के बाद अगर कोई अधिकारी अवरोध पैदा कर रहा है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

*श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। श्रीमन्, एशिया के सबसे बड़े ताप विद्युत् गृह ओबरा में 17 तारीख को 11 टैंकर तेल सप्लाई करने के लिए जा रहा था और 7 टैंकर तेल पहुंचा उसके बाद अचानक जब छापा मारा गया तो उसमें से 6 हजार लीटर पानी बरामद हुआ और यह खबर पाकर 5 टैंकर भाग गए कुछ वहीं से मिर्जापुर को वापस लौट गए। श्रीमन्, इन घटनाओं के चलते आपकी जानकारी में है कि एक बहुत बड़ी आग वहां लगी थी और कई इकाइयां जल गई थीं, वह सारा मामला सरकार और सदन के संज्ञान में है और आप भी उसको जानते हैं। दूसरी बात इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल में एक आध महीने की बात है, ओबरा ताप विद्युत् गृह की 10वीं इकाई का ट्रांसफारमर जल गया। एक करोड़ रुपये मूल्य का वह विदेशी ट्रांसफारमर था। जो उसमें तेल और सामान प्रयोग किया था, वह घटिया किस्म का प्रयोग किया जाता था। 10वीं इकाई ने काम करना बंद कर दिया है। 4-5 इकाइयां पिछली आग से बंद हैं। मान्यवर, पुलिस और प्रबन्धीकरण इनके मिले-जुले भ्रष्टाचार के कारण यह जो ताप विद्युत् गृह है, वह खटाई में पड़ गया है। इसी प्रकार का मामला है, तेल की जगह पानी सप्लाई कर दिया गया, चलाने के लिए तो निश्चित रूप से जल जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

आपका आशय यह कि बजाय तेल के पानी दिया गया।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य के लिए मैंने इसे स्वीकार किया है।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, लैब टैक्नीशियन की हड़ताल चल रही है। प्रदेश के अस्पतालों में काम ठप्प है। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह प्रदेश स्तर का मामला है, तात्कालिक महत्व का है। पहले उसको लीजिए, मैंने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष--

उसका जब नम्बर आयेगा, आपको मौका मिलेगा।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

तेल में पानी मिलाने के लिए या अन्य मिलावट के लिए यह प्रदेश बड़ा मशहूर हो गया है। इसी संदर्भ में मैं अपने विषय पर आता हूं। अब तक खाद में मिट्टी की मिलावट, दूध में पानी की मिलावट की बातें थीं। इसलिए ऐसा तय किया गया था कि कोआपरेटिव जो डेयरी फेडरेशन है, उसके माध्यम से यहां की जनता को अधिकारियों को और हम सबको शुद्ध और प्रमाणिक दूध मिलता रहे। लाखों रुपये इस डेयरी फेडरेशन को दिये गए थे, मान्यवर, मैंने पिछले दिनों जब एक घटना के संबंध में टेप सदन में निकाला था, तो यह कहा गया था कि आपसे हमने अनुमति नहीं ली थी। इसलिए मैंने आपसे आज अनुमति ली है। यह पराग का पैकेट है इसमें मक्खी पड़ी हुई है यह एकदम सील है। आप किसी विशेषज्ञ से इसको दिखवा लें। माननीय पशुधन मंत्री जी नहीं हैं सदन में नहीं हैं। यह मैं आपके पास पैकेट भेज रहा हूं निःशुल्क भेज रहा हूं, आपसे पैसा नहीं लूंगा। आप इसका परीक्षण करवा लें।

श्री अध्यक्ष--

ओझा जी, आप कभी टेप ले आते हैं, कभी ईंट ले आते हैं, कभी दूध ले आते हैं, अब अगली बार क्या लायेंगे ?

आपका सबमिशन है कि दूध में मक्खी पायी गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रोफेसर साहब की परेशानी बढ़ गई है इसे देखकर। इन्होंने ही इस फेडरेशन को काफी पैसा दिया था। इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। यह योजना इसलिए शुरू की गयी थी ताकि शुद्ध और प्रमाणिक दूध मिले। मान्यवर, इसमें शासन से वक्तव्य दिलवायें। मान्यवर, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा कायम हो। नहीं तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि शासन एडलट्रेशन के लिए जबरदस्त पैसा ले रहा है।

इसमें जो दूसरी सूचना वह सुनना यह है कि इसमें जो दूध दिया जा रहा है। उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए और उसके जो कन्टेन्ट्स होते हैं, वह सब उससे विलो हैं। इसमें अलग से एडल्ट्रेशन किया गया है। फैट्स की मात्रा कम है, पानी की मात्रा बढ़ा दी गयी है। भ्रष्टाचार तो इस एडल्ट्रेशन में बढ़ता जा रहा है, परन्तु इसके साथ ही साथ इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह एक तात्कालिक विषय है और सुनिश्चित विषय है तथा प्रादर्शन वाला मामला है, इस मामले में जो दोषी अधिकारी हैं, जो यहां तक भ्रष्टाचार और अपराध में पहुंच चुके हैं जो सामाजिक अपराधी हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय। कोई रियायत नहीं बरती जाय।

श्री अध्यक्ष --

मैं आपकी सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं।

श्री महम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन का यह प्रस्ताव 26 तारीख को भी दिया था, जब माननीय श्री खान गुफरान जाहिदी साहब यहां तशरीफ रखते थे। उस दिन भी मैंने 300 व्यक्तियों के मरने की सूचना दी थी, किन्तु किसी गलत--

फहमी की वजह से वह 300 की जगह पर 3 पढ़ा गया इस वजह से इस पर उस दिन बहस नहीं हो सकी। किसी इन्सानी जिन्दगी का जाया होना चाहे वह गोली लगकर ही खुदकशी कर ले या फिर अस्पताल में बीमार होकर मर जाय तो इन सबकी जान को बराबर समझना चाहिए। आज ही सदन में किसी की मौत का गम हुआ है साढ़े तीन सौ लोग अस्पताल में इसलिए मर जायं कि उन्हें वहां पर दवाई नहीं मिली और उनका इलाज नहीं मिली और उनका इलाज नहीं हो सका पूरा शहर गन्दगी से और गलीजता से सड़ रहा है। तापफून फैला हुआ है हर तरफ।

मान्यवर, हमारे जिला अस्पताल की यह हालत है कि जितने डाक्टर वहां पर होने चाहिए, उससे चौथाई डाक्टर भी वहां पर मौजूद नहीं है और जो डाक्टर मौजूद हैं भी, उनकी बेईमानी और घूसखोरी का यह आलम है कि वह तब तक मरीज को नहीं देखते हैं और तब तक मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं करेंगे, जब तक कि वह मरीज उन डाक्टरों के घर पर दिखाने नहीं जाये। परिणाम यह हो रहा है कि गरीब मरीज खत्म होते जा रहे हैं। आज सूरते हाल यह है कि अस्पताल में टेन्ट लगा दिया गया है। हैजा वहां पर बुरी तरह फैल गया है। 10-20 लोगों के जनाजे रोज रामपुर से श्मशान और कब्रिस्तान जा रहे हैं। नालियों का यह हाल है कि यदि 4 बूंद पानी पड़ जाता है तो नालियों से पानी नहीं निकल पाता जिससे पूरे शहर में बदबू गन्दगी का आलम है। मरे हुए जानवरों का काटा जाना, सड़ी हुई सब्जी का बिकना-ये सारी चीजें इस निजाम के भ्रष्टाचार की निशानदेही कर रहे हैं। अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई और इसका इलाज नहीं किया गया तो आज साढ़े तीन सौ लोग मरे हैं, न मालूम कल कितने मर जायेंगे। हैजा बुरी तरह से फैल रहा है। 15 दिन पहले मैंने इसकी इत्तला दे दी थी। मैं उम्मीद करता था कि सरकार ने रामपुर में इस हैजे की बीमारी को रोकने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी होगी, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। आज जब मुझे यह अहसास हो गया क्योंकि वहां से कांग्रेस का कोई एम0 एल0 ए0 चुनकर नहीं आता है, इसलिए मुझे बदनाम करने के लिए बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है यह सरकार न तो कोई अच्छे डाक्टर भेजती है और न ही वहां के अस्पताल में दवाईयों की व्यवस्था करा रही है, न ही वहां के म्युनिसपिल बोर्ड का निजाम अच्छा है और न ही प्रशासन। चुनाचे मेरी मांग है कि आप इस पर वक्तव्य दिलवा दें। साढ़े तीन सौ लोग मर गए हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अविलम्बनीय लोक महत्व का और कोई प्रश्न नहीं हो सकता। इन्सानी जान से बढ़ कर कोई चीज नहीं हो सकती और यह बात दूसरी बार सदन में आई है, पहले भी 3 सौ के मुताल्लिक आई थी, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, चार जिले हैं जो हैजे की चपेट में हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया।

*श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, जब यहां माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्य मंत्री थे तो साढ़ूपुर और देहुली जैसे सामूहिक हत्या काण्ड हुए और जब नारायन दत्त तिवारी मुख्य मंत्री हैं तो, इसी सदन में वक्तव्य स्वीकार हुआ था, सेखूपुर की सामूहिक हत्या का और कल जनपद रायबरेली में थाना बछरावां, ग्राम टेरा बड़ौला में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या कर दी गई और जिनकी की गई, आज उनके विषय में समाचार पत्रों में कुछ नहीं आ सका, शायद समाचार लेट आया हो। जब मैंने आई0 जी0 जोन्स, श्री श्याम लाल से बात की तो वह वहीं पर, मौके पर जा रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे। भूमि का कुछ विवाद था और जुलाई-अगस्त में मृतक परिवार के लोगों ने अभ्यावेदन, प्रार्थना-पत्र आदि संरक्षण के लिए दिए कि दोषी लोगों को दण्डित कराने के लिए, कार्यवाही करने के लिए मांग की लेकिन पुलिस अधीक्षक, जिला धिकारी ने जिनके पास प्रार्थना-पत्र आदि अनेकों पहुंचे, कोई भी कार्यवाही नहीं की। अगर कोई प्रिवेन्टिव कार्यवाही हो गई होती तो इतना बड़ा काण्ड नहीं होता। यह शासन और प्रशासन की उपेक्षा रही जिसके कारण यह काण्ड हुआ। जो यह श्रेणीबद्ध हत्यायें हो रही हैं, मेरा कहना है कि रायबरेली में यह कोई पहली सामूहिक हत्या नहीं है, इसके पहले भी हुई हैं और उसमें भी लोग मारे गए हैं लेकिन जिला प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है जिसकी वजह से गरीब, मजदूर और निर्बल व्यक्ति इसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस पूरी घटना के विषय में वक्तव्य दिलायें ताकि सदन परिचित हो सके, सदन की जानकारी में आ सके, बहुत बड़ी सामूहिक हत्या हुई है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं।

श्री हुकुम सिंह -

जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 19/20 अगस्त 1985 की रात में ग्राम टेरा बड़ौला, थाना बछरावां में एक परिवार के चार सदस्यों- श्रीमती जानकी देवी, उनका पुत्र गुर प्रसाद व पुत्री ईश्वरी देई व पोती नीता कुमारी का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई। यह सभी अनुसूचित जाति (कुरील) के थे। इस ग्राम में कुल 22 घर हैं जो सब हरिजन (कुरील) के हैं। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों ने तुरन्त घटना स्थल का निरीक्षण किया। किसी अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा इन हरिजनों पर अत्याचार करने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। सन्देह यह है कि इस घटना का कारण भाइयों में आपस में भूमि विवाद से संबंधित था। विवेचना चल रही है। उसके जो परिणाम होंगे, कार्यवाही की जायगी।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

लखनऊ के हृदय स्थल कैंपरगंज रोड पर पी0 सी0 एफ0 का एक दफ्तर है। वहां के संचालक मण्डल ने निर्णय लिया है कि उस को तोड़ कर एक 14 मंजिली इमारत बनवायी जायगी और व्यापारियों को किराये पर दिया जायगा। जो 14 मंजिला-भवन बनने जा रहा है यह इन व्यापारियों से ऋण ले कर बनेगा और बाद में उन्हीं व्यापारियों को पट्टेपर 60 साल के लिए दे दिया जायगा। पी0 सी0 एफ के नियमों में कहीं पर यह नहीं है कि वह सम्पत्ति को किराये पर दें और जो इसी समय हो रहा है वह नामिनेटेड है रजिस्टर्ड नहीं। धारा 29 के अन्तर्गत नामिनेटेड किया है। धारा 29 में यह भी दिया हुआ है कि समय-समय पर रजिस्ट्रार के निदेशों के अनुसार पी0 सी0 एफ0 का संचालक मण्डल काम करेगा, रजिस्ट्रार ने निदेश दिये नहीं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की घोषणा के बाद एक नामित संचालक मण्डल इस प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि हम लोगों को सूचना मिली है कि प्रदेश में बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है।

वह बहुत कीमती जमीन है, व्यवसायियों का आकर्षण स्वाभाविक है। एक एक लाख, दो-दो लाख रु0 देकर फ्लैट आरक्षित कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घोटाले में 10 करोड़ रु0 बैंक मनी जनरेट करने की योजना पी0 सी0 एफ0 के अधिकारियों ने बनायी है। पी0 सी0 एफ0 के लोगों ने और शहर के तमाम लोगों ने बताया कि मन्त्री जी कोई काम नहीं करते हैं, तो इनका भी दामन साफ नहीं माना जा सकता। 10

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ रु0 का ब्लैकमनी जनरेट होगा तो उनकी जेब में भी जायगा । यह बहुत ही अहम मसला है । पी0सी0एफ0 में लाखों लोगों का हिस्सा है, संचालक मण्डल को और खासकर नामित संचालक मण्डल को इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये । आपसे संरक्षण चाहूंगा कि 10 करोड़ के इस घोटाले को रोकें । अगर बनवाया ही है तो सरकारी कार्यालय बनवायें सरकारी आवास बनवायें उनकी भी बहुत कमी है । अगर एक बार यह भूमि व्यापारियों के हाथ में चली गयी तो कभी भी खाली नहीं हो सकती है क्योंकि एक तो 60 वर्ष की लीज बहुत बड़ी होती है, दूसरे उसमें यह भी है कि समय-समय पर अवधि बढ़ाई भी जा सकती है । मैं चाहता हूं कि सरकार को सख्त निर्देश दें कि इस घपले को रोकें । यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है, इस पर चर्चा की आज्ञा प्रदान कीजिये ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

पी0 सी0 एफ0 का यह काम नहीं है कि वह व्यावसायिक केन्द्र बनाकर उसे उठाये । इस प्रकार पी0 सी0 एफ0 वह काम करने जा रहा है, जो उसका काम नहीं है । दूसरे, नामित संचालक मण्डल है, चुनाव आप कराने जा रहे हैं, वह ऐसा निर्णय कर रहा है, यह बात गलत है । तीसरी बात, लाखों रु0 पगड़ी के रूप में लेकर व्यवसायियों को दिया जा रहा है, थोड़ा पैसा कागजों में दिखाया जायगा । यह जो लूट हो रही है, इसे बन्द करवाया जाय । यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है, इस पर चर्चा करायें ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

यह जो पी0 सी0 एफ0 के जिस भवन को तोड़कर लीज पर भूमि देने की बात हो रही है, वह केवल पी0 सी0 एफ0 का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जो लोग सहकारिता से जुड़े हैं, उनके इस कृत्य से कि उसे तोड़कर भूमि लीज पर दी जा रही है और सहकारी सम्पत्ति को व्यापारियों के हाथों में दिया जा रहा है, इससे शंका पैदा हो गयी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के सुघड़, सलोने मन्त्री जी व्यापारियों के जाल में फंस गये हैं । यह तो एक भवन है, लेकिन अगर इस पर रोक न लगी तो पी0सी0एफ0 से सम्बन्धित सम्पत्ति कहीं न कहीं व्यापारियों के हाथ में चली जायगी । तो मान्यवर, पूरा प्रदेश इससे क्षुब्ध हो गया । इसके अविलम्बनीयता के महत्व के बारे में एक बात और जोड़ता हूं कि अगर सदन में इसकी चर्चा नहीं होगी, हमारे पास जो तथ्य हैं और उनके पास भी तथ्य होंगे, जब तक वह सामने नहीं आयेंगे कि वहां पर कांग्रेस के लोग, मंत्रियों द्वारा चुने हुए लोग बैठे हुए हैं जिनके लिये आदेश बिना लिखे हुए भेजे गये थे कि सत्ताधारी दल के लोग ही उसमें नामिनेट किये जायेंगे । पूरे सहकारिता से जुड़े लोगों के विचारों पर यह कुठाराघात कर रहे हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों के पास हैं उन सारे तथ्यों को हम यहां उजागर कर सकें । इसलिये मेरा आग्रह है कि आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, पी0 सी0 एफ0 की इमारत को गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी । जो पी0 सी0 एफ0 की सम्पत्ति है हमें खबर है कि वह लीज पर दी जा रही है । अगर यह सही नहीं है । तो फिर व्यापारियों से कर्जा लेकर उनको पट्टे पर बिल्डिंग बना कर दी जाने वाली है । इसलिये मैं चाहता हूं कि जब संसदीय कार्य मंत्री जी पी0 सी0 एफ0 की इमारत के बारे में अपना जवाब दें तो वे इसकी व्यवहारिकता को देख लें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आमतौर से यह देखने में आता है कि जब किसी इमारत में चाहे वह गांव में हो या शहर में हो, किसी का कब्जा हो जाता है तो उससे खाली करा पाना मुश्किल होता है। इसी तरह से जिस जमीन पर किसी दूसरे का कब्जा हो जाता है उसे आज तक लौटाया नहीं जा सका, वापस नहीं हो पाया। मेरे जमाने में श्री राम सरन दास उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष थे, उस समय भी इस तरह के कई प्रस्ताव आये थे कि उपभोक्ता संघ की इमारतें दे दिया जाय लेकिन मैंने और राम सरन दास ने इसको नहीं दिया। इसलिये नहीं दिया था कि फिर कब्जा देने के बाद वापस लेना मुश्किल हो जायेगा। यह इमारत लखनऊ शहर के हृदय स्थल पर स्थित है। यह कितनी महत्वपूर्ण इमारत है इसको मैं दोहरा करके सदन का समय नहीं लूंगा ज्यादा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इससे पी0 सी0 एफ0 को कोई लाभ होने वाला नहीं है, उसके पास कभी भी पैसा नहीं आ पायेगा। सरकार के पास और भी बहुत से तरीके हैं, साधन हैं जिससे कि वह इमारत को बनवा सकती है। सहकारिता को जरूरत है उसके लिये वह इस्तेमाल कर ली जाय। लेकिन जिनके पास काला धन है और उसको छिपाने के लिये जो यह साजिश है या आपके मंत्री जी नियत खराब है, ऐसा न हो कि इस पर भी शक पैदा हो जाय। मैं बताना चाहता हूं कि यदि पी0 सी0 एफ0 की इमारत को गिरा कर बड़े लोगों के काले धन के हित में उन्हें दे दिया गया तो सरकार की नियत पर शक पैदा हो जायेगा। इसलिये मान्यवर, इस पर चर्चा अवश्य करा दीजिये।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ग्राह्यता पर कि क्या कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर दो-दो, चार-चार माननीय सदस्य बोल सकते हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

पुनिया को संरक्षण देने के लिये ये ऐसी बात कह रहे हैं।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मैं तो कार्य-स्थगन पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं कहना नहीं चाहता हूं, कहे भी देता हूं कि वर्ना जहां इतना बड़ा घपला होने जा रहा है तो माननीय सदस्य को भी मेरा साथ देना चाहिए। करोड़ों का घोटाला है, 10 करोड़ रुपये के घोटाले की आप वकालत करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आप चर्चा कराइये और इससे साफ-साफ काले धन का इस्तेमाल करने वालों का नाम आ जायेगा। इसमें बड़े-बड़े लोगों की साजिश है। सहकारिता मंत्री को मालूम नहीं है जो उनको फुसला रहे हैं, उनकी भी कलई इसमें खुल जायेगी। इसमें चर्चा करा दें।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय नेता विरोधी दल खुद सहकारिता मंत्री रहे हैं। सहकारी संस्थाओं के बारे में उनकी जानकारी को चुनौती तो मेरा जैसा सिपाही नहीं दे सकता है लेकिन जो चिन्ता इन्होंने व्यक्त की और जिन आशंकाओं का जिक्र इन्होंने किया है कि इसमें 10 करोड़ का घोटाला हो जायेगा या 10 लाख का हो जायेगा। जो आज विषय उठाया गया कार्यस्थगन के रूप में, जो सूचना दी गयी है जब माननीय बेनी प्रसाद वर्मा बोल रहे थे और इसके बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, नेता बोल रहे थे। इसकी केवल 4 लाइन देखें। इनकी चिन्ता ही इसलिए है कि व्यापारियों से पगड़ी क्यों ली जा रही है? अपनी सूचना में इन्होंने ज्यादातर हितों की उपेक्षा की जा रही है, पगड़ी

क्या ली जा रही है, बजाय इसके कि सहकारिता का उल्लेख होगा, जो इन्होंने सूचना में कहा है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जीभ से न बोलिए दिल से बोलिए ।

श्री हुकुम सिंह--

में आखिरी 4 पंक्ति है सूचना की, जिन व्यापारियों को यह भवन किराये पर दिया जायेगा उनसे पगार के रूप में नाजायज तरीके से पैसा वसूला जा रहा है क्योंकि यह भवन लखनऊ केन्द्र में स्थिति है इसलिए इसका व्यापारियों में अत्यधिक मांग होना स्वाभाविक है ।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, अगर कोई पगड़ी दे रहा है वह इस विभाग को दे रहा है कि वह माननीय मंत्री जी के यहां भिजवा रहा है ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, व्यवसायिक केन्द्र यह बनाया जा रहा है । प्रश्न यह है कि इस व्यवसायिक केन्द्र को बनाने के लिए पैसा पी0 सी0 एफ0 दें, बैंक से लिया जाय, किसी फाइनेन्सियल इंस्टीट्यूट से लिया जाय । यह जो व्यवसायिक केन्द्र को विकसित करना चाहते हैं, वह पैसा लगायें अब पैसा लगाया जायेगा । जहां तक इसकी मिलकियत का प्रश्न है यह पट्टे पर जमीन दी जा रही है । माननीय सदस्यों ने जो आशंका व्यक्त की है, मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी की जेब में पैसा जाने का प्रश्न नहीं है । इसको बनाने का काम है इसको एल0 डी0 ए0 बनावे या कोई और विकास प्राधिकरण बनावे । जहां तक उठाने की बात है वह तो बाद की बात है लेकिन यह नीतिगत प्रश्न है कि यहां व्यवसायिक केन्द्र बनाया जाय या न बनाया जाय और इस पर विचार किया जा रहा है अगर वहां पर व्यवसायिक केन्द्र बनाने की उपयुक्तता समझी जायेगी तो इसमें किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए । जहां तक कार्य-स्थगन का मामला उठाने की बात है, कार्य-स्थगन इसमें बनता ही नहीं है । इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें कार्य-स्थगन उठाने की अनुमति आप न दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि यह खुद मुख्तार संस्था है यानि सेल्फ गवर्निंग बाडी है, इसका क्या सम्बन्ध है गवर्नमेन्ट से ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्रीमन्, इसमें वहां पर संचालक मंडल है संचालक मंडल का नामिनेशन करता है 59 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार । रजिस्ट्रार आई0 ए0 एस0 आफिसर होता है और यह सरकार के मातहत होता है, इसलिए यह भी सरकार के मातहत हुई ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे जानना चाहता था, यह सेल्फ गवर्निंग बाडी है इसका डाइरेक्ट सम्बन्ध क्या सरकार से है ? मैं इसको पहले समझ लूंगा तब अपना निर्णय दूंगा ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, एक गम्भीर विषय की ओर नियम 56 में आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि इतने अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर आप निर्णय करें । मान्यवर, कितना गम्भीर विषय है, 1982 में उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल, लि0 की स्थापना की गयी, इटावा, बुलन्दशहर, मगहर और नगीना में 4 कताई मिलें खोली गयीं और 82 में लाखों रुपये का उनमें मुनाफा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ। सहकारिता के क्षेत्र में इनकी स्थापना करके पूंजी का विनियमन किया जाय और सहकारिता आन्दोलन को प्रखर किया जाय। श्रीमन्, फिर 4 और मिलें खोली गयी, अमरोहा, मऊआइमा (इलाहाबाद), गाजीपुर, बहेड़ी (बरेली), तो अब 8 मिलें हैं और हालात यह है कि 82 से 85 आते-आते इन मिलों में लगभग 9 करोड़ रुपये का घाटा हो गया और आप देखें कि जब इनकी स्थापना की गयी थी तो इसका मकसद यह था कि इन मिलों के द्वारा प्रदेश में सहकारिता को बढ़ाया जायगा और 82 में लाभ भी हुआ और 85 में 9 करोड़ के लगभग घाटा हुआ और घपला भी हुआ। इसका कारण क्या है, सूत जो होता है उसमें लाखों रुपये के कमीशन का घपला किया गया और इसके साथ ही साथ घटिया किस्म की रुई खरीदी गयी और इसके कारण यह स्थिति हुयी है। श्रीमन्, इस सरकार की परम्परा है कि जो प्रबन्ध निदेशक होता है उसी को प्रशासक बना देती है, जो मंत्री है वही प्रशासक बन जायगा। इस तरह से 8 मिलों का कन्ट्रोलर बना दिया और उसने इन मिलों को इस हालत में पहुंचा दिया है कि आज 9 करोड़ के लगभग घाटा हो गया है और घपला हुआ है। मैं ग्राह्यता पर बल देते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसकी जांच करवा लें वक्तव्य दिलवा दें जिससे जो 9 करोड़ का घाटा है और घपला है, यह सब बात उजागर हो जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा भी आज इसमें है। मैं ग्राह्यता पर बोलना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ सर्वोदय नगर कानपुर की स्थापना, चार मिलें जो पुरानी थीं, इटावा, बुलन्दशहर, गोरखपुर और बिजनौर में इस संस्था का निर्माण किया गया। बाद में चार संस्थायें और दे दी गयीं जिनका नेता जनता पार्टी ने जिक्र किया। इस प्रकार से आठ संस्थाओं से इस सहकारी संघ की स्थापना की गयी कि उनको तकनीकी और व्यवहारिक सलाह देकर सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति के रास्ते पर ले जायेंगे। मान्यवर, इसकाम को न करके प्रबन्ध निदेशक जो बनाये गये थे उन्होंने दूसरा काम यह शुरू कर दिया कि रुई खरीदने का काम भी स्वयं शुरू कर दिया और सूत की बिक्री भी उन्होंने स्वयं अपने हाथ में ले ली। जब कि उनका काम यह था कि वे कोआपरेटिव की मिलों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायें और उसके व्यापार के लिए गोदामों, शो रूम की व्यवस्था करें जहां उनके सामान की बिक्री का प्रबन्ध हो सके। लेकिन इस काम से हटकर उन्होंने रुई की और सूत की बिक्री अपने हाथ में ले लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन आठों मिलों का करोड़ों रुपये का सूत बिकने के लिए पड़ा हुआ है। वह इसलिए नहीं बेचा जा रहा है कि निदेशक महोदय को 25 प्रतिशत जो कमीशन मिलना है वह नहीं मिल पा रहा है और इसी की खातिर सूत की बिक्री रोक दी गई है। करोड़ों रुपये का सूत कमीशन के घेरे में बन्द पड़ा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका काम था उसके अलावा एक काम उन्होंने और शुरू कर दिया। जो सहकारी संस्था के नियम हैं उनके अनुसार बिना आम सभा की वार्षिक बैठक बुलाये नियमों में संशोधन करके प्रबन्ध निदेशक ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये। जो कि नियमों के विपरीत है। आम सभा ही जब इकट्ठा होगी तभी नियम परिवर्तित किये जा सकते हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी चुनाव में 2 लाख रुपया दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज 9 करोड़ का घाटा इनमें हो गया। उसके बाद जब मिल के सहयोगियों ने अपनी आवाज बुलन्द की कि हम इस भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे तो प्रबन्ध निदेशक ने उन्हें निकाल दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप शासन को निर्देश दें कि सहकारी संस्थाओं में प्रशासक के स्थान पर चुनाव कराकर उन्हीं चुने हुए लोगों में प्रबन्धक के रूप में कार्य करने का मौका दें। इसमें 9 करोड़ रुपये का घपला है। इसलिए आप

इस विषय पर चर्चा करा दें। इस घपले में जो प्रशासक बन गये हैं उन्हें प्रताड़ना का मौका मिले। यही मैं निवेदन करना चाहता था।

(श्री त्रिलोक चन्द्र के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय त्रिलोक चन्द्र जी, कृपया बैठ जायं।

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह और माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो विषय उठाया है उसमें 4 संस्थायें हैं और 8 जिले हैं। तो नियम 56 के अन्तर्गत 8 जिले और 4 संस्थायें नहीं लायी जा सकती हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, संस्था एक ही है और एक ही व्यक्ति संस्था के प्रबन्ध निदेशक हैं। उनका प्रबन्ध एक ही प्रबन्ध निदेशक कर रहे हैं। मामला निश्चयात्मक है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग तो वरिष्ठ नेताओं में से हैं। मेरा निर्णय हो गया। 3 बज रहे हैं। आप सब का सहयोग चाहता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या निर्णय हुआ, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में स्वीकार नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

इस पर वक्तव्य भी नहीं आ सकता है। सरकार का ध्यान भी आपने इस ओर आकृष्ट नहीं किया। मेरी प्रार्थना है कि आप अंडस्टेंडिंग कमेटी को इसको भेज दें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत जितनी सूचनाएं थीं। वह मैंने पढ़ दी थीं। सूखे के सम्बन्ध में जो सूचना थी वह स्वीकार कर ली गयी है।

(व्यवधान)

*श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जनपद इटावा में भारतीय दलित पैंथर के तत्वावधान में दलित नर-नारियों ने एक सत्याग्रह किया और वे शांतिमय तरीके से कचहरी में अपना प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठे हुये थे। 12 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो कार्यवाहक जिलाधिकारी वहां पहुंचे। उनका कोई डाक्टरी मुआयना नहीं किया गया और मंच पर जाकर सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने जिलाधिकारी के निर्देश से बर्बर लाठी चार्ज किया और पुलिस ने कई राउन्ड गोलियां चलाईं। और उन लोगों को जेल भेज दिया। 5 लोगों का अपहरण कर लिया गया, 9 लोग शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज दिये। माननीय अध्यक्ष जी यह बहुत गम्भीर मामला है वहां पर हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है बहुत से लोग भागे हैं। इसलिये इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

(कई लोगों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

पहले मंत्री जी को सुन लें।

श्री बालेश्वर—

मान्यवर, देवरिया जिले में पुलिस के अत्याचार से लोग त्रस्त हैं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इटावा की जिस घटना का माननीय सदस्य ने जिक्र किया उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खुद ही उन्होंने बता दिया कि लोग सत्याग्रह कर रहे थे और 144 का उल्लंघन किया जिसकी वजह से जेल चले गये। आपने जो घटना बताई है उसकी जानकारी करा लेंगे अगर कहीं कोई गलती हुई है तो कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

(श्री कौशिक रमा शंकर के खड़े होने पर) माननीय कौशिक जी ने जो सूचना दी है उसी को माननीय राजेन्द्र गुप्त 7-8-85 को उठा चुके हैं।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे सहयोग चाहूंगा

(व्यवधान)

आप बैठें कौशिक जी।

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल में आपका सहयोग चाहूंगा यह 3 बज कर 5 मिनट हो रहे हैं। यह आखिरी सूचना होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, हर एक माननीय सदस्य आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरठ का ऐसा मामला हो गया है कि वहां पायरेला की वजह से सारा चारा खत्म हो गया है। माननीय हरेन्द्र सिंह की मांग है कि इसको चर्चा के लिए स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

स्वीकार कर लिया है सूबे के सिलसिले में।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मेरठ मंडल में चारे का अकाल पैदा हो गया है। एक सफेद रंग के कीड़े से वहां की सारी फसलें बरबाद हो गयी हैं। इसी कीड़े की वजह से पहले गन्ने की फसल बरबाद हुई जिससे वहां का किसान भुखमरी के कगार पर है और पशुओं के लिए चारा नहीं मिल रहा है और जो दूषित चारा है भी उसको खाकर पशु बीमार हो रहे हैं और महामारी फैल रही है। किसान भुखमरी के कगार पर है लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय अति महत्व के प्रश्न पर पूरी कार्यवाही रोक कर सदन में चर्चा कराई जाय।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक ने मेरठ की जिस समस्या के बारे में अपने विचार रखे हैं यह बात सही है। लेकिन पिछले 4 महीनों से मेरठ मंडल तथा प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में पायरेला का भयंकर प्रकोप हुआ है उससे बहुत बड़ी हानि मेरठ की पहले गन्ने की फसल को हुई और फिर खरीफ की फसल को पहुंच रही है। यह बात सही है कि वहां किसानों को चारे का संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज से 5 दिन पहले जब मैं क्षेत्र से आया और आप भी आये थे तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को इससे अवगत कराया। तत्काल माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय कृषि मंत्री माननीय बूटा सिंह जी को टैलेक्स दिया और आग्रह किया कि तमाम क्षेत्र में एरियल स्प्रे करायें। मान्यवर, इसके अलावा आज भी थोड़ी देर में, सहयोग मिलता है तो गन्ने का बजट शुरु होने वाला है उसमें तमाम बातों को विस्तार से कह सकते हैं। मैं इससे सहमत हूं कि मेरठ मंडल में पायरिला का प्रकोप भयंकर है।

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि गन्ने की बात अपनी जगह पर है लेकिन चारे की समस्या के हल करने के लिये क्या करेंगे? मैं सहारनपुर से

अभी आ रहा हूं वहां मवेशी भूख से मर रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, हमारे सुयोग्य साथी कृषि के पंडित हैं, उन्होंने चारे की समस्या का उल्लेख किया, मैंने उस समस्या को हल करने के लिये कहा कि 5 दिन पहले इसकी जानकारी दी जा चुकी है कि प्रबन्ध किये जा रहे हैं । यदि चर्चा करने से चारे की समस्या हल हो जाये तो कोई बात नहीं चर्चा करलें लेकिन जब मैं व्यवस्था करवा रहा हूं तो इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं शेष सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं और अब मद संख्या--13-गन्ना विकास मंत्री ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री बालेश्वर--

देवरिया जिला पुलिस के अत्याचार से तड़प रहा हूं ।

(श्री बालेश्वर बोलने की अनुमति मांगते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य अपने स्थान पर जायं ।

(श्री कमलेश कुमार पाठक तथा कुछ अन्य सदस्यों के प्रयास से श्री बालेश्वर अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री बालेश्वर को एक डेढ़ महीने सदन चलते हो गये हैं, उनको आजतक बोलने का मौका नहीं मिला है । देवरिया की कई समस्यायें हैं, इसलिये आज के बजाय कल आप इनको सुन लें तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो तमाम नेताओं से कहता हूं कि जिसको आप तय कर ले तो वह बोल ले । आपने जो कहा है वह ठीक है ।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मागों पर मतदान, अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग तथा अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

(समय 3 बजकर 14 मिनट)

*वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,25,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 3 बज कर 15 मिनट पर अधिष्ठाता डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,05,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से संक्षेप में ही अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगा। इस प्रदेश में आज से 60 वर्ष पूर्व गन्ने की चीनी मिल स्थापित की गई थी, तब से लेकर आज तक लगभग 99 चीनी मिलें विभिन्न प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत लगाई गई और इसमें लगभग 1 लाख श्रमिक व कर्मचारी कार्यरत हैं। लगभग 25 लाख किसान इसमें अपना गन्ना बेचकर लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा लाखों ऐसे लोग हैं जो इन्डायरेक्ट रूप से इसमें किसी न किसी तरह रोजगार पाते हैं। मेरा यह कहने का आशय यह है कि चीनी मिलों के माध्यम से इस प्रदेश में आर्थिक विकास के लिए यह एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है कि इसको यदि मैं यह कहूं कि न केवल इस प्रदेश के लिये बल्कि पूरे देश के लिए यह आर्थिक जगत में एक मेरुदण्ड के रूप में उभर कर आया है तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। इसको मैं तीन भागों में विभक्त कर आपको समझाना चाहूंगा। गन्ना विकास विभाग उद्योग से सम्बन्धित है, उसमें तीन तरह के हैं-- कारपोरेशन की मिलें हैं, कोआपरेटिव की मिलें हैं और प्राइवेट मिलें हैं। 5 कस्टोडियन की चीनी मिलें हैं और 38 प्राइवेट सेक्टर में इस समय मिलें हैं। गन्ना विकास में जो 84-85 में गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाया गया, वह श्रीमन्, 14.70 लाख हेक्टर था। यह जो 14.70 लाख हेक्टर क्षेत्रफल बढ़ा है, इसमें कुछ गन्ने का उत्पादन 678.05 लाख टन हुआ है। इसमें से 154.40 लाख टन गन्ना प्रदेश की 99 चीनी मिलों ने खरीदा है, जो टोटल प्रोड्यूस का 22 प्वाइंट कुछ प्रतिशत आता है। शेष गन्ने का प्रोड्यूस, गुड़ बनाने में, खांडसारी बनाने आदि में प्रयोग किया जाता है। इसकी तुलना हम यदि दूसरे प्रदेशों, हिस्सों से करें, जैसे महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र में जो चीनी उत्पादन है वह प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश की स्थिति नम्बर दो पर है। वहां पर जो गन्ना क्रेश किया जाता है वह टोटल उत्पादन का 90 प्रतिशत है। हमारे यहां 22-23 प्रतिशत के करीब क्रेश किया जाता है। वहां पर गुड़ और खांडसारी में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। यदि प्रति एकड़ उत्पादन को देखें तो यह अवश्य बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं जितना दूसरे स्थानों-महाराष्ट्र आदि में बढ़ा है। लेकिन जो हमारी और उसकी क्लाइमेटिव सिचुयेशन है, वह थोड़ा अलग है।

मान्यवर, यदि आप आंध्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तामिलनाडु की क्लाइमेन्टिक कंडीशन देखें तो वहां पर क्लाइमेट म्वाइस्ट रहता है और वहां पर पानी की एवलेबिलिटी काफी एश्योर है। इनको हम ट्रापिकल क्षेत्र कहते हैं। मान्यवर, सब ट्रापिकल क्षेत्र जो हैं, आसाम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सब ट्रापिकल क्षेत्र में आते हैं। यदि हम महाराष्ट्र से अपने प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन की तुलना करें तो हम काफी पीछे हैं। लेकिन हमने अपने आपको काफी इम्प्रूव किया है विगत 5 वर्षों में। लेकिन यदि हम अपने जैसी क्लाइमेटिंग कंडीशन वाले राज्यों से तुलना करें तो पंजाब के सिवाय हम अन्य राज्यों से आगे हैं। मान्यवर, 1982-83 में जो प्रति हेक्टेयर प्रोड्यूज आयी है वह 456.54 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में है पंजाब में 609.62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, राजस्थान में 375.30 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर है, आसाम में 420.22 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर है। तो अगर देखें तो पंजाब को छोड़कर हम अन्य राज्यों से आगे हैं। पंजाब में बेहतर पोजीशन इसलिए है कि वहां पर एश्योरवाटर है। महाराष्ट्र और तामिलनाडु में एक पूरे सीजन में लगभग 40 पानी लोग देते हैं जबकि हमारे यहां 7-8-9-10 पानी का एवरेज आता है। तो इसके लिए प्रयास किया गया है यदि हम 5 वर्ष का औसत देखें तो 1975-80 तक जो गन्ने की औसत पैदावार अपने यहां आयी है वह 42.91 टन प्रति हेक्टेयर आयी है और 5 वर्ष

में कुल उत्पादन 554.06 लाख टन हुआ है। इसमें जो गन्ना चीनी मिलों को गया वह 147.77 लाख टन है। 1980-85 तक गन्ने का क्षेत्रफल औसतन 15.70 लाख हेक्टेयर हो गया है, और औसत जो पैदावार आयी है वह 46-50 टन प्रतिहेक्टयर हो गयी है। और जो गन्ना मिलों को गया है 181.42 लाख टन उसका औसत आया है।

तो इस तरह से हमारे आंकड़े इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी बुनियादी चीजों की आवश्यकता है। इसको हम और आगे ले जा रहे हैं। हमारे यहां खाद का उपयोग प्रति हेक्टेयर विकसित प्रदेशों से कम है। उत्तम क्वालिटी का सीड और ऐसा सीड जो फैलने वाली बीमारियों का प्रतिरोध करने में सक्षम हो ऐसा सीड शाहजहांपुर रिसर्च स्टेशन से डेवलप कराया गया और यह सीड प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में जो रिसर्च हुई तो यू0 पी0 1, 2, 3, 4, इस तरह के सीड्स आये हैं। जो मार्केट में सीड्स आये हैं। उनमें से कुछ को असफलता मिली है लेकिन काफी सीड्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। हम सिंचाई की श्योरिटी को बढ़ा रहे हैं। सिंचाई की व्यवस्था और पेस्टीसाइड्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाय इसके लिए गन्ना विकास की पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की है। इसमें गन्ने के सघन विकास के लिये योजनाएं बनती हैं और उसी हिसाब से कार्य करते हैं। इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव किया है, 1972-73 में भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन अब इसको शुरू करने जा रहे हैं कि जो चीनी मिलें हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में हों या चाहे स्टेटियन की हो या चाहे संघ की हो या कोआपरेटिव की हों यह चीनी मिल अपने सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने की खेती को विकसित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक 5 साला योजना बनायें और सिंचित क्षमता, अच्छा बीज, अच्छी खाद, पेस्टीसाइड, इन सबके लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको सहूलियतें देंगे। तो यह एक सराहनीय कदम है।

यह जो ऊसर का बहुत सारा क्षेत्र पड़ जाता है, तो इस वर्ष 9 चीनी मिलों को लिया जा रहा है। मिल जो पांच किलोमीटर तक चारों तरफ ऊसर सुधार कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश ऊसर सुधार निगम के माध्यम से विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। यह चीनी मिलें हैं—रायबरेली, रसड़ा, घोसी, सठियांव, औराई, सुलतानपुर, नन्दगंज, साथा तथा ननौता इन चीनी मिलों के पांच किलो मीटर की परिधि क्षेत्र में ऊसर भूमि वाली समस्त जोतों को चुनकर उनका सुधार करने के लिए जाना है। इन जोतों में पाइराइट और जिप्सम का प्रयोग करके उनको उपचारित किया जाता है। इसके प्रयोग से गन्ने के उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा। इसमें तो प्रारम्भ में पायराइट वगैरह उनको दिया जायगा। जैसे पहली फसल धान उसमें पैदा की जायगी। जब धान की फसल ठीक से होने लगेगी, तब उसमें गन्ना का प्रयोग किया जायगा। इसी प्रकार से यह जो गन्ने का सट्टा होता है, विभाग द्वारा गन्ने की बुआई के समय फरवरी-मार्च में ही गन्ना किसानों को यह बता दिया जाता है कि आगामी पेराई सत्र में (अक्तूबर-नवम्बर) में उनके गन्ने की सट्टे की क्या नीति रहेगी, ताकि गन्ना किसानों का पहले से ही उनको बेसिक कोटा ज्ञात रहे और वे निश्चिन्त होकर अपने बेसिक कोटे के अनुसार ही अपने क्षेत्र में गन्ने की बुआई कर सकें।

इस वर्ष गन्ना सट्टा नीति में कुछ परिवर्तन करके विगत चार वर्षों 1981-82, 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में पूर्ति किए गए गन्ने की मात्रा का औसत ही गन्ना किसान का बेसिक कोटा रखा गया है। इसी प्रकार से जो कमीशन का था, उसमें 20 पैसे जाना था, उसको बढ़ा कर 50 पैसे किया

गया है, जिससे कि समितियों की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सके ।

अब श्रीमन् दो-तीन बहुचर्चित चीजों के सम्बन्ध में और बता देना चाहता हूं । आज कल एक तो पायरिला पर और दूसरे गन्ना मूल्य पर चर्चा की जाती है । जहां तक पायरिला का सम्बन्ध है, पायरिला सबसे पहले जनवरी में मेरठ के मकवाना क्षेत्र में आइडेंटीफाई किया गया था, तो बहुत कम क्षेत्र में था, उसके बाद यह अपने हाईवरनेशन में चला गया । उसके बाद धीरे-धीरे फिर से बढ़ा । बीच में इससे स्थिति बड़ी खराब हो गयी थी । यह 24 जिलों में 28,41,978 एकड़ क्षेत्र में फैल गया । इसमें न्यूनतम और अधिकतम दोनों मिलाकर जो एफेक्टिव है वह 11,69,821.14 एकड़ है । इसमें नियंत्रण 11,40,540.39 एकड़ किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो टोलियों की संख्या है वे 970 है इसमें मशीनों का जो प्रयोग हो रहा है, उसकी संख्या 833 है । हमारे सर्वेक्षण की बात सम्भवतः इसमें आएगी । इस वक्त बरसात का मौसम चल रहा है इस समय सर्वेक्षण सम्भव नहीं है । यह अक्तूबर में कराया जाता है । जो परजीवी होते हैं, इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार का प्लान्ट प्रोडेक्शन निदेशालय है । वहां की टीम आई थी और उस टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा, कि परजीवी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो इस वक्त का मौसम है इसमें परजीवी बहुत तेजी से बढ़ता भी है, तो उम्मीद की जाती है कि यह समस्या नियंत्रित हो जाएगी । यदि नहीं होती है, तो मुख्य मन्त्री जी कोशिश कर रहे हैं । दूसरी फसलें जो वहां भी पायरिला के जीवाणु पहुंच रहे हैं, तो इसका हवाई निरीक्षण हो जाए, ऐसा सोचा जा रहा है । वैसे इसको नियंत्रण करने का काफी प्रयास किया जा रहा है ।

गन्ना मूल्य की जो पोजीशन है यह 31 जुलाई तक जो गन्ने का शेष बकाया रह गया है वह 16 करोड़ 92 लाख रुपया रह गया है जो 5.14 प्रतिशत है । इसमें श्रीमन्, कुल देय जो है वह 329.221 करोड़ रुपये था, इसमें जो भुगतान किया गया है वह 312.29 करोड़ रुपये किया गया है । अब जो देय बचा है वह 16 करोड़ 92 लाख बचा है । श्रीमन्, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टेंगिग निर्धारित करता है और उस टेंगिग के माध्यम से गन्ने का मूल्य तय किया जाता है । जो अवशेष रह गया है उसके लिए अब व्यवस्थायें की गई हैं जिससे भुगतान किया जाए, जो लेवी मूल्य बढ़ा है, उससे जो अतिरिक्त लाभ होगा फी सेल का लाभ होगा उससे चुकाने की व्यवस्था की जाएगी । प्रत्येक गन्ना फैक्ट्री अलग से एक गन्ना मूल्य के लिए खाता खोलेगी । कोशिश यह की जा रही है कि उस टेंगिग मूल्य से इसका भुगतान हो सके । श्रीमन्, जो मैंने खाद की बात कही । इसमें मुख्य मन्त्री के प्रयास से नाबार्ड वाले सहमत हुए हैं और उन्होंने साढ़े 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के बीच की दर किसानों के लिये गन्ना के सम्बन्ध में ब्याज दर तय करके, लोनिंग के लिये सहमत हो गये हैं । अभी जो ऋण मिलता था 17-18 प्रतिशत ब्याज उस पर देना पड़ता था । यह जो नई व्यवस्था हुई है, इससे उम्मीद हुई है कि अब तक जो किसान नेत्रजन, फासफोरस और पोटास का प्रयोग कम करता था अब उम्मीद है कि वह प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेगा और हमारी कोशिश होगी कि डेढ़ सौ के0 जी0 नेत्रजन का प्रयोग प्रति हेक्टेयर किया जाय । यदि इतना प्रयोग किया जायेगा तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन बढ़ेगा । श्रीमन् 1980-85 में कुल 10 चीनी मिलों ने कार्य प्रारम्भ किया था इसमें से 80 में कुल 5 चीनी मिलें नई ऐसी थीं जिन्होंने गन्ने की पेराई का काम प्रारम्भ की थी । मान्यवर, 50-51 से 74 के बीच में 25 वर्षों में 6 चीनी मिल लगी जब कि 75 से 85 के बीच में 10 वर्ष में 25 नई चीनी मिलें लगी । निश्चित रूप से यह

प्रेरणात्मक चीज है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया है 90 तक 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल किये जाने का है, और गन्ने का उत्पादन 55 टन प्रति हेक्टेयर करने का प्रयास किया जायेगा। इससे कुल गन्ने का उत्पादन 990 लाख टन होगा और प्रति दिन पेराई 2.19 लाख टन टी0 सी0 डी0 करने का लक्ष्य है। इससे 27 लाख टन चीनी उत्पादन किया जाने का प्रस्ताव सातवीं पंचवर्षीय योजना में है। मान्यवर, राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत 30 चीनी मिलें हैं, इसमें से पिछले सत्र में 84-85 में 9 ने पेराई का काम किया। इसमें श्रीमन्, वह भी मिले हैं जिनका 71 से 84 में अधिग्रहण किया गया। 12 शुरू में ली गई और 12 अभी ली गई। इसमें वह सिक चीनी मिलें हैं जो 30 से 40 के बीच में प्रतिस्थापित की गई थीं। यह जीर्ण-शीर्ण मिलें थीं। इनको लिया गया और काम किया जा रहा है। इनकी जो क्षमता थी चूंकि मशीन पुरानी है, इसको पूर्ण क्षमता पर नहीं चलाया जा सकता है इनको ठीक-ठाक कराने का प्रस्ताव है। जब इनको अधिग्रहीत किया गया था उसके पूर्व इनकी क्षमता 4 हजार 784 टन की थी। इनमें जो चीनी पैदा होती थी वह 24.7 हजार टन है। श्रीमन्, सत्र 1984-85 में मिलों की स्थापित क्षमता बढ़कर 38054 टन हो गयी और चीनी का उत्पादन 290.2 हजार टन हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्थापित क्षमता में 8 गुना विपरीत के विरुद्ध चीनी उत्पादन में 12 गुना वृद्धि हुई जो कि कार्य क्षमता बढ़ाने के कारण ही सम्भव हुयी। दूसरे मान्यवर, मशीनों के चेंज आदि करने के कारण भी उत्पादन आगे आया और विद्युत् व अन्य भी कम आए जैसे जूस कारबोनेटर प्रेशर फिल्ट्रेशन टेक्नोलाजी तथा फास्को कारबोनेशन टेक्नालजी आदि नये अन्वेषण मशीनों के किये गये और वित्तीय हानि को बचाया गया। मान्यवर, इस प्रणाली के तहत 1978-79 से किच्छा एवं रोहानाकला चीनी मिलों में काम हो रही है और इससे चीनी बनाने की लागत में तथा चीनी के नुकसान में पर्याप्त कमी आयी है। मान्यवर, कहने का तात्पर्य यह है कि इन तमाम नये अन्वेषणों से निगम को काफी फायदा पहुंचा है और लगभग 3.30 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि से निगम को बचाया गया है। साथ ही मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ट्रूथेड रोलर प्रेशर फीडर टेक्नालाजी का प्रयोग निगम की किच्छा इकाई में किया गया जिससे विस्तारण का कार्य केवल 5-6 माह में ही सम्भावित हो गया, दूसरा फायदा इससे जो हुआ वह यह कि परियोजना की लागत में भी भारी कमी आयी तथा पावर खपत में भी 30 और 40 प्रतिशत तक बचत हुई। मान्यवर, मुझे यह कहने में बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि इन नये प्रयोगों के कारण अच्छी क्वालिटी की चीनी के उत्पादन के अलावा निगम की 21 चीनी मिलों को 6 करोड़ 40 लाख रु0 की वित्तीय हानि से बचाया जा सका। साथ ही छठवीं पंचवर्षीय योजना में निगम की स्थिति को मजबूत करने के लिए शासन द्वारा 8 चीनी मिलों को 23-59 करोड़ रु0 की धनराशि उपलब्ध कराई गयी। मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत सखौती टांडा, खड्डा मोहिउद्दीनपुर, किच्छा और चांदपुर चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया तथा सप्तम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 70 करोड़ रु0 की धनराशि प्रदान करके 12 चीनी मिलों का (छाता, डोईवाला, रामपुर, बाराबंकी, बुढ़वल, जरवल, बुलन्दशहर, सहारनपुर, रोहानाकलां, हरदोई, महोली व चांदपुर) आधुनिकरण एवं विस्तारीकरण का लक्ष्य रक्खा गया है।

अब मान्यवर, कोआपरेटिव्स मिल्स के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा संक्षेप में। 1984-85 में 25 सहकारी चीनी मिलें कार्यरत रहीं जिनके द्वारा 32 लाख टन गन्ना पेरकर 3 लाख टन चीनी

का उत्पादन किया गया। मान्यवर, इसी वर्ष में पांच नई सहकारी चीनी मिलों (मोरना, सेमीखेड़ा, सितारगंज, नानपारा तथा घोसी) का निर्माण कार्य पूरा करके उनमें पेराई आरम्भ में की गयी। तथा मान्यवर, तीन अन्य नयी चीनी मिलें पूरनपुर और लखीमपुर खीरी का निर्माण कार्य लगभग पूरा है और यह चीनी मिलें 1985-86 सीजन में लगभग अपना पेराई कार्य आरम्भ कर देंगी तथा गदरपुर, नैनीताल 1986-87 सीजन में अपना पेराई कार्य प्रारम्भ करेगी। 1250 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता की 10 चीनी मिलों की स्थापना से 12500 टन प्रति दिन क्षमता अधिष्ठापित हुयी। और यही नहीं मान्यवर, थोड़े से ऐडमिनिस्ट्रेटिव चेंज और कंट्रोल से वर्ष 1984-85 में सरसावा, ननौता, रमोला, बाजपुर आदि चीनी मिलें भी लाभ में चली हैं। 6 अन्य चीनी मिलों बाजपुर, मझोला, बागपत, अनूपशहर, नादेही एवं बिलासपुर की पेराई क्षमता में वृद्धि की गयी इससे 4950 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता की वृद्धि हुई है। सातवीं योजना में साढ़े बारह हजार क्विंटल की पेराई की व्यवस्था पुवायां-शाहजहांपुर की और पांच 1500 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता की अर्थात् 6 नई चीनी मिलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इनमें से 3 चीनी मिलों का निर्माण कार्य इसी सातवीं योजना के अन्तर्गत ही पूर्ण हो जायेगा तथा 3 चीनी मिलों का निर्माण कार्य आठवीं योजना में प्रारम्भ होगा। ननौटा (सहारनपुर), रमोला (मेरठ), बाजपुर (नैनीताल), सरसवां (सहारनपुर) एवं मोरना (मुजफ्फरनगर) में स्थित पांच सहकारी चीनी मिलों की पेराई क्षमता में 5250 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता में वृद्धि करके एक्सटेंशन किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 6 नई डिस्टलरी बनाये जाने का प्रस्ताव है इससे 90 हजार प्रति लीटर अल्कोहल बढ़ जायेगा। वह मझोला (पीलीभीत), ननौता (सहारनपुर) अनूपशहर (बुलन्दशहर) एवं नानपारा (बहराइच) की आसवनियों की उत्पादन क्षमता 30 हजार लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 60 हजार लीटर प्रतिदिन कर दी जायेगी। केमिकल इन्डस्ट्री लगाये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिये 4 इकाइयां स्थापित की जायेंगी। श्रीमन्, किसान सहकारी चीनी मिल समिति अनूपशहर (बुलन्दशहर) में प्रदेश के सार्वजनिक उद्यम अपट्रान इन्डिया से एक कम्प्यूटर सयंत्र क्रय किया गया है। इस कम्प्यूटर संयंत्र की लागत लगभग 12 लाख रु0 है। कम्प्यूटर संयंत्र के माध्यम से गन्ना सर्वेक्षण, बाण्डिंग, आपूर्ति, पर्ची, तौल एवं भुगतान का सम्पूर्ण कार्य किया जाता है। गन्ना उत्पादकों को गन्ना मूल्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है। संक्षेप में मैंने यह रूप-रेखा रखी है जिसकी योजना किसानों के लिए बनाई गई है। यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक बुनियाद है। इस पर माननीय सदस्य जो अपने [××] स्वर में कहेंगे, मैं चाहूंगा कि इसको प्रोत्साहित करें।

श्री मित्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि [××] स्वर में कहेंगे, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

हम देख लेंगे, अगर होगा तो निकाल दिया जायेगा।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर

नोट—[××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दी जाय। कमी करने के उद्देश्य वभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास ाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, कहा जाता है कि एक बार गांव में किसी आदमी के यहां कुड़की गयी। कुड़की ले करके चला गया एक काना अमीन। तो कुड़की वाले ने कहा कि और तो कोई तकलीफ नहीं है, केवल यह अमीन काना आ गया है। तो मुझे आज अफसोस है कि गन्ना विभाग और चीनी उद्योग विभाग बेचारे लावारिस मुहकमे हैं, क्योंकि इनका कोई मालिक नहीं है। मैंने जो लिस्ट पढ़ी है, मन्त्रियों के विभागों की, उसमें यह विभाग मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के पास है। वह आज हैं ही नहीं। यह जो बोल रहे हैं, इनके पास यह विभाग है ही नहीं। ये गन्ना विकास और चीनी विकास विभाग के राज्य मन्त्री नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आप इस विभाग के मन्त्री ही नहीं हैं।

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी का यह हाल है जैसे मान्यवर, एक रंगीले नवाब साहब थे। उनके पास इतनी अनगिनत बीबियां थीं कि उनको खुद ज्ञान नहीं था कि उनकी कितनी बीबियां हैं। वे अन्दर महलों में जाया करते थे तो छोटे-छोटे बच्चे मिलते थे। वह कहते थे अब्बाजान सलाम। नवाब साहब कहते थे कि अबे कौन सी का है। दस कदम और आगे बढते तो दूसरा बच्चा कहता अब्बा जान सलाम। उससे भी कहते, तू, कौन सी का है। तो इस तरह हमेशा 10-12 बच्चे मिलते और उन्हें पता नहीं होता था कि कौन सा बच्चा कौन सी बीबी का है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास 18 महकमें 18 बच्चों की तरह हैं। उनका सेक्रेटरी जब उनके पास फाइल लेकर जाते हैं तो पूछते हैं कि कौन से विभाग का सेक्रेटरी है। उन्हें यह पता नहीं है कि यह गन्ने का सेक्रेटरी है, या होम का है कि वित्त का है। कौन से विभाग का है। कुल 18 सेक्रेटरी हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। इतने महत्वपूर्ण मुहकमों को दबाए हुये हैं। क्या अच्छा होता अगर इसका एक मन्त्री बना दिया होता। रिछारिया जी अच्छे आदमी हैं। पता नहीं चौधरी नरेन्द्र सिंह जी ने इनको इस मुहकमें में कैसे फंसा दिया। ये झांसी के रहने वाले हैं, पत्थर और मोरंग का काम इनको समझ में आता है। गन्ने से इनका कोई मतलब नहीं है। हुकुम सिंह जी गायब हैं। उनका गन्ने से मतलब है। चौधरी नरेन्द्र सिंह जी को खेती का ज्ञान है, गन्ने का नहीं है। हां अब थोड़ा बहुत हो जायगा। इन्होंने घाटमपुर में फैक्ट्री लगवा दी है। यह हाल तो गन्ना विभाग का है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, खास तौर से हमारा प्रदेश तो है ही। मैं चूंकि गन्ने पर कटौती पेश कर रहा हूं, इसलिये गन्ने तक ही सीमित रहूंगा। गन्ना यहां की मुख्य फसल है। मान्यवर, गन्ना 37 जिलों में पैदा होता है, जो फैक्ट्रीज को जाता है बाकी कोल्हू वगैरह क्रेश कर लेते हैं, गुड़ बना या कच्ची शक्कर बना ली जाती है।

मान्यवर, प्रदेश में 3500 गांव हैं, जो मिलों को गन्ना सप्लाई करते हैं। रिछारिया साहब ने कहा कि 35 लाख के करीब हमारे किसान हैं। लेकिन, मान्यवर जिस तरह से फैक्ट्रीज बढ़ गयी हैं, गन्ना किसान भी बढ़ गये हैं। आज करीब 28 लाख 30 हजार किसान हैं जो गन्ना सप्लाई करते हैं मिलों को। मान्यवर यहां 4 किस्म की मिलें हैं। टोटल 99 फैक्ट्री हैं, 99 में से 30 फैक्ट्री चीनी निगम के हवाले हैं। 26

सहकारी क्षेत्र की हैं। 38 निजी क्षेत्र में हैं। 5 केन्द्र सरकार की रिसीवर शिप की फैक्ट्री हैं।]

99 फैक्ट्रीज कुल हमारे प्रदेश में कार्य कर रही हैं। मान्यवर, कुल पदावार का 30 प्रतिशत गन्ना मिलों को किसान देते हैं। बाकी गन्ने में से कुछ प्रतिशत खांडसारी यूनिट और कोल्हू में चला जाता है। कुछ चूसने में चला जाता है। कुछ बीज में चला जाता है। कुछ आजकल रस पीने का फैशन चल गया है, उसमें चला जाता है। इस तरह से गन्ने की हमारी खपत होती है। हमारे यहां प्रदेश में 1808 खांडसारी यूनिट्स हैं। मान्यवर, गन्ना किसान की नगद फसल है। यह किसान की रीढ़ की हड्डी है। हम तो पश्चिमी जिले के आदमी हैं।

एक सदस्य--

सहारनपुर को हरियाणा में कर दिया जाये, यह भी कह दें।

श्री राम सरन--

लोकपति त्रिपाठी जी की कृपा हो जाय, इसे हरियाणा ही भेज दें। हमें खुशी होगी।

हम पश्चिम के लोग बड़े चाव से गन्ना पैदा करते हैं। लेकिन, मान्यवर गन्ना इस तरह के पिट गया है कि उसका उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। 100 रु0 क्विंटल गीली लकड़ी मिलती है। मैं तो कहता हूं कि किसानों से कहे दूं कि गुड़ आदि के लिये 1-2 बीघा में गन्ना बो दो बाकी में यूकिलिप्टस के पेड़ लगा दो। न उसमें पाइरिला का डर है न बाढ़ से उसको खतरा है। 6 साल में अच्छे खासे पैसे उन यूकिलिप्टस के पेड़ों से मिल जायेगा।

मेरे जैसे आदमी को यह सोचना पड़ेगा कि गन्ने के बजाय यूकिलिप्ट्स के पेड़ लगा दूं। गन्ने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है।

मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज इनके राज्य में हालत यह हो गयी है कि हमको गेहूं बाहर से मंगाना पड़ रहा है। चीनी बाहर से मंगानी पड़ रही है। चीनी जो हम दूसरे प्रदेशों को भेज सकते थे, आज हमें बाहर से मंगानी पड़ रही है।

हमारा मुख्य धन्धा गन्ने की पैदावार करना था और गेहूं की पैदावार करना था लेकिन आज इसे यह विदेशों से मंगवा रहे हैं। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

मान्यवर, इसमें लिखा है कि "यह सोचने की बात है कि चीनी का उत्पादन जो 1982-83 में 82.32 लाख टन हुआ था, वह 1983-84 में गिरकर 59 लाख टन क्यों रह गया? इसका कारण स्पष्टतः चीनी मूल्यों की और गन्ना उत्पादकों के बारे त्रुटिपूर्ण नीति है। गन्ना उत्पादकों को जब वह भरोसा नहीं रहता कि उनका कुल गन्ने की मिलों में खपत हो जायेगी और जो गन्ना मिलें खरीदेंगी उसकी कीमत समय पर ही मिल जायेगा। तब उन्हें गन्ना उत्पादकों के रकबे को घटाने में मजबूर होना पड़ता है। इसी प्रकार चीनी मिलों का उत्पादन की बिक्री की भी समुचित व्यवस्था नहीं है जिससे बड़ी मात्रा में चीनी मिलों में जमा हो जाती है।

श्री शिवनरायन मिश्र--

मान्यवर, माननीय सदस्य जो यह पढ़ रहे हैं, वह कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री राम सरन--

मान्यवर, आंखों से पढ़ रहा हूं। मिल-मालिकों को इससे किसानों के गन्ने की कीमतों को न देने का बहाना मिल जाता है। इसी कारण वे मिलों के आधुनिकीकरण से भी बचते रहते हैं।

यह सही है कि विदेशों में चीनी की खपत का अवसर घटा है पर इससे यह तो नहीं होना चाहिए कि देश के अन्दर चीनी का उत्पादन इतना घटा दिया जाय कि उसे बाहर से मांगना पड़े।

श्री अधिष्ठाता--

किस पुस्तक से उद्धरण लिया गया है।

श्री राम सरन--

मान्यवर, अमृत प्रभात दिनांक 29-7-84 के अखबार से लिया गया है। मान्यवर, 1948 में किसानों को उपज के सही दाम मिले थे। 2 रुपए मन गन्ना और 32 रुपए मन चीनी मिली थी। मैं तो रफी अहमद किदवई साहब का ही फारमूला कह रहा हूं। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो उसके बाद से ही किसानों की कमर टूटी है, उससे पहले ऐसे स्थिति नहीं थी। लेकिन 48 में जब हम हट गये थे, आचार्य जी, लोहिया जी के साथ, हम वही रम गये थे, इन्हें 62 में लिया, फिर 67 में लिया उससे ज्यादा, फिर ऐसा शुरू किया जैसे वह चन्दा न हो कर इनकी पार्टी की हिस्सेदारी हो और तभी से यह सारा सिस्टम बिगड़ गया। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चीनी पैदा किया करता था। नेता विरोधी दल का भाषण पढ़ा था, सुना भी था, परसों मंगवा कर पढ़ा, बहुत छोटा है, परेशान न हों, प्रोसीडिंग में आ चुका है, फिर आ जायगा....

(हंसी)

उनकी अकल में आ जाय तो और भी अच्छा है। प्रोसीडिंग इनके गले में घुसेड़ना है....

(हंसी)

मुलायम सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था प्रदेश की सरकार की चीनी के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं रही। इस कारण चीनी के उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अपना वर्चस्व खो चुका है। वर्ष 1952-53 में हिन्दुस्तान में जितनी चीनी पैदा होती थी उसके आधे से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में पैदा होती थी लेकिन अब हालत यह है कि चीनी का उत्पादन का 1/5 हिस्सा ही उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं होता। उससे भी कम चला गया....

(व्यवधान)

आप बिल्कुल फ्री हैं खूब लूटो, खाओ, घसीटो। चीनी की पैदावार बढ़ाने में भी पीछे हटे और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में। यहां पहले भी कहा था कि 325 मिलें सारे देश में हैं। मैं बकाये पर आता हूं। रिछारिया जी, जब एक क्वेश्चन था, मैं यहां था, जो उनकी किताब में छपा है सरकारी किताब में, उसमें 21,14 लाख बकाया था। रिछारिया जी ने और दे दिया होगा और आज 18 करोड़ से कुछ ज्यादा माना है किसानों का मिलों पर है।

तो श्रीमन्, आप से निवेदन करूंगा कि, पूरी लिस्ट में जाऊं बकाये की तो, कुछ अनाप-शनाप बोलेंगे तभी दूंगा। तीन मिलें हैं उनकी एक निगम की, एक सहकारी क्षेत्र की और एक केन्द्रीय रिसीवर शिप की। 2-4 जगहों को छोड़ कर इन मिलों को रिजर्व बैंक से या सरकारी खजाने से, पता नहीं क्या जाल-बट्टा कर के कुछ मिलों का, निगम और केन्द्रीय रिसीवर शिप की हैं, दिलवाने की कोशिश की लेकिन जो निजी क्षेत्र की मिलें हैं उन को छोड़ दिया....

श्री हरदेव--

यह भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही है।

(हंसी)

श्री राम सरन--

सुनिये, आपकी समझ में नहीं आयेगा। मैंने भी गेंदा सिंह जी के साथ काम किया, सारी गन्ने की

राजनीति गेंदा सिंह जी के साथ सीखी है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राम सरन--

मैं चाहूंगा सरकार से कि यह जो निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, इनसे भी पैसा दिलवाने का कष्ट करें चाहे रिजर्व बैंक से दिलवायें या किसी और प्रकार से। ये चीनी मिलें किसानों को पैसा नहीं दे रही हैं। हमारे क्षेत्र में देवबन्द और इकबालपुर निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, दोनों के ऊपर बकाया है। 1,02,00,000 रु0 इकबालपुर पर बकाया है और 67,00,000 रु0 देवबन्द चीनी मिल पर है। यह एक अखबार है इसमें लिखा है कि "उत्तर प्रदेश की एक चीनी मिल के महाप्रबन्धक द्वारा खालिस्तानियों को धन"। खालिस्तानियों को पैसा देंगे लेकिन किसान को गन्ने का पैसा नहीं देंगे। यह सहारनपुर की ही इन मिलों से सम्बन्धित खबर है। यह हाल है गन्ने का। "चीनी के दाम अभी और बढ़ेंगे", हुकुम सिंह जी। 4 से 10 अगस्त का "रविवार" जो निकलता है, उसे खरीद लो, उसमें लिखा है, पैसे न हों तो मैं दे दूं। "राजनीति के चक्कर में चीनी उद्योग" अखबार "अमृत प्रभात" है, 26-7-85 का, यह भी पढ़ लो। "चीनी का चक्रव्यूह" 22-7-84 का साप्ताहिक "हिन्दुस्तान" भी पढ़ लो। हमारे पश्चिम के लोग और खासतौर से हुकुम सिंह जी, जो हमारे रिश्तेदार हैं....

(हंसी)

एक सदस्य--

कैसे ?

श्री राम सरन--

मैं इनके यहां ब्याहा हूं।

(तीव्र हंसी)

इतना भयानक पायरिला लगा है, प्रदेश में कि बुलन्दशहर जो माननीय किरन पाल सिंह जी व त्रिलोक चन्द्र जी का जिला है, गाजियाबाद, जो माननीय महेन्द्र सिंह भाटी जी का है, मेरठ, जो माननीय भोपाल सिंह एवं अन्य माननीय सदस्यों का जिला है, मेरठ और मुजफ्फरनगर की तो यह हालत हो गयी है कि अगर आप गन्ना के खेतों के पास से निकल जायं छिड़काव की तो आप बात छोड़ दीजिये, यदि गन्ना के खेत के पास से निकल जायं तो मैं उनको बहुत बड़ा इनाम दे सकता हूं, जो कहेंगे वह दे दूंगा, उसके खेत के पास जाने से आखों में आंसू आ जाते हैं इस कदर प्रकोप है वहां पर पायरिला का।

यहां नरेन्द्र सिंह कहे हैं कि सारी जिम्मेदारी नारायन दत्त तिवारी की है और नारायन दत्त तिवारी कहे हैं कि सारी जिम्मेदारी नरेन्द्र सिंह की है। अब दोष किसका है यह आप पता कर लें। इन्होंने ठेकेदारी पर छिड़काव कराया जिसमें 2 रुपये 35 पैसे के हिसाब से कमीशन लिया गया है और छिड़काव क्या है दवा नहीं, पानी और पानी भी कुयें का नहीं तालाब का जिसमें रंग भी पता न लगे। चार करोड़ रुपया की दवा खरीदी गयी गन्ना सरकारी समिति संघ की तरफ से, लेकिन वह दवा कहां गयी ? पायरिला तो वैसे का वैसा ही मौजूद है।

बजट में कोई प्राविजन ही नहीं है कीटनाशक दवाइयों के लिये, कहां से हवाई जहाज से छिड़काव कराओगे। इनके यहां बजट में कीटनाशक दवा खरीदने के लिये प्राविधान ही नहीं है उस दिन हुकुम सिंह कह रहे थे कि हमने बात की है हवाई जहाज से दवा के छिड़काव के लिये कहां से कराओगे ? जब बजट में आपके पास उसके लिये धन ही नहीं है।

जब प्रदेश में फैक्ट्रियां लगी थीं और चल थीं। यह फैक्ट्रियां सीधे किसानों से गन्ना खरीदती थीं। जब

फैक्ट्रियों ने शोषण करना शुरू कर दिया तो उस समय श्री गेंदा सिंह जी, श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी जी जैसे लोग थे जिन्होंने सहकारी यूनियन बनाना शुरू किया था। इसी सहकारी यूनियन की तादाद आज प्रदेश में 137 है। लेकिन आज वह लावारिस की तरह है क्योंकि आज वहां सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं। वहां पर अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। सोसाइटीज के चुनाव कब तक करायेंगे, यह अभी तय नहीं है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि गन्ना ग्राम सेवक एक बहुत छोटा या यों कहिये कि सबसे छोटा कर्मचारी होता है। यह 4,000 है और एक ग्राम सेवक 500 एकड़ से 5,000 तक का रकबा देखता है। तो क्या कल्पना कर सकते हैं कि एक ग्राम सेवक 5,000 रकबा जिसमें गन्ना पैदा होता है किसान का, भलीभांति देख सकता है या नहीं देख सकता है? यह संख्या सन् 60 की है। 60 के बाद उन्होंने कोई भर्ती नहीं की है। अब गन्ना ग्राम सेवक की यह संख्या कम है। गन्ना ग्राम सेवकों की संख्या 15,000 करनी चाहिए। 1,000 आदमी और भर्ती करनी चाहिए। इस तरह से 10 हजार आदमियों को आप रोजगार देंगे। इसमें चाहे 10 राणा जी के, 20 रिछारिया जी के, 10 हुकुम सिंह जी के हो, भर तो लें, कुछ करों, नर हों, कुछ काम करके खाओ। तो यह ग्राम सेवक भर्ती करने चाहिए। मैं तो बड़ी मोटी भाषा में बोल रहा हूं इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। एक तो आप 10 हजार की भर्ती करें। पहले मुहकमे में, चूंकि यहां गन्ना के अधिकारी भी बैठे हैं, पहले गन्ना का ग्राम सेवक जिसे कामदार कहते थे, कभी वह सुपरवाइजर के नीचे काम करता था। अब सुपरवाइजर से उसका सम्बन्ध नहीं रहता है। गन्ना ग्राम सेवक का सीधा सम्बन्ध सुपरवाइजर से होना चाहिये सी० डी० आई० से या एस० आई० डी० से नहीं होना चाहिए ताकि कंट्रोल अच्छा हो सके। क्योंकि गन्ना ग्राम सेवक काफी फर्जी पर्ची बनाता है और कल्पना भी कीजिए कि कहां जायेगा गन्ना ग्राम सेवक।

तो मैं यह जो सहकारी चीनी मिल संघ है। यह सहकारिता विभाग में आपने 26 मिलें चला रही हैं, काम उनका जैसा है, है। लेकिन सब के ऊपर आई० ए० एस० बैठा रखे हैं, सब जगह पी० सी० एस० बैठे हैं, सब जगह डिप्टी कलेक्टर हैं जो जनरल मैनेजर हैं। इसका नेहरू जी ने 63 में उद्घाटन किया था। और आज यह हालत है कि जिसको कोई जगह नहीं मिली वही भेज दिया। आज के आई० ए० एस०, पी० सी० एस० चीनी मिल का जनरल मैनेजर बनना पसन्द करते हैं बजाय एक जिले का कलेक्टर बनने के। मान्यवर, यही चीनी निगम का हाल है। चीनी निगम इसके अन्दर 30 मिलें चलती हैं वह तो इसका भी बाप है। इसका काम अजीब है। मान्यवर, यह एक बात याद आ गयी, रिछारिया जी आप एक नये आदमी गन्ने के मामले में हैं जब आप किसी नयी फैक्ट्री का अधिग्रहण (टेकओवर) करते हैं तो उसको आप कब अपने विभाग में करते होंगे, लोकपति जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो जब उसमें किसान के गन्ने का बकाया होगा, श्रमिकों का वेतन होगा और टैक्सेस होंगे, सरकार की देनदारी होगी। जब वह देने के नाकाबिल हो जाती है तो टेकओवर हो जाती है। ब्रह्म दत्त जी जब नेता सदन थे। हमने कहा था सहारनपुर की जब फैक्ट्री ली गयी तो उसके ऊपर 22 लाख का कर्जा था किसानों का, श्रमिकों का। जब सदन में इस पर बोले थे तो मैंने कहा था कि सहारनपुर का कितना कर्जा आपने दे दिया है, उधार लेकर दिया है। आज उस फैक्ट्री के ऊपर साढ़े 5 करोड़ का कर्जा है जबकि 22 लाख से

अधिग्रहण किया था और साढ़े पांच करोड़ हो गया । तो अधिग्रहण क्यों करते हैं अगर करते हो तो ठीक ढंग से चलाओ । 12 करोड़ जनता के लिए करो, 100-200 अफसरों के लिए करते हो । चीनी निगम 80 करोड़ रुपये के घाटे में है । आप जवाब दे देना 180 करोड़ के घाटे में हैं, तो यह हालत है, चीनी निगम की । मान्यवर, दोष यह है कि पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 अधिकारी बठते हैं, अगर वह झांसी का रहने वाला है और सहारनपुर में पोस्ट है, तो सहारनपुर में भरती करेगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को चाहे वह 100 मील पर हो और इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, पोस्ट निकालते हैं और भर्ती कर लेते हैं, तो घाटे में नहीं जायेंगे तो क्या फायदे में जायेंगे । मैं चाहूंगा कि आप इस फौज पर अंकुश लगायें, क्या करूं आप बोलने नहीं दे रहे हैं । समाप्त करता हूं ।

मान्यवर, गन्ना संस्थान है, किराये के लोगों को लिया जाता है और उनसे लेक्चर कराया जाता है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना रखी है, किसानों से कोई मतलब नहीं है । सत्यपाल हैं क्या, उनके यहां गन्ना शोध परिषद् है, ऐसा लगता है कि कोई लाटरी निकली है, सारा गन्ना तो कोयम्बटूर से आता है, यहां की वेरायटी तो कोई बाता नहीं है, मान्यवर, बुरा मत मानना, मेरी भाषा है, गन्ना का शोध नहीं कर रहे हैं, आदमी भर रहे हैं और मजा मस्ती कर रहे हैं । मान्यवर, बीज निगम है, 5 प्रतिशत भी किसानों को बीज नहीं दे पाता है । मुजफ्फरनगर में है, मैं जानता हूं । आप इतना क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं, रिछारिया साहेब आप इसके लिये क्यों पैसा मांग रहे हो, एक भी पैसा न दो । मैं सदन के दोनों पक्षों से कहूंगा कि आज अनहोनी का काम कर दो और हमारे कटौती के प्रस्ताव को पास कर दो, मजा आ जायेगा ।

[समय 4 बजकर 30 मिनट]

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे गन्ने के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, बहुत देर से हमारे सम्मानित सदस्य ने बड़े लच्छेदार तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की और एक-एक बात को पढ़ कर सुना दिया, मान्यवर, इस तरह सदन का समय जाया न हो, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारी सरकार ने सन् 80 के बाद से आज तक कांग्रेस के राज में हमेशा किसानों के हित को सामने रखते हुए और किसानों के उत्पादन को ध्यान में रखते हुये जितना भी उनके गन्ने का उत्पादन हुआ उसका एक-एक रुपया किसानों को अदा किया । मान्यवर, आपको याद होगा कि जब शासन यहां पर जनता पार्टी का था उन तीन वर्षों में हमारे सभी माननीय सदस्यों को याद होगा क्योंकि वे उस समय इधर बैठते होंगे, इस देश की जनता ने बहुत जल्दी फैसला ले लिया अपने किसानों को बचाने के लिये । आपको याद होगा कि जिस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की तबाही हो रही थी, हमारे बहुत सारे किसान उस तथाकथित किसान नेता से दिल्ली मिलने गये थे तब सभी किसानों ने उनसे कहा कि मान्यवर, गन्ने की जो दुर्दशा आपके शासन में हुई है, उसके सम्बन्ध में हम आपसे बात करना चाहते हैं । मान्यवर, आपको याद होगा कि उस समय उन्होंने कहा था कि आपको किसने कहा था इतना गन्ना बोने के लिये ।

और अगर कहीं जगह नहीं बची है तो मेरे सिर पर बो लीजिये । मान्यवर, आज विपक्षी सदस्य वहां बठकर उन गन्ना नेता की दुहाई देते हैं ।

मैं बताना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस शासन आया है, जब से हमें आजादी मिली है उससे पहले हमारे माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि इस उत्तर प्रदेश के अन्दर लगभग 60 चीनी मिलें हुआ करती थीं और पिछले 25–30 वर्षों में कांग्रेस ने अपने राज में लगभग 40 गन्ना मिलें देकर इस प्रदेश में औद्योगिक क्रान्ति लाकर दिखाई है । मैं आज सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सम्मानित सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनको खास तौर से बताना चाहता हूं कि सन् 80 से 1984 तक जिन किसानों ने मिलों को गन्ना दिया है उसका टोटल भुगतान सरकार कर चुकी है और सन् 1985 में किसानों को भुगतान 96 प्रतिशत तक इस 31 जुलाई, 1985 तक हो चुका है । मैं इसके लिये शासन को भी बधाई देना चाहता हूं और अपने मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी उपलब्धि इससे पहले किसी वर्ष में नहीं हुई है । मान्यवर, आप देखते हैं कि सन् 1980 से लेकर 1984 तक हमारी सरकार ने किसानों को गन्ने का मूल्य 23 रु0 क्विंटल दिया । जनता सरकार ने 12 या 13 रुपये से ज्यादा मूल्य किसानों को नहीं दिया और वह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह हालत थी कि हमारे बहुत सारे किसानों को गन्ने का मूल्य केवल 2/3 रुपये के अन्दर ही मिला और उनको अपना गन्ना सड़कों पर ही फेंकना पड़ा। सन् 1980 में गत वर्ष तक हमारी सरकार ने करीब 23 रु0 क्विंटल गन्ने की कीमत किसानों को दी जिससे पिछले पांच वर्षों में 800 करोड़ रुपये अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है । मैं यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव को रखा है, उनसे कहना चाहता हूं कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें । हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह से किसानों के हितों की रक्षा की है । इस सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अच्छे फैसले लिए हैं । मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में गन्ना कमिश्नर और गन्ना सचिव के प्रयासों से सरकार ने एक नई नाड़ि योजना चलाई है और वह भी खास तौर से गन्ना किसानों के हितों के लिए चलाई है । इसमें किसानों को जो ऋण दिया जायेगा उसमें 18 प्रतिशत ब्याज की जगह पर 11 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का निर्णय लिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

दो मिनट और लूंगा । मान्यवर, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पायरिला जैसी बीमारी है जो वास्तव में चिंता की बात है और जो एक प्राकृतिक प्रकोप है । वह किसी के द्वारा पैदा नहीं की गई है । हमारी सरकार ने इस प्रकोप का सामना करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने और अधिकारियों ने इस तरफ अच्छा प्रयास किया है । पायरिला की वजह से जानवरों को चारा नहीं मिलता है उसके खाने से जानवर बीमार हो रहे हैं और किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

मैं सदन के माध्यम से निवेदन करता चाहता हूं कि जो यह पायरिला की

बीमारी फैल रही है इसका वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण कराया जाय और हवाई छिड़काव किया जाय या कोई और तरीके जो वैज्ञानिक बतायें तो उसकी जानकारी किसानों को दी जाय । इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहने का अवसर दिया । मान्यवर, गन्ना किसान की दुर्दशा की कहानी, गरीब भारत की दुर्दशा की कहानी से मिलती जुलती है । गन्ना पैदा करने वाला एक ऐसा अभागा किसान है जिसकी मिसाल विश्व के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी जिसमें बोने वाले को यह अधिकार नहीं कि वह अपने सामान को कहां बेचेगा, उसको किस रेट पर बेचेगा और किसके माध्यम से बेचेगा । किसान गर्मी में पसीने से लथपथ होकर गन्ना तैयार करता है और दिल्ली में एयर कंडीशंड कमरों में बैठे लोग भाव तय करते हैं, कहां बिकेगा यह तय करती है यह सरकार और किसके माध्यम से बिकेगा यह तय करती है गन्ना फैडरेशन या सोसायटी । तो किस रेट पर बेचना है, किसके हाथ बेचना है और कहां बेचना है इसको तय करने का हक उसे नहीं है । ऐसी चीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी । मेरा एक निवेदन है अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि आने वाले सीजन में गन्ने की कीमत क्या होगी ? मैंने एक नोटिस दिया है इस सम्बन्ध में जो स्वीकार किया है । यहां से याचिका कमेटी पचपेड़वा गयी थी, वहां के विधायक वापस नहीं आये तो वहां पर हमने देखा कि ईंट के भट्टों में जलाने के लिए लकड़ी की जगह गन्ना जा रहा था खरीद-खरीद कर गन्ना भट्टों में जा रहा था तो हमने किसानों से पूछा तो कहने लगे भट्टे में ले जा रहे हैं नहीं तो खड़ा रह जायेगा । लकड़ी 60 रुपये क्विंटल से अधिक में मिल रही है और गन्ने का दाम आप 22 रुपये दे रहे हैं । यहां पर जनता पार्टी के समय की बात कही गयी । मैं बताना चाहता हूं उस समय सारे हिन्दुस्तान में दो रुपये 15 पैसे के हिसाब से प्रति किलो चीनी मिल रही थी और आज बाजार में 10 रु0 किलो के हिसाब से भी नहीं मिल रही है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

शांति रखें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा । आज गन्ना किसान की बड़ी दुर्दशा है मैं समझता था माननीय नारायण दत्त तिवारी जिनका चीनी उद्योग से निजी सम्बन्ध रहा है, उसमें काम करने वाले मजदूरों से निजी सम्बन्ध रहा है, मुझे उम्मीद थी उनका यह विभाग है और वे आज सदन में आयेंगे और गन्ना किसान के सम्बन्ध में मौलिक बात रखेंगे । माननीय रिछारिया साहब ने आंकड़े दे दिए वह तो हमने घर पर भी पढ़ लिए हैं । अभी माननीय राम सरन दास जी बोल रहे थे मैं तो उनको टिक्का खां कहता हूं । 1952 में पूरे देश की आधी चीनी उत्तर प्रदेश पैदा करता था और आज एक तिहाई भी पैदा नहीं कर पा रहा है । किसान कितना गन्ना बोये 10 एकड़ बोये या एक एकड़ बोये उसके लिए कोई प्लान नहीं बना है । आपने कोई योजना नहीं दी । इसी लिए आज स्थिति यह है कि कभी गन्ना सरप्लस हो जाता है और कभी अलटर-नेट इयर में गन्ना फैक्ट्रीज को गन्ना नहीं मिलता है आपने टेक ओवर मिलों को किया तो यह पुरानी मांग थी कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राष्ट्रीयकरण चीनी मिलों का किया जावे लेकिन आपने टेकओवर किया जिसका परिणाम क्या मिला । मान्यवर, मुझे जानकारी है कि छितौनी फैक्टरी में 12 लाख रुपया था जब टेकओवर किया और आज कारपोरेशन ने लिया तो 7 करोड़ रुपये की देनदारी हो गई है । यह पैसा कहां जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किस पर फिक्स हो रही है । मान्यवर, मेरा निश्चित आरोप है कि इस मिल को चलने के लिए विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई और मिलों में जब रिसीवर और जनरल मैनेजर पी0 सी0 एस0 होंगे तो क्या होगा क्योंकि वह इस सम्बन्ध में इक्सपर्ट नहीं हैं । इसीलिए दूसरे लोगों को जो जानकार नहीं हैं, उनको लेकर इस उद्योग को आप नहीं बढ़ा सकते हैं । आज जो गन्ना समितियां हैं, उनके चुनाव 10 साल से नहीं हुए हैं, प्राइमरी गन्ना समितियां, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स, संघों और फेडरेशन का चुनाव नहीं हुए हैं और यह मिल अधिकारियों के नियंत्रण में चल रही हैं जिससे किसानों को गन्ने की कीमत नहीं अदा की जा रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी पैसा किसानों पर बाकी होता है तो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो उसी प्रकार गन्ना किसानों का जो करोड़ों रुपए मिल मालिकों और सरकार पर बाकी है तो उसके लिए रिकवरी सर्टिफिकेट क्यों जारी नहीं किया जाता है ।

मान्यवर, गन्ना अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने तय किया था कि चीनी का जो पैसा आवेगा उसमें 85 प्रतिशत किसानों के एकाउन्ट में जावेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि जांच करवा लें लेकिन डी0 एम0 ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 85 प्रतिशत धन दूसरी जगह खर्च कर लिया इसलिए बकाया किसानों का पड़ा है । मान्यवर, इसी तरह निगम की फैक्टरियां जो हैं वह उत्तर प्रदेश में विद्युत् परिषद् के बाद यह घाटे का निगम है । एक तो इसमें 30 फैक्टरियां आ गयी हैं तो जब तक इसका विकेन्द्रीयकरण नहीं होगा तब स्थिति में सुधार नहीं आवेगा । मान्यवर, मेरी मांग है कि गोरखपुर में एक निगम स्थापित किया जावे मान्यवर, मेरी मांग यह है कि इन फैक्टरियों की क्षमता बढ़ाई जाये क्योंकि पुरानी फैक्टरियां 1920 से चल रही हैं, इसलिए इनकी क्षमता बढ़ायी जाये और कम से कम दो हजार टन की जावे वरना कितना ही पैसा आप दे दें यह फैक्टरियां मुनाफे की नहीं हो सकती हैं ।

मान्यवर, इसी तरह भ्रष्टाचार का मामला भर्ती में किया जाता है और नियमों की अवहेलना करके नियुक्तियां की जाती हैं । इसलिए फैक्टरियों को चलाना है तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा । किसानों को सुविधायें देना होगा । मान्यवर, घुघली, बंजरिया पट्टी में 60 डिस्मिल जमीन है और 60 हजार रुपये कर्जा दिया गया है । किसान 150 रुपये प्रति पर्ची खरीद कर गन्ना गिरा रहे हैं और कर्मचारियों ने डुप्लीकेट पर्ची बनाकर पेमेन्ट कर दिया है । यह भ्रष्टाचार का उदाहरण है सिसवा फैक्टरी दो साल से नहीं चल रही है । शासन हर साल कहता है कि फैक्टरी तैयार है लेकिन चलती नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ । आप बैठ जांय ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि गन्ने का भाव अभी तक तय क्यों नहीं किया है ? गन्ना किसानों को बोनस क्यों नहीं देते हैं । पूर्व में पश्चिम से गन्ने की रिकवरी कम नहीं है तो फिर पूर्व में पश्चिम से दाम कम क्यों देते हैं ?

मेरी सरकार से मांग है कि आप अगले सीजन के लिए गन्ने का भाव आज से ही तय करें, जिससे उसे मालूम हो सके कि पिराई के समय उनके गन्ने की कीमत क्या होगी। आप इस चीज की आज ही घोषणा करें और किसान को बोनस देने की घोषणा करें। साथ ही पूर्व और पश्चिम के गन्ना किसानों को भाव के मामले में डिवाइड करने का काम न करें। आप दोनों को ही एक रेट से भाव दें। इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बाबू सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने गन्ना मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपका आभारी हूं। इसके साथ साथ विरोध पक्ष के श्री राम शरण दास द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हमारी सरकार ने अपने बजट में गन्ना उद्योग, को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में पालिसी सम्बन्धी जो विचार व्यक्त किये हैं, उससे हम आशा करते हैं कि प्रदेश में यह उद्योग दिनों दिन पनपता रहेगा और पनप कर रहेगा मैं मानता हूं कि गन्ना क्षेत्र में सरकार ने किसानों को जो प्रोत्साहन दिया है, जो फार्मों पर उपलब्धि हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। विभिन्न प्रकार की मिलों को बढ़ावा देने में हमारी सरकार ने जो कामयाबी हासिल की है, वह किसी अन्य उद्योग से कम नहीं है। आपने देखा है कि पिछले वर्षों में केन प्राईज के मामले भुगतान के मामले में, हमारी सरकार ने एक मिसाल कायम की है, वह किसी से छुपी नहीं है। फिर भी विरोध पक्ष के भाई इसे नकारना चाहते हैं। इस समय केवल 6 प्रतिशत का भुगतान बाकी है और उसके लिए भी सरकार बराबर प्रयत्नशील है कि तुरन्त भुगतान किया जाय और मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र ही यह भुगतान होगा। इस वक्त चीनी मिलों में जो सप्लाई की पालिसी बनाई गई है, मैं समझता हूं वह भी कारगर होगी, क्योंकि चार वर्षों के औसत पर गन्ना आपूर्ति जो देने की पालिसी बनाई गई है, वह किसानों के लिए बहुत हितकर है। मैं समझता हूं कि इससे किसानों के साथ न्याय होगा और छोटे किसानों को जो वरीयता दी गई है वह भी एक अच्छा कदम है और तारीफ योग्य कदम है। मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों 1981–82, 82–83, 83–84 और 84–85 से यह अच्छी पालिसी साबित होगी। ऐसा मेरा विश्वास है।

इसके साथ–साथ जो सस्ते ब्याज पर खाद और बीज देने की व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं कि उससे भी किसानों को काफी राहत मिलेगी और प्रगति के मार्ग पर हमारा किसान बढ़ेगा जहां तक तौल की बात है, गन्ने की तौल के मामले में बहुत सी जगहों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं तो तौल के लिये कुछ आधुनिक कांटे लगाये हैं जिससे कि यह तमाम गलतियां रोकी जा सकें। मान्यवर, इस समय पयरिला का प्रकोप गन्ने की फसल पर और अन्य फसलों पर बहुत ज्यादा है। यह वास्तव में हमारे किसान वर्ग के लिए और तमाम पश्चिमी जिलों के किसानों के लिये दुखदायी घटना है। वैसे पिछले महीनों में हमारी सरकार ने, हमारे शासन ने प्रशासन ने युद्धस्तर पर दवा छिड़कने का काम किया है इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह दवायें निष्प्रभावी रही हैं जिसके कारण उसका रिजल्ट ठीक नहीं रहा। तो मैं मांग करता हूं कि जब दवाओं का प्रभाव अच्छा नहीं रहा है तो किसान से उसकी कीमत क्यों ली जाय। मैं समझता हूं कि तमाम साथी मेरी इस बात की ताईद करेंगे कि किसान से उसकी कीमत न ली जाय। मैं धन्यवाद करते हुये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्रीमती सरोज वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं मेरठ से विधायक हूं। वहां पर गन्ने की ही फसल असली फसल है, किसान को उसके नगद दाम मिलते हैं जिससे वह अपनी सारी व्यवस्था करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस लिए मैं कहना चाहती हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान बरबाद हो रहा है उसकी तरफ हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया है। माननीय मुख्य मन्त्री ने जब शपथ ली थी तो अखबारों में बयान दिया था कि मैं किसानों के बकाये पैसे को 15 सितम्बर तक दिला दूंगा और दूसरा 15 सितम्बर आने में भी ज्यादा दिन नहीं है। पिछले 1983–84 तक का, किसानों का 4 करोड़ 72 लाख रुपया बाकी है और 1984–85 में 16 करोड़ 92 लाख रुपया बाकी है। तो मुख्य मन्त्री बनते समय तिवारी जी ने जो आश्वासन दिया था वह कहां गया। किसानों का इतने करोड़ रुपया बाकी है, मैं जानना चाहती हूं कि आपने योजनायें बनायी हैं, लेवी बढ़ायी गयी है और अभी मन्त्री जी ने भी कहा है लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि आप कब तक यह पैसा अदा कर देंगे इसकी सीमा बता दीजिये। साल दर साल बीत गये हैं लेकिन किसानों को पैसा नहीं मिला है। इसके अलावा जो बकाया पैसा किसानों को दिया जाता है उसका ब्याज उनको क्यों नहीं दिया जाता। आपने नियम बना रखा है और बहुत सी मिलें सोसाइटी को ब्याज का पैसा देती हैं लेकिन वह पैसा किसानों तक नहीं पहुंचता है। सोसायटी कहती है कि इसमें हिसाब किताब बहुत रखना पड़ता है। तो सरकार उनको निर्देश दे सकती है कि अब जो भुगतान किया जाय उसके साथ-साथ किसानों को उनका ब्याज का पैसा भी दिया जाय। मैं आशा करती हूं कि आप मन्त्री जी इस तरह का निर्देश देंगे कि किसानों को उनका भुगतान करते समय ब्याज का पैसा भी साथ दिया जाय।

इसके अलावा जो गन्ने का मूल्य रखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साढ़े 21 रुपये और पूर्वी उत्तर प्रदेश में साढ़े 20 रुपये वह कम है या ज्यादा है यह दूसरी बात है लेकिन जो मूल्य रखा गया है वह भी कहां मिलता है किसानों को मेरठ, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलें कम लगी हैं और क्रेशर बहुत हैं, खांडसारी इकाइयां हैं जिन पर किसानों का ज्यादा से ज्यादा गन्ना जाता है लेकिन किसान का दाम 14–15 रु0 मिलता है। जो किसान खांडसारी इकाइयों और क्रेशरों को गन्ना देते हैं, गन्ना उत्पादन में उनको उतनी ही खाद देनी पड़ती है, उतना ही पानी देना पड़ता है और उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है तो किसान को इस तरह से क्यों सताया जाता है? इसके लिए मेरा सुझाव है, इसमें खांडसारी इकाइयों का दोष नहीं है। क्योंकि उनकी रिकवरी आती है 7 प्रतिशत और मिलों की रिकवरी 9–10 प्रतिशत आती है। सरकार को चाहिए कि उनको अनुदान दे ताकि किसानों को बराबर पैसा मिल सके। दूसरे देशों में किसान की उपज को महंगे मूल्य पर खरीदते हैं, जिससे किसान को नुकसान न हो, तो आपको भी चाहिए कि खांडसारी इकाइयों का टैक्स माफ कर दें। श्रीमन् कटौती और भी बहुत तरह से होती है। चीनी मिल का जो गेट होता है, वहां पूरा मूल्य किसानों को मिल जाता है, लेकिन बाहर जो क्रय केन्द्र होते हैं, वहां उनका एक रुपया और डेढ़ रुपया काटा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जबकि सरकारी मिलें 55 पैसे काटती है, तो इस तरह से दोहरी नीति अपनाई जाती है। क्या सरकार यह नहीं कर सकती है कि सब जगह ट्रांसपोरटेशन 55 पैसे काटा जाय।

मान्यवर, करदा कटौती के बारे में कहना चाहूंगी। 625 ग्राम प्रति कुन्टल की कटौती करें। 1983–84 से एक

किलोग्राम कटौती होने लगी है। 1984-85 में अध्यादेश बना दिया करदा के लिए, कि 1983-84 से इसको माना जायेगा। ठीक है 1983-84 से इसको नियमित कर दिया, लेकिन खांडसारी में कटौती उसी 1 किलो के हिसाब से होती रही है। जबकि 1983-84 का कोई अध्यादेश नहीं किया गया है। इसमें अनियमितता बरती गई है। मान्यवर, आज हमारे यहां का किसान पायरिला से बिल्कुल खत्म हो चुका है अभी हमारे माननीय सदस्य, मुजफ्फरनगर ने कहा कि सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य किया। आप उधर बैठे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप तो वहां के हैं जहां किसान पायरिला से बरबाद हो गया है। किसानों की खरीफ की फसल खत्म हो गई है। आपने चार करोड़ रुपया खर्च किया। यह युद्ध स्तर पर काम किया। कीट नाशक दवाइयां जो थीं उसमें दवाई कम और पानी ज्यादा था, जो दवाय डाली गईं उसका टाइम निकल चुका है। आपके चार करोड़ से कितने ही कर्मचारी लखपति बन गये होंगे।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें।

श्रीमती सरोज वर्मा--

मैं बड़ा जोर देकर कहना चाहती हूं कि गन्ना आज खत्म हो चुका है, तो यह बजट कैसे रख रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि एक रुपये की राशि भी इसकी न रखी जाये

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

(शोर)

आप लोग मेरी बात तो सुन लीजिये।

(व्यवधान)

मेरा यह प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को अवसर मिले, लेकिन समय बहुत सीमित है। आप लोग अपनी बात को थोड़े समय में सुझाव के रूप में रख दें। यह हो सकता है कि किसी माननीय सदस्य का नाम पहले आ जाय किसी का बाद में आये लेकिन मैं सबको समय दूंगा।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राज्यमंत्री जी के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत मेहनत करके गन्ना विभाग में सुधार लाने की कोशिश की है। बस्ती जिला मेरा जिला है। बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला है। उसकी आबादी 37 लाख है। हमारे जिले में 5 चीनी मिलें हैं। इस जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये आजादी के बाद सरकार ने एक मगहर में सूती धागे की मिल स्थापित की। लेकिन हमारे बस्ती जिले के कम लोग भरती हो पाये। मैं यही कहूंगी कि कच्चा माल जहां हो, कच्चे माल के आधर पर नई मिलें दी जायं तो ज्यादा अच्छा हो। बस्ती में 5 चीनी मिलें हैं लेकिन कच्चा माल काफी है। मैं कहना चाहूंगी कि बस्ती जिले में बहुत ज्यादा कच्चा माल उपलब्ध है। उसमें जो खोई होती है, उसका अखबरी कागज बन सकता है, ऐसी फैक्ट्री लगाई जा सकती है, खोई से स्टेविल फाइबर का कपड़ा बनाया जा सकता है। क्यूबा में एक बहुत बढ़िया फैक्ट्री चल रही है। वह जो कपड़ा बनाती है वह गर्मी में ठंडा और जाड़े में गरम रहता है। मैं चाहूंगी कि हमारे बैकवर्ड इलाके में जहां 5 चीनी मिलें हैं, वहां कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुये, कपड़ा बनाने का काम्पलेक्स, कागज बनाने का काम्पलेक्स बनावें। बस्ती जिले में सदर में चीनी मिल को देखते

हुये एक मिल कागज की और स्टेबिल फाइबर की लगावें में आपके माध्यम से मंत्री जी से यही मांग करती हूं। गन्ने के विकास की निर्भरता गन्ने की बिक्री पर है। गन्ने का दाम किसान को समय से मिल जाय तो किसान बहुत काम कर सकता है। गन्ने का दाम न मिलने से किसान लड़की की शादी, मकान बनाने का काम, नातबात का न्योता, बच्चों के लिये कपड़ा, उसकी पढ़ाई, ईंट खरीदने का काम सूद पर पैसा लेकर करता है। मैं कहूंगी अगर सूद पर खरीदता है तो उसके बकाये पैसे पर....

श्री हरेन्द्र सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। गन्ने का बजट है। गन्ना मंत्री सदन में नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी लाबी में गये हैं, अभी आ जायेंगे।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

मैं यह चाहूंगी कि किसानों का जो बकाया पैसा है, वह पैसा किसानों को सीधे, रिश्ता मालिक से रहना चाहिये, सीधे मिलना चाहिये। वह अपना पैसा सूद के साथ मुकदमा दायर करके ले सके, अगर इसके लिये कानून में परिवर्तन करना पड़े तो मैं उसके पक्ष में हूं। हमारे जिले में 5 चीनी मिलें हैं। एक-एक करके सब चीनी मिलें बन्द करने की तैयारी मालिकों ने कर रखी है। मैं मंत्री से कहूंगी कि कोई छोटा मोटा उद्योग बन्द न करें तथा खलीलाबाद और बाल्टरगंज में जो मिलें हैं उन्हें उखड़ने न दें। अन्त में मैं बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरे पास जो विभिन्न दलों की सूची है, पहले मैं उनको स्थान दूंगा, उसके बाद औरों को दूंगा।

अवनीश कुमार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रमुख प्रदेश है। मान्यवर, 1983-84 में गन्ना 17 लाख हेक्टेयर भूमि में बोया गया प्रदेश में, और मान्यवर, इसके बाद 1984-85 में घटकर 14.70 लाख हेक्टेयर भूमि में बोया गया। इस वर्ष 1985-86 में ऐसा समझा जाता है और यह अनुमान है कि गन्ना और कम क्षेत्र में बोया गया है। शासन की गलत नीति के कारण दिन प्रतिदिन गन्ने का रकबा कम होता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। चूंकि उत्तर प्रदेश भारत भर में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का संकट हो गया तो इसका पूरे भारत में बहुत बड़ा असर चीनी उद्योग पर पड़ेगा। मान्यवर, गन्ने और चीनी के भाव के अनुपात से अन्दाजा लगा लें। इस समय गन्ने का भाव 20 रु0 प्रति क्विंटल है जो 15 रु0 प्रति क्विंटल तक बेचा जाता है। चीनी का दाम 8 रु0 प्रति किलो यानी 800 रु0 क्विंटल है। कोई भी भाव शासन द्वारा सही रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। एक बार चीनी मिल में जाने के बाद उसका भाव इतना ज्यादा हो जाता है। अतः मान्यवर, यह देखें कि शासन किस तरह से काश्तकारों का शोषण कर रहा है तो मान्यवर, अगर प्रदेश में गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ती हैं तो गन्ने का संकट उत्पन्न हो जायगा। अतः गन्ने का भाव 40 रु0 प्रति क्विंटल दिलाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, काश्तकार तीन फसल के स्थान पर एक गन्ने की फसल लेता है। वह अपेक्षा करता है कि इतनी ही फसल से उसे कुछ रुपया मिले। लेकिन दुख की बात है कि शासन ठीक प्रकार से भाव देने में असमर्थ

है। इसलिये मान्यवर, गन्ने के भाव नहीं बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती खतम हो जायगी और भारत में चीनी का संकट उत्पन्न हो जायगा। गन्ना काश्तकारों को और भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर्ची जो गन्ना सोसायटी के माध्यम से मिलती है, वह इतने अन्तराल के बाद और कम मिलती है कि काश्तकार पूरा गन्ना डालने में सफल नहीं हो पाता है। शासन को इसका प्रबन्ध करना चाहिये। मिलों में तौल में गड़बड़ी होती है। पन्द्रह क्विंटल का बारह या तेरह क्विंटल तौला जाता है। तीन चार क्विंटल कम करना मामूली बात है। गन्ना बेचने के बाद उसकी कीमत काश्तकार को नहीं मिलती है। गन्ने का करोड़ों रुपये का भुगतान उत्तर प्रदेश में बकाया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि अगर काश्तकार को समय से रुपया न दिया जाय तो उस रुपये पर 20 प्रतिशत ब्याज दिलाना आवश्यक है।

मान्यवर, राज्य सभा में श्री राव वीरेन्द्र सिंह ने घोषणा की थी कि चीनी की कमी नहीं होने देंगे और उसकी कीमत 6 रु0 किलो से आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन 8 रु0 किलो की दर से बिक रही है। यह बड़े दुख और शर्म की बात है। इस प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली खराब है। चीनी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। सारी चीनी बाजारों में बेच दी जाती है और व्यापारी लाभ उठाते हैं। वे उपभोक्ताओं से चीनी के मनमाने दाम लेकर बाजारों के माध्यम से बेचते हैं।

पायरिला से हमारे प्रदेश में गन्ने की बहुत हानि हुई है। कीटनाशक दवाई का छिड़काव खेतों पर न होकर कागजों पर हुआ है तथा कीटनाशक दवाई अधिकारियों एवं कर्मचारियों के घरों में पहुंच गयी है।

इसलिए आज मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि जब तक इस विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया जायेगा तब तक उपभोक्ताओं को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। साथ ही मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि बदायूं चीनी मिल में घाटा हर साल चला आ रहा है और उसका मुनाफा इस मिल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जेबों में जा रहा है। दूसरे एक बात की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा। वह यह कि मिल में मरम्मत के नाम पर पुर्जों के बदलने के नाम पर भी लाखों रुपया अधिकारियों के जेबों में जा रहा है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि बदायूं चीनी मिल का पुनर्वासन किया जाय। मान्यवर, मैं बातागंज विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। यहां पर 164 ग्रामों में केवल एक गन्ना क्रय केन्द्र है इस एक गन्ना केन्द्र में तमाम गांवों के काश्तकार अपना गन्ना कैसे डाल सकते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि वहां पर कम से कम दो और क्रय केन्द्र स्थापित होने चाहिए। धन्यवाद।

श्री विदेशी प्रसाद भारती—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने सदन में जो मुझे बोलने का शुभ अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं। मान्यवर, गन्ना जगत के सजग प्रहरी कुशल समाज सेवी गन्ना मंत्री जी ने, जो गन्ना बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं मान्यवर, अगर वास्तव में इस बजट में कोई देखना चाहे तो बहुत सी अलौकिकताएं नजर आयेंगी। इस बजट में सरलता, सहजता, सरसता तथा लोकप्रियता सभी कुछ दिखाई पड़ेगा और यह बजट हमारे देश के वजीरे आजम श्री राजीव गांधी के सपनों को साकार करने वाला बजट है। क्योंकि राजीव जी चाहते हैं भारत को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं पर हो स्वर्ग तो उसको भारत में है लाना।" मान्यवर, हमारा देश खेती पर निर्भर है, इसलिए

आप देखेंगे कि हमारे पूरे देश में लगभग 326 चीनी मिलें हैं। जिसमें हमारे प्रदेश में ही 99 चीनी मिलें हैं। मान्यवर, अगर देखा जाए तो 1934 में भारत सरकार ने शुगर ऐक्ट बनाकर इस उद्योग को पूर्णतया प्रोत्साहन प्रदान किया तथा वर्ष 1938 में प्रदेश सरकार ने फैक्ट्री ऐक्ट बनाकर इसमें और जीवन दिया और इसके आगे आप देखें 1971 में चीनी निगम की स्थापना हुयी। निजी क्षेत्र की मिलों में और इस ओर जब कुछ परेशानियां आयीं तो हमारी गवर्नमेंट ने इसे अपने नियंत्रण में लिया और इसकी उन्नति के लिए काफी प्रोत्साहन दिये और यही नहीं मान्यवर, चीनी निगम की योजनाओं के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 के लिए 10 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया। अमरोहा (मुरादाबाद) मिल के विस्तारीकरण के लिए अंश पूंजी 55 लाख रु0, रामपुर चीनी मिल के पुनर्वासन कार्यक्रम के लिए अंश पूंजी 70 लाख, रायबरेली चीनी मिल के पुनर्वासन के लिए 240 लाख, नन्दपुर (गाजीपुर) चीनी मिल के लिए अंश पूंजी 242 लाख तथा घाटमपुर (कानपुर) देहात की चीनी मिल के लिए 393 लाख रु0 की अंश पूंजी निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, पुवायां सहकारी चीनी मिल के लिए 450 लाख की अंश पूंजी दी गयी है तथा एफलुएंट प्लान्ट्स के लगाए जाने के लिए 100 लाख व सहकारी चीनी मिल रसड़ा (बलिया) व बदायूं चीनी मिल के पुनर्वासन के लिए 300 लाख रु0 निर्धारित किया गया है।

साथ ही मान्यवर, आप देखें कि पूर्वान्चल में एक ऐसा जिला है जहां पर की 14 चीनी मिलें हैं वह जिला है देवरिया। लेकिन यहां की चीनी मिलों की यह अच्छी स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए थी। हजारों एकड़ गन्ने की फसल बरबाद हो जाती है। घाटा विधान सभा क्षेत्र के गांव ऐसे हैं जहां गन्ना शुगर फैक्ट्री का प्राइस दिया जाता है लेकिन भुगतान नहीं होता है, उसकी भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि ढाई लाख चीनी मिलों में काम करते हैं, 5 लाख कुमायूं डिवीजन, बरेली डिवीजन, मेरठ डिवीजन, बदायूं डिवीजन में काम करते हैं। 12 घंटे काम करते हैं लेकिन उनके लिए न कोई कमेटी है, न बोर्ड है, न कमीशन है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए अविलम्ब एक कमेटी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनके हितों का संरक्षण किया जा सके। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जयहिन्द। जय भारती।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार को रफी अहमद किदवई का फार्मूला लागू कर देना चाहिए, फार्मूला के अनुसार जितने रुपया मन गन्ना उतने आना किलो चीनी। सन् 48-49 में गन्ने के दाम 32 रु0 क्विंटल थे और चीनी 2 रु0 किलो के हिसाब से मिलती थी। तब से आज तक गन्ना किसानों द्वारा मांग की जाती रही है कि रफी अहमद किदवई फार्मूला पुनः लागू किया जाय लेकिन सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। मिल के चारों तरफ कुछ कि0 मी0 क्षेत्र में क्रेशर लगाने पर प्रतिबन्ध है। मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको इसमें छूट देना चाहिए। इससे किसानों को लाभ हो सकता है। क्योंकि कम्पटीशन होने से उनको गन्ने के मूल्य बढ़ोत्तरी का मूल्य भी मिल सकता है। जब किसान गन्ना लेकर जाता है मिलों के गेट पर तब उनको दो-तीन दिन इंतजार करना पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा उनके गन्ने का वजन कम भी हो जाता है इसलिए यह क्रेशर वाला नियम समाप्त कर देना चाहिए। मैं सरकार से

कहना चाहता हूं कि अभी अखबार में निकला है कि चीनी आयात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 16,745 टन आयातित चीनी आ रही है। चीनी आयात करने की इनकी नीति गलत है क्योंकि इतनी चीनी आयातित करने की मंशा इसलिए है कि उसमें कमीशन प्राप्त किया जाय। जनता पार्टी जब शासन में आई तब उस समय चीनी दो रु0, सवा दो रु0 किलो तक बिकी। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है कि जनता पार्टी के समय में गन्ना खेत में सूख गया जनता पार्टी के राज्य में। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उसके बावजूद भी इतनी सस्ती चीनी बेची गयी कि लोगों को 2 रु0 किलो चीनी मिली। आपके जमाने में गन्ना कहीं फूंका भी नहीं जा रहा है, गन्ना सबसे अधिक पेरा जा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी चीनी लोगों को 8 रु0 किलो मिल रही है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नीति में कहीं न कहीं गड़बड़ी है कि नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया शान्त बैठें।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विदेश से आप चीनी आयात कर रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार ने खाड़ी के देशों को हम बिना पैसे चीनी सेम्पल के रूप में भेज रहे थे यह कहकर कि आप इसे टेस्ट कर लें और यदि पसंद आये तो यहां से मंगाकर इसका उपयोग करें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया सुझाव के रूप में अपनी बात कहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, बलिया जिले में एक सहकारी चीनी मिल है उद्योग के नाम पर पूरे जिले में। लेकिन, उससे कोई फायदा अधिकांशतः किसानों को नहीं मिल रहा है। आपके विभाग की जो किताब है इसमें लिखा गया है गन्ना विकास एवं चीनी मिलें। मान्यवर, बलिया में लोग के बल चीनी मिल ही जानते हैं, गन्ना विकास का मतलब क्या होता है? यह नहीं जानते हैं। मान्यवर, चीनी मिल की तरफ से या गन्ना विभाग की तरफ से कोई भी राहत का काम खाद और बीज या किसानों को ट्रेनिंग देने का नहीं किया जाता है। जिसका नतीजा होता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में या देवरिया, गोरखपुर, बस्ती में गन्ना पराई के अभाव में बच जाता है, वहीं हमारे जिले की चीनी मिल मात्र एक माह ही चल पाती है उनको गन्ना नहीं मिलता है।

मान्यवर, इसका एक कारण है, वह यह है कि जो बांगड़ू का क्षेत्र है उसमें लोग गन्ना कम बोते हैं गन्ना विभाग की गलत नीतियों के कारण तथा किसानों को प्रोत्साहन न मिलने के कारण। मान्यवर, घाघरा नदी के किनारे के गांवों के लिए चीनी मिल या सरकार की तरफ से गन्ना ढुलाई का कोई प्रबन्ध नहीं है न कोई मार्ग है। घाघरा नदी के किनारे के गांवों में लोग 30-30 एकड़ में गन्ना बोते हैं लेकिन, उन्हें 2-4 कि0 मी0 तक सिर पर लाना पड़ता है फिर कहीं जाकर मिल को दे पाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मांग करता हूं कि यदि आप बलिया जनपद के किसानों को लाभ देना चाहते हैं तो पन्द्रह ब्लाक के ग्राम पूर के बहुत बड़ी परती पर, जो टडवा ग्राम के पास है, घाघरा के किनारों के किसानों को भी तो एक नयी चीनी मिल की स्थापना करायें, किसानों को ताकि आसानी हो सके। वहां के लोगों को रसड़ा चीनी मिल से लाभ नहीं हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र शर्मा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन

करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, गन्ने के क्षेत्र में 1980 से 1985 के बीच में भारी प्रगति हुई है। गन्ना मिलों द्वारा और गन्ना शोध संस्थान द्वारा नये बीज किसानों को दिये गये हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भविष्य के लिये जो भारी योजनायें प्रस्तुत की गयी हैं, वह बहुत ही प्रशंसनीय हैं। मान्यवर, गन्ने के सम्बन्ध में अधिकांशतः मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद चर्चा का विषय रहते हैं। वहां के किसानों की आर्थिक दशा मुख्यतः गन्ने पर आधारित होती है। यदि गन्ने के ऊपर कोई हानिकारक कीटाणुओं का हमला होता है और गन्ने में नुकसान होता तो वहां के किसानों की स्थिति बिगड़ता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। गन्ने का जो दाम सरकार घोषित करती है, उसके बावजूद भी सल्फर प्लान्ट लगाने वाले गन्ना किसानों को लूटा करते हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें जिससे गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिल सके। उनकी तौल पर भी ऐसा निरीक्षण स्क्वाड होना चाहिए, जिसमें जन-प्रतिनिधि भी शरीक हों जो इस बात की जांच करेंगे कि गन्ना सही तौला जा रहा है कि नहीं। मान्यवर, मेरठ में जहां बहुत गन्ना पैदा है, वहां पर गन्ना मिलों की बहुत आवश्यकता है। माननीय कृषि मंत्री जी मेरठ गये थे, वहां उन्होंने गन्ना मिल लगाने की घोषणा की थी इसलिए माननीय मंत्री जी इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष आप वहां पर कम से कम 1 गन्ना मिल लगवा दें। दूसरा गन्ना की मिलों से जो शीरा निकलता है, उसके लिए भी आप वहां पर एक शीरा बेस इण्डस्ट्री लगवा दें और जो खोई और पत्ती गन्ने से निकलती हैं, उसके लिए भी आप वहां इन पर बेस्ड इण्डस्ट्री लगा दें, जिससे इन उत्सर्जित पदार्थों का सहयोग हो सके।

मान्यवर, मेरठ के किसान गन्ने के साथ ही साथ उरद, मूंग और लोबिया की सहफसली खेती करते हैं और वहां पर इसकी सफल खेती भी हुई है। इस संबंध में निवेदन करना है कि पूरे प्रदेश में इसका प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे हमारे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत दलहन और तिलहन को बढ़ावा दिया गया है, उसी प्रकार इसका उत्पादन भी बढ़ेगा। पाइरिला रोग के बारे में कई माननीय सदस्यों ने यहां पर प्रश्न भी उठाया, वह कोई असत्य भी नहीं है। गन्ना मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने काफी प्रयास भी किया है। अधिकारी लोग भी गांवों में पहुंचे हैं, लेकिन जो छिड़काव हुआ वह अप्रभावी रहा इसलिए मेरा सुझाव है कि कृषि विश्वविद्यालयों के जो एनाटामोलिजिस्ट हैं, उनकी एक कमेटी बना दी जाय, जो इसकी जांच करे कि किस क्षेत्र में कितना कीड़ा लगा है और कितना छिड़काव किया जाना है। यह रोग दिन प्रति दिन भयंकर रूप धारण कर रहा है। इसे रोकने के लिए कोई योजना तत्काल लागू की जाय वरना किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा, मंत्री जी से यह निवेदन है कि यदि यह सही है कि गन्ना किसानों का भारी नुकसान हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति गन्ने की खेती पर ही निर्भर करता है किसानों को छूट दी जाय। इसी के साथ ही में जो बजट पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और रमाननीय श्री राम सरन दास जी से कहता हूं कि वह भी श्री गेंदा सिंह जी के अनुयायी रहे हैं, हमारी कांग्रेस सरकार किसानों की प्रगति में लगी हुई है, इसलिए वह किसानों के हित में अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

[समय 5 बजकर 28 मिनट]

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मा0 राम सरन जी द्वारा रखे गये कटौती के

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि इस विभाग की जो अनुदान मांग है, उसे एक रुपये से भी घटा दिया जाय। आज यह विभाग केवल कागजों का विभाग रह गया है। जो विभाग अपनी फसल की रक्षा ही नहीं कर पाता है, जिसके सहारे यह चल रहा है, आज के वातावरण में इसे शर्म आनी चाहिए थी। पाइरिला के रोग पर जब तक यह नियंत्रण नहीं कर पाते तब तक इन्हें यह गन्ने का बजट यहां आदरणीय सदन में पेश नहीं करना चाहिए था। मान्यवर, आज गन्ने की बदौलत, गन्ना विभाग के फेल होने से पशु भी मर रहे हैं, गन्ने का कीड़ा चारे में घुस गया है। संसदीय राज्य मंत्री ने भी स्वीकार किया था किसान बर्बाद हुआ और अधिकारीगण कह रहे हैं कन्ट्रोल कर लिया गया है। पहले भी इनके द्वारा कहा गया कि दवाई का छिड़काव इस लिए नहीं किया जा रहा है कि गर्मी है, जैसे-जैसे वह फसल तक आयेगी तो वह बेकार हो जायेगी और अब बहाना लिया जा रहा है कि बरसात है। अब अक्तूबर का टाइम दिया है दवा के छिड़कने का और तब तक न गन्ना रहेगा, न किसान रहेगा, न फसल रहेगी, न जानवर। इनकी दवाई और इनका छिड़काव इन्हीं को मुबारक हो।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर जो उपज है, जो किताब है मान्यवर, इनके द्वारा दी गई है सरकारी, उसके अनुसार गन्ने का उत्पादन घटा है और दुहाई देते हैं गन्ने के बजट की, अनुदान की। कारण जहां तक मैं समझ पाया हूं—गन्ना विकास के नाम पर जो भी प्रचार किया जा रहा है, वह केवल कागजों पर है। क्षेत्र में जो किसान रहता है वहां कोई भी अधिकारी, कर्मचारी देखने नहीं जाता। गन्ने की नये-नये बीज की बात कही थी। मैं जानना चाहता हूं कहां बीज बांट रहे हैं, कितना बांट रहे हैं, वह कहां गया है? वह बीज कहां दिया जा रहा है जिसमें कीड़ा पहले से ही लगा हुआ है। मैं गन्ना किसान हूं, पिछले साल मैंने स्वयं बीज लिया था, उसमें कीड़ा था। क्या होगा उसको लेकर।

भुगतान की बात कही। जो पुस्तिका दी है उसमें 21·14 करोड़ बकाया है किसानों पर। जो बकाया है सोसाइटीज का किसानों पर, उसका ब्याज देना पड़ता है लेकिन जो बकाया है मिलों पर किसानों का उस पर ब्याज वह ले नहीं पाते। क्या उसे हक नहीं है, क्या वह देश का नागरिक नहीं है, क्यों नहीं उसको दिया जा रहा है ब्याज। मेरा सुझाव है कि मंत्री जी अपने विभाग को निर्देश दें कि जैसे हम विधायकों की तनख्वाह उनके खाते में चली जाती है उसी तरह से हर गन्ना किसान की पास बुक उसके इच्छित बैंक में खुलवा दी जाय और 15 दिन के अन्दर उसकी कीमत उसके खाते में जमा करा दी जाती रहे। किसानों को खाद फ्री नहीं दी जा रही है, शाहपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार फैला रहे हैं लेकिन उसका नाश तो हुआ। कदाचित इस गन्ना विकास विभाग की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया गया। गन्ना किसान संस्थान की तरफ से टूटे जा रहे हैं और आई0 ए0 एस0 आफिसर जा रहें हैं, जो डेपुटेशन पर आये हैं गन्ना में और जो सीख कर आयेंगे, कुछ दिन बाद फिर वापस चले जायेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला इस विभाग को और किसान को।

मान्यवर, किसान की हालत ऐसी है कि जो वह पैदा करता है, तब वह तौल में जाता है तो उसमें भी भ्रष्टाचार है। 15 क्विंटल होता है जब एक बोगी में तो 12 क्विंटल लिखा जाता है। मेरा सुझाव है कि इसमें भी निरीक्षण किया जाय और जिस अधिकारी के क्षेत्र में इस प्रकार की गड़बड़ी पायी जाय वहां के अधिकारी को दण्डित किया जाय।

सहकारी चीनी मिलों की बात कही, कितनी हैं जो घाटे में नहीं चल रही हैं। राज्य चीनी निगम है, इसके प्रबन्ध निदेशक के पद पर ऐसे अधिकारी हैं जो हमारे यहां जिलाधिकारी थे, उनके जमाने की सड़कें आज तक खराब नहीं हुई बड़ी प्रशंसा हुई लेकिन खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, उनका भी कोई प्रभाव यहां नहीं हुआ, यह पूर्णतया घोटालों और घपलों का एक अड्डा बन गया है। पायरिला के रोग से हुए नुकसान की पूर्ति के लिये माननीय राजेन्द्र शर्मा ने जो सत्ता पक्ष के हैं मांग की, वह तो सही है परन्तु मेरे जनपद के कांग्रेसी विधायक जो सत्ता पक्ष के नशे में शायद यह भूल गये हैं, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया मुझे दुख है और यदि उनके भाषण की प्रतिलिपि मैं उनके क्षेत्र में बंटवा दूं तो शायद वह अपने क्षेत्र में न जा पायें। गन्ने की उत्पादन लागत 610 रु0 प्रति कच्चा बीघा है। मेरा दावा है कि किसी भी किसान को जो गन्ना मूल्य मिलता है, उसमें केवल उसकी लेबर बचती है पूरे परिवार की लेबर किसान कर्जों में ऐसा उलझ गया है कि आप किसी भी सोसायटी की जांच करा लें 5 प्रतिशत गन्ना समिति ऐसी नहीं है जिनमें कर्जा वितरण में घोटाला न हो।

अंत में अपने जनपद के शाहपुर क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना की मांग करता हूं ताकि वहां के किसान को होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। इसके साथ ही मैं माननीय राम सरन दास जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री विनोद कुमार—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया।

अभी हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य माननीय राम सरन दास जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की बहुत दुर्दशा है इस प्रदेश में। पिछले सालों में गन्ने का भुगतान किसानों को किया गया, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जून 1981-82 में 19·45 प्रतिशत धन बकाया था गन्ना किसान का जून 1982-83 में 30 69 प्रतिशत, जून, 1983-84 में 22·43 प्रतिशत, जून 1684-85 में 6·42 प्रतिशत गन्ना किसानों का भुगतान केवल शेष रहा है, जो वास्तव में इस प्रगतिशील सरकार की किसानों के प्रति वफादारी की सच्ची निशानी है। मैं आपका ध्यान इस देश के एक ऐसे प्रधान मन्त्री की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसने लोकसभा को एक भी दिन के लिए फेल नहीं किया और 77 से 80 तक गन्ना किसानों की जो दुर्दशा हुई, वह कभी भी नहीं हुई। 77 से 80 तक मुझे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने का मौका मिला। वहां पर औरतों द्वारा एक गीत गाया जाता था—

बोलो चरण सिंह की जै,
गन्ना बिक गया पौने छः।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमन्डल जब उनसे मिलने गया और प्रार्थना की कि हमारे क्षेत्र में चलकर उद्घाटन कर दें, उन्होंने पूछा कि बताइए किस चीज का उद्घाटन करना है, तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन लोगों ने कहा कि चलकर हमारे खेतों में माचिस की तीली दिखा दीजिए। आज राम सरन दास जी ने कहा कि गन्ना किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21.50 रु0 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 रु0 गन्ना किसानों को दिया। यही नहीं इसके साथ ही साथ यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि जैसा अभी

माननीय सदस्य ने कहा 99 चीनी मिलें कार्यरत हैं, जिसमें से 26 सहकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में तीन चीनी मिलें और इसी सत्र में प्रारम्भ होने जा रही हैं वे हैं—पूरनपुर (पीलीभीत), सम्पूर्णनगर (खीरी) और गदरपुर (नैनीताल)। पूरनपुर, सम्पूर्णनगर और पुवायां इन तीन चीनी मिलों से हमारे क्षेत्र के गन्ना किसानों को फायदा पहुंचेगा। इन तीन चीनी मिलों पर हमारे क्षेत्र के गन्ना किसानों का भाग्य निर्भर है। मुझे उम्मीद है चूंकि किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का फैसला किया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और रिछारिया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गन्ना का पायरिला समाप्त करने हेतु जो प्रयास किया गया है वह सराहनीय है। यहां कहा गया कि हमारी सरकार ने पायरिला से बचाव के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन यह बात गलत है, पायरिला से बचाव के लिए हमारी सरकार जितना कर सकती थी, उसने उतना किया है। मान्यवर, 22-7-1985 के अनुसार गन्ने का कुल क्षेत्रफल 28,41,918 एकड़ था। प्रभावित क्षेत्र 11,69,821 एकड़ नियंत्रित किया गया। 10,64,600 एकड़ 1,365 टोलियों व 10,643 मशीनों द्वारा। जिससे काफी कंट्रोल भी हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा उठाए कदम की तारीफ की है।

मान्यवर, किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। पहले जो उन्हें खाद 18 प्रतिशत पर दी जाती थी, अब नाबार्ड द्वारा ब्याज की दर को घटा कर साढ़े बारह प्रतिशत पर किसानों के लिए कर दिया गया है। अब किसानों को कीटनाशक दवाइयां और खाद साढ़े बारह प्रतिशत ब्याज पर ही दी जाया करेंगी।

सड़कों के मामले में कहना चाहता हूं कि 1984-85 में जितनी अधिक संख्या में सड़कें, पुलिया का कार्य कराया गया है। इतनी अधिक मात्रा में पहले कभी नहीं हुआ है। इस समय प्रदेश में 137 गन्ना समितियां, गन्ना किसानों की सेवा कर रही हैं। प्रदेश सरकार ने एक और क्रान्तिकारी फैसला लिया है कि जो कमीशन पहले 20 पैसे प्रति क्विंटल होती थी वह अब 50 पैसे प्रति क्विन्टल होगी इसके द्वारा गन्ना समितियों के माध्यम से किसान को खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां आदि वितरित की जा सकेगी और इस तरह से गन्ना समिति किसानों की भली प्रकार से सेवा कर सकेगी।

मान्यवर, मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सम्पूर्णनगर चीनी मिल में 62 परसेन्ट शेयर पीलीभीत के हैं। मैं चाहता हूं कि पूरनपुर क्षेत्र की गन्ना समिति पूर्व की भांति अलग कर दी जाये। जोगराजपुर केन्द्र के गन्ना की सप्लाई गोला यूनियन के द्वारा होती है। वहां के गन्ना सप्लाई की व्यवस्था पूरनपुर से कराने के लिए व्यवस्था कर दी जाय क्योंकि अभी तक वहां गन्ना ट्रेन से सप्लाई होता था। अब पूरनपुर चीनी मिल के बन जाने से रोड के द्वारा गन्ना ढोया जायेगा। जो सेन्टर गन्ना सप्लाई के लिए फैक्टरी के द्वारा लग रहे हैं। कृषकों के हित में हो उसे पूरनपुर की मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाय।

गन्ना समिति तथा चीनी मिल का संचालक मंडल का चुनाव अभी तक नहीं कराया गया है। मैं मांग करता हूं कि गन्ना समिति तथा चीनी मिल के संचालक मंडल का चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराया जाय जिससे कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा वहां का संचालन हो सके और जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़े।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री विनोद कुमार--

इसके साथ ही एक मांग और करता हूं कि जो धन जिलों में गन्ना समितियों को आबंटित किया जाता है उसे गन्ना मुख्यालय से सीधा आवंटित किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप विराजिए ।

श्री विनोद कुमार--

इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री मित्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । माननीय गन्ना मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय राम सरन दास जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, गन्ना हमारे प्रदेश का एक बहुत बहुमूल्य उत्पादन है और इस उत्पादन से, हमारे देश मे प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र है गन्ने का, वह बड़ा है । कम से कम 100 गन्ना मिले हमारे प्रदेश में हैं और पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने की मिले हमारे प्रदेश में हैं। इस दिशा में सबसे ज्यादा कीमती बात यह है कि जो हमारे रूल रेगूलेशन बने हुए हैं गन्ना किसानों को मूल्य दिलाने का 15 दिन के अन्दर उनका भुगतान करने की व्यवस्था आज तक लागू नहीं हुई । गन्ना किसानों को 15 दिन के अन्दर उनका दाम मिले अगर इतने दिनों में न मिले तो उससे अधिक दिनों का सूद ब्याज सहित उसका भुगतान करेंगे मिल मालिक। यह निश्चित होना चाहिये । मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि गन्ना किसानों को गन्ने की कीमत समय से दिलाने की कृपा करें । हमारा गन्ना किसानों का जो उत्पादन है वह दिन ब दिन गिरता जा रहा है और चीनी का भी उत्पादन गिरता जा रहा है । इसके मायने यह हैं कि गन्ना किसानों के उत्पादन के सम्बन्ध में हमारी सरकार की कोई सुनिश्चित नीति हमारी नहीं है । यदि सुनिश्चित नीति होती तो इसका विकास होता, गन्ने का भी और चीनी के उत्पादन का भी ।

यह बड़ी दुखद बात है कि गन्ना किसानों का प्रदेश होते हुए, और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक होते हुए कोई सुनिश्चित नीति नहीं है । यह बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है कि इतना बड़ा गन्ना का उत्पादन और उसके औद्योगीकरण की नीति उदासीन है, इन मिलों के बारे में हम देखते हैं कि उनकी ऐसी जीर्णशीर्ण अवस्था है, उनका अभिनवीकरण नहीं हुआ । इसलिए जो गन्ना मिलें हैं उनकी पेराई की क्षमता गिरती जा रही है जब कि उसको बढ़ना चाहिए। हमारे जो मिल मालिक हैं वह दिन ब दिन गन्ना किसानों और श्रमिकों दोनों का शोषण कर रहे हैं और इसको दूर करने का सरकार के पास कोई नीति नहीं है, न तो राष्ट्रीयकरण करती है, न उनसे गन्ना किसानों का भुगतान कराती है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे खलीलाबाद बस्ती में एक मिल है उसमें श्रमिकों का पैसा अब भी बकाया है मजदूरों ने घेरकर उस मालिक को जो सर सामान को बेचने जा रहा था, बरामद किया और इसी तरह से जौनपुर शाहगंज में रत्ना मिल है उसमें 61 लाख मजदूरों का बकाया है गन्ना किसानों को छोड़कर । इस तरह से बड़े-बड़े गन्ना मिल मालिक जो हैं वह बहुत पैसा हमारे गन्ना किसानों का बाकी किए हैं । इस प्रदेश में दोहरी नीति है । चीनी एक ही चीनी की मिल में तैयार होती है और वह एक दुकान पर दूसरे भाव और दूसरे दुकान पर दूसरे भाव पर मिलती है । बड़े लोगों को चीनी एक निश्चित लेवी के रेट पर मिलती है और गरीब आदमी 7-8 रुप मे खुले बाजार में खरीदता है । और खासकर जब गरीब आदमी के

घर पर शादी ब्याह पड़ता है तो उसे लेवी दर पर चीनी नहीं मिल पाती है और वह खुले बाजार में लुटता और खरीदता है। यह अजीब सी नीति है एक ही चीज में। टका सेर भाजी टका सेर खाजा। यह हमारे प्रदेश के सरकार की नीति है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह हमारे सरकार में बैठे हुये मंत्री किसानों को इस बड़े प्रदेश का बड़ा गन्ना उत्पादन और यह औद्योगिक क्षेत्र में लगी चीनी मिल को विकसित करने की एक सुनिश्चित नीति तैयार करने और गन्ना किसानों का भुगतान करने और चीनी की दोहरी नीति को समाप्त करने और गन्ना मिलों का अभिनवीकरण करने की कृपा करें। मैं इन संशोधनों के साथ राम सरन दास जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री निर्भय पाल शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत चर्चाएं हुईं गन्ने के ऊपर लेकिन चीनी निगम या चीनी उद्योग के बारे में कुछ नहीं कहा गया था उसकी उपलब्धियों के बारे में किसी ने नहीं कहा। 1978-79 में हमारी चीनी निगम की इन्सटोल कैपासिटी 21 हजार टन थी और 1984-85 में इन्सटौल कैपीसिटी 38 हजार टन हो गयी। तो लगभग 85 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, मैं समझता हूं कि किसी को यह शक नहीं होगा कि चीनी के किसान का दुश्मन कौन है, मान्यवर, चीनी के किसान के सबसे बड़े दुश्मन वह हैं जिन्होंने गन्ने को 4 रुपये कुन्तल बिकवा दिया। जनता राज्य में यह नारा था कि गन्ना बिक गया चार रुपये कुन्तल, पाती बिक गई छः फिर भी बोलो जनता पार्टी की जय। और मान्यवर, जब किसान परेशान हो कर उनके वरिष्ठ नेता के पास गये और अपनी समस्याओं को बताया तो उन्होंने उनको कोई राहत नहीं दी और गन्ने की पिराई का इन्तजाम न कर सके और उल्टा यह कहा कि मेरे सर पर बो दो। 1979-80 में, जब जनता पार्टी का शासन काल था तो उस समय गन्ने का उत्पादन पश्चिमी क्षेत्र में 219.7 लाख मैट्रिक टन, मध्य क्षेत्र में 169.9 लाख मैट्रिक टन और पूर्वी क्षेत्र में 81.5 लाख मैट्रिक टन और इस प्रकार से कुल उत्पादन 471.1 लाख मैट्रिक टन था।

(व्यवधान)

मान्यवर, दो साल बाद 1981-82 में इसका उत्पादन पश्चिमी क्षेत्र में 283.9 लाख मैट्रिक टन, मध्य क्षेत्र में 300.6 मैट्रिक टन और पूर्वी क्षेत्र में 716.7 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इस प्रकार से 80 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इन्होंने गन्ना और गन्ना किसान को तबाह कर दिया। मान्यवर, इसी प्रकार से 1979-80 में पेराई के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, 1020.29 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई हुई और 1981-82 में 2 साल के बाद 2278.49 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई हुई, मान्यवर, इतना ज्यादा फर्क आ गया। 100 प्रतिशत से भी ज्यादा फर्क आ गया।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री निर्भय पाल शर्मा--

मान्यवर, मैं जल्दी ही कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा, थोड़ा और समय दे दीजिये। मान्यवर, कुछ मिलें ऐसी हैं जो फायदे पर चल रही हैं, करोड़ से ऊपर का फायदा है, सरसांवा चीनी मिल में। मान्यवर, यह चीनी मिल मेरे क्षेत्र में है और मैं जानता हूं कि यह प्राफिट पर चल रही है, मान्यवर, जो चीनी मिले ऐसी हैं जो फायदे पर चल रही हैं, उनकी कुछ धनराशि, मुनाफे में से उस हल्के के विकास के लिये जैसे सड़को और पुलों के लिये इस्तेमाल की जानी चाहिये।

50 प्रतिशत मिल दे दे और 50 प्रतिशत सरकार ने दे। इसी प्रकार से ऐसी मिलों को किसानों को ऋण देना चाहिए, जिससे वह नलकूप और ट्रैक्टर और ट्राली की व्यवस्था कर सकें और उनका गन्ना जल्दी पहुंच सके और उसकी सही पेराई हो सके। मान्यवर, एक कार्य और होना चाहिये, ननौता को मिल जो है वहां पर डिस्टलरी भी लगी हुई है, जो वेस्ट गन्ने के खोई से चलती है। खोई से कागज व गन्ने की मिल चल सकती है। इसलिये उसके साथ ही साथ पेपर मिल लगा दिया जाये तो बहुत फायदा होगा। मान्यवर, एक बात यहां पर बार-बार कही जाती है....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री निर्भय पाल शर्मा--

मान्यवर, एक मिनट। एक बात यहां पर बार-बार कही जाती है कि सुगर केन को बढ़ाओ। मेरा आप से अनुरोध है कि जब तक आप बीट शुगर का अच्छा बीज डेवलप नहीं करेंगे तब तक गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है क्योंकि उससे एक रेंज ज्यादा निकलती है।

(व्यवधान)

खरचा कम व आसनी से मिल तक पहुंचा सकते हैं। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव जो रखा गया है चूंकि वे गन्ने के मूल्य में अपने समय में कटौती करना चाहते हैं, इसलिये उनके कटौती के प्रस्ताय का मैं विरोध क्यों न करूं। साथ ही माननीय मंत्री जी के बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री भोपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर, कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री अधिष्ठाता--

जो सूची मेरे पास दलों से आयी है। मैं उन्हें पहले प्राथमिकता दूंगा। उसके बाद और सदस्यों को दूंगा।

श्री भोपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राम सरन दास जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसको बल देते हुये, उसका समर्थन करता हूं और जो बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान की यह हालत हो गई है कि उसकी कमर टूटते-टूटते आज वह अपने बच्चों का गुजारा करने की स्थिति में नहीं रह गया है। मान्यवर, गन्ने की फसल है वह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समय में यानी एक साल के अन्दर आती है। और फसलें तो 2/3/4 महीनों में आ जाती हैं लेकिन गन्ने की फसल में लगभग साल भर लग जाता है। वैसे तो किसी भी फसल का किसान के लिये न तो कच्चे माल का बाजार है और न उसको कोई कीमत मांगने का हक है। परन्तु गन्ने की हालत यह है कि गन्ना जिस दिन से किसान बोता है, जो बीज खरीदता है तो 40 रुपये क्विंटल सोसाइटी वाले उसे देते हैं और जब गन्ने की कीमत तय होती है तो 20 रुपये क्विंटल दिया जाता है। आज स्थिति यह है कि खाद के दाम बढ़ गये, बीज के दाम बढ़ गये, बिजली के दाम बढ़ गये, ट्रैक्टर के दाम बढ़ गये, जो किसान के इस्तेमाल की चीजें हैं उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो किसान फसल पैदा करता है जिसमें गन्ना भी एक है और यह ऐसी फसल है जिस पर उत्तर प्रदेश के किसान की जीविका निर्भर करती है क्योंकि यह नकद फसल है इसलिये वह गन्ने पर ही निर्भर करता है। मान्यवर, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गन्ने की लागत का हिसाब आप अपने विशेषज्ञ से करवा लें। मैंने इसका हिसाब लगाया है। 40 रुपया

प्रति क्विंटल खर्च आता है और हमको मिलता है 20 रुपया क्विंटल । यह तब है जब किसान की अपनी जमीन है, उसका पूरा परिवार उसमें लगा रहता है, तब खर्च कम आता है । लेकिन यदि उसकी लेबर भी उस हिसाब में लगा दी जाय तो लागत काफी बढ़ जाती है । इसीलिये आज चीनी उत्पादन कम होता जा रहा है । लगातार हर वर्ष चीनी का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन कम होता जा रहा है । सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है । इसका एक यही कारण है कि लागत ज्यादा हो गई है और हमको उसका मूल्य नहीं मिल रहा है ।

सत्ता पक्ष के लोग बराबर जनता पार्टी शासन की चर्चा करते हैं । जनता पार्टी के शासन में दो रुपया किलो चीनी मिलती थी जब कि गन्ने का भाव था 13 रुपये क्विंटल । मान्यवर, जो चप्पल प्लास्टिक की होती थी उसकी तौल के बराबर चीनी दी जाती थी । इसके साथ ही साथ जनता शासन ने बिजली का भाव, खाद का भाव, कम किया लेकिन जब से इनकी सरकार आयी है इन्होंने बिजली, खाद ट्रैक्टर के दाम और किसान की जो अन्य खरीदने की चीजें थी उनका भाव बढ़ा दिया। गन्ने की तरफ ध्यान देना चाहिए । हमने आन्दोलन करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपया बढ़वाया था ।

जब 1980 में दौराला फैक्ट्री में ताला लगवाया तो इन्होंने 3 रुपये दाम बढ़ाये थे आप किसान को किस तरह परेशान करते हैं वह बताना चाहता हूं जब वह खाद लेता है तो उससे जून से जून तक का ब्याज लिया जाता है और जब नवम्बर में फैक्ट्री चालू होती है तो पहली पर्ची पर ही ब्याज व पूरा कर्जा किसान से काट लिया जाता है। यह आदेश यहां से जाते हैं कि जब पहली पर्ची भुनाई जायेगी उसमें पैसा काट लिया जायेगा । लेकिन पैसा जो किसान को बकाये का देना है उस पर आप कोई ब्याज नहीं देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री भोपाल सिंह--

मान्यवर, यह गन्ना विभाग है इसमें मैं रुचि रखता हूं इसलिए मैं पूरा समय लूंगा । मैं कभी-कभी बोलता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

5 मिनट से ज्यादा आप ले चुके हैं ।

श्री भोपाल सिंह--

अब मैं मिलों पर जो किसानों का बकाया है उसे बताना चाहता हूं । 70 लाख रुपया बागपत मिल के ऊपर है जो आपकी सहकारी मिल है, 1 करोड़ 5 लाख सकौती मिल के ऊपर है, 25 लाख रुपये मलस्याना, 20 लाख रुपये मोहनुद्दीनपुर और 20 लाख रुपये रमाला मिल के ऊपर है । लेकिन जब हम खाद लेते हैं उस पर ब्याज लिया जाता है । और जो हमारा बकाया रहता है तो हमारे पैसे पर क्यों नहीं ब्याज देते है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी पर्ची तुले उसका पैसा बैंक खाते में डाल दिया जाय जो हमारे एकाउंट में जमा हो जाय और अगर वह बकाया रहता है तो उस पर ब्याज मिलना चाहिये ।

अब मैं सड़कों के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं । मेरठ मंडल में कम से कम 200 कि0 मी0 सड़कें ऐसी होंगी जो गन्ना विभाग ने बनाई हैं वह कच्ची सड़कों से भी खराब हैं । अगर उसमें गाड़ी ले जाते हैं तो 3 दिन में टायर फट जाते हैं । तो यह हालत है सड़कों की मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वह सड़कें पी0 डब्लू0 डी0 से बनाई जायें या फिर उसकी रिपेयरिंग के लिए पैसा दे दिया जाय ।

अब मैं किराये की बात बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यापारी किसी काम को करता है और उसमें उसे घाटा होता है तो उसे वह छोड़ देता है लेकिन किसान ही एक ऐसा है जो घाटा होने पर भी घर से खर्च करके भी काम नहीं छोड़ता है क्योंकि उसकी मजबूरी है। किराये का सरकारी रेट 32 पैसा है लेकिन सहकारी मिलें 50 पैसा लेती हैं और प्राईवेट मिल वाले डेढ़ रुपया और दो रुपया लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें

(व्यवधान)

बाकी लिख कर मंत्री जी को दे दें।

श्री भोपाल सिंह--

मान्यवर, एक बात पायरेला के सम्बन्ध में कहनी है। कृषि मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा कि पायरेला पिछले साल दिसम्बर में देखा गया उसके बाद फिर अप्रैल, 1985 में देखा गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बीच में 5 महीने पायरिला कहां चला गया क्या मंत्रियों के घर चला गया या इनकी सोसायटीज में चला गया या फिर यहां विधान सभा में बंद कर दिया गया? वह पायरिला रबी की फसल में रहा, गेहूं की फसल में रहा। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो आपको चीनी 8 रु0 किलो में मिल रही है लेकिन अगले साल 25 रुपये में भी नहीं मिलेगी क्योंकि प्रदेश में पायरेला ने गन्ने की खेती को खतम कर दिया है। कई बार मैंने यह प्रश्न उठाया नियम 56 में भी उठाया लेकिन सरकार ने कोई कारगर उपाय नहीं किये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठिये आपको मैं 9 मिनट दे चुका हूं

(व्यवधान)

औरों को 5 मिनट दिये हैं।

(व्यवधान)

अगर आप नहीं बैठेंगे और बोलेंगे तो मैं लिखने से मना कर दूंगा।

श्री भोपाल सिंह--

मत लिखने दीजिये लेकिन मैं बोलूंगा। मैं अपनी बात जरूर कहूंगा क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र में जाना है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको 10 मिनट दे चुका हूं।

श्री राम सकल तिवारी--

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से चुनकर आया हूं जिस क्षेत्र के सम्बन्ध में कहा जाता था स्व0 बाबू गेंदा सिंह सेवरही निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और गन्ने के क्षेत्र में उनको विशेषज्ञ माना जाता था, जैसा मा0 राम सरन जी ने कहा था कि उनके कदमों में बैठकर गन्ने की जानकारी हासिल किया है। मान्यवर, इस वर्ष गन्ने की फसल में पायरिला का जो प्रकोप हुआ उसमें विभाग ने जो कार्यवाही किया वह प्रसंशनीय है हालांकि उससे 10,68,821·14 लाख एकड़ भूमि पर जहां पायरिला का प्रकोप हुआ था वहां दवा का छिड़काव करके गन्ने की फसल को बचाया जा सका है, बहुत हदतक, यह सराहनीय कार्य हुआ है।

मान्यवर, समय कम है, इसलिए मैं केवल सुझाव ही दूंगा। गन्ना काश्तकारों के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई गई है और जो बजट में दिया गया है वह उपलब्धियां हैं और जो कार्यक्रम 1985-86 के सम्बन्ध में है उससे मुझे संतोष तो हुआ किन्तु कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र सेवरही में कोई ऐसा

छोटा या बड़ा काश्तकार नहीं है जो गन्ना न बोता हो यानि प्रत्येक काश्तकार गन्ना बोता है और यही एक मात्र कैश क्राप हमारे यहां है। लेकिन स्थिति यह है कि जब गन्ना अधिक पैदा करता है तो उनको सजा मिलती है और उद्योगपति जब अपना उद्योग बढ़ाता है तो उसको मजा मिलता है, इसलिए कि वह अपने कर्मचारियों को बोनस देता है लेकिन गन्ना काश्तकारों को पेमेन्ट की कोई सुविधा तक नहीं होती है। मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि छोटे-छोटे काश्तकार का 12 लाख रुपया बाकी है केन यूनियन तरया सूजान और दुधई पर और वह गन्ना सप्लाई किया है बिहार प्रांत को लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि 1982-83 और 1983-84 में जिन मिल मालिकों ने गन्ना लिया था उन्होंने फैक्टरी बंद कर दिया तो सरकार किस मद से बकाये का भुगतान करें। इसलिए मेरा मंत्री जी से और सरकार से आग्रह है कि अपने प्रदेश का गन्ना बिहार प्रदेश को न दें चूंकि उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। मान्यवर, मैं जब अपने क्षेत्र में जाता हूं तो गन्ना काश्तकार हमारा घेराव करते हैं और कहते हैं कि गन्ने का दाम 1982-83 और 1983-84 का सरकार से दिलायें और बिहार सरकार कहती है कि उस फैक्टरी को अधिग्रहण नहीं किया है इसलिये भुगतान नहीं करेंगे।

मान्यवर, इस वर्ष हमारे यहां गन्ने की फसल बहुत ही अच्छी है। इसलिये इस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिये जायें कि वह जाकर वास्तविकता का पता लगायें। क्योंकि 3 वर्षों के आधार पर जो सप्लाई किया हुआ गन्ना है, उसको मानकर पर्ची सप्लाई की जायेगी तो इस वर्ष उनका गन्ना सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर पीछे जो गन्ना बोया गया वह हुआ नहीं। इसलिए मेरा आग्रह है कि उस क्षेत्र के बारे में आपके विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे वहां पर जो इतनी अच्छी फसल है गन्ने की वह फैक्ट्री में ले जा सके। 3 वर्ष का आधार अगर वहां पर लागू किया गया तो वहां का गन्ना फैक्ट्री में नहीं गिर पायेगा। वहां के सम्बन्ध में एक बात और बता दूं, हमारे यहां एक गन्ना शोध संस्थान है। मुख्य मंत्री जी की कृपा से 1977 में उसकी स्थापना हुई थी, और करोड़ों रुपया वहां पर उन पर खर्च हो चुका है, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि अब तक वहां पर कोई प्रगति क्यों नहीं हुई है। करोड़ों रुपये के भवन बनकर खड़े हैं, लेकिन कार्य कोई नहीं उनपर हुआ है। अब तक जो विकास के मद में गन्ना विकास विभाग द्वारा किया जाता है, इतने प्रयास करने के बाद भी पैदावार में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, यह सोचनीय बात है। हमारे यहां तरिया-सुजान में 20 लाख क्विंटल और दुधही में 15 लाख क्विन्टल गन्ना पैदा किया जाता है, वहां पर एक चीनी मिल बैठाई जाये। वहां के गन्ने से जो सरकार को आमदनी हो सकती है, वह दूसरे प्रान्त को जा रहा है। इससे सरकार को लाभ मिलेगा और लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी। इसके साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि निर्धारित समय के अन्दर आप बोलने का कष्ट करें और ज्यादा समय न लें।

*श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, मैं रामशरण जी के रखे हुए कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि शासन की गलत नीतियों के चलते गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना यह चीनी उद्योग अब दम तोड़ रहा है, गन्ना उत्पादकों पर यह सरकार एक प्रकार से डकैती डाल रही है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

100 किलो चीनी बनाने के लिए अगर 9 प्रतिशत चीनी के हिसाब से देखें तो 11 क्विंटल 10 किलो गन्ना चाहिए और 11 क्विंटल 10 किलो गन्ने का दाम 21 रुपये के हिसाब से 233 रु0 होता है। उसपर होने वाले उत्पादन खर्च, एक्साईज ड्युटी, दूसरे टैक्स और मिल मालिक का उचित मुनाफा देखें, तो वह 115 से 150 रुपये तक होता है, परन्तु उसको आप 185 रुपया मान लें, तो भी इस हिसाब से 100 किलो उत्पादित पर खर्च 383 रुपया आता है। यह एक क्विंटल चीनी जो उत्पादन होती है, इस चीनी को अगर बेचा जाए, तो 65 प्रतिशत चीनी सरकार लेवी के रूप में लेती है। 430 रुपये के हिसाब से, इस 65 किलो का दाम 280 रुपया होता है और शेष 35 प्रतिशत चीनी का दाम, 10 रुपया और 8 रुपया के हिसाब से न जोड़िये, मात्र 7 रुपये के हिसाब से भी जोड़ दिया जाए तो उसका दाम 245 रुपया होता है। इस प्रकार से कुल 524 रुपया 100 किलो का दाम होता है और उस पर 383 रुपया खर्च होता है। इस तरह से आप देखें, 11 क्विंटल गन्ने पर मिल मालिक को 141 रुपये का लाभ हो रहा है और यह कांग्रेस पार्टी के लोग करा रहे हैं। यह जो खर्च है इस का पूरा विवरण दिया जा सकता है।

मान्यवर, सन् 1976 तक चीनी के उत्पादन के मामले में हम सबसे आगे थे। लेकिन उससे बाद जब आपातकाल का तथा कथित स्वर्णिम युग चल रहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर हो गया और महाराष्ट्र आगे निकल गया। वही स्थिति आज भी बरकरार है। 3 साल तक हमारा शासन रहा। उसके बाद 5 साल तक आप रहे लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आया और आप गन्ना किसानों के हित की बात करना चाहते हैं। गन्ने ढुलाई 50 पैसे प्रति क्विंटल ली जा सकती है लेकिन जितनी चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं वह गन्ने की ढुलाई डेढ़ रुपये और 2 रुपये से कम नहीं लेती हैं। म माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आनन्द नगर, फरेंदा, गोरखपुर में जो चीनी मिल है वहां पर 1983-84, 1984-85 में वहां के जिलाधीश ने 85 प्रतिशत चीनी को बंधक रखने तथा उससे मिलने वाले धन से किसान के गन्ना मूल्य का भुगतान करने का निश्चय किया था। लेकिन 1983-84 1984-85 में आदेश होने के बावजूद उसका भुगतान नहीं कराया गया और 50 लाख रुपये से ज्यादा बकाया है। मान्यवर, पहले प्रति क्विंटल सवा 6 सौ ग्राम गन्ना बोझ, बंधन के नाम पर काटा जाता था। किन्तु 3 वर्ष से इसे बढ़ाकर 1 किलो कर दिया गया है। तो इस प्रकार से एक मिल यदि 10 हजार क्विंटल गन्ना पेरती है तो उसको पहले साढ़े 62 क्विंटल गन्ना बोझ बंधन के रूप में मिलता था। अब उस मिल को 100 क्विंटल गन्ना बोझ बंधन के नाम पर मिलेगा। तो इस तरह से लगभग 37 क्विंटल गन्ना और मिल रहा है जिसका दाम सवा 8 सौ रुपये होता है। इस हिसाब से एक मिल को 4 महीने में एक लाख रुपये का लाभ हो रहा है। 38 मिलें हैं। बंधन के नाम पर 38 लाख रुपया मिलें कमा रही हैं। इसमें किसको कितना हिस्सा मिल रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में माननीय राम सरन दास जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती शशि शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद देती हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गन्ने के बजट का

में समर्थन करती हूं और विपक्ष द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करती हूं मान्यवर, गन्ना कृषि और उद्योग के बीच में रीढ़ का काम करता है। यह हमारी जनता के जनमानस से जुड़ा है, जनजीवन से जुड़ा है। मान्यवर, मैं पूर्वी क्षेत्र से आती हूं वहां का किसान गन्ने पर आश्रित रहता है। उनकी आय का साधन गन्ना है। गन्ने की फसल माघ के महीने में तैयार होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी कि महंगाई को देखते हुए खाद के दामों को देखते हुए गन्ने का मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल करने की कृपा करें।

(मेजों की थपथपाहट।)

मान्यवर, गन्ने के दाम कम मिलने के कारण गन्ने का उत्पादन घटा है। अगर आप आंकड़े देखें तो 1984-85 में 3.70 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया गया और 46.13 लाख मी0 टन गन्ना पैदा हुआ। इसी तरह से 1983-84 में 46.26 लाख मी0 टन गन्ने का उत्पादन हुआ था तो हम देखेंगे कि गन्ने का उत्पादन घट रहा है। गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है। मान्यवर, चीनी का उत्पादन भी घटा है। 1983-84 में 17.27 लाख मी0 टन चीनी का उत्पादन हुआ था। जो 1984-85 में घट कर 14·8 लाख मी0 टन हो गया। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि हम जहां नंबर एक पर थे वहां इस समय 1-6 पोजीशन पर आ गए हैं: तो मैं अनुरोध करूंगी कि किसान के गन्ने के मूल्य को बढ़ाया जाय और मिल मालिकों द्वारा जो किसान के शोषण की नीति है उसको समाप्त किया जाय। बहुत पुराने समय से गन्ना किसानों का मिल मालिकों द्वारा शोषण होता आया है। मिलों को तो आप अनुदान देते हैं उनको ठीक करने के लिए तो किसानों की हालत ठीक करने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी गन्ने के मूल्य को बढ़ाया जाय ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिल सके और अधिक से अधिक गन्ना पैदा हो और उत्तर प्रदेश के उद्योगों में बढ़ोत्तरी हो। हमारे यहां सेवर ही में एक गेंदा सिंह कृषि अनुसंधान केन्द्र है जिनके अनुसंधान का काम कम है, राजनीति का माहौल ज्यादा है। इस स्वायत्तशासी संस्था की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान दें। मैं यह आश्वासन चाहूंगी कि इसे अनुदान प्रदान करें और स्वायत्तता प्रदान करें। इस संस्थान को गन्ने की अच्छी वैरायटीज के उत्पादन के लिए कोयम्बटूर और हवाई के पैटर्न पर बनाया गया था, लेकिन इसमें अनुसंधान का काम कम हो रहा है और कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं पर ज्यादा खर्च हो रहा है। इस अनुसंधान के लिए योग्य वैज्ञानिक का चुनाव करें, ताकि यह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। मेरे देवरिया जिले में 14 शुगर मिलें हैं, जिनमें जंग लगा हुआ है, उनकी पेराई क्षमता जो है, बहुत ही कम है। मेरे क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की सुविधा के लिए वहां पर एक सहकारी चीनी मिल खोलने की कृपा करें, ताकि अपने गन्ने को वह दूसरे प्रदेश में न ले जाकर अपने ही पास की चीनी मिल को देकर पूर्ण लाभान्वित हो सकें। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर 28 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इन शब्दों के मैं गन्ना विकास के बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

*श्री कनक सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, उन्होंने चौधरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चरण सिंह की आलोचना की है। वह यह नहीं जानते कि चौधरी चरण सिंह जो कुछ कहते हैं, वह एक पालिसी है। उनका मतलब वह था कि गन्ने को हिसाब से बोवो, ताकि उसका बाजार में संतुलन बना रहे। गन्ने के साथ-साथ हर चीज बोयी जाय और वह यह समझते हैं कि चौधरी साहब की आलोचना करके हम मन्त्री बन जायेंगे। मैं माननीय मन्त्री का थोड़ा सा ध्यान गन्ने की स्थिति पर दिलाना चाहता हूं, जो गन्ना साढ़े 22 रु0 प्रति कुंटल किसान से खरीदा जाता है, एक कुंटल गन्ने में 64 रु0 की चीनी बनती है, शीरा 60 रु0 का बनता है, खोई 40 रु0 की बनती है और मैली 6 रु0 की। इस तरह से 170 रु0 मिल मालिक को प्राप्त होता है और किसान को साढ़े 22 रु0 दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो शीरा पैदा होता है, एक कुंटल गन्ने से 30 किलो शीरा बनता है, जिससे 700 रु0 की शराब बनती है। अगर दूसरे माने में लिया जाय, तो एक हजार रुपये एक कुंटल गन्ने से सरकार को मिलता है और किसान को साढ़े 22 रुपया दिया जाता है। तो ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए।

जो क्रय केन्द्र गन्ने के हैं, उसमें कम तौल करके अन्डर पेमेंट करते हैं, दूसरे भुगतान में धांधली है, फिर भुगतान में फर्जी पेमेंट करते हैं। मेरा सुझाव है कि बैंकों के द्वारा भुगतान कराया जाय, अन्डर पेमेंट रोका जाय और जो पैसा ये अन्डर पेमेंट से खा जाते हैं, वह बैंकों द्वारा पेमेंट होने से रुक जायगा, इससे धांधली बाजी बहुत कुछ रुक जायगी। दूसरे खाद्य वितरण फर्जी तरीके से ये करते हैं। वहां पर फर्जी प्रोनोट भर के किसानों के नाम से खाद निकाली जाती है। मेरा सुझाव है कि कृषक का पास-बुक बना कर, उस पास-बुक में खाद की इन्ट्री होनी चाहिए। फर्जी खाद वगैरह ये निकाल लेते हैं तो उसकी इन्क्वायरी ये अपने विभाग द्वारा ही करते रहते हैं, जिसमें दसों वर्ष तक ये तय नहीं कर कर पाते हैं। विभाग द्वारा इन्क्वायरी की जाती है, तो वह अपने कर्मचारी का पक्ष करते हैं, जिसकी वजह से किसान को न्याय नहीं मिल पाता है। तीसरी बात पायरिला की है। पायरिला में जो दवाई छिड़की गई है, वह इस बीमारी के लिए उपयुक्त नहीं थी, जैसा निवान और दर्शवान ये पायरिला के रोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं और जितनी यह दवाई छिड़की गई है, इसका पैसा किसानों से न लिया जाय। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुग्रीव सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत बार उठने बैठने के बाद आपने गन्ना उद्योग बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं मान्यवर, शासन ने अपने संसाधनों द्वारा गन्ना किसानों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है और आगे भी यह प्रयास जारी है। मान्यवर, देहातों से गन्ना ग्राम सेवकों के बारे में बराबर शिकायतें आती हैं कि एक बोरी के स्थान पर दो बोरी लिख देते हैं और किसान एक बोरी ही पाता है। मान्यवर, सन् 1977 के पहले नियम था कि सुपरवाइजर भी इस काम में इन्वाल्व रहता था, जिससे गल्तियां कम होती थी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सुपरवाइजर की ड्यूटी भी वहां लगाई जाए। मान्यवर, शुगर रिसर्च फर्म सेब रही है वहां गन्ना रिसर्च फर्म के एक डायरेक्टर थे, वहां दो साल से गन्ने की कोई भी नई प्रजातियां नहीं मिली हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां बच्चन सिंह जैसे अनुभवी डायरेक्टर को नहीं लाया जाएगा तो गन्ने की नई प्रजातियां नहीं निकल पाएगी। हमारे देवरिया जिले में आजादी के बाद से एक भी उद्योग

नहीं लगा है और आजादी के पहले की जो 14 चीनी मिल हैं, सारी की सारी बीमार पड़ी हैं ।

पश्चिमी जिले के चीनी मिलों को इस बजट में पैसा दिया गया है परन्तु हमारे देवरिया जिले के चीनी मिलों को नवीनीकरण हेतु पैसा नहीं दिया गया है । मेरे जिले के रामकोला चीनी मिल को नवीनीकरण हेतु पैसा दिया जाये ।

मान्यवर, रामकोला में एक कारपोरेशन इकाई है । सन् 1981 में प्लान बना कि उसका नवीनीकरण 1983-84 में किया जाएगा, लेकिन अब तक उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसका नवीनीकरण कराया जाए । हमारा देवरिया जिला एक पिछड़ा इलाका है । गन्ने का उत्पादन जो होता है, वह सबसे अधिक हमारे यहां होता है, तो इस लिहाज से भी उसका नवीनीकरण किया जाए ।

मान्यवर, पूर्वांचल पिछड़ा हुआ जिला है । बिहार पश्चिम बंगाल के जितने कोल माइन्स हैं, वहां देवरिया के मजदूर जा रहे हैं । सारे के सारे मजदूर कोल माइन्स में रहते हैं । मान्यवर, हमारे उद्योग मंत्री वीरबहादुर सिंह जी ने घोषणा की थी कि कप्तानगंज में रामैटीरियल को देखते हुए पेपर मिल बैठायेंगे, लेकिन उसकी गतिविधि अभी मालूम नहीं हुई है । मैं अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री जी से, कि कप्तानगंज में पेपर मिल बैठाने की कृपा करें । जैसा कि देखा गया है कि सरकार के अधीन जितनी शुगर फैक्ट्रियां हैं सबकी सब घाटे में हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

श्री सुग्रीव सिंह--

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दीजिए । मान्यवर, जैसा कि देखा गया है कि सरकार शुगर फैक्ट्रियों में नान टैक्निकल आदमी मैनेजर रख देती है, जिनको कोई तकनीकी अनुभव नहीं होता है, तो मेरा सुझाव है कि सरकारी फैक्ट्री में चीफ इंजीनियर को प्रमोट करके मैनेजर रखा जाए । मान्यवर गन्ना समिति के अन्दर जो चुनाव होता था 77 के पहले ऐसा था कि डेलीगेट के द्वारा चुनाव होता था और 80-81 में कानून में संशोधन किया गया और डेलीगेट का चुनाव कराकर आम जनता से डायरेक्टर का चुनाव होता है मतलब सारे मेम्बर से । इससे सही व्यक्ति चुनकर आते हैं, गड़बड़ी नहीं होती है । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(समय 6 बज कर 30 मिनट)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा होता है और उसी प्रकार देवरिया गन्ने के उत्पादन में भारत के नक्शे में एक स्थान रखता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चोट गन्ना किसानों का देवरिया में लगी है । 5 चीनी मिलों को अधिग्रहण के पश्चात् भी उनकी दुर्दशा है उनकी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई जा रही है न वर्तमान बजट में उससे वृद्धि की कोई योजना है । मान्यवर, देवरिया में गन्ने की खेती पर काफी जोर दिया है । 5 लाख परिवार गन्ने की खेती पर निर्भर है । कोई दूसरा जीविका का साधन नहीं है । वहां पर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है लेकिन 47 से आज तक गन्ने की पेराई का कोई प्राविधान न होने के कारण अत्यन्त चिन्ता का विषय बना है । हर बार चाहे कितनी कम पैदावार गन्ने की हो, देवरिया में लोगों का गन्ना पेराई से रह जाता है । पिछले वर्ष सेवरही शुगर फैक्ट्री में 50 हजार टन गन्ना बिना पेराई के रह गया । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया में सहकारी क्षेत्र में कसया या हेतिमपुर

में एक चीनी की फैक्ट्री स्थापित करने का शासन निश्चय करें। बड़ा विचार हुआ, गन्ना उत्पादन की दृष्टि पर मंत्री जी ने काफी दम्भ भरा है।

मान्यवर, 1983-84 में 381.98 करोड़ रुपये मूल्य का गन्ना उत्पादन हुआ था, जो घट कर 84-85 में 329.21 करोड़ रुपये का हो गया। मान्यवर, चीनी उत्पादन की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। 83-84 में प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन 46.26 मैट्रिक टन था, 84-85 में घटकर 46.13 मैट्रिक टन हो गया। मान्यवर, बड़ी निन्दा किया उधरा के बठने वालों ने 77-78 के जमने की। उस समय गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर 49.34 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हुआ था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उत्पादन इसलिये बढ़ा कि जनता पार्टी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि गन्ना किसानों को सस्ती दर पर 75 रुपये बोरी में यूरिया और 108 रुपये में डाई दिलावेंगे। सिंचाई, बिजली तथा लगान के दरों में भी कमी की। इसके कारण तीन मेट्रिक टन उत्पादन बढ़ा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं किसानों को सस्ती दर पर बिजली चाहिये, पानी चाहिये। गन्ना किसानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है 1,00 रुपया प्रति एकड़ सिंचाई वसूली जा रही है। मान्यवर, किसान ने 83 में गन्ने की बुआई की, 84 में फसल गिराया और 85 तक भुगतान नहीं हुआ और नया सीजन आने वाला है। यह आपके निकम्मेपन का द्योतक है। देवरिया जनपद में गन्ने के उप उत्पादों से कागज तथा डिस्टीलरी फैक्ट्री लगाई जा सकती थी। जिसका प्राविधान इस बजट में न होने से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए वर्तमान बजट का विरोध करता हूं। आपकी भरपूर निंदा होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि तत्काल इस बात का निर्णय लीजिये। नहीं तो जिस दिन गन्ना किसान खड़ा हो गया, आपकी सरकार नहीं चल पाएगी और आपको झुकना पड़ेगा।

श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद देता हूं। मैं इस बजट के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और विरोधी दलों द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, इस विषय पर काफी चर्चा हुई है और यह दर्शाने की कोशिश की गयी है कि सरकार किसानों को कीमत ठीक नहीं दिलाना चाहती है। इस सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो मिलें गन्ना के मूल्य का भुगतान नहीं कर पाई हैं, उसका कारण है कि सरकार ने चीनी के मूल्य से कोई रिश्ता न जोड़ कर के किसानों को ज्यादा पैसा दिलवाया है। इसका सबूत यह है कि प्राइवेट मिलों की बात ही नहीं है, सरकारी क्षेत्र की मिलों को भी जब तक अनुदान नहीं दिया गया तब तक वह भी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाई। वर्ष 1974-75 में जब वर्तमान मुख्य मंत्री जी गन्ना मंत्री थे, उस समय एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया गया था। सन् 1974 तक उत्तर प्रदेश को गन्ना मूल्यों के लिये 3 भागों में बांट दिया गया था। पश्चिमी भाग, मध्य भाग, और पूर्वी भाग। जो कीमत पश्चिमी भाग में थी, उससे एक रुपया कम मध्य क्षेत्र में मिलता था और उससे भी एक रुपया कम पूर्वी क्षेत्र को मिलता था। लेकिन कांग्रेस सरकार की मेहरबानी से तीन के दो क्षेत्र कर दिये गये और जिस दर से मूल्य पश्चिमी भाग को मिलता था उतना ही मध्य भाग को भी दिलवाना शुरू कर दिया गया और उससे एक रुपया कम पूर्वी क्षेत्र को दिया गया। अगर मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र 10 करोड़ कुंटल गन्ना मिलों को सप्लाई करते हैं तो उसका 10 करोड़ रुपया हर साल किसानों को ज्यादा मिलता रहेगा। यह कांग्रेस सरकार की मेहरबानी है। अतः जो कांग्रेस सरकार की नीति है, सही है।

एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि यूं तो सरकार ने इस सम्बन्ध में भरपूर कोशिश की कि किसानों को ज्यादा पैसा दिलवाया जाय। भविष्य के लिये मेरा सुझाव है कि जो 65.35 का अनुपात लेवी तथा मुक्त चीनी में है, वह बजाय 65.35 के 55.45 कर दिया जाय। गन्ना विभाग ने 7वीं योजना में 7 टन प्रति हेक्टर उत्पादन में बढ़ोत्तरी का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इसके लिये कोई रणनीति नहीं अपनाई गई है जो इससे प्रतीत होता है कि 1984-85 में 94 लाख 900 टन नत्रजन के खादों के वितरण का लक्ष्य था जो 1985-86 में 86 हजार टन रखा गया। इसका मतलब है कि वृद्धि के लिए पर्याप्त खाद का प्रबन्ध नहीं हो पायेगा। तो जब ज्यादा पानी, बिजली खाद और बीज नहीं मिलेगा तो वृद्धि कैसे संभव होगी ?

श्री विष्णु देव--

मान्यवर, मुझे कटौती के प्रस्ताव पर जो बोलने का अवसर दिया गया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, मैं कई बार से खड़ा हो रहा हूं और बैठ रहा हूं आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, दूसरों को समय देते जा रहे हैं [×××]
के विरोध में मैं सदन त्याग करता हूं।

(श्री राज किशोर सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री विष्णु देव--

मान्यवर, सरकार की जो गन्ना नीति है उनके बारे में मुझे प्रसन्नता है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी किसानों की हो रही दुर्दशा के बारे में बहुत बातें कहीं और यह मांग रक्खी कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाय, इनकी दुर्दशा को खत्म किया जाय और इनके साथ पर्चियों में, नाप तौल में व दामों की हेरी फेरी में जो गड़बड़ हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, गन्ना की सबसे ज्यादा यहां उपज हो सकती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहां पर गन्ना किसान की दशा अच्छी नहीं है और हमारे यहां विदेश से चीनी मंगाई जा रही है, सरकार की गलत नीति से गन्ने का उत्पादन गिर रहा है। जनता सरकार ने खाद का दाम घटाया। पानी बिजली बीज की सुविधा बढ़ायी जिससे किसान का होसला बढ़ा और चीनी का उत्पादन बहुत बढ़ गया था। यह बड़े शर्म की बात है कि जहां पर इतना गन्ना पैदा होता हो, वहां पर चीनी दूसरे मुल्कों से मंगाई जाय। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे और इस उद्योग में जो सुधार करने की बातें हैं उनमें पर्याप्त सुधार भी करे तो यह उद्योग पनप सकता है। मेरा सुझाव यह कि क्रय केन्द्र पर ही गन्ने का मूल्य किसान, को मिल जाय दूसरे पर्चियों में और नाप तौल में इसकी जो लूट होती है उसे बन्द कराया जाय हमारे यहां आज भी बहुत से ऐसे स्थान हैं देवारेनी, नहर के किनारे जहां पर गन्ना तो खूब पैदा होता है, लेकिन आवा गमन के साधन उचित न होने की वजह से माल समय से नहीं पहुंच पाता है जिससे किसान को काफी असुविधा होती है, इसलिए कृपया इस ओर ध्यान दिया जाय हमारे क्षेत्र के ग्राम दरगात में गन्ना विकास की ओर से जो सड़क पर खड़ंजा लगाया है उसमें सोयम दर्जे की ईंट लगी है इसकी शिकायत की गयी परन्तु ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो 26 मिलें सहकारी संघ की हैं, उनका उत्पादन कितना हुआ और उसमें कितना-कितना मुनाफा हुआ। अगर इसके आंकड़े आप दे देते तो यह मालूम हो जाता कि यह मिल घाटे में चल रहे हैं या मुनाफे में।

नोट--[×××] यह अंश की अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गुप्ता जी अब आप विराजें आपका समय हो गया है ।

श्री विष्णु देव--

मान्यवर, समय मेरे पास बहुत कम है, बातें और भी कहनी थीं, खर अंत में मैं मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नारेन्द्रपाल सिंह--

मान्यवर, मुझे आपने जो बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय मन्त्री जी ने जो बजट आज प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है । महत्वपूर्ण बजट इसलिए है कि गन्ना चूसने म मीठा और चीनी खाने में मीठी होती है, बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे किसानों की जितनी फसलें हैं उनमें गन्ने की फसल ही ऐसी है जो किसानों को उन्नति की ओर ले जाती है । सभी फसलें किसानों को उन्नति की ओर नहीं ले जातीं । गेहूं की फसल, आलू, धान की फसल से किसानों को अच्छा लाभ नहीं मिलता है । गन्ने से किसानों को अच्छे लाभ मिल सकता है । आप किसान के हितों की बात करते हैं । आपकी सरकार के ही कारण 1977-78 में हमारे देश की गन्ने की जो पैदावार 49 मी0 टन प्रति हेक्टेयर थी । आपने खतों में गन्ना सड़वा, जलवा दिया उसकी वजह से यह पैदावार 39 प्रतिशत रह गई और इसीलिए प्रदेश की जनता ने कुछ हो आपको सजा भी दी, आपको इधर से उधर बैठा दिया । मान्यवर, आप किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों की पक्ष की बात करते हैं । किसी भी माननीय सदस्य ने किसानों के हित की, किसानों की उन्नति की एक भी बात नहीं कही । जो गलती आपने की मैं अपनी सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि वह गलती हमारी सरकार न करे । इसके लिए मैं अपनी सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा । मान्यवर, अभी हमारी माननीय सदस्या शशी शर्मा ने जब 30 रु0 भाव की बात की तो माननीय मुख्य मन्त्री जी चौंके । मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि गन्ने की रिकवरी शुरु में साढ़े आठ प्रतिशत होती है बाद में 12 से 13 प्रतिशत तक पहुंच जाती हैं और औसत 10-11 प्रतिशत आ जाता है । इस तरह एक क्विंटल गन्ने में 10-11 किलो चीनी बनती है और उसकी कीमत कंट्रोल में 44 या 45 रु0 होती है । फ्री सेल की चीनी का मूल्य लगाने पर औसत मूल्य 50 रु0 होता है जब कि हमको सिर्फ 21-22 रु0 मिलता है । मेरे सरकार को सुझाव है कि कम से कम किसानों को 35 रु0 भाव दें जिससे किसानों का कुछ फायदा हो सके ।

मान्यवर, किसान फैक्टरी पर गन्ना देता है, तो वहां मीलों लम्बी लाइन लगाता है और जो चीनी उसके गन्नों से तैयार की जाती है उसी चीनी के लिए फिर उसे कन्ट्रोल की दुकान पर मीलों लम्बी लाइन लगानी पड़ती है । मैं सुझाव देना चाहूंगा कि किसान को सीधे मिल से ही कंट्रोल रेट पर निश्चित मात्रा में चीनी मिलनी चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, बड़ी विडंबना है कि भूमि जल में और मिट्टी में पले हुए हमारे किसान भाई जब यहां एयरकंडीशन में आ जाते हैं तो किसान की बात भूल जाते हैं और यहां आकर हम सत्ता के लालच में या सत्ता पक्ष में मन्त्री पद पाने के लालच में किसान के अहित की बात करते हैं । मैं आपके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माध्यम से माननीय मन्त्री जी को आज के बजट में सुझाव देना चाहता हूं कि--- हमारे छाता क्षेत्र में एक शुगर मिल है। मैं मांग करूंगा माननीय मन्त्री जी से कि छाता क्षेत्र को गन्ना क्षेत्र घोषित किया जाय। मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरह से शुगर मिल के कर्मचारियों को, सीजनल कर्मचारियों को, जब मिल बन्द हो जाती है, आधा वेतन दिया जाता है, इसी तरह से जो शुगर समितियां हैं, उनमें जब सीजनल कर्मचारी काम पर न हो, तो उनको भी आधा वेतन दिया जाना चाहिये। समितियों के कर्मचारियों का सर्विस रूल भी बनना चाहिये। इसके अलावा मांग करूंगा कि जो किसान अपना पूरा गन्ना उत्पादन करके मिल में देता है और अपनी लड़की या लड़के की शादी या किसी अन्य कार्य के लिये ब्लैक में चीनी खरीदने के लिये मजबूर हो जाता है, जो किसान जितना गन्ना मिल में देता है, उसको उसी हिसाब से, कोटे के हिसाब से, मिल से कंट्रोल हेतु से चीनी दिलवायी जानी चाहिये।

मान्यवर, जो भी बातें सदन में आयी, और जो भी नीति बजट में प्रस्तुत की गयी है उस हिसाब से यह बजट किसान विरोधी है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी के बजट का विरोध करते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सतीश अजमानी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए, विपक्षी दल के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, बहुत ही अजीबोगरीब लगता है जब हमारे विपक्ष के लोग अपने आप को किसानों का मसीहा बताते हुए, किसानों के हित के लिये बात कहते हैं। मान्यवर, 1977 से 1980 के बीच में किसानों का क्या हाल हुआ? इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा।

एक सदस्य---

इस पर तो कई लोग कह चुके हैं आप कोई नयी बात कहिये।

श्री सतीश अजमानी--

मैं वे बात नहीं कहने जा रहा हूं जो पहले लोग कह चुके हैं। झूंपिये नहीं, जरा सच्चाई को सुनने की कोशिश करिये।

मान्यवर, मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूं। उस समय किसान लोग हमारे ट्रांसपोर्ट पर आकर कहा करते थे कि गन्ना छिलाई का हमें 100 रुपया दे दीजिये ताकि पूरा गन्ना जहां चाहे ले जाइये किसी रेट भी बेंच दें यह हालत थी। जब ट्रक के ऊपर चला करते थे, तो सड़क पर गन्ना पड़ा रहता था, उसके ऊपर से ट्रक गुजरा करता था। जब पूछा गया कि इसका कारण क्या है तो बताया गया कि इसका रस निकल जाये ताकि गन्ना लकड़ी के काम आ सके जलाने के काम आ सके। किसान के उस खून रूपी गन्ना के रस को इस तरह से सड़क पर बहाया गया। इस तरह से किसानों को बेइज्जत किया गया। यह आपने किसान विरोधी काम किया था। मान्यवर, मन्त्री जी ने जो 4 साल पुरानी नीति अपनायी कि 4 साल का ऐवरेज लेकर के उसमें बेसिक कोटा बनाया जायेगा, उस नीति का मैं समर्थन करता हूं। यह काफी हद तक किसानों के हित में है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में तीन शुगर फैक्ट्रीज हैं। मैं पलिया क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। शारदा शुगर फैक्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां किसानों के साथ कुछ अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। वहां पर 49

प्रतिशत के शेयर किसानों ने खरीदे थे, जो कि मिल मालिक और वहां के जनरल मैनेजर के अत्याचार की वजह से, हर वर्ष घाटा दिखाने की वजह से, 37 प्रतिशत रह गये हैं, बाकी मिल ने खरीद लिये हैं। एक तरफ तो केन्द्रीय सरकार लेबरों को फैक्ट्रियों का भागीदार बना रही है तो दूसरी तरफ मिल मालिक उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। वहां पर अभी 20 लेबरों को निकाल दिया गया क्योंकि वे बोनस मांग रहे थे। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस तरह से किसानों और लेबरों के ऊपर जो जुर्म और अत्याचार किया जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाय। यदि इसी प्रकार से इस फैक्ट्री में घाटा दिखाया जाता रहेगा तो मैं सुझाव दूंगा कि जनहित में फैक्ट्री को आप अपने अधीन ले लें। समूचा नगर फैक्ट्री जो वहां पर लगने जा रही है, वहां पर अधिकारियों, कर्मचारियों और लेबरों की भर्ती बाहर से हो रही है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहीं के लोगों को रखा जाय। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। और राम शरण दास जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री श्याम बिहारी सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गन्ने के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। पाइरिला रोग के बारे में प्रदेश के सभी मेम्बरों ने कहा कि यह रोग गन्ने पर बड़ी तेजी से लग रहा है, जिससे किसानों को बड़ी हानि हुई है। दूसरा किसानों का पेमेन्ट न होने से उनको अपनी खेती-बाड़ी में बड़ी असुविधा हो रही है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर गन्ना किसानों के बकाया का पेमेन्ट कराया जाय। आंवला तहसील के ब्लाक मजगंवा में एक चीनी मिल लगाई जाय। दूसरे की पर्ची से जो पैसा लिया जाता है, उसे रोकने की व्यवस्था की जाय। कांटे पर परची की जो असुविधा है, इसकी व्यवस्था वहां पर की जाय ताकि किसान को कोई परेशानी न हो।

माननीय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश में 100 रुपए क्विन्टल लकड़ी बिक रहा है लेकिन गन्ना 20 रुपया क्विन्टल बिक रहा है जिससे नाना प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। इन सारी असुविधाओं को देखते हुए बरेली क्षेत्र में इनको सुविधा दी जाय।

श्री शिव नारायण मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गन्ने के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है वह उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है और ग्रामीण अंचलों में रहने वाली 80 प्रतिशत जनता के हित में है। साथ ही साथ विरोध पक्ष के सम्मानित सदस्य श्री राम सरन जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा और उस पर जब वह बोलने के लिए खड़े हुए तो 30 मिनट तो वह केवल पत्र पत्रिकाओं में ही उलझे रहे। नेता विरोधी दल को उन्होंने देखा और बायी तरफ मैनेजर सिंह जी को देखा तो उस समय वह किंकर्तव्यविमूढ़ होकर कटौती का प्रस्ताव किया। इसलिए किसान के बेटे हैं, सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करना चाहते हैं लेकिन नेता विरोधी दल के दबाव में आकर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। जो न जनहित में है, न प्रशासन के हित में है। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री प्रभू दयाल--

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। मवाना म फैक्ट्री में जो पायरिला की दवा छिड़की गई, 80 हजार एकड़ भूमि है जिसमें ठेकेदारों द्वारा दवाई का छिड़काव हुआ। एक एकड़ पर 8.50 रुपया दिया जाता था और एक लेबर को दो एकड़ दवा छिड़कनी होती थी। इस प्रकार 77 रुपये चार्ज होते थे, 12 रुपये मजदूर को दिये जाते थे, इसके माने हुए 5 रुपये एक मजदूर से बचता था जो डी0 सी0 ओ0 के बाकी नीचे से ऊपर तक बंटता था। मवाना के 80 हजार एकड़ के हिसाब से अगर आप पूरे मेरठ का हिसाब लगाया जाय तो पता चलेगा कि दवा के नाम पर पूरा पान ही छिड़का गया है। मान्यवर, इसकी जांच खुली कराई जाय। बड़ी बुरी हालत है इस सरकार की। इस सरकार में कलयुग का असर हो गया है। यह कलियुग नहीं करयुग है यह। यहां दिन को दे और रात लें क्या खूब सौदा है नकद इस हाथ दे उस हाथ ले।

(व्यवधान)

*श्री फजले मसूद--

माननीय अधिष्ठाता साहब, आपका शुक्रगुजार हूं कि इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। आज समर्थन के साथ में 77-80 के उस दौर में आपको ले जाना चाहता हूं, जो आज गन्ना किसान के मसीहा हो रहे हैं, जब पन्त नगर में गन्ना किसान इकट्ठा हो रहे थे, तो उधर के लोगों ने जो शासन में थे, गन्ना किसान के सीने पर गोलियों की बौछार करी थी, वह दौर था जब इनकी हुकूमत थी और आज हमारे शासन द्वारा प्रस्तुत बजट के विरोध में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। मैं मन्त्री जी का ध्यान देवरिया जनपद की चीनी मिलों की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर गन्ना अत्यधिक पैदा होता है और अधिक चीनी मिलें हैं और हमारे यहां अधिक गन्ना होता है। जो गन्ने का किसान है, उसको अपने उत्पादन का मूल्य आसानी से प्राप्त हो जाय और दूसरी बात हमारे यहां गन्ना किसानों को जो छूट मिल रही है, वह इतनी कठिन तरीके से, इतनी मुश्किलों से प्राप्त हो रही है कि धीरे-धीरे हमारे क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन ही घटता जा रहा है और ऐसा हो सकता है गन्ना ही बोना बन्द कर दें। मैं गुजारिश करता हूं कि मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें। मैं बजट का समर्थन करते हुये बैठ रहा हूं।

श्री बालेश्वर--

मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां कानपुर शुगर वर्क्स, कानपुर की फैक्ट्री हैं--एक पडरौना और दूसरा पचकुइयां। पडरौना पर 45 लाख बकाया है। पंचकुइयां पर 13 लाख आज तक भुगतान नहीं हुआ है। पिछले 83-84 में पडरौना पर दो करोड़ रुपया किसानों का बकाया था और जब वहां के विधायक माननीय खुदा दीन अंसारी साहब का देहावसान हो गया, उसके बाद चुनाव आया तो उस समय रुपया बांटा गया। वहां के किसानों को मजबूर होकर कहना पड़ा था कि अगर चुनाव न होते तो पैसा नहीं मिलता। ये किसानों के रहनुमा बन रहे हैं और चौधरी चरण सिंह की शिकायत कर रहे हैं। कहना चाहता हूं कि वहां स्वर्गीय गेंदा बाबू के द्वारा स्थापित गन्ना शोध केन्द्र बना है, जो पिछले 8 सालों से बन्द पड़ा है, 200 कर्मचारी बैठे खा रहे हैं। ऐसे केन्द्र की स्थापना की गयी है, उसका क्या फायदा है?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री राम सरन का नाम पुकारे जाने पर घोर व्यवधान ।)

श्री हरदेव--

[***]

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप जो बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायगा । आप बैठें ।

श्री हरदेव--

[***]

श्री अधिष्ठाता--

जो कुछ माननीय सदस्य ने बोला है, लिखा नहीं जायगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम सरन--

मान्यवर, जादू वह है जो सर पर चढ़कर बोले । आज जादू सर पर चढ़कर बोल रहा था । पहली बात तो यह कि जो लोग अभी बोल रहे थे 1970 में नाबालिग थे, जैसे कपिल हैं, पाल साहब हैं, शर्मा जी हैं । यह हमेशा कहते रहे जनता सरकार ने गन्ना जला दिया, गन्ना फूंक दिया । वर्ष 1970 में क्या हुआ था प्रोफेसर वासुदेव सिंह, गुफरान साहब बैठे हैं, ये तो उस समय बालिग थे, इन्हीं से पूछिये ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, विधान सभा सदस्य चुनकर आने की कम से कम उम्र 25 वर्ष है अगर ये माननीय सदस्य को नाबालिग बना देंगे तो कैसे होगा ?

श्री राम सरन--

एक बात यह बहुत कहते हैं कि जनता सरकार में नेता जी ने कहा कि मेरे सर पर गन्ना बोओ । तो मान्यवर, इनके नेता तो ऐसे हैं कहते हैं कि गुड़ बोओ, इनका क्या जवाब ? एक बात की यह बहुत दुहाई दे रहे हैं, यह लाल किताब है गन्ना के सम्बन्ध में, इसको इन्हें पढ़ना चाहिए, मैं कहूंगा कि इसे हर एक एम0 एल0 ए0 को भेज दीजिए ।

श्री हरदेव--

18 तारीख को मेरे लड़के की बारात थी, उसमें ऐसा ही एक [**] आया था ।

श्री राम सरन--

अगर मान्यवर, ऐसी हरकत होगी तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

जब माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं तो यह कतई उचित नहीं है कि आप बीच-बीच में बोलें । अगर आपको कोई बात कहना है तो बाद में उसे कह सकते हैं ।

श्री राम सरन--

मैं कह रहा था कि यह गन्ना के ऊपर किताब है इसमें लिखा है 1967 से लेकर आज तक हर साल गन्ने का भाव क्या था । यह लोग हमारे टाईम की बात करते हैं । मैं पूछता हूं कि 1 जनवरी, 1980 में शासन में कौन था ? उस समय हम थे जब गन्ना का भाव 22 रुपया का था और वह हमने किया था, इन्होंने नहीं किया था । हम लोगों ने ही किसानों को 24 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिया था ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मेरा एक स्पष्टीकरण है ।

(व्यवधान)

मेरा एक स्पष्टीकरण है, हर सदस्य को हक हासिल है यह ।

नोट--[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट--[**] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

यह हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है बोलने की। पहले आप मुझसे इजाजत लीजिए, फिर बोलिए। आप बैठिए।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आप मेरी बात भी सुनिये। अगर इसी तरह से ये लोग शोर करेंगे तो कोई काम सदन में नहीं चल पायेगा।

श्री अधिष्ठाता--

राणा जी, आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, ये हरगिज नहीं बोल सकते हैं।

(माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, मैं व्यवधान पैदा नहीं करना चाह रहा हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सदस्य का यह अधिकार भी खत्म हो जायेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आप लोग बैठें। जब माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं तो आपको पहले मुझ से इजाजत लेनी चहिये उसके बाद स्पष्टीकरण करना चाहिये। आप बगैर इजाजत लिये बोलना शुरू कर दिये। जब माननीय सदस्य का भाषण खत्म हो जायेगा और आप खड़े होंगे तो मैं इजाजत दूंगा। आप अव्यवस्था मत फैलाइये।

(व्यवधान)

जब आपके माननीय सदस्य खड़े हुये हैं तो आप व्यवधान डाल रहे हैं। जब आपके सदस्य भाषण कर रहे हैं तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं। (श्री राम सरन को सम्बोधित करते हुए) आप अपना भाषण जारी रखिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी माननीय सदस्य का नाम न लें और अपना भाषण जारी करें।

श्री राम सरन--

मान्यवर लूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। मान्यवर, यह किताब है लिखत पढ़त की है। पहली जनवरी सन् 1980 में लोकदल की सरकार यहां और दिल्ली में भी शासन लोकदल का था और किसानों को 22 रुपये मूल्य हमने दिया था। चूंकि फैक्ट्री में हम खुद उद्घाटन में गये थे, यह बेनी प्रसाद वर्मा जी बैठे हैं, उस समय गन्ना मंत्री थे और 24 करोड़ रुपया इन्होंने अनुदान का दिया था, यह मैं गलत नहीं कह रहा हूं लिखत पढ़त की बात है यह 10 जनवरी के बाद पावर में आये थे और यह आये जाकर जून में और उस वक्त तो हम भाव पहले ही बढ़ा चुके थे।

श्री अधिष्ठाता--

आप समय को देखते हुये सूक्ष्म में सुझाव दें।

श्री राम सरन--

मान्यवर, चीनी मिल की स्थापना कहां हो। चूंकि यह जो सातवीं पंच-

वर्षीय योजना है उसके तहत 6 फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं। उसको कहां स्थापना हो, मैं यह चाहता हूं कि स्थापना ऐसी जगह हो जहां गन्ना काफी पैदा होता है। जहां सिंचाई की सुविधा हो। अगर गन्ने को आप पहाड़ पर फैक्ट्री लगवा दें या जहां ऊसर ही ऊसर हो वहां लगवा दें तो वह फैक्ट्री बैठ जायेगी। आप रुपया लगायेंगे वह बेकार हो जायेगा। क्योंकि पहाड़ पर गन्ना ले जाने में ढुलाई में खर्च बहुत जायेगा और फैक्ट्री बैठ जायेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह फैक्ट्री जो आप लगाने जा रहे हैं उसको आप वहां लगाये जहां गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता हो, जहां सिंचाई के साधन हों। उसके बाद मैं चाहूंगा सरकार से कि गुड़ और खाण्डसारी का तालमेल चीनी से किया जाय तथा गुड़ और खाण्डसारी का जो प्रश्न है, इस तरह का कुछ फार्मूला बनावें ताकि दोनों में समन्वय बना रहे। किसानों को मान्यवर, एक भरोसा रहना चाहिये शासन पर कि हमारा गन्ना लेवी लिया जायेगा या नहीं उसका भाव भी पता रहना चाहिये। इसलिये कभी-कभी किसान गन्ना ज्यादा बोते हैं जब उनको पता चलता है कि गन्ने के दाम बढ़ गये हैं। और अगले साल उसको पता लगा कि गन्ने का रुपया कम मिलेगा, तो गन्ना कम बोवेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गन्ने के किसान को सीमित और अच्छी खेती करनी चाहिये। गन्ने की खती पर भी सीलिंग होनी चाहिये कि इससे ज्यादा आप गन्ना नहीं बो सकते हैं क्योंकि बड़े किसान क्या करते हैं जिनके पास 100-200 बीघा खेत है तो जब वह जानते हैं कि ज्यादा दाम मिलेगा तो ज्यादा जमीन पर गन्ना बोते हैं और इससे छोटे किसान पिस जाते हैं तो यह रुकावट लगनी चाहिये। मानें या न मानें, आपका काम है। अच्छा बीज किसानों को दो। मान्यवर, गन्ना विभाग की ओर से पहले एक नोटिस जारी होता था कि यह वरायटी इतने दिन में समाप्त हो जायेगी, 1148 वरायटी के खेत खड़े के खड़े सूखने लगे। एक नोटिस बांट देना चाहिये और नई वरायटी बुआनी चाहिये।

मान्यवर, खाद जो है, मैं चाहता हूं कि विभाग के लोगों से कह दो कि मिक्सचर बन्द कर दो। सबसे ज्यादा मिलावट मिक्सचर खाद में होती है। बिलकुल मिलावट होती है, उसमें मिट्टी, कूड़ा और करकट मिला देते हैं, मिक्सचर को बन्द करा दो। मान्यवर, आप गन्ना किसानों के लिये सिंचाई के साधन जुटावें वह अपने गन्ने को जिससे सींच सकें। मान्यवर, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र से गन्ने की कीमत में फर्क है पश्चिम में कुछ है और पूरब में कुछ है। तो आप जो रिकवरी होती है, उसके आधार पर गन्ने का दाम तय कर दो। मैं चाहता हूं कि गन्ने का भाव एक सा रहना चाहिये। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं, वह यह है कि गन्ना सर्वेसर्वे सट्टा है चार साल का इकाट्ठा करके करेंगे 1981-82, 1982-83 और 1983-43 व 1984-85 का औसत निकालेंगे। पहले तीन साल की सप्लाई का पर्ता निकालते थे और अब चार साल कर दिया है, मैं चाहता हूं कि पहले वाले फार्मूले पर आप चलें। पागलपन की बात लगी है। पूर्वी व पश्चिमी जिलों में छोटा किसान जो 25 व 40 क्विन्टल गन्ना पैदा करता है उसका गन्ना 90 दिन में लिया जायगा तो इससे किसान मर जायेगा पहले ही महीने में आप इसको ले लें, पहले ही एक महीने में समाप्त कर दिया जाये, पता नहीं क्यों नहीं किया।

(उपाध्यक्ष)

मान्यवर, मैं इन सबसे कहूंगा, आप क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोस का लड़का है, आखिर जब हम रोज मानते हैं, आज हमारी तरफ वोट कर दो। ये सारे तो मेरे रिश्तेदार हैं। मैं चा र कि मान्यवर, हमने रोज आपका पास कवाया,

लेकिन आज हमारा पास करवा दो। इन शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने पक्ष और विपक्ष में बोलते हुये कुछ सुझाव दिये हैं। उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और उनसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, इससे पूर्व कि जो सुझाव आये हैं उन पर मैं कुछ कहूं एक बचपन की घटना इस संदर्भ में आपको सुनाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे एक मित्र हैं। इस वक्त वे अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकारों म से एक हो चुके हैं। उन्होंने एक पत्रिका 'प्रज्ञा' नाम से प्रकाशित की थी। जब इस पत्रिका का प्रथम संस्करण निकला तो उसको लेकर वे राजनीतिक लोगों, साहित्यकारों और अपने बहुत से मिलने वालों के पास गये और उस पत्रिका को उन्होंने समर्पित किया। सभी लोगों ने एक अन्दाज से उसकी तारीफ की। उसके बाद वे एक पुराने बुजुर्ग पत्रकार के पास गये। क्योंकि उनको इसका जीवन का अच्छा व्यवहारिक ज्ञान होता है। तो जब उन्होंने अपनी पत्रिका को उस बुजुर्ग पत्रकार को दिखाया। तो उसके सम्बन्ध में वे कुछ उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन एक काम करना कि आलोचना ही करना। उन्होंने कहा कि चूंकि आलोचना के लिये अध्ययन की जरूरत नहीं होती है, इसलिये आलोचना ही करना। श्रीमन्, मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे बुजुर्ग साथी ने अध्ययन नहीं किया। उन्होंने अध्ययन करने की कोशिश की लेकिन उसको देखा नहीं।

श्रीमन्, यह जो परफारमेंस बजट है इसको दिखाते हुये उन्होंने एक बात कही थी कि सर्वेक्षण के लिये, गन्ने के पौधे पर कीट नाशक दवाइयों के लिये, इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, यह जो किताब पटल पर रखी गई हैं, इसको यदि वे पलट कर देखते, जिसमें वित्तीय आवश्यकताओं के बारे म दिया है उसमें उसके अन्तर्गत 2,320 हजार रुपये का प्राविधान इसके लिये किया गया है....

(व्यवधान)

इसी तरह से आपने पाइरीला के बारे में कहा। मिलों के अधिग्रहण के बारे में कहा। माननीय ओझा जी ने कहा और चिन्ता प्रकट की इसके बारे में। श्रीमन्, सभी जानते हैं कि यह मिलें 1920 से लेकर 1930 के बीच की स्थापित थीं और उनकी स्थिति बहुत जीर्ण-शीर्ण थी। इसके बावजूद भी मैं उसके बारे में आपके कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हमारे पास जो मिलें हैं उनकी जो इन्स्टाल्ड केपेसिटी है वह 20.34 लाख टन है। इसमें वे सारी जीर्ण-शीर्ण मिलें भी आ गयी हैं। यह भारत सरकार और हमारी सरकार के आंकड़े हैं। इसके अगेंस्ट जो इन्स्टाल्ड केपेसिटी है वह 16.54 लाख है और इसके अगेंस्ट जो सुगर प्रोड्यूस हुआ है वह 14.78 लाख है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ 2 लाख टन सुगर इन्स्टाल्ड केपेसिटी से पैदा की है। यह उस व्यवस्था का उदाहरण है जो सुव्यवस्थित तरीके से उन जीर्ण-शीर्ण मिलों को चलाया जा रहा है। आपने कहा कि इनका अधिग्रहण ही क्यों किया गया। इसमें श्रमिकों की, बकायेदारों की देनदारी थी। अभी जो सन् 1984 में अधिगृहीत की गई उनकी देनदारी 134 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गयी थी। ओझा जी ने कहा कि इनको बन्द कर देना चाहिये था। लेकिन उनको बन्द करने में भी जो अनरेस्ट पैदा होगा, उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। जो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास रुक जायेगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कहने के लिए ही कहना हो जो एक आसान पक्ष होता है जिसमें बिना सोचे कह दिया जाता

है। कुछ लोगों ने कहा कि गन्ने का मूल्य अधिक दिया जाय और इसके बाद कहा कि शक्कर भी सस्ती की जाय। तो दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। मैं तो सोचता था कि हमारे बुजुर्ग जिनको संसदीय परम्पराओं का बहुत सारा अनुभव रहा है वह संभवतः कहेंगे कि दोनों को कास्ट आफ प्रोडक्सन के आधार पर किया जाना चाहिये लेकिन वह उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने किसानों की बात कही तो कहा कि अधिक मूल्य दिया जाय और जब कंज्यूमर की बात आई तो कहा कि सस्ता दिया जाय। तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि दोनों पक्ष देखें जायं।

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास आंकड़े हैं कि गन्ने का क्षेत्रफल क्या था 1975-76 में 12.14 लाख हेक्टेयर था यह इनक्रीज करते-करते 1979-80 में 12.33 लाख हेक्टेयर हुआ, 1981-82 में 15.39 लाख हेक्टेयर हुआ 1982-83 में 17.32 लाख हेक्टेयर हुआ। इस तरह से पिछले 10 सालों में कुछ न कुछ इनक्रीज हुआ है।

अब परहेक्टेयर प्रोडक्शन पर आ जायं तो 1975-76 में 41.44 टन, 1976-77 में 46.18 टन, 1977-78 में 49.34 टन, 1978-79 में 39.40 हो गया जो थोड़ा घटा है फिर 1979-80 में 38.20 हो गया, 1980-81 में 47.85 टन हुआ और इस प्रकार 1984-85 में 46.13 हुआ। यह पांच सालों का सरकिल है इसमें प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ा है यह और बढ़ेगा इसको हम 55 टन परहेक्टेयर पर ले जाना चाहते हैं। इसमें दो-तीन व्यवस्थायें जैसे इरिगेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके इसके लिए कुछ व्यवस्थायें की जा रही हैं। फर्टिलाइजर की कंपेसिटी डेवलप हो इसके लिए मैं सोचता था कि माननीय सदस्य बधाई देते जिसको हमने बढ़ाया है आज किसान उसका ज्यादा उपयोग कर रहा है। इसी तरह से नेबार्ड से हमने लोन साढ़े 11 परसेंट से 14 परसेंट तक किया है जो पहले 17 और 18 परसेंट पर मिलता था लेकिन माननीय सदस्य ने उसके लिए बधाई नहीं दी। गन्ने का कमीशन 20 पैसे से 50 पैसे हुआ उससे भी किसानों को फायदा हुआ उस पर भी बधाई नहीं दी। प्रत्येक काम में कुछ न कुछ समस्यायें आती हैं उनका समाधान किया जाता है। आपको सोचना चाहिये यह पहली इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। तो उस पर भी आपने बधाई नहीं दी। यह पहली इंडस्ट्री है जो देहातों में लगी है। आप लोग रोज चिल्लाते हैं कि देहातों में इंड्रस्टलाइजेशन होना चाहिये तो यह हमने देहातों में ही लगाई है। अगर इसमें कोई समस्या होती है तो उसको भी ठीक करने की व्यवस्था होगी। हम देखेंगे कि ठीक तरह से चल रही है या नहीं।

आप देखेंगे कि जीवन में भी एक इलेक्ट्रो साइकिल होता है जैसे साईकिल आप चलाते हैं तो चलाते-चलाते थक जाते हैं और फिर कुछ देर ठहर कर आराम करते हैं और फिर चलाने लगते हैं तो पहले की तरह चलते हैं।

इस तरह नेशनल फिनामिना, इलेक्ट्रो साइकिल, चलती रहती है। मान्यवर, जिस खेत में बार-बार बोते रहेंगे तो कुछ साल बाद पैदावार कम होगी और फिर बढ़ेगी, इसी प्रकार कभी पेड़ों में फल कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं। इसलिये उसी तरह गन्ने में एरिया वही बोया गया लेकिन उत्पादन कम हुआ, तो यह नेशनल फिनामिना है। आप पिछले 5 या 10 साल का रिकार्ड देख सकते हैं।

श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने कहा कि इम्प्रूव वेरायटी जो हैं वह कहीं नहीं दिखाती हैं, तो चश्मा मैं नहीं दे सकता हूं लेकिन बता सकता हूं कि गोरखपुर में यू० पी० 3, को० शा० 8407, को० शा० 8408, 8116,

वाराणसी में को० शा० 8407, को० शा० 8408, को० शा० 8016, को० शा० 8118, 837 और यू० पी० 3, लखनऊ में यू० पी० 3, को० शा० 8214, 8312 और यू० पी० 5, बरेली में को० शा० 8434, 8301, 8016, 837, 8315 यू० पी० 5 मुरादाबाद में को० शा० 8301, 8016, 8434, 837, 8315, यू० पी० 5, मेरठ में यू० पी० 3, को० शा० 8315, 837, 8301, 8016 जातियां हैं ।

मान्यवर, समय कम है, इसलिये अब अन्त में मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इक्सपेंशन हो रहा है, नई इंडस्ट्री लग रही हैं जिससे इम्प्लायमेंट बढ़ेगा । इन सब बातों को देखते हुए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें चूंकि वह अपने को किसानों और श्रमिकों का हितैषी कहते हैं और यदि वास्तव में हितैषी होंगे तो वापस ले लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा दुर्भाग्य है कि हर वित्तीय सालों में यह सवाल मैं पूछता हूं और उत्तर आ जाता है कि पूरा हो जायेगा लेकिन पूरा नहीं होता है । मेरा सवाल है कि बढ़नी सहकारी समिति जो हमारे यहां है उसका भुगतान के लिये किसानों को पैसा मिला किन्तु उसने वह धन बकाये में भुगतान कर दिया बीज निगम को वर्ष 1981-82 के बकाये का जिसके कारण गन्ना किसानों को 5 लाख रुपये से ज्यादा धन का भुगतान नहीं हो सका, वह छोटे किसान परेशान हैं । मन्त्री जी हर बार कहते हैं कि गन्ना किसानों का बकाया दिला देंगे लेकिन नहीं दिला पाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उन किसानों ने क्या जुर्म किया है, इसलिये क्या उनको बकाये का धन दिलायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, आपके माध्यम से गन्ना मन्त्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि हरदोई के गन्ना किसानों का पिछले वर्षों का जो 3 करोड़ 10 लाख रुपया बकाया है, क्या मन्त्री जी उसे इस सत्र की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव—

आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि मैनपुरी जनपद के बारे में कई बार सरकारी घोषणा हो चुकी है कि कहां पर चीनी मिल लगेगी, तो क्या इस सत्र में इस मिल को आप लगाने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12—गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,25,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,05,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई थी । माननीय अध्यक्ष जी ने श्री कौशिक रमाशंकर की सूचना जो जालौन जनपद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 150 मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने के विषय में है, उसे स्वीकार किया है । श्री राजेन्द्र गुप्त की सूचना लेब टैकनीशियनों की हड़ताल के बारे में आई थी, जिसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । इसमें श्री सत्यापाल सिंह का नाम भी जोड़ दिया जाए, जिन्होंने नियम 56 में यही सूचना दी थी ।

गंगा नदी के कटान से बलिया जनपद के कई गांवों को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री—(श्री भोलाशंकर मौर्य)—

बलिया जनपदद में गंगा नदी के किनारे.....

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

अधिष्ठाता—

वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया)

श्री भोला शंकर मौर्य—

[ग्राम—भुसौला, नदरा एवं जगदीशपुर गाय घाट से लगभग 17 कि0 मी0 नीचे स्थित है । इस स्थल के पास लगभग 5 कि0 मी0 लम्बाई म गंगा नदी के कटान का कुछ खतरा वर्ष 1978 में अनुभव किया गया था । तत्कालीन सिंचाई मंत्री, विधायक एवं जनता के अनुरोध पर कटान को रोकने के लिए तब कटाव निरीक्षक कार्य स्वरूप 2 स्पर व 2 डेम्पनर बनाये गये थे जिसके फलस्वरूप तब कटान रुका । परन्तु 1981 में फिर बढ़ोत्तरी अनुभव की गई और उस समय 3 छोटे स्पर व 2 डेम्पनर का सुदृढ़ीकरण किया गया । 1981 की बाढ़ में दोनो छोटे स्पर बह गये और बाद के वर्षों म बड़े स्पर नं0—1 के नीचे कटान हुआ जोकि पानी में भवर पड़ जाने से हुआ । अतः कटान को रोकने के लिए एक योजना तकनीकी सलाहकार समिति को अप्रैल, 1984 में प्रस्तुत की

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गई तथा तकनीकी समिति द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की गई, उसमें ग्राम नवरा, भुसीला के निकट 3 स्पाड का निर्माण जून 1984 में किया गया तथा एक बड़े स्पर नं0-1 के पीछे जो कटान हो गया था उसमें क्रेट में पत्थर तथा झांवा भरकर वर्ष 1985-86 में जून 1985 में कराई गई । इन कार्यों के सम्पन्न होने से इस वर्ष बरसात में उस स्थान के नीचे पानी का घुमाव जो तेजी से होता था, मध्यम हो गया है जिस के फलस्वरूप यहां कटान नगण्य रह गया है ।

2-- इन ग्रामों के 2 घर पिछले साल से गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि दर्जनों घर नदी में विलीन होने वाले हैं । यह ग्राम वैरिया संसार-टोला बांध एवं गंगा नदी के बीच पड़ते हैं । अतः पूर्ण आबादी को सुरक्षा की दृष्टि से इन ग्रामों को ऊंचे करना अथवा ऊंचे स्थान या सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर बसाना ही एक मात्र स्थायी उपाय होगा ।

3--12 अगस्त, 1985 को माननीय श्री मैनेजर सिंह, विधायक के साथ जिलाधिकारी, बलिया ने दौरा किया । उस समय अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड बलिया भी मौजूद थे । हवा के हलकोरों से उक्त दोनों घरों के पास कुछ कटान सी लगती थी जिसका उपचार बांस के चचरे तथा बहया से स्थल पर किया जा रहा था क्योंकि हलकोरों से कटान को रोकने का यह उचित उपाय था । अधीक्षण अभियन्ता के दौर में भी अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बलिया उनके साथ थ । अधीक्षण अभियन्ता ने स्टड नं0-2 के आस-पास पत्थर लगाने के आदेश दिये थे । यह कार्य कर दिया गया है ।]

श्री रामगोविन्द चौधरी--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्लीपर्स पानी में बह गये यह क्यों बह गए क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

माननीय सदस्य की चिन्ता बड़ी स्वभाविक है, हम इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

यह जिन गांवों के कटाव के विषय में दिया गया है उसके बारे में मैं एक-दो बातें कह देना चाहता हूं दो-एक गांव तो बिलकुल बह गये । इनका स्लीपर बह गया जिसके कारण करीब 50 गांवों को खतरा उत्पन्न हो गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों के कटान का खतरा पैदा हो गया है उसको रोकने के लिये आपने फिर कोई योजना मंजूर की ?

श्री भोलाशंकर मौर्य--

मान्यवर, यह जो गांव हैं यह गंगा और बांध के बीच में है मैंने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है कि इन गांवों को बचाना हमारे सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुये संभव नहीं है । इनको कहीं ऊंचे स्थान पर कर दिया जाय तभी इन गांवों को बचाया जा सकता है फिर भी जो आपने प्रश्न उठाया है इसका परीक्षण करा लेंगे और सीमित साधनों से इसमें संभव हुआ तो इसको देखेंगे ।

श्री राम गोविंद चौधरी--

मान्यवर, अभी जो गांव कट रहे हैं तो इनको बचाने के लिये तत्काल क्या व्यवस्था कर रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं ।

ी खान गुफरान जाहिदी--

उनको ऊपर बसाया जा रहा है ।

श्री राम गोविंद चौधरी--

मान्यवर, यह मजाक बना रहे हैं । पचासों गांवों को खतरा है । 1971 में जो गांव खाली हो गये थे उनको अभी तक बलिया में बसाने का काम नहीं किया गया है । जाहिदी साहब कह रहे हैं उनको ऊपर बसाया जायगा ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब था कि उनको ऊंचे पर बसाया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि आप उनके लिये तत्काल क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, राहत कार्य जो शासन करता है वह किये जा रहे हैं और सिर्फ 2 घरों की बात है । वह गंगा नदी की कटान में पड़ गये हैं तो उनके लिये बांस और बेहया का बेड़ा लगवाया है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, वहां पर 4 बड़े-बड़े गांव हैं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सिर्फ 2 घर हैं । वहां पर 4 गांव कट रहे हैं उनको बचाने की योजना आप नहीं बना रहे हैं ।

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, माननीय सदस्य हमको जानकारी करा दें, मेरे पास तो सिर्फ 2 घरों के बारे में सूचना है । 15 गांवों की आपने बात की तो मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है कि 4 घर या 4 गांव हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय राम गोविंद चौधरी की सूचना को सही मानकर तत्काल उन गांवों को बचाने के लिये कार्यवाही करेंगे ? यदि करेंगे तो कब तक ।

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो माननीय सदस्य ने कहा है मैं इसका परीक्षण करा लूंगा । मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार 2 घरों की बात है ।

कानपुर केमिकल्स, कानपुर में गैस रिसाव से लाखों लोगों का जीवन संकट में होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, 11 अगस्त, 1985 को..

(पढ़ा हुआ मान लिया जाय की आवाजें ।)

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

[10 बजे रात्रि में कानपुर केमिकल्स लि0, कानपुर में सल्फर डाई आक्साइड गैस की कुछ मात्रा मुक्त होकर वायु मंडल में पहुंची । सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में कुछ न कुछ गैस रिसाव सामान्य तरीके से भी होता है, परन्तु उपर्युक्त घटना के समय वायु मंडल का दबाव नीचे की ओर होने के कारण, जैसी की रात्रि में अधिक सम्भावना रहती है, गैस वायु मंडल में ऊपर न उठ करके नीचे की ओर आयी और पास पड़ोस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के क्षेत्र में इसका हल्का सा प्रभाव हुआ। कुछ व्यक्तियों को बेचैनी मालूम हुई, कुछ को कै और खांसी महसूस हुई, और कुछ व्यक्तियों को कै वास्तव में भी हुई, परन्तु कोई दुर्घटना नहीं हुई।

2--कन्ट्रोल रूप के माध्यम से सूचना मिलते ही जिले के सम्बन्धित अधिकारी मौके पर पहुंचे। उपर्युक्त फैक्ट्री जिलाधिकारी द्वारा बन्द करा दी गई। फायर ब्रिगेड से पानी का छिड़काव प्रभावित क्षेत्र में वायु मंडल में किया गया ताकि गैस का प्रभाव समाप्त हो जाय, क्योंकि पानी से मिश्रित हो जाने पर गैस प्रभावहीन हो जाती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में डाक्टरों का एक दल भी मौके पर पहुंचा परन्तु उस समय तक गैस का प्रभाव समाप्त हो चुका था, अतएव औषधि वितरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। डाक्टरों ने कुछ समय तक क्षेत्रीय निवासियों की देखभाल की।

3--रात्रि में कुछ समय बीतने के बाद यद्यपि गैस का प्रभाव समाप्त हो चुका था, परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों ने मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया और इस बात का दबाव डाला कि फैक्ट्री को बन्द करने के लिये लिखित आदेश उसी वक्त जारी किये जायं। अर्धरात्रि का समय होने के कारण लिखित आदेश उस समय जारी करना सम्भव नहीं था क्योंकि आदेश जारी करने के पहले कुछ औपचारिकतायें भी पूरी करनी पड़ती हैं। जिलाधिकारी कानपुर के मौखिक आदेश से फैक्ट्री बन्द करायी जा चुकी थी, और यह बात अशान्ति उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को बता दी गयी थी। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि जन मार्ग का अवरोध न करें, परन्तु उन्होंने इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। इस मार्ग अवरोध का प्रभाव जी0 टी0 रोड पर अधिक पड़ा, क्योंकि उस मार्ग पर बहुत अधिक यातायात रहता है, अतएव जी0 टी0 रोड दूर-दूर तक अवरुद्ध हो गयी। जब समझाने-बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तब जिला प्रशासन को कुछ गिरफ्तारियां करनी पड़ी। 5 व्यक्तियों को धारा 151 जाफ्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया जो श्री पवन दीक्षित के नेतृत्व में थे। श्री पवन दीक्षित, युवक कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता बताये जाते हैं। प्रेस में भी कुछ समाचार पत्रों ने बढ़ाचढ़ा कर समाचार फैलाये जिससे कि जनता में उदग्निता पैदा हुई। गैस के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ा कर अफवाहें फैलाई गयी, यद्यपि इस प्रकार की उत्तेजनापूर्ण अफवाहें निराधार थीं। सम्बन्धित फैक्ट्री के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है तथा शान्ति व्यवस्था नियंत्रण में है।

4--यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त फैक्ट्री द्वारा 1983 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उत्पादन प्रारम्भ करने की स्वीकृति मांगी गयी थी, परन्तु प्रदूषण नियंत्रण के संतोषजनक साधन उपलब्ध न होने के कारण बोर्ड द्वारा उत्पादन करने की सहमति नहीं दी गयी, तथा दिनांक 21-3-1983 को फैक्ट्री का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के कारण दिनांक 6 दिसम्बर, 1983 को फैक्ट्री के विरुद्ध धारा 44 जल प्रदूषण, अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे के निस्तारण की सूचना अभी तक प्रतीक्षित है।]

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मद 4 में यह बताया गया है कि फैक्टरी शासन के आदेश से बन्द कर दी गयी और मुकदमा भी कोर्ट में लम्बित है तो फिर किनके आदेश से यह फैक्टरी चली और क्यों चली ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, 1983 में पोल्यूशन बोर्ड ने इनको नोटिस दी थी स्क्रेबर वगैरह लगाने के लिये। जब उन्होंने नहीं लगाये तो उनको फैक्टरी चलाने के लिये नो-आब्जेक्शन सर्टीफिकेट नहीं दिया गया और फैक्टरी एक साल बन्द रही। लेकिन श्रीमन्, चूंकि यह पुरानी फैक्टरी थी, एक सहमति पत्र होता है, फैक्टरी पर मुकदमा था स्ट तो था नहीं कि फैक्टरी न चले फैक्टरी तो पहले से बन्द थी, जब वह दुबारा उसको ठीक-ठाक करके चलाना चाहे, तो उन्होंने चलाया और अपनी सर्टिफिकेट जो थी, उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए बोर्ड के पास कागज भेजा। बोर्ड के पास 3 माह का वक्त रहता है कि वह तीन माह के अन्दर इन्क्वायरी करके अपनी सहमति दे दे। चूंकि ज्यादा दिन हुए नहीं थे, इसलिए उन्होंने सहमति पत्र पर ओ0 के0 किया नहीं था, इसलिए उस फैक्टरी पर कोई ओ0 के0 का सवाल नहीं उठता।

श्री सरदार सिंह--

इसमें माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह दर्शाया है कि जी0 टी0 रोड पर असामाजिक तत्व ने मार्ग अवरुद्ध कि और जिला प्रशासन को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह असामाजिक तत्व कौन थे और किस पार्टी से सम्बन्ध रखते थे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, सामान्यतया इसमें कोई पार्टी का कलर नहीं देना चाहिए। जब यह घटना हो गयी, तो वहां पर अधिकारी लोग पहुंच गये और फैक्टरी बन्द करा दिया। वहां पर कुछ यंग लड़के थे, उन्होंने उसको रोका, इस पर विवाद हुआ, ट्राफिक को जी0 टी0 रोड पर जाम करने लगे, पांच लोगों को उन्होंने रोका। मूल प्रश्न के उत्तर में दिया हुआ है कि वह किस पार्टी के लोग थे। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सारा सबन सुन ले, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया। उसमें दल भी लिखा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन सायंकाल 7 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

21 अगस्त, 1985

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

क्रम-संख्या	इकाई का नाम	स्थान का नाम	निर्मित वस्तु	सी0 आई0 एल0/ एल0 आई0 स0 एवं दिनांक	कुल लागत लाख रु0 में
					रु0
1	मेसर्स हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स, लि0, कोरवा डिविजन, एस0 ए0 एल0 पोस्ट आफिस, फैजाबाद रोड, लखनऊ	अमेठी, सुल्तानपुर	ऐव्योनिक्स उपकरण इत्यादि	एल0 आई0-313(83) दिनांक 4-5-83 सी0 आई0 एल0 267(84) दिनांक 31-7-84	4746 लाख
2	मेसर्स भारत हैवी एलेक्ट्रिकल लि0, 159/6 फ्लोर, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस 10-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	सुल्तानपुर	सिरे[illegible]न्सुलेटर	ल0 आई0 321(79) दिनांक 11-10-79 सी0 आई0 एल0 158(85) दिनांक 18-5-85	1626 लाख
3	यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन कानपुर	खलीलाबाद	प्रासेस हाउस	..	1.00 करोड़
4	मेसर्स यू0 पी0 स्टेट लेदर डेव0 मार्केटिंग कारपोरेशन लि0, 16/7 सदर भट्ठी, आगरा	बस्ती	[illegible]मड़ा	एल0 आई0 561/82, दिनांक 2-8-82	45.22 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

अधिग्रहीत भूमि के स्वामियों तथा मिल में नियोजित उनके आश्रितों की सूची ।

क्रम-संख्या	भर्ती किये गये आश्रित का नाम	कृषक परिवार का नाम
1	2	3
*1	श्री रामकरण पुत्र श्री राम लाल	श्री रामकरण सिंह पुत्र श्री राम लाल वगैरह ।
2	श्री समरपाल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह वगैरह	श्री समर पाल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह वगैरह ।
3	श्री राजपाल पुत्र श्री जयराम	श्री जय राम पुत्र सहवां ।
4	श्री राम सिंह पुत्र श्री मुकुन्दी	श्री मुकुन्दी पुत्र श्री राम प्रसाद ।
5	श्री सत्यबीर सिंह पुत्र श्री होस राम सिंह	श्री होसराम सिंह पुत्र श्री छुट्टन सिंह ।
6	श्री राम कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री हरदेव आदि ।
7	श्री धर्मपाल पौत्र श्री राम सिंह	श्री राम सिंह पुत्र श्री प्राणसुख ।
8	ब्रम्हा सिंह पुत्र श्री रघुबीर सिंह	श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री बल्वन सिंह आदि ।
9	नानक चन्द्र पुत्र श्री शिवचरन	श्री शिवचरन पुत्र श्री लाखा आदि ।
10	श्री आशाराम पुत्र श्री जग्गू सिंह	श्री आशाराम पुत्र श्री जग्गू सिंह आदि ।
11	श्री मुन्ना पौत्र श्री भाडे	श्री भाडे पुत्र श्री सहवां ।
12	खचेडू सिंह पुत्र श्री मुखराम	श्री मुखराम पुत्र श्री जयराम ।
13	श्री नन्हे पुत्र श्री झम्मन	श्री झम्मन पुत्र श्री मनसुख आदि ।
14	श्री लखन सिंह पौत्र श्री बिहारी	श्री बिहारी पुत्र श्री जीसुख ।
15	श्री चन्द्र भान सिंह पुत्र श्री करन सिंह	श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री करन सिंह आदि ।
16	श्री रामनिवास पुत्र श्री फूल सिंह	श्री फूल सिंह पुत्र श्री राम सहाय ।
17	श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री पल्टू सिंह	श्री पल्टू सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह ।
18	श्री राज पाल सिंह पौत्र श्री भगवाना	श्री भगवाना पुत्र श्री न्यादर आदि ।
19	श्री भवाली पुत्री पुत्र श्री बहरा सिंह	श्री बहरा सिंह पुत्र श्री गंगा राम आदि ।
20	श्री लाल बहादुर पौत्र श्री नत्थू	श्री नत्थू पुत्र इच्छणराम ।
21	श्री ओमपाल पुत्र श्री गिरधारी	श्री गिरधारी पुत्र श्री तोता आदि ।

1	2	3
22	श्री होराम सिंह पुत्र श्री झब्बा सिंह	श्री झब्बा सिंह पुत्र श्री ढूडा आदि ।
23	श्री रामपाल सिंह पुत्र श्री जय सिंह	श्री जय सिंह पुत्र श्री हरिश्चन्द्र ।
24	श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री चेतराम	श्री चेतराम पुत्र श्री तोता सिंह ।
25	श्री दयाराम पौत्र श्री मंगल	श्री मंगल पुत्र श्री लाल जी आदि ।
26	श्री भरत पुत्र श्री हरकेश	श्री हरकेश पुत्र श्री कलवा आदि ।
27	श्री बाधे पुत्र श्री छुट्टन	श्री छुट्टन पुत्र श्री हिम्मा आदि ।
28	श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री लग्गन सिंह	श्री जगन पुत्र श्री कलवा आदि ।
29	श्री चन्द्र पाल सिंह पौत्र श्री कल्लन	श्री कल्लन पुत्र श्री लक्ष्मण ।
30	श्री महीपाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह	श्री खजानी पत्नी राम सिंह ।
31	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मानक सिंह	श्री महाबीर सिंह पुत्र श्री मानक सिंह ।
32	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुबीर सिंह	श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री शिवराम ।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

जिला चयन समिति, फर्रुखाबाद द्वारा टंकक पद हेतु अनुमोदित सूची

1—5890/83, श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव ।

2—8348/83, श्री नित्यानन्द मिश्र पुत्र श्री हर नारायण मिश्र ।

3—12135/84, श्री बृजमोहन सिंह पुत्र श्री शान्ति स्वरूप ।

4—12136/84, श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री माया प्रकाश ।

5—12120/84' श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री राम विलास ।

6—7404/84, श्री इजहार अहमद पुत्र श्री इजहारूप हसन ।

7—12120/84, श्री परमेश्वर दयाल पुत्र श्री सुमेर लाल ।

8—डब्लू 2919/84, कुमारी स्नेहलता कुशवाहा पुत्री श्री शरण सिंह कुशवाहा ।

9—155/84, श्री दयाराम पुत्र श्री मेघनाद ।

10—7465/84, श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री विन्देश्वरी प्रसाद ।

11—3387/84, श्री अखिलेश चन्द्र अग्निहोत्री पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद ।

12—638/84, श्री विद्या प्रकाश पुत्र श्री नन्द राम ।

13—1266/85, श्री सतेन्द्र मोहन शर्मा पुत्र श्री मुन्शी लाल शर्मा ।

14—6477/83, श्री नरेन्द्र कुमार दीक्षित पुत्र श्री वसन्त लाल ।

15—6899/84, श्री मशकूर हुसैन पुत्र श्री मकबूल हुसैन ।

16—3382/84, श्री राम सिंह पुत्र श्री दुरगाई ।

17—6385/84, अरुण कुमार पुत्र श्री राम चन्द्र वाथम ।

18—5836/83, श्री मोहम्मद अमीर पुत्र श्री जाकिर खां ।

19—12127/84, श्री राम बाबू सिंह पुत्र श्री भारत सिंह ।

20—4882/83, श्री राम सिंह पुत्र श्री देशराज ।

21—6387/82, श्री कृष्ण कुमार टंडन पुत्र श्री राम शंकर ।

22—11199/84, श्री अश्वनी मार पुत्र श्री वीरेन्द्र पाल अवस्थी ।

23—2387/84, श्री सुशील कुमार पुत्री जगन्नाथ ।

24—12133/84, श्री कुमारपाल सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह ।

25—7075/82, श्री विश्राम सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप ।

26—12123/84, श्री वीरेन्द्र पाल पुत्र श्री राम चन्द्र पाल ।

27—12139/84, श्री मिर्जा सेराज बेग पुत्र श्री कमरूद्दीन ।

8—2062/84, श्री हवलदार सह पुत्र श्री हेतराम ।

29—1878/81, श्री राकेश श्रीवास्तव पुत्र श्री आर0 के0 श्रीवास्तव ।

30—12137/84, श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री गिरीश चन्द्र ।

31--11202/84, श्री अजवीर सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह ।
32--1985/85, श्री इलियास हुसेन पुत्र श्री रसीद अहमद ।
33--1190/84, श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हृदयराम ।
34--12132/84, श्री शहनवाज पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन खां ।
35--2066/85, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री रामेश्वर दयाल ।
36--2064/85, श्री सत्य प्रकाश बाथम पुत्र श्री मलिखान सिंह ।
37--12129/84, श्री फारूक हुसैन पुत्र श्री महमूद हुसैन ।
38--4063/81, श्री राजेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह ।
39--1240/84, श्री बच्चन लाल पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद ।
40--2096/85, श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री सकटे लाल ।
41--2071/85, श्री राकेश पुत्र श्री रामेश्वर दयाल ।
42--2068/85, श्री खुशीराम पुत्र श्री पंचम लाल ।
43--8057/81, श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद ।
44--2102/85, श्री राम गोपाल पुत्र श्री मन्सुख दास ।

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

एस0 एफ0 डी0 ए0 योजना के अन्तर्गत उन्नाव जनपद में नलकूप निगम द्वारा निर्मित नलकूपों का विवरण--

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	नलकूप संख्या	विकास खंड	छिद्रण की तिथि	विकसन की तिथि	पम्प गृह निर्माण की तिथि	उर्जीकरण की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रसूलपुर	एन0यू0जी0-1	हिलौली	4-5-81	10-5-81	25-2-82	15-12-83	
2	पाठकपुर	एन0यू0जी0-2	असोहा	28-10-81	12-11-81	31-3-82	20-12-82	
3	पारासेंफपुर	एन0यू0जी0-6	मियांगंज	15-12-81	25-12-81	4-4-83	10-7-83	
4	ताजपुर	एन0यू0जी0-7	मियांगंज	9-1-82	3-3-82	4-4-83	8-7-83	
5	बिनायका प्रथम	एन0यू0जी0-9	मियांगंज	25-1-82	12-2-82	4-4-83	8-7-83	
6	निजामखेड़ा	एन0यू0जी0-10	हसनगंज	24-12-81	4-2-82	31-7-82	25-1-84	
7	कमलापुर प्रथम	एन0यू0जी0-3	मियांगंज	18-11-81	1-12-81	24-1-82	..	सिंचाई विभाग द्वारा उर्जीकरण तथा पूर्ण कराया जाना है।
8	कमलापुर द्वितीय	एन0यू0जी0-4	मियांगंज	12-1-82	27-1-82	30-4-83	..	
9	महेन्द्रा	एन0यू0जी0-5	मियांगंज	28-11-81	13-12-81	25-2-82	..	
10	बिनायका द्वितीय	एन0यू0जी0-8	मियांगंज	6-2-82	20-2-82	(निकास कम मिलने के कारण असफल)		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

अकबरपुर कताई मिल में 5/81 एवार्ड के उपरान्त की गई श्रमिकों की प्रोन्नति का विभागानुसार विवरण एवं संख्या निम्न है :—

क्र0 सं0	विभाग	प्रोन्नत किये गये श्रमिकों की संख्या
1	ब्लोरूम	16
2	कार्डिग	34
3	स्पीड फ्रम	44
4	रिंग फ्रम	159
5	रोलिंग	14
6	कोन बाइन्डिग	9
7	डब्लिंग	6
8	पकिंग	1
9	वर्कशाप	14
	योग ..	297

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0 संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

प्रतिलिपि

राम सागर रावत, सदस्य विधान सभा,
सिद्धौर–बाराबंकी ।

44–बी, दारुलशफा, लखनऊ
दिनांक 6 मई, 1985 ई0

सेवा में,

माननीय सिंचाई मन्त्री जी,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

विषय––जनपद बाराबंकी के नहर नवाबगंज रजवहा के चतुर्थ खंड से सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव तथा झूरी ठेकेदार की मिली भगत से नहर व उसकी माइनरों पर अनुमानित 90 हजार रुपये का फर्जी कच्ची मिट्टी का कार्य हुआ दिखाकर भुगतान लेने के मामले को जांच करके तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ।

मुझे जानकारी कराई गई है कि विषय से सम्बन्धित नहर के चतुर्थ खंड और उसकी माइनर मंझियावा, इसरौला, मदारपुर, बेलांवा, असन्दा, धनौली खास, गजपतिपुर, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित हैं जिन पर तैनात जूनियर इंजीनियर श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, निवासी जनपद बलिया अपने साथ बलिया जनपद का ही रहने वाला अपना विश्वास पात्र ठेकेदार झूरी को साथ लाये जिनके सहयोग से इसी वर्ष जनवरी से मार्च तक अनुमोदित 90 हजार रुपये का कच्ची मिट्टी का कार्य करना दिखाकर झूरी ठेकेदार के नाम से भुगतान कर लिया गया जिसकी निम्न बातों की तरफ ध्यान दिलाकर जांच एवं आवश्यक कार्यवाही चाहता हूं :––

(1) यह कि बलिया निवासी जूनियर इंजीनियर अशोक कुमार श्रीवास्तव, ठेकेदार झूरी को अपने ही क्षेत्र के पास ग्राम बागीपुर जनपद बाराबंकी में ठहरा रखा है, अपने क्षेत्र की मंझियावा, इसलौला, मदारपुर, सेमरावां, बेलावा असन्द्रा धनौली खास, बेलिया माइनरों का कच्ची मिट्टी का कार्य ठेकेदार के नाम बैंक आर्डर करते समय सभी माइनरों का पांच हजार रुपये तक का मिट्टी का कार्य झूरी ठेकेदार ने अपने नाम एलाट कर दिया ।

(2) यह कि सारे ठेकेदारों ने अपने नाम एलाट अपनी अपनी माइनरों का मिट्टी का कार्य पूरा करा दिया किन्तु झूरी ठेकेदार जिनके कि नाम सर्वाधिक उपरोक्त सभी माइनरों पर व नहर पर वर्क आर्डर से एलाट था, कार्य कराने को कौन कहे कहीं भी कार्य के नाम पर मिट्टी को छुआ तक नहीं और न ही माइनरों पर गये ।

(3) यह की झूरी ठेकेदार को कार्य का एलाटमेंट, जूनियर इंजीनियर श्रीवास्तव एवं सहायक अभियन्ता मि0 गुप्ता की कृपा से कार्य कराने के लिये नहीं केवल कार्य के नाम पर फर्जी अभिलेखों व बाउचरों को तैयार करके पैसा का भुगतान करने के लिये था ।

(4) यह कि झूरी ठेकेदार ने उक्त नहर एवं माइनर पर कच्ची मिट्टी के कार्य के नाम अनुमानित 90 हजार रुपये का फर्जी भुगतान

लेकर अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया है और उनकी कृपा से उन्हें जो पक्का पुलिया आदि के कार्य कराये हैं, उन पर कोई कमीशन न देने का छूट एवं निर्धारित हिस्सा मिला है ।

(5) यह कि सम्बन्धित उपरोक्त माइनर एवं नहर पर कार्य करने वाले ठेकेदारों ने जब अधिकारियों से इस फर्जी कार्य और भुगतान की आपत्ति उठाई तो अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को धमकी दी गई है कि यदि आप सबने इस गोपनीयता को नष्ट किया तो ठेकेदारों के नाम पर सिंचाई नहर के दफ्तर के पास तक नहीं आने पाओगे ।

(6) यह कि फर्जी कार्य एवं उसके फर्जी भुगतान की चर्चा पहले तो ठेकेदारों में और अब आम जनता तक पहुंच गई है जिन्होंने सारी जानकारी मुझे दिया है । नहर और सम्बन्धित नहरों पर कराये गये कार्य और उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुये मुझे भी पूरी तौर से विश्वास करना पड़ रहा है कि शिकायत बिल्कुल सत्य से परे नहीं है । मुझे लोगों ने यह भी बताया कि इस झूरी ठेकेदार और अधिकारियों का फर्जी कार्य और उसके भुगतान का गोरख धंधा काफी दिनों से चल रहा है । सन् 1984 में भी इस ठेकेदार के नाम से फर्जी मस्टर रोल बनाकर काफी पैसा नहर विभाग से भुगतान कर लिया गया था ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप सम्बन्धित समूचे प्रकरण की जांच किसी निष्पक्ष एवं उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करें और जांच के आदेश दिये जाने की सूचना एवं निश्चित तिथि की जानकारी मुझे भी करायी जाय जिससे कि हम और हमारे क्षेत्र की जनता अपनी जानकारी जांच के समय जांच अधिकारियों को दे सकें । मुझे पूर्ण विश्वास है आप सम्बन्धित प्रकरण की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध अवश्य ही कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ।

धन्यवाद ।

ह0 राम सागर,
सदस्य विधान सभा,
क्षेत्र सिद्धौर, बाराबंकी ।

दिनांक 6 मई, 1985 ई0

नत्थी 'छ'

(देखिये अता0 प्र0 संख्या 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

परिशिष्ट "क"

प्रदेश में शून्य उद्योग जनपदों की सूची

1--बांदा
2--फतेहपुर
3--हमीरपुर
4--जालौन
5--जौनपुर
6--सुल्तानपुर
7--कानपुर (देहात)
8--चमोली
9--पौढ़ी गढ़वाल
10--टेहरी गढ़वाल
11--उत्तर काशी

विधान सभा सचिवालय

परिशिष्ट "ख"

प्रदेश में उद्योग के आधार पर पिछड़े घोषित जनपदों की सूची:

1—बांदा
2—फतेहपुर
3—हमीरपुर
4—जालौन
5—जौनपुर
6—सुल्तानपुर
7—कानपुर (देहात)
8—चमोली
9—पौड़ी-गढ़वाल
10—टेहरी-गढ़वाल
11—उत्तरकाशी
12—अल्मोड़ा
13—पिथौरागढ़
14—देहरादून
15—नैनीताल
16—बलिया
17—बस्ती
18—फैजाबाद
19—झांसी
20—ललितपुर
21—आजमगढ़
22—बदायूं
23—बहराइच
24—बाराबंकी
25—बुलन्दशहर
26—देवरिया
27—एटा
28—इटावा
29—फर्रुखाबाद
30—गाजीपुर
31—गोंडा
32—हरदोई
33—मैनपुरी
34—मथुरा
35—मुरादाबाद
36—पीलीभीत
37—प्रतापगढ़
38—रामपुर
39—शाहजहांपुर
40—सीतापुर
41—उन्नाव

विधान सभा

परिशिष्ट "ग"

उद्योगों के लिये सहायतायें/सुविधायें

क्रम-सं0	सहायता/सुविधा का स्वरूप	उद्योग के आधार पर पिछड़े हुए घोषित जनपदों तथा शून्य उद्योग घोषित जनपदों में अनुमन्य सुविधायें
1	2	3
1	केन्द्रीय पूंजी उपादान	(ए) 25 प्रतिशत (अधिकतम रु0 25 लाख तक) निम्नलिखित जिलों में अनुमन्य हैं :— 1—बांदा, 2—फतेहपुर, 3—हमीरपुर, 4—जालौन, 5—जौनपुर, 6—सुल्तानपुर, 7—कानपुर देहात, 8—अल्मोड़ा, 9—चमोली, 10—पौड़ी-गढ़वाल, 11—टिहरी-गढ़वाल, 12—उत्तरकाशी, 13—पिथौरागढ़, 14—देहरादून तथा 15—नैनीताल । (बी) 15 प्रतिशत (अधिकतम रु0 15 लाख तक) निम्नलिखित जिलों में अनुमन्य हैं :— 1—बलिया, 2—बस्ती, फैजाबाद, 4—झांसी, 5—रायबरेली तथा 6—ललितपुर । (सी) 10 प्रतिशत (अधिकतम रु0 10 लाख तक) निम्नलिखित जिलों में अनुमन्य हैं :— 1—आजमगढ़, 2—बदायूं, 3—बहराइच, 4—बाराबंकी, 5—बुलन्दशहर (सिकन्दराबाद विकास खण्ड को छोड़कर), 6—देवरिया, 7—एटा, 8—इटावा, 9—फर्रूखाबाद, 10—गाजीपुर, 11—गोंडा 12—हरदोई, 13—मैनपुरी, 14—मथुरा (फराह विकास खण्ड को छोड़कर) 15—मुरादाबाद (ठाकुर द्वारा विकास खण्ड को छोड़कर) 16—पीलीभीत, 17—प्रतापगढ़, 18—रामपुर, 19—शाहजहांपुर, 20—सीतापुर, 21—उन्नाव ।

1	2	3
2	ब्याज मुक्त बिक्रीकर ऋण ऐसी इकाइयों के लिये जिनके संयंत्र एवं उपकरण की लागत 3 लाख रु0 से अधिक है तथा जो भारतीय कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। (राज्य के अन्दर तैयार माल की बिक्री-कर के बराबर)	दिनांक 30-9-82 तक स्थापित इकाइयों के लिये अधिकतम रु0 50 लाख या इकाई के अचल सम्पत्ति के मूल्य 75% तक 5 वर्ष के लिये।
3	भूमि मूल्य उपादान (केवल उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक क्षेत्रों में छूट)	1978 के बाद पिछड़े जिलों के चुने हुये औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण व्यय के बराबर उपादान देय हैं।
4	चुंगी में छूट	नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित किये जाने पर मशीनरी तथा इमारती सामान पर लगने वाली चुंगी (शुल्क) से छूट उपलब्ध है।
5	औद्योगिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार कराने हेतु उपादान	सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रतिवेदन हेतु 75% उपादान प्रदान किया जाता हैं।
6	केन्द्रीय यातायात उपादान (केवल पर्वतीय जिलों में)	सभी पर्वतीय जिलों में कच्चा माल तथा तैयार माल को नजदीकी रेलवे हेड से औद्योगिक इकाई के स्थापना स्थल तक पहुंचने में हुये यातायात व्यय का 75% भाग यातायात उपादान के रूप में प्रदान किया जाता हैं।
7	बिजली सम्बन्धी छूट (अ) न्यूनतम उपभोक्ता गारण्टी से छूट	(I) दिनांक 1-8-1980 या उसके पश्चात हुए औद्योगिक कनेक्शन वाली भारी तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयों को न्यूनतम उपभोग गारण्टी से छूट प्रदान की जाती है। यह सुविधा इकाई को विद्युत् आपूर्ति के दिनांक से एक वर्ष तक प्रदान की जाती हैं। (II) नव स्थापित लघुस्तरीय इकाइयां जिनके विद्युत् कनेक्शन दिनांक 1-8-80 के बाद किये गये हैं, से न्यूनतम उपभोग गारण्टी नहीं ली जाती हैं।

1	2	3
	(क) विलयेबिल डिमाण्ड में छूट	ऐसी भारी तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयां, जिनके विद्युत कनेक्शन दिनांक 1-8-80 या उसके पश्चात हुये हैं, तथा उनका विद्युत भार 75 किलोवाट से अधिक है, उनको वास्तविक अधिकतम मांग की केवल एक वर्ष की धनराशि अदा करनी होती है।
	(ख) सामान्य क्षेत्रों में (लघु तथा मध्यम) तथा पर्वतीय क्षेत्रों में (लघु, मध्यम तथा बृहत्त इकाइयों को विकास छूट)	75 कि0 वाट तक के विद्युत भार और पर्वतीय जिलों में 2000 एम0एस0एल0 से अधिक ऊंचाई पर स्थित भारी विद्युत् भार वाले वृहद एवं मध्यम उद्योगों को दिनांक 1-8-80 के बाद हुये नये कनेक्शनों पर कनेक्शन की तिथि से 5 वर्ष के लिये विद्युत बिल की 33.1/3 विकास छूट देय है।
	(ग) बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों की विद्युत् बिलका 50% विकास छूट	(I) झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन बांदा, पिछड़े जनपदों में नये उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों, जिनके विद्युत कनेक्शन दिनांक 1-8-80 या उसके पश्चात किये गये हैं की विद्युत बिल की 50% धनराशि विकास छूट के रूप में प्रदान की जाती है। यह सहायता इकाई के विद्युत कनेक्शन होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक उपलब्ध है।

टिप्पणी :—यदि इकाई के सम्बन्ध में न्यूनतम उपभोक्ता गारण्टी की शर्त लागू है तो विकास छूट तभी अनुमन्य होगी, जबकि इकाई द्वारा विद्युत बिल की भुगतान की जाने वाली धनराशि, (विकास छूट कम करने के उपरान्त) न्यूनतम उपभोक्ता गारण्टी के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली धनराशि से कम न हो।

	(घ) विद्युत कटौती से छूट	दिनांक 27-8-80 के बाद स्थापित होने वाली सभी वृहद तथा मध्यम क्षेत्र की नई औद्योगिक इकाइयों को उनके अवस्थापना के दिनांक से 5 वर्ष तक कटौती से छूट है वर्तमान कार्यरत औद्योगिक इकाइयां भी यह शेष अवधि सुविधा के लिये प्राप्त कर सकती हैं।
		(II) सभी लघु स्तरीत नई इकाइयों दिनांक 27-8-80 से विद्युत कटौती से मुक्त है।

1	2	3
	(ङ) जमानती धनराशि का किश्तों में भुगतान किये जाने की सुविधा	समस्त नई वृहत तथा मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को जमानत की 50 प्रतिशत धनराशि अनुबन्ध (एग्रीमेन्ट) के समय जमा करने और शेष 50 प्रतिशत धनराशि 4 वार्षिक किश्तों में जमा करने की सुविधा उन इकाइयों को उपलब्ध है, जो 5 वर्ष के लिये अनुबन्ध करती हैं ।
8—जेनरेटिंग सेट उपादान		(1) भारी तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को रु0 500 के0 वी0 ए0 (कनेक्टेड भार के अधिकतम 120 प्रतिशत तक) ।
		(2) लघु औद्योगिक इकाइयों को सभी जिलों में जनरेटर के मूल्य पर रु0 1000 प्रति के0 वी0 ए0 की दर से कनेक्टेड भार का अधिकतम 120 प्रतिशत तक जनरेटिंग सेट उपादान ।
9—औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्य पर भूमि का आवंटन		विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के माध्यम से भू-खण्ड प्राप्त किये जा सकते हैं । पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र की अपेक्षा विकसित भूमि का मूल्य कम है ।
10—अन्डर राइटिंग तथा इक्विटी सहायता		"पिकप" इक्विटी सहायता प्रदान करता है और यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 अन्डराइटिंग और इक्विटी सुविधायें देता है ।
11—सावधि ऋण		(1) भारी तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को पिकप तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से ब्याज की रियायती दरों पर सावधि ऋण प्राप्त हो सकता है । (सामन्य क्षेत्र की अपेक्षा पिछड़े क्षेत्र मे सावधि ऋण पर ब्याज की दर 1 प्रतिशत कम है ।
		(2) लघु स्तरीय इकाइयों को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से सावधि ऋण सामान्य क्षेत्र की अपेक्षा 1 प्रतिशत कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है ।
		सामान्य क्षेत्र में 10 1/4 से 10 1/2 की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध होता है ।

1	2	3
12	प्रदेश में स्थित 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों से 10 प्रतिशत राज्य पूंजी उपादान	यह सुविधा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निर्यात हेतु निम्नलिखित वस्तुयें बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की जाती है :— 1—इलेक्ट्रानिक उत्पाद (इलेक्ट्रानिक साफ्ट वेयर सहित । 2—फिनिश्ड लेदर उत्पाद (जूते तथा पेन्ट ब्रुश सहित) । 3—खेलकूद का सामान । 4—प्रोसेस्टु फूड (प्रशोधित खाद्य), फल, सब्जियां तथा अल्कोहलिक और साफ्ट ब्रिवरेजेज । 5—मांस तथा तत्सम्बन्धित उत्पादन । 6—मैंगो करनेल इक्सट्रेक्शन तथा मैंगो करनेल आयल । 7—गलीचे । 8—सिले-सिलाये वस्त्र । 9—खादी । 10—प्राकृतिक रेशम का कपड़ा एवं वस्त्र । 11—होजरी वस्त्र । 12—हथकरघा कपड़ा एवं वस्त्र । 13—हस्तकला वस्तुयें । 14—सोने, चांदी के गहने ।
13	राज्य तथा अन्तर्राज्यीय बिक्री पर बिक्री कर से छूट	निम्नलिखित उद्योग रहित पिछड़े जिलों में दिनांक 1-10-82 से दिनांक 31-3-1990 तक के मध्य उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने वाली नई इकाइयों के उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर से छूट प्रदान की जायगी :— 1—बांदा, 2—जालौन, 3—हमीरपुर, 4—जौनपुर, 5—फतेहपुर, 6—पौडीगढ़वाल, 7—चमोली, 8—उत्तरकाशी, 9—सुल्तानपुर, 10—कानपुर (देहात), 11—टिहरी गढ़वाल ।

उत्तर प्रदेश गजट

1	2	3
		उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित पिछड़े जनपदों में यह छूट उत्पादन प्रारम्भ के दिनांक से 6 वर्ष तक अनुमन्य है ।
		1—अल्मोड़ा, 2—आजमगढ़, 3—बहराइच, 4—बलिया, 5—बाराबंकी, 6—बस्ती, 7—बदायूं, 8—बुलन्दशहर, 9—देवरिया, 10—एटा, 11—इटावा, 12—फैजाबाद, 13—फर्रूखाबाद, 14—गाजीपुर, 15—गोंडा, 16—हरदोई, 17—झांसी, 18—मैनपुरी, 19—मथुरा, 20—मुरादाबाद, 21—पीलीभीत, 22—ललितपुर, 23—पिथौरागढ़, 24—प्रतापगढ़, 25—रायबरेली, 26—रामपुर, 27—शाहजहांपुर, 28—सीतापुर, 29—उन्नाव तथा गाजियाबाद की दादरी तहसील ।
14—पायनियर इकाइयां :— (अ) पूंजी उपादान		प्रदेश के किसी जनपद की तहसील में सर्वप्रथम स्थापित इकाई जहां उस प्रकार की कोई इकाई पहले से कार्यरत न हो । और जिसका पूंजी निवेश रु0 एक करोड़ से अधिक हो, पाइनियर इकाई कहलायेगी और ऐसी इकाई को अन्य सुविधाओं की अतिरिक्त श्रेणी "स" के जनपदों में 15 (अधिकतम रु0 15 लाख अर्थात् 10 प्रतिशत) अधिकतम रु0 10 लाख केन्द्रीय पूंजी उपादान तथा 5 लाख राज्य पूंजी उपादान भी दी जाती है ।
(ब) राज्य तथा अन्तर्राज्यीय बिक्री पर बिक्री कर से छूट		अन्य उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त बिक्री कर डिफरमेन्ट योजना का विकल्प भी इन इकाइयों द्वारा चुना जा सकता है ।
15—प्रेस्टिज इकाइयां— (अ) पाइनियर इकाइयों को प्रदत्त सभी सुविधायें/रियायतें		यह सुविधायें उस इकाई को मिलेगी जो कि प्रदेश के किसी जनपद में स्थापित हों तथा जहां इस प्रकार की कोई पहले से कार्यरत न हो एवं जिसका कुल पूंजी विनियोजन 25 करोड़ रु0 से अधिक हो ।
(ब) 10 (अधिकतम रु0 15 लाख) का राज्य पूंजी उपादान		इस बात से सन्तुष्ट हो जाने पर कि प्रेस्टिज इकाई ने पूरक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया है, उस इकाई को 15 (अधिकतम रु0 15 लाख) तक का अतिरिक्त राज्य पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा । अर्थात् ऐसी इकाई के लिये पूंजी उपादान की सीमा 30 रुपये तक होगी ।

1	2	3
	लघुस्तरीय इकाइयों के लिये कतिपय अन्य सुविधायें—	
16	ब्याज उपादान (केन्द्रीय) (ई0 डी0 पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षित टेक्नीकल उद्यमकर्ताओं को)	बैंकों/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा सावधि ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज दर पर उस सीमा तक कि ब्याज की न्यूनतम दर 7 प्रतिशत हो ।
17	विद्युत् उपादान	यह सुविधा/सहायता 20 एच0 पी0 तक भार वाली 22 ग्रुपों की लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की जाती है । विद्युत मूल्य 9 पैसा प्रति यूनिट से अधिक होने पर उपादान की अधिकतम सीमा 9 पैसा प्रति यूनिट है ।
18	मार्जिन मनी ऋण	उन शहरों में जिसकी आबादी 50,000 से कम है, वह सहायता प्रदान की जाती है ।
	(क) केन्द्रीय योजना	(क) कुल प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 5.12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ।
	(ख) शिक्षित बेरोजगारों के लिए राज्य योजना	(ख) रु0 5 लाख तक के सावधि ऋण पर सभी उद्यमकर्ताओं को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर अधिकतम रु0 1,00,000 तक ।
19	उत्पादकता अध्ययन उपादान (राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के माध्यम से)	उत्पादकता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने व्यय धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के माध्यम से उपादान के रूप में दी जाती है ।
20	ब्याज उपादान (राज्य सरकार की योजना)	1,00,000 रु0 तक का सावधि ऋण लेने वाली लघु/टाइनी इकाइयां 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर होने पर 4 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तक ब्याज उपादान के लिये पात्र हैं ।
21	किराया क्रय पद्धति पर मशीनों की आपूर्ति	उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम रु0 50,000 तक की स्वदेशी मशीनों की आपूर्ति किराया क्रय आधार पर करता है । स्वदेशी तथा विदेशी मशीनों की आपूर्ति किराया क्रय आधार पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा भी की जाती है ।

1	2	3
22	उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में शेड्स/भूखंड की सुविधायें	जहां औद्योगिक आस्थानों में बने हुए रोड्स/विकसित भूखंड रिक्त उपलब्ध हैं, वहां सभी लघु औद्योगिक इकाइयां इस सुविधा का उपयोग कर सकती हैं । शेड्स/भूखंड किराया क्रय अथवा किराये के आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं ।
23	औद्योगिक समूहों में पंकेज सहायता	पंकेज सहायता में निम्नलिखित हैं — (अ) निर्मित शेड्स/भूखंड । (ब) मार्जिन मनी ऋण । (स) सम्भाव्यता रिपोर्ट । (द) वाणिज्यिक सम्बद्धता । इसके अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक समूह की इकाइयों की सरकारी खरीद में आपूर्ति हेतु 30 प्रतिशत का आरक्षण है ।
24	सरकारी खरीद मूल्य वरीयता	(अ) कुछ आरक्षित वस्तुओं की खरीद लघु औद्योगिक इकाइयों से ही की जाती है । (ब) वृहत इकाइयों की तुलना में 15 प्रतिशत की मूल्य की वरीयता तथा अन्य राज्यों की लघु इकाइयों की तुलना म 5 प्रतिशत की मूल्य वरीयता दिया जाना प्रस्तावित है ।
25	विपणन सहायता	उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम/उद्योग निदेशालय विपणन निदेशा प्रदान करता है तथा सरकारी खरीद में जमानत धनराशि से छूट दी जाती है । उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम द्वारा सहकारी आपूर्ति के लिये 90 प्रतिशत भुगतान भी कर दिया जाता है ।

पी0एस0यू0पी0—51 वि0 सभा—21-1-86—813 (पी0 डी0)